खण्ड-365, अंक-1
शुक्रवार, 12 फाल्गुन, शक संवत् 1905
(2 मार्च, 1984 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 365 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, इलाहबाद , उत्तर प्रदेश (भारत)
1984

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय-सूची

विषय		पृष्ठ संख्या
उपस्थित सदस्य	..	1—4
प्रश्नोत्तर	..	5—78
प्रश्नों के सम्बन्ध में व्यवस्था के प्रश्न	..	79—80
इकोना जंगल (जालौन) में वन विभाग के कर्मचारियों की मिलीभगत से लकड़ी काटने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	..	80—81
श्री रामनाथ यादव, ग्राम प्रधान द्वारा ग्राम गजहड़ा, तहसील मुहम्मदाबाद, आजमगढ़ की ग्राम समाज की भूमि हड़प लेने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	..	81
फरीदपुर (बरेली) में जूनियर हाई स्कूल हेतु बनायी जा रही इमारतों में गलत सामग्री प्रयोग किये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	..	81—82
अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों द्वारा किये जा रहे अनशन के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	..	82
थानाध्यक्ष, छितवापुर चौकी (लखनऊ) के अत्याचार के विरोध में लालकुआं के बाजार बन्द होने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	..	82—83
बस्ती नगरपालिका की उपलब्ध भूमि को प्रशासन द्वारा किराये पर उठाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	..	83
जिलाधिकारी, लखनऊ द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण भूमिहीन बेरोजगार योजना में किये जा रहे घपले के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	..	83
डी0 पी0 एन0 अस्थी, गोरखपुर के स्थानान्तरण के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न	..	83—85
गोली में भोटिया जनजाति के लोगों पर गोली वर्षा की न्यायिक जांच न कराये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न	..	85—86
वाराणसी के दोबीपुरा मुहल्ले की कब्रों की खुदाई के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न	..	86—90
तत्कालीन शिक्षा मंत्री के विरुद्ध उठाये गये विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न पर श्री अध्यक्ष का निर्णय	..	90

विषय	पृष्ठ संख्या
कार्यमंत्रणा समिति द्वारा समय निर्धारण का प्रस्ताव (स्वीकृत) ..	91—92
गढ़वाल विश्वविद्यालय तथा पांच अन्य निकायों के निर्वाचन कार्यक्रम की सूचना ..	93—94
कार्य–स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं ..	94—95
कार्य–स्थगन प्रस्तावों की ग्राह्यता पर न बोलने देने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न ..	95—106
वित्तीय वर्ष 1984–85 के आय–व्ययक पर सामान्य चर्चा (जारी) ..	106—136
नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं ..	136
बुन्देलखंड के सभी जनपदों में राजकीय नलकूपों एवं लिफ्ट कैनालों के कनेक्शन काट दिये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में वक्तव्य ..	136—143
वित्तीय वर्ष 1984–85 के आय–व्ययक पर सामान्य चर्चा ..	143—144
सभियां ..	145—150

उत्तर प्रदेश विधान सभा

शुक्रवार, दिनांक 2 मार्च, 1984

विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, लखनऊ में 11 बजे दिन में अध्यक्ष, श्री धर्म सिंह की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

उपस्थित सदस्य—327

अकबर हुसैन, श्री (मुरादाबाद)
अकबाल हुसैन, श्री (गोंडा)
अजहर ईमाम, श्री (मिर्जापुर)
अजीजुर्रहमान, श्री (बिजनौर)
अजीत कुमार सिंह, श्री (कानपुर)
अजीत सिंह सेठी, श्री (मेरठ)
अनवार मुहम्मद खां, श्री (फर्रुखाबाद)
अबुल कलाम, श्री (आजमगढ़)
अमरनाथ सिंह, श्री (उर्फ अनिल सिंह) (फतेहपुर)
अमर सिंह, श्री (सहारनपुर)
अम्बा प्रसाद वर्मा, श्री (बरेली)
अम्बिका सिंह, श्री (बस्ती)
अम्मार रिजवी, श्री (सीतापुर)
अलमेलु अम्माल, कुमारी (बस्ती)
अशफाक अहमद अन्सारी, श्री (बरेली)
आजाद कुमार कर्दम, श्री (आगरा)
इन्द्रजीत, श्री (फतेहपुर)
इन्द्र प्रताप सिंह, श्री (लल्लू) (बहराइच)
ईश्वर दयाल त्यागी, श्री (गाजियाबाद)
ईश्वर शरण विद्यार्थी, श्री (इलाहाबाद)
उदयवीर सिंह, श्री (शाहजहांपुर)
उदय प्रताप सिंह, श्री (गोंडा)
उर्मिला अग्निहोत्री, कुमारी (एटा)
ऊदल, श्री (वाराणसी)
ए० सी० ग्राइस, श्री (नाम निर्देशित आंग्ल भारतीय)
ओम प्रकाश जिन्दल, श्री (आगरा)
ओम प्रकाश रिछारिया, श्री (ललितपुर)
कन्हैया लाल, श्री (मथुरा)
कन्हैया लाल महेन्द्रू, श्री (लखनऊ)
कमला बरियाबादी, श्रीमती (कानपुर)
कमला देवी, श्रीमती (हरदोई)
कमला प्रसाद सिंह, श्री (जौनपुर)
कमला साहनी, श्रीमती (बस्ती)
कल्यान सिंह सोलंकी, श्री (बरेली)
कल्लू राम रत्नाकर, श्री (मिर्जापुर)
किरनपाल सिंह, श्री (बुलन्दशहर)
किशोरी शुक्ला, श्रीमती (गोरखपुर)
कुंवर बहादुर मिश्र, श्री (हमीरपुर)
कुंवर सिंह नेगी, श्री (चमोली)
कुदसिया बेगम, श्रीमती (बेगम एजाज रसूल (हरदोई)
कुबेर भण्डारी, श्री (देवरिया)
कृष्ण कुमार शुक्ल, श्री (रायबरेली)
कृष्णदत्त, श्री (उर्फ बालराज) (फतेहपुर)
कृष्ण मगन सिंह, श्री (बाराबंकी)
कृष्णवीर सिंह कौशल, डाक्टर (आगरा)
केदार नाथ सिंह, श्री (गोरखपुर)
केशरी प्रसाद, श्री (जौनपुर)
केशो राम, श्री (बदायूं)
कैलाश प्रसाद, श्री (गोरखपुर)
खरपत, श्री (वाराणसी)
खान गुफरान जाहिदी, श्री (फतेहपुर)
खुर्शीद अहमद अन्सारी, श्री (मुरादाबाद)
खुर्शेद अहमद, श्री (बहराइच)
खुशहाल सिंह रांगड़, श्री (टिहरी गढ़वाल)
खैरुल बशर, श्री (आजमगढ़)
गंगा सागर शंखवार, श्री (कानपुर)
गजेन्द्र सिंह, श्री (इटावा)
गजेन्द्र सिंह, श्री (बाराबंकी)
गया सिंह, श्री (उन्नाव)
गुलाम नबी, श्री (आगरा)
गेंदा देवी, श्रीमती (बस्ती)
गोपी नाथ दीक्षित, श्री (उन्नाव)
गोपी नाथ वर्मा, श्री (फैजाबाद)
गोरे लाल शाक्य, श्री (इटावा)
गोवर्धन तिवारी, श्री (अलमोड़ा)
गौरी देवी, श्रीमती (गोरखपुर)
गौरी शंकर एडवोकेट, श्री (इटावा)
गौरी शंकर भैय्या, श्री (बलिया)
चन्द्र प्रकाश शर्मा, प्रो० (बांदा)

चन्द्रबली ब्रह्मचारी, श्री (आजमगढ़)
चन्द्रभान सिंह, श्री (बांदा)
चन्द्र मोहन सिंह नेगी, श्री (पौड़ी गढ़वाल)
चन्द्र शेखर त्रिवेदी, श्री (लखनऊ)
चेतराम गंगवार, श्री (बरेली)
छेदा लाल चौधरी, श्री (खीरी)
छेदी लाल, श्री (गोंडा)
जंग बहादुर, श्री (जौनपुर)
जगदीश नारायन, श्री (फतेहपुर)
जगदीश प्रसाद, श्री (इलाहाबाद)
जगदीश सिंह, श्री (शाहजहांपुर)
जटाशंकर सिंह, श्री (बहराइच)
जनार्दन प्रसाद ओझा, श्री (गोरखपुर)
जयदीप सिंह बरार, श्री (बरेली)
जसवन्त सिंह बिष्ट, श्री (अल्मोड़ा)
जावेद अली, श्री (मथुरा)
जितेन्द्र पाल सिंह, श्री (मुरादाबाद)
जितेन्द्र शाह, श्री (जालौन)
जियाराम शुक्ल, 'विकल साकेती', श्री (फैजाबाद)
जोराज सिंह मौर्य, श्री (मुरादाबाद)
तपेश्वर, श्री (आजमगढ़)
तेजनरायन त्रिवेदी, श्री (खीरी)
तेज बहादुर सिंह, श्री (जौनपुर)
दयाल कृष्ण, श्री (मथुरा)
दलजीत सिंह, श्री (रामपुर)
दामोदर शर्मा, श्री (मेरठ)
दिवाकर विक्रम सिंह (बस्ती)
दीना नाथ, श्री (बस्ती)
दीपक कुमार, श्री (मुजफ्फर नगर)
दीपनरायन वन महन्थ, श्री (गोंडा)
दीपू उर्फ दीप नारायण, श्री (आजमगढ़)
दुर्गा प्रसाद मिश्र, श्री (देवरिया)
देवी प्रसाद, श्री (बहराइच)
देवेन्द्र पाण्डेय, श्री (सुल्तानपुर)
देवेन्द्र बहादुर सिंह चन्देल, श्री (कानपुर)
द्वारिका नाथ धवन, श्री (देहरादून)
धनीराम वर्मा, श्री (इटावा)
धनेश्वरी देवी, श्रीमती (वाराणसी)
धरमपाल, श्री (बहराइच)
धरमपाल सिंह, डाक्टर (अलीगढ़)
धर्मवीर सिंह त्यागी, श्री (मुजफ्फरनगर)
धर्म सिंह, श्री (बुलन्दशहर)
ध्रुव प्रसाद राय, श्री (देवरिया)
नत्थू लाल, श्री (हरदोई)
नन्द किशोर सिंह, श्री (देवरिया)
नन्द राम, श्री (बरेली)
नरेन्द्र सिंह भन्डारी, श्री (पौड़ी गढ़वाल)
नरेन्द्र सिंह बिष्ट, श्री (पिथौरागढ़)
नियाज हसन खां, श्री (प्रतापगढ़)
निर्भय नारायण सिंह, श्री (बलिया) (उर्फ लाल बाबू)
नेत्रपाल सिंह राघव, श्री (मैनपुरी)
नौनिहाल सिंह, चौधरी (इलाहाबाद)
पंचानन राय, श्री (आजमगढ़)
पन्ने लाल, श्री (गोरखपुर)
परमई लाल, श्री (हरदोई)
परमात्मा प्रसाद सिंह, श्री (बस्ती)
पारगी लाल चौधरी, श्री (खीरी)
पारवती देवी, श्रीमती (बाराबंकी)
पुरुषोत्तम, श्री (सिद्धार्थनगर)
पुष्पा चौहान, श्रीमती (अलीगढ़)
पूरन चन्द्र, श्री (अलीगढ़)
प्रताप नारायण द्विवेदी, श्री (हमीरपुर)
प्रदीप कुमार यादव, श्री (बाराबंकी)
प्रभाकर नाथ द्विवेदी, श्री (प्रतापगढ़)
प्रभू नारायण सिंह, श्री (जौनपुर)
प्रेमवती, श्रीमती (बदायूं)
फखरे आलम, श्री (बदायूं)
फिरंगी प्रसाद विशारद, श्री (गोरखपुर)
बंशीधर, श्री (रामपुर)
बंशीधर राज, श्री (खीरी)
बच्चा पाठक, श्री (बलिया)
बनवारी राम श्री (वाराणसी)
बब्बन सिंह, श्री (बलिया)
बलराम सिंह यादव, श्री (इटावा)
बलवीर सिंह, श्री (फर्रुखाबाद)
बल्देव सिंह आर्य, श्री (उत्तरकाशी)
बाबू लाल, श्री (गोंडा)
बाबू लाल, श्री (हमीरपुर)
बाबू सिंह, श्री (अलीगढ़)
बिहारी लाल, श्री (नैनीताल)
बिहारी लाल दोहरे, श्री (फर्रुखाबाद)
बृज किशोर मिश्र, डाक्टर (देवरिया)
बेनी बाई, श्रीमती (झांसी)
बैजनाथ प्रसाद कुशवाहा, श्री (इलाहाबाद)
बह्म दत्त, श्री (देहरादून)
भगवती सिंह विशारद, श्री (रायबरेली)
भगवानदीन कुशवाहा, श्री (कानपुर)
भागीरथ, श्री (झांसी)
भास्कर पाण्डेय, श्री (देवरिया)
भीखा लाल, श्री (उन्नाव)

भूधर नारायण मिश्रा, श्री (कानपुर)
भूपसिंह केन, श्री (गाजियाबाद)
भृगुनाथ चतुर्वेदी, श्री (गोरखपुर)
भोला पाण्डेय, श्री (बलिया)
मंगलदेव, श्री (गोंडा)
मण्डलेश्वर, श्री (आगरा)
मथुरा प्रसाद पाण्डेय, श्री (बस्ती)
मन्जूर अहमद, श्री (मेरठ)
मसरूर जाफरी, श्री (उर्फ शबरोज), (गोंडा)
महाबीर सिंह, श्री (सहारनपुर)
महारानी दोहरे, श्रीमती (इटावा)
महेश उपाध्याय, श्री (आगरा)
महेश चन्द्र, श्री (मेरठ)
महेश प्रसाद, श्री (देवरिया)
माण्डवी प्रसाद सिंह, श्री (वाराणसी)
माता प्रसाद पाण्डेय, श्री (बस्ती)
माधव प्रसाद, श्री (फैजाबाद)
मानपाल सिंह एडवोकेट, श्री (एटा)
मान बहादुर, श्री (गोंडा)
मित्रसेन, श्री (फैजाबाद)
मीर मजहर अली, श्री (बदायूं)
मुख्तार अनीस, श्री (सीतापुर)
मुन्शी लाल, श्री (मैनपुरी)
मुरलीधर मुनीम, श्री (गोंडा)
मुहम्मद आजम खां, श्री (रामपुर)
मेंहदी असगर, श्री (मुजफ्फरनगर)
मोती लाल देहलवी, श्री (कानपुर)
मोहन लाल, श्री (हमीरपुर)
मोहन सिंह, श्री (देवरिया)
मोहम्मद अबरार अहमद, श्री (बदायूं)
मोहम्मद उमर, डाक्टर (गोंडा)
मोहम्मद नबी, श्री (बस्ती)
मोहम्मद रफी सिद्दीकी, श्री (लखनऊ)
मोहम्मद वसीम, हाजी (रायबरेली)
मोहम्मद सफीउर्रहमान अंसारी श्री (वाराणसी)
यदुनाथ सिंह, श्री (मिर्जापुर)
यमुना प्रसाद, श्री (बाराबंकी)
यशपाल सिंह, श्री (बुलन्दशहर)
योगेश चन्द्र, श्री (वाराणसी)
रघुराज प्रसाद उपाध्याय, श्री (गोंडा)
रघुबीर सिंह यादव, श्री (मैनपुरी)
रमाकान्त मिश्रा, श्री (इलाहाबाद)
रमेश चन्द्र शुक्ल, श्री (रायबरेली)
रवीन्द्र, श्री (आजमगढ़)
राज किशोर राव, श्री (बहराइच)
राज कुमार राय, श्री (आजमगढ़)
राजपति देवी, श्रीमती (सुल्तानपुर)
राजपाल सिंह, श्री (मुरादाबाद)
राजमंगल पांडेय, श्री (देवरिया)
राजेन्द्र अग्निहोत्री, श्री (झांसी)
राजेन्द्र कुमार गुप्त, श्री (सीतापुर)
राजेन्द्र त्रिपाठी, श्री (इलाहाबाद)
राजेन्द्र सिंह, श्री (अलीगढ़)
राजेन्द्र सिंह, श्री (एटा)
राजेन्द्र सिंह यादव, श्री (फर्रुखाबाद)
राधेश्याम पटेल, श्री (इलाहाबाद)
राधेश्याम वर्मा, श्री (फर्रुखाबाद)
राम अवध प्रसाद, श्री (बस्ती)
राम आसरे पासवान, श्री (बस्ती)
राम आसरे वर्मा श्री (हरदोई)
राम औतार दीक्षित, श्री (हरदोई)
राम करन, श्री (वाराणसी)
राम कुंवर सिंह, श्री (आजमगढ़)
राम कृष्ण उपाध्याय, डाक्टर (जौनपुर)
राम गोविन्द, श्री (बलिया)
राम चन्द्र, श्री (वाराणसी)
राम चरण सिंह, श्री (मिर्जापुर)
रामजी राम, श्री (फैजाबाद)
राम धनी, श्री (गाजीपुर)
राम नारायण सिंह, श्री (एडवोकेट) (गाजीपुर)
राम नरेश शुक्ल, श्री (प्रतापगढ़)
राम प्यारे पान्डेय, श्री (फतेहपुर)
राम प्रसाद, श्री (जालौन)
राम प्रसाद, श्री (मुजफ्फरनगर)
राम भजन लाल, श्री (खीरी)
राम लाल, श्री (सीतापुर)
राम लाल वर्मा, श्री (हरदोई)
राम शिरोमणि, श्री (जौनपुर)
राम समुझावन, श्री (जौनपुर)
राम सागर, श्री (बाराबंकी)
राम सिंह, श्री (सहारनपुर)
राम सिंह, श्री (सुल्तानपुर)
राम सिंह खन्नहा, श्री (बरेली)
राम स्वरूप निम, श्री (सहारनपुर)
राम स्वरूप वर्मा, श्री (कानपुर)
राम हर्ष मिश्र, श्री (बहराइच)
राम हर्ष राय, श्री (गाजीपुर)
रामेश्वर नाथ चौबे, श्री (बरेली)
रामेश्वर प्रसाद, श्री (बांदा)

रिजवानुल्हसन किदवाई श्री (बाराबंकी)
रियाज अहमद, श्री (पीलीभीत)
रुद्र प्रताप सिंह, श्री (देवरिया)
रूप राम, श्री (शाहजहांपुर)
रूल्हा सिंह, श्री (सहारनपुर)
रेवती रमण सिंह, श्री (इलाहाबाद)
(उपर्व मणिजी)
लटूरी सिंह, श्री (एटा)
लल्लू सिंह चौहान, श्री (मैनपुरी)
लाल प्रताप सिंह, श्री (प्रतापगढ़)
लालसा, श्री (आजमगढ़)
लोकपति, श्री (बिजनौर)
लोकमणि शर्मा, श्री (मथुरा)
विजय पाल सिंह, श्री (गाजियाबाद)
विजय शंकर सिंह, श्री (गाजीपुर)
विजय सिंह राणा, श्री (आगरा)
विद्या सागर नौटियाल, श्री (टिहरी गढ़वाल)
विनोद कुमार तिवारी, डा० (पीलीभीत)
विमल प्रसाद तिवारी, श्री (फर्रुखाबाद)
बिमला राकेश, श्रीमती (सहारनपुर)
विलायती राम कटियार, श्री (कानपुर)
विशन लाल, श्री (बिजनौर)
विश्वनाथ, श्री (देवरिया)
विश्राम दास, श्री (इलाहाबाद)
विष्णु दयाल वर्मा, श्री (मैनपुरी)
वीरेन्द्र कुमार चौधरी, श्री (सीतापुर)
श्री वीरेन्द्र सिंह, श्री (मुजफ्फरनगर)
वृद्धि नारायण सिंह, श्री (वाराणसी)
शंकर सिंह, श्री (जालौन)
शम्भू नाथ श्री (आजमगढ़)
शरीयतुल्ला, श्री (मुरादाबाद)
शिरोमणि, श्री (बांदा)
शिवदर्शन, श्री (रायबरेली)
शिव नरेश, श्री (बांदा)
शिवनारायण सिंह नेगी (नैनीताल)
शिवपाल सिंह, श्री (उन्नाव)
शिव मंगल सिंह, श्री (मैनपुरी)
शिवानन्द नौटियाल, डाक्टर (पौड़ी गढ़वाल)
शौनाथ सिंह, श्री (बिजनौर)

श्याम नरायन तिवारी, श्री (गोरखपुर)
श्याम लाल वाजपेयी, श्री (बाराबंकी)
श्याम सिंह, श्री (बिजनौर)
श्याम सूरत उपाध्याय, श्री (इलाहाबाद)
श्रीकृष्ण गोयल, श्री (बदायूं)
श्रीनाथ सिंह, श्री (वाराणसी)
संकठा प्रसाद शास्त्री, श्री (वाराणसी)
सच्चिदानन्द, श्री (उन्नाव)
सतीश अजमानी, श्री (खीरी)
सतीश चन्द्र जायसवाल, श्री (इलाहाबाद)
सत्यपाल सिंह, श्री (शाहजहांपुर)
सत्येन्द्र चन्द्र गुड़िया, श्री (नैनीताल)
सन्त बख्श रावत, श्री (लखनऊ)
सरजू प्रसाद 'सरोज', श्री (प्रतापगढ़)
सरदार सिंह, श्री (मथुरा)
साहब सिंह, श्री (गाजीपुर)
सिकन्दर अली खां नवाब, श्री (शाहजहांपुर)
सुखदा मिश्रा, श्रीमती (इटावा)
सुखबीर सिंह गहलौत, श्री (गाजियाबाद)
सुन्दर सिंह, श्री (बहराइच)
सुमन लता, श्रीमती (कानपुर)
सुरेन्द्र कुमार, श्री उर्फ मुन्नी (गाजियाबाद)
सुरेन्द्र प्रताप नारायण, श्री (बस्ती)
सुरेन्द्र सिंह, श्री (गाजीपुर)
सुल्तान सिंह, श्री (मुरादाबाद)
सूबेदार सिंह श्री (मैनपुरी)
सूर्यनाथ उपाध्याय, श्री (जौनपुर)
सोमांश प्रकाश, श्री (मुजफ्फरनगर)
स्वरूप कुमारी बख्शी, श्रीमती (लखनऊ)
स्वामी नेमपाल, श्री (बुलन्दशहर)
स्वामी प्रसाद सिंह, श्री (हमीरपुर)
हंसराज सिंह बर्मा, श्री (एटा)
हर गोविन्द वर्मा, श्री (सीतापुर)
हरदेव, श्री (बलिया)
हरवंश प्रसाद पांडेय, श्री (बांदा)
हरिद्वार पांडेय, श्री (गोरखपुर)
हरि प्रसाद कुरील, श्री (उन्नाव)
हरिवंश सहाय, श्री (देवरिया)
हरी किशन श्रीवास्तव, श्री (कानपुर)
हाफिज मोहम्मद सिद्दीक, श्री (मुरादाबाद)
हुकुम सिंह, श्री (मुजफ्फरनगर)

नोट --वित्त एवं संस्थागत वित्त राज्य मन्त्री, श्रीमती इन्द्रमोहिनी, पंचायती राज एवं ग्राम्य विकास राज्य मंत्री, श्री राम सजीवन सिंह तथा गन्ना विकास मन्त्री, श्री सुरेन्द्र पाल सिंह भी सदन में उपस्थित थे ।

प्रश्नोत्तर

शुक्रवार, 2 मार्च, 1984

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

गंगा और यमुना नदियों के जल प्रदूषण के रोकथाम हेतु उपाय

**1--श्री सरदार सिंह--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि गंगा और यमुना नदियों के जल को प्रदूषण से रोकने के लिये सरकार क्या-क्या कदम उठा रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

पंचायती राज, ग्राम्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री बलराम सिंह यादव)--

शासन द्वारा प्रदेश में गंगा एवं यमुना नदियों के जल प्रदूषण के रोकथाम हेतु विभिन्न स्थानीय निकायों एवं उद्योगों द्वारा प्रदूषण नियंत्रण योजनायें तैयार करवा कर लागू कराये जाने का प्रयास किया जा रहा है । इन स्थानीय निकायों एवं उद्योगों को यह सूचित किया जा चुका है कि वे अपने यहां से निकलने वाले दूषित उत्प्रवाहों के शुद्धिकरण हेतु उचित व्यवस्था करें ताकि नदियों का जल प्रदूषित न हो ।

इससे अतिरिक्त प्रदेश के प्रमुख शहरों जो गंगा एवं यमुना नदी के किनारे बसे हैं, से होने वाले जल प्रदूषण की रोकथाम हेतु आगामी 10 वर्षों के लिए व्यापक कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार करायी गयी है । लागू नहीं होता ।

श्री सरदार सिंह--

माननीय अध्यक्ष जी अभी-अभी केन्द्र प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड की रिपोर्ट आयी है, इसमें इस समस्या पर भारी चिन्ता व्यक्त की गयी है और आगे रिपोर्ट में यह कहा गया है कि अगर इस प्रकार के जल प्रदूषण को गंगा-यमुना से नहीं रोका गया तो आगे आने वाले 10 सालों में इनका पानी पीने के लायक नहीं रहेगा और शासन द्वारा जो वाटर पाल्यूशन ऐक्ट बनाया गया है वह उद्यमियों व फैक्ट्रियों आदि पर प्रभावी नहीं है और इस ऐक्ट का कोई असर अब बाकी नहीं रहा इन लोगों पर, तो ऐसी स्थिति में मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि क्या वह इस ऐक्ट को इतना प्रभावी बनायेंगे और यदि इस पर भी वह फैक्ट्री पालन न करें तो उनके खिलाफ कोई कार्यवाही करने का कष्ट करेंगे ?

श्री बलराम सिंह यादव--

मान्यवर, वाटर पाल्यूशन ऐक्ट जो माननीय सदस्य बता रहे हैं कि प्रभावी नहीं है तो इसके प्रभावी बनाने हेतु जो माननीय सदस्य के सुझाव होंगे उस पर शासन विचार करेगा ।

श्री रेवती रमण सिंह--

मान्यवर, यह शासन लगातार 4 वर्षों से इस मामले पर विचार कर रहा है और कार्यवाही कर रहा है लेकिन मान्यवर, यह प्रदूषण समस्या वैसी ही आज भी बनी हुई है तो मैं माननीय मन्त्री से यह जानना चाहूंगा कि इसका कोई चेयरमैन आपके यहां है, जैसा कि हरियाणा, महाराष्ट्र और गुजरात जैसे प्रदेशों में एक परमानेंट चेयरमैन हैं और यह कार्य उनके द्वारा कुशलता से किया जा रहा है । यह काम स्थानीय निकायों के बस की बात है । इस पर गम्भीरता से कार्य हो तो क्या इसके लिये आपके यहां भी एक परमानेंट चेयरमैन नियुक्त कर तत्काल कार्यवाही कराने का कष्ट करेंगे ?

श्री बलराम सिंह यादव--

जहां तक मैं समझता हूं कि यहां पर चेयरमैन होने या न होने का कोई आवश्यक तात्पर्य नहीं है और यदि इस

संबंध में यह आवश्यक समझा जायेगा तो इस पर विचार जरूर किया जायेगा ।

श्री जयदीप सिंह बरार---

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से यह जानना चाहता हूं कि जो आपका केन्द्र प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड है उसके द्वारा क्या यह जांच कभी कराई गई है कि कौन-कौन सी वह जगहें हैं जहां पर जल प्रदूषण अधिक है ? दूसरे मैं यह जानना चाहता हूं कि पिछले वर्ष सरकार ने वाटर पाल्यूशन ऐक्ट के तहत कितने मुकदमें चलाये हैं और अब उनकी स्थिति क्या है ?

श्री बलराम सिंह यादव---

मान्यवर, जहां तक जल प्रदूषण की समस्या का प्रश्न है तो एक तो शहरों में जो सीवेज है इसका जल नदियों में जाता है उससे जल प्रदूषण होता है । दूसरे जो हमारे यहां इन्डस्ट्रीज हैं जैसे शुगरकेन इन्डस्ट्री, चमड़े के कारखाने इत्यादि हैं, इनसे भी जल प्रदूषण होता है । जहां तक कन्ट्रोल बोर्ड के ऐक्शन लेने का सवाल है तो लगभग 20 इन्डस्ट्रीज के खिलाफ ऐक्शन लिया गया है और उनके मामले कोर्ट में लम्बित हैं ।

श्री ऊबल---

माननीय मंत्री जी के उत्तर के संदर्भ में जैसा कि अभी मंत्री जी ने बतलाया कि जल के प्रदूषण के कई कारण हैं । दो कारण तो अभी मंत्री ने बतलाये । उन्होंने कहा कि गन्दे नाले का जल नदियों में गिरने से प्रदूषण होता है तथा चमड़े आदि के कारखाने के कारण भी जल प्रदूषण होता है । परन्तु इसके अलावा भी जल प्रदूषण के कई कारण और हैं जैसे मरे हुए पशुओं को नदी में डाल देना, मरे हुए मनुष्यों को भी नदी में डाल देना इत्यादि । इसके लिये सरकार ने एक फार्म बनाने की कोशिश की थी सलेज फार्म के नाम से कि बड़े-बड़े शहरों में ऐसे फार्म बना करके गन्दे पानी को रोकने की इसके जरिये कोशिश की जाने वाली थी कि सलेज फार्म के रूप में पानी को इकट्ठा करके इसे करेंगे । बनारस में यह योजना लागू हो गई है । मैं मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि क्या यह जो बड़े-बड़े शहर गंगा और यमुना नदी के किनारे बसे हुये हैं, इन शहरों में जल के प्रदूषण को रोकने के लिये सरकार कब तक सलेज फार्म को स्थापना करेगी ? दूसरे, जो कारखानों का गन्दा पानी है जैसे जाजमऊ, कानपुर की फैक्ट्री से तमाम गन्दा पानी निकलता है तो इसको रोकने के लिये सरकार ने अब तक क्या कार्यवाही की है तथा मरे हुये पशुओं और मनुष्यों को नदी के जल में फेंकने से रोकने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

श्री बलराम सिंह यादव---

मान्यवर, जहां तक कारखानों का जो गन्दा पानी है, उसको नदी में डालने से रोकने के लिये सरकार योजना बना रही है, कुछ योजनायें बन भी गयी हैं जो कि शीघ्र ही लागू की जायेंगी । इसमें यह है कि गन्दे पानी को डाइवर्ट करके उसे खेतों में भेज दिया जायेगा जिससे कि यह प्रदूषण की समस्या का हल हो सके । मरे हुये पशुओं को डालने या मरे हुये मनुष्यों को डालने से रोकने के लिये सरकार यह प्रयास कर रही है कि विद्युत शव गृह बनाने की योजना शासन के विचाराधीन है । सम्भवतः अब तक कुछ जगहों में यह बन भी गये हैं । यहां भी बन रहा है, कानपुर में भी बन रहा है, वाराणसी में भी बनाया जायेगा । तो इस तरह के इस दिशा में प्रयास किये जा रहे हैं ताकि जल प्रदूषण की समस्या को रोका-थाम की जा सके ।

श्री मोहन सिंह---

माननीय मंत्री जी द्वारा जो कि अब तत्कालीन मंत्री जी के बगल में बैठे

हुये हैं, इसी तरह के उत्तर दिये जाते रहे हैं। मैं तत्कालीन मंत्री जी से उनके उत्तर के सन्दर्भ में यह जानना चाहता हूं कि जाजमऊ, कानपुर के अन्दर जो योजना प्रस्तावित है, उसके लिये टेनरी वालों ने सरकार को ओर से तीन वर्ष पूर्व वह सम्पूर्ण धन योजना के कार्यान्वयन के लिये दे दिया कि जल प्रदूषण कंट्रोल लग सके। मैं यहां सिर्फ माननीय मंत्री से यह उत्तर चाहता हूं कि कानपुर में गन्दे जल का प्रदूषण रोकने के लिये जो टेनरी के कर्मियों ने जो धन दिया तो उस पर किन कारणों से आपके विभाग ने अभी तक कार्यवाही नहीं की ?

श्री बलराम सिंह यादव--

मान्यवर, जहां तक मोहन सिंह का कहना है धन के बारे में मुझे इस प्रकार की कोई जानकारी नहीं है। वैसे सभी शहरों में जो प्रदूषण की समस्या बढ़ती जा रही है, वहां शासन की ओर से स्पष्ट निदेश दिये गये हैं कि वहां शीघ्र ही ट्रीटमेन्ट प्लान्ट लगाये जायेंगे ताकि प्रदूषण की समस्या पर कन्ट्रोल किया जा सके।

श्री आजाद कुमार कर्दम--

मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि आगरे में गन्दे पानी की बढ़ोत्तरी मथुरा की तरफ से हो रही है, मथुरा में धोती की धुलाई का गन्दा पानी आगरा में जमुना नदी में जाता है, क्या माननीय मंत्री जी इस गन्दे पानी को रोकने का कोई उपाय कर रहे हैं ?

श्री बलराम सिंह यादव--

मान्यवर, जैसा कि मैंने बताया हर जगह के प्रदूषण को रोकने के लिए शासन द्वारा प्रयास किया जा रहा है। जो छोटे-छोटे उद्योग हैं और ट्रीटमेन्ट प्लान्ट नहीं लगा सकते हैं, उन के लिये शासन विचार कर रहा है कि एक संयुक्त रूप से ट्रीटमेंट प्लान्ट लगा दिया जायेगा।

श्री हुकुम सिंह--

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि तमाम नदियों का पानी और गंगा तथा यमुना का पानी पाल्युटेड है और आप कह रहे हैं कि उद्योगों के गन्दे पानी को शुद्ध करने का प्रस्ताव है तो मैं जानना चाहता हूं कि अभी तक कुल कितने ट्रीटमेन्ट प्लान्ट लगाये जा चुके हैं ?

श्री बलराम सिंह यादव--

मान्यवर, ट्रीटमेंट प्लान्ट कुछ स्थानों पर लगाये जा चुके हैं और कुछ स्थानों पर लगाये जाने का प्रस्ताव है।

श्री श्यामलाल वाजपेयी--

मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जल प्रदूषण का मामला विभिन्न लोगों द्वारा बराबर उठाया जा रहा है तो इस विनाशकारी प्रदूषण को रोकने के लिए कोई समय-बद्ध कार्यक्रम की घोषणा करेंगे जिससे इसको युद्ध स्तर पर कार्य करके रोका जा सके ?

श्री बलराम सिंह यादव--

जो योजना प्रस्तावित है उसका शीघ्र ही कार्यान्वयन करने का प्रयास किया जा रहा है। इस योजना के अन्तर्गत प्रथम फेज में कानपुर, वाराणसी, इलाहाबाद, बृन्दावन, मथुरा, आगरा, ऋषिकेश, हरिद्वार, फर्रुखाबाद, कन्नौज, इटावा, जौनपुर, मिर्जापुर, गाजीपुर, बलिया इनके अलावा लखनऊ भी है। करीब 10-20 करोड़ की योजना बनायी जा चुकी है। इसके अलावा संसाधनों का प्रबन्ध किया जा रहा है, पैसे की आवश्यकता है। जैसे ही धन उपलब्ध हो जायेगा इसको भी कार्यान्वित कर दिया जायेगा।

श्री विद्या सागर नौटियाल--

पहाड़ों की तरफ ध्यान नहीं दिया जा रहा है।

श्री अध्यक्ष--

मन्त्री जी, आप पहाड़ों की तरफ भी ध्यान दें ।

राज्य कर्मचारियों को बोनस दिये जाने का आधार

**2—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

क्या वित्त मंत्री कृपया बतायेंगे कि राज्य कर्मचारियों को बोनस दिये जाने का जो फैसला शासन द्वारा हाल में ही किया गया है वह राज्य के सभी कर्मचारियों पर लागू होगा या कुछ विशेष वर्ग के कर्मचारियों पर ? बोनस किस रूप में तथा किस आधार पर दिया जायगा ?

वित्त राज्य मंत्री (श्रीमती इन्द्र मोहिनी)--

राज्य सरकार ने 1,600 रु० प्रतिमाह तक परिलब्धियां पाने वाले राज्य कर्मचारियों, सह प्रतिप्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षा संस्थाओं, शहरी निकायों, जिला परिषद् के कर्मचारियों तथा कैजुअल/दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को तदर्थ बोनस स्वीकृत किया है । तदर्थ बोनस भारत सरकार के आदेशों के सादृश्य पर माह मार्च, 1983 की 15 दिन की परिलब्धियों के रूप में स्वीकृत किया गया है ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

क्या माननीय मंत्री जी इस बात को ध्यान में रखते हुए कि अभी एक तदर्थ, एडहाक बोनस का पेमेंट किया गया है । इसका आधार क्या है और वास्तविक रूप से कितना बोनस दिया गया है ? किस आधार पर उसका बाद में निर्धारण होगा, उसको तय करने में शासन क्या प्रक्रिया अपनायेगा ? जो बाद में बोनस का आधार तय होगा तो आपको तदर्थ बोनस देना होगा उसकी क्या प्रक्रिया होगी ? यह तो आपने 1982-83 का बोनस दिया है जब कि यह 84-85 का बजट हम ले रहे हैं । तो 83-84 का बोनस कब तक दिया जायेगा ?

वित्त मंत्री (श्री ब्रह्म दत्त)--

मान्यवर, उस प्रक्रिया का निर्धारण कर दिया गया है और हमने भुगतान भी शुरू कर दिया है । जहां तक बोनस देने की बात है, इस साल तो पिछले वर्ष का ही बोनस दिया जायगा । 83-84 का बोनस तो 84-85 में दिया जायेगा । जहां तक प्रक्रिया निर्धारित करने की बात है, वह तय कर ली गयी है । मोटी बात यह है कि यह सुविधा केवल उन लोगों को ही मिलेगी जिनकी सारी परिलब्धियां 1,600 रुपये प्रति माह तक हैं ...

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

नहीं मान्यवर, वह तो हमें मालूम है कि आपने इस सीमा तक दिया है और 15 दिन के वेतन के बराबर दिया है । 1,600 रुपये से ऊपर नहीं देंगे । यह अभी तय किया जाना है कि वास्तव में बोनस किस आधार पर दिया जाना है क्योंकि बोनस उत्पादकता पर आधारित है । वास्तव में कितना बोनस दिया जाय इसको तय करने के लिये आपने कोई आधार बनाया होगा, उसकी कोई प्रक्रिया होगी, कोई कमेटी उसके लिये बनायी होगी, कोई मानक बनाया होगा कि किस तरह से उसे तैयार किया जाना है, या केन्द्रीय सरकार के निर्देश को ही आप मानेंगे ? तो मैं जानना चाहता हूं कि वास्तव में आधार क्या होंगे, इस पर शासन ने कोई निर्णय लिया है ?

श्री ब्रह्म दत्त--

मान्यवर, बोनस दिये जाने के सम्बन्ध में जो प्रक्रिया केन्द्रीय सरकार ने अपनायी है, वही हम भी अपना रहे हैं । अगर केन्द्रीय सरकार कोई नई प्रक्रिया इस सम्बन्ध में अपनाती है तो अपनी परिस्थितियों को देखते हुये हम भी निर्णय लेंगे ।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि बोनस की परिभाषा क्या है ? बोनस के सम्बन्ध में पार्लियामेंट

में चर्चा हो चुकी है। हम यह नहीं कहते कि कर्मचारियों को बोनस न दिया जाय। लेकिन दास्तविकता यह है कि जो उद्वेलित कर्मचारी थे उनके सामने एक रोटी का टुकड़ा फेंक दिया गया है। उससे उनका पेट नहीं भरेगा। उनकी आन्दोलन की प्रवृत्ति को रोकने के लिये सरकार ने यह बोनस की बात चलाई। मैं जानना चाहता हूं कि बोनस की परिभाषा क्या है और क्या बोनस इन्डस्ट्रियल लेबर के अलावा प्रशासनिक सेवाओं में जो लोग लगे हुये हैं उनको देने के लिये भी कोई औचित्य समझती है?

श्री ब्रह्म दत्त--

मान्यवर, माननीय सदस्य बोनस की परिभाषा तो बोनस ऐक्ट में देख सकते हैं। हमने वेतन का पुनर्निर्धारण कर दिया है। सेलेक्शन ग्रेड भी दिया है और 15 दिन का अतिरिक्त वेतन बोनस के रूप में स्वीकार किया है। इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार ने जो प्रक्रिया अपनायी है वही हम भी अपना रहे हैं।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

मान्यवर, बोनस अधिनियम बना हुआ है और उस अधिनियम के तहत बड़ी स्पष्ट परिभाषा है उसे माननीय मंत्री जी पढ़े होंगे। क्या उन्होंने जो बोनस की परिभाषा उस ऐक्ट में दी हुई है, उसको देखते हुये जो 15 दिन का बोनस दिया है, वह अतिरिक्त वेतन के रूप में देने जा रहे हैं या बोनस देने जा रहे हैं? मेरा कहना है कि जो आप राजकीय कर्मचारियों को देने जा रहे हैं क्या वह बोनस है? यदि बोनस है तो बोनस अधिनियम में जो बोनस की परिभाषा दी हुई है उसके तहत ही दिया है?

श्री ब्रह्म दत्त--

यह बोनस के स्थान पर ही दिया गया है किन्तु जिन कर्मचारियों को अनुमन्य किया गया है वे बोनस ऐक्ट के अधीन नहीं आते हैं। केन्द्रीय सरकार ने जो दिया है वही प्रक्रिया हमने भी अपनायी है?

श्री मोहन सिंह--

हम मान लेते हैं कि बोनस की शक्ल में 15 दिन का यह अतिरिक्त वेतन है जो यह देने जा रहे हैं। जो इन्होंने पुनरीक्षित अनुमान लगाया है, संचित निधि के ऊपर एक वर्ष में इस राशि को देने पर कितना व्यय-भार आयेगा और उसको पूरा करने के लिये शासन क्या कार्यवाही कर रहा है?

श्री ब्रह्म दत्त--

मान्यवर, 40/42 करोड़ रुपये के बीच में व्यय भार आयेगा। उसके आधे हिस्से को हम नेशनल सेविंग्स के रूप में और जी0 पी0 एफ0 के रूप में जमा करेंगे। उसके अलावा हम किसी और संसाधन की जरूरत नहीं समझते। उसे हम वर्तमान संसाधनों के रूप में ही निकालेंगे।

श्री अध्यक्ष--

मैं आदरणीय सदन को, विशेष रूप से मंत्रियों को जो इनके साथी इस समय यहां पर नहीं हैं उनसे भी कह दें कि जहां तक प्रश्नों का सम्बन्ध है, उसके लिये हमारे कार्यालय में एक नियम बना हुआ है कि निर्धारित समय तक आ जाने चाहिये। लेकिन तारांकित प्रश्न संख्या 1-3 एवं अतारांकित प्रश्न संख्या 36, 40, 82 एवं 135 के उत्तर कल सायंकाल 7 बजे के बाद हमारे सचिवालय को मिले। मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान करण संख्या 40 की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं जिसमें लिखा है माननीय सदस्यों को उनके प्रश्नों के उत्तर नियत दिन के उपवेशन आरम्भ होने के एक दिन पूर्व उपलब्ध करा दिये जायं। अतः सरकारी सचिवालय के विभाग प्रश्नों के लिखित उत्तरों की प्रतियां उत्तरों के लिए नियत दिन के 48 घंटे पूर्व विधान सभा सचिवालय को अवश्य भेज दिया करें।

मैंने सदन में पहले भी कहा था कि प्रश्नों के उत्तर सभा से आने चाहिये। हमारे विधान सभा सचिवालय में यदि प्रश्नों के उत्तर देर से मिलेंगे तो मैं आगे से विशेष रूप से माननीय मंत्रियों का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि नहीं लूंगा। माननीय वित्त मंत्री जी, आप नेता सदन से बात करके एक सरकुलर भेज दीजिये। आगे से मैं देर से प्राप्त होने वाले उत्तरों के प्रश्नों को विधान सभा की कार्य–सूची में सम्मिलित नहीं करूंगा, यह आप कह दें।

[शुक्रवार, 2 मार्च, 1984 हेतु निर्धारित तारांकित प्रश्न]

गन्ना ग्राम सेवक श्री हरीशंकर द्वारा फर्जी नाम पर कर्जा लिये जाने के विरुद्ध कार्यवाही तथा काश्तकारों से फर्जी कर्ज को वसूली रोकने के आदेश

*1–श्री जयदीप सिंह बरार–

क्या गन्ना विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला गन्ना अधिकारी, बरेली के पत्र सं0 10054, दि0 21–3–80 जिसका हवाला उपरोक्त अधिकारी के पत्र सं0 1123–25, दि0 6–12–80 में दिया गया है, के अनुसार यह स्पष्ट निदेश दिए गये थे कि जिला सहकारी गन्ना सप्लाई समिति लिमिटेड, बरेली के ग्राम खमरिया, आजमपुर के काश्तकार सर्वश्री ढाकन लाल, श्री भीमसेन, श्री बल्देव, श्री छदम्बी लाल, श्री बांके सिंह के नाम पर गन्ना ग्राम सेवक श्री हरीशंकर द्वारा फर्जी कर्जा लिया गया था और उनके नामों में अंकित ऋण की धनराशि की वसूली नहीं की जाय और श्री हरीशंकर शर्मा, गन्ना ग्राम सेवक के खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जाय ? यदि हां, तो क्या यह भी सही है कि उक्त फर्जी ऋण की वसूली की कार्यवाही उक्त काश्तकारों से की जा रही है ? यदि हां तो क्यों ?

गन्ना विकास एवं चीनी मिल राज्य मंत्री (श्री श्याम सूरत उपध्याय)–

जी हां। प्रश्न में उल्लिखित काश्तकारों से फर्जी कर्ज की वसूली रोकने के आदेश जिला गन्ना अधिकारी के पत्र दिनांक 21–3–80 के द्वारा दिये जा चुके हैं तथा दोषी गन्ना ग्राम सेवक श्री हरिशंकर शर्मा को सेवा से पृथक् कर दिया गया है। इन काश्तकारों से फर्जी कर्ज की वसूली नहीं की जा रही है।

श्री जयदीप सिंह बरार–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से माननीय मंत्री को सूचना देना चाहता हूं कि इन काश्तकारों से फर्जी कर्जे की वसूली अभी की जा रही है। उनकी पासबुक में यह फर्जी कर्जा अंकित है। मैंने भी जिला गन्ना अधिकारी के आदेशों का हवाला दिया था जिसके अनुसार यह निरस्त हुआ था और माननीय–मंत्री जी ने भी कहा था कि निरस्त हो चुका है। परन्तु अभी भी उसकी रिकवरी की कार्यवाही जारी है। तो क्या स्पष्ट आदेश जिला सहकरी गन्ना सप्लाई समिति लि0, बरेली के ग्राम खमरिया, आजमपुर को देंगे कि उन लोगों से फर्जी कर्ज की वसूली न की जाय ?

गन्ना विकास मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह)–

मान्यवर, जो माननीय सदस्य कह रहे हैं काफी हद तक सही है। हमारी सूचना यह थी कि उनसे कर्जा वसूली नहीं की जायेगी और न की जा रही है। अगर यह बात सही है तो मैं आदेश भेज दूंगा कि उनसे कर्जा वसूल न किया जाय, उनके नाम से काट दिया जाय।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

माननीय मंत्री जी के उत्तर से संबंधित यह पहला प्रश्न माननीय सदस्य बरार का था कि फर्जी वसूली के आदेश निरस्त करने के आदेश जो पहले हुए थे, वह आदेश कब किये थे और क्या हैं ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

जिला गन्ना अधिकारी, बरेली ने 21-3-80 एवं पत्र दिनांक 6-12-80 को आदेश किया था कि वसूली न की जाय ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

जरा उसे बता दें क्या आदेश हैं ?

श्री अध्यक्ष—

आदेश आपके पास हैं तो उसको संक्षेप में बता दें ।

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

मान्यवर, आदेश पढ़ दूं—उक्त सभी कृषकों की रिपोर्ट एक्सपर्ट से प्राप्त हो गयी हैं । अतः प्राप्त रिपोर्ट एवं उससे संबंधित डाकूमेंट निम्न विवरण के साथ आपको भेजे जा रहे हैं—इसके बाद उनके नाम आगे हैं कि एक्सपर्ट की रिपोर्ट से स्पष्ट हो जाता है कि उक्त कृषकों के सम्मुख अंकित धन के प्रोनोट गन्ना ग्राम सेवक, श्री हरी-शंकर शर्मा द्वारा फर्जी भरे गये और यह धन कृषकों को देय नहीं है । अतः उक्त प्रोनोटों में अंकित धन की वसूली कृषकों से न करने और इस संबंध में विधिक राय लेकर गन्ना ग्राम सेवक, श्री हरीशंकर शर्मा के विरुद्ध न्यायालय में मुकदमा दायर करने और यह धन गन्ना ग्राम सेवक से वसूल करने के आदेश दिये गये थे ।

*2—श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया]

चीनी मिलों के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में कार्यवाही

*3—श्रीमती गौरी देवी—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि प्रदेश की 12 चीनी मिलों का अधिग्रहण कर लिया है ? यदि हां, तो कारण क्या हैं और शेष चीनी मिलों का अधिग्रहण न करने का क्या कारण हैं ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

जी हां । वर्ष 1971 में प्रदेश की निजी क्षेत्र की 12 चीनी मिलों का अधिग्रहण किया गया हैं । उक्त 12 चीनी मिलों पर गन्ना मूल्य, क्रयकर तथा श्रमिकों का बकाया बढ़ते बढ़ते इतना हो गया था कि मिल मालिक इन चीनी मिलों को चलाने की स्थिति में नहीं थे । अतः किसानों तथा श्रमिकों के हितों एवं क्षेत्र की अर्थ व्यवस्था की सुरक्षा हेतु इन मिलों का अधिग्रहण किया गया ।

इसी श्रेणी में आने वाली कुछ अन्य चीनी मिलों के भी अधिग्रहण का प्रश्न शासन के विचाराधीन हैं । समस्त चीनी मिलों के अधिग्रहण की सरकार की कोई नीति नहीं है ।

श्रीमती गौरी देवी—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिन चीनी मिलों का अधिग्रहण विचाराधीन हैं, उनके अधिग्रहण की कार्यवाही कब तक पूरी हो जायेगी ? वे कौन-कौन सी मिलें हैं ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

इनके नाम इस प्रकार हैं—

1 अमृतसर शुगर मिल, मुजफ्फरनगर ।

2 लक्ष्मीशुगर मिल, महौली, सीतापुर ।

3—माधो महेस शुगर मिल, बस्ती ।

4—लक्ष्मीदेवी शुगर मिल छितौनी, देवरिया ।

5—लार्ड कृष्ण शुगर मिल, सहारनपुर ।

6—लक्ष्मीपुर शुगर मिल, हरदोई ।

7—पन्नी जी शुगर मिल, बुलन्दशहर ।

8—पंजाब शुगर मिल, धुधली गोरखपुर ।

9—एच0 आर0 फैक्टरी नैकपुर, बरेली ।

10—जसवंत शुगर मिल, मेरठ ।

11—श्री नानकी शुगर मिल डोइवाला, देहरादून ।

12—महावीर शुगर मिल, सिसवां बाजार, गोरखपुर ।

श्रीमती गौरी देवी—

जो चीनी मिलें अधिग्रहण की गयी हैं उन पर किसानों के जो बकाये हैं उनको भुगतान करने के बारे में सरकार क्या कर रही है ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

उनके भुगतान की कार्यवाही हो रही है । अगर कोई उसमें शिकायत हो तो बतायें, कार्यवाही की जायेगी ।

श्री मोहन सिंह—

मान्यवर, यह अधिकांश मिलें रिसीवरशिप वाली हैं । जब यह मिलें ली जाती हैं तो उनके लेने का कारण यह होता है कि उनके प्रबन्ध की व्यवस्था दोषपूर्ण होती है, किसानों के पैसे का भुगतान नहीं हो पाता है, मिलों में घाटा होता है आदि । इन अधिग्रहण की हुई चीनी मिलों को ले लेने के बाद सरकार की संचित निधि पर व्यय भार बढ़ता चला जा रहा है और नौकर-शाही के अधीन रहने के कारण उन मिलों की हालत ठीक नहीं हो पा रही है । ऐसी हालत में क्या सरकार इन मिलों को नीलाम करने पर विचार करेगी ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

जिन चीनी मिलों का अधिग्रहण किया गया है उनकी हालत पहले खराब थी । किसानों का रुपया भी बकाया था । उनकी मशीनें भी ठीक नहीं थीं । उनके क्षरण होने के कारण ही उनके लेने की आवश्यकता पड़ी । लेकिन अब उनका आधुनिकीकरण किया जा रहा है, उनका विस्तार किया जा रहा है, उसमें कुछ समय लगेगा, इसलिये उनके नीलाम करने का प्रश्न नहीं उठता है । उनको ठीक करवाया जा रहा है ।

श्री दिवाकर विक्रम सिंह—

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने बताया कि 12 चीनी मिलों का आधुनिकीकरण किया जा रहा है और उनके विस्तार का कार्य किया जा रहा है । मैं मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि इन 12 चीनी मिलों का किस वर्ष अधिग्रहण किया गया । इनमें से कितनी मिलों में आधुनिकीकरण और विस्तार का कार्य हो चुका है और कितनी मिलों में बाकी हैं तथा वह कब तक पूरा हो जायेगा ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

मान्यवर, इन 12 चीनी मिलों में 5 चीनी मिलों का 3 जुलाई, 1971 में कब्जा हो गया था । बाकी मुकदमों में चले गये थे, उनका बाद में हुआ । आखिरी चीनी मिल का कब्जा 2-4-80 को हुआ है ।

श्री सूबेदार सिंह—

मैं मान्यवर, यह जानना चाहता हूं कि जिस समय इन 12 चीनी मिलों का अधिग्रहण किया गया तो अलग-अलग हर चीनी मिल पर कितना बकाया था और कितना भुगतान बाद में किया गया तथा अभी कितना भुगतान किया जाना शेष है ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

मान्यवर, इसके लिये सूचना की आवश्यकता है ।

बाढ़ से प्रभावित गावों में राहत सामग्री के वितरण में धांधली सम्बन्धी शिकायती-पत्र

*4—श्री मोहन सिंह—

क्या राजस्व मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता ने दिनांक 29-10-

1982 को अपने निर्वाचन क्षेत्र के वर्ष 1982 के बाढ़ से प्रभावित गांव के नाम व तहसीलदार द्वारा राहत सामग्री के वितरण में घांधलो सम्बन्धो कोई शिकायती पत्र माननोय राजस्व मंत्री को लिखा था, तो इस सन्दर्भ में उक्त शिकायती-पत्र को जांच किस अधिकारी से कराई गयी? क्या उस अधिकारी ने प्रश्नकर्ता का भी साक्ष्य लिया ? यदि हां, तो इस सन्दर्भ में कौन-कौन से तथ्य प्रकाश में आये और इस सम्बन्ध में शासन ने क्या कार्यवाही की ?

राजस्व मंत्री (श्री बल्देव सिंह आर्य)--

जी हां, माननोय प्रश्नकर्ता विधायक ने शिकायती-पत्र विनांक 29-10-1982 दिया था जिसमें नायब तहसीलदार एवं कानूनगो व लेखपाल बरहज क्षेत्र के विरुद्ध राहत सामग्री के वितरण से संबंधित शिकायत की गई थी । उक्त शिकायत की जांच जिलाधिकारी देवरिया द्वारा तहसीलदार सलेमपुर के माध्यम से कराई गयी ।

जांच अधिकारी द्वारा माननीय प्रश्नकर्ता विधायक का साक्ष्य नहीं लिया जा सका क्योंकि जांच के समय माननीय विधायक उपलब्ध नहीं थे ।

जांच में राहत सामग्री के वितरण में कोई अनियमितता नहीं पायी गयी । जांच से यह ज्ञात हुआ कि पात्र प्रभावित व्यक्तियों को समय से राहत सामग्री वितरित की गई । केवल ग्राम परसिया देवार में गेहूं के वितरण में कुछ विलम्ब होना पाया गया जिसका कारण यह था कि उक्त ग्राम के निवासियों की मांग थी कि ग्राम के समस्त व्यक्तियों को सहायता वितरित की जाय परन्तु बाद में माननीय विधायक की मध्यस्थता से केवल पात्र व्यक्तियों को ही गेहूं का वितरण किया गया ।

श्री मोहन सिंह--

मान्यवर, मुझे इस बात का बहुत खेद है कि यह सरकार आपके आदेशों की अवज्ञा करने की अभ्यस्त हो गई है । आपने निरन्तर अपनी पीठ से आदेश मंत्रियों को दिये हैं, जिसमें बुजुर्ग मंत्री आर्य जी हैं । जब विधायकों से संबंधित कोई बात हो और उनकी शिकायत हो तो उनका साक्ष्य अवश्य लिया जाये, यह आपके निर्देश हैं किन्तु इसके बावजूद मंत्री जी पढ़ रहे हैं कि माननीय सदस्य उपलब्ध नहीं थे । नीचे उत्तर में लिखा है कि माननीय सदस्य की मध्यस्थता से वितरण हुआ और साक्ष्य के समय हम नहीं थे । मैं वहां का क्षेत्रीय विधायक हूं, हमारे क्षेत्र का प्रश्न है, 20 सूत्री कार्यक्रम की मीटिंग और जिला प्राधिकरण की मीटिंग में मैं उपलब्ध रहता हूं ।

इसलिये मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जिन्होंने इस प्रकरण की जांच किया उन्होंने क्या हमको भी, शिकायतकर्ता को साक्ष्य की कौन तिथियां हैं, उसकी कोई सूचना दिया था ?

श्री बल्देव सिंह आर्य--

मान्यवर, माननीय सदस्य अपने निवास स्थान पर उपस्थित नहीं थे, वहां किसी व्यक्ति को भेजा गया कि माननीय सदस्य को सूचना दे दें लेकिन वह उपस्थित नहीं थे, इसलिये उनका साक्ष्य लेना संभव नहीं हो सका । यह तहसीलदार ने अपनी आख्या में शासन को लिखा है ।

जहां तक वितरण का प्रश्न है, सदस्य महोदय ने खास तौर से दो गांवों का जिक्र किया था और गांव भी लिखे हैं । उन दोनों गांवों में 59.30 क्विंटल गेहूं वितरण किया गया है और वह उन्हीं लोगों को किया गया जो बाढ़ से प्रभावित थे ।

श्री मोहन सिंह--

मान्यवर, यह अफसोस की बात है कि यदि मुझे सूचना मिली होती और लिखित मिल गयी होती कि साक्ष्य इन-इन तिथियों में होगा तो शिकायतकर्ता और बाढ़ पीड़ितों को मैं इकट्ठा करता

चूंकि हमारा साक्ष्य नहीं लिया गया इसलिये दूसरे पक्ष को भी नहीं सुना गया और एकतरफा रिपोर्ट भेज दी गयी है कि 59 क्विंटल गेहूं बांटने की बात उन गांवों जैसा पगरिया देवगर में कहीं रहे हैं। मान्यवर, उन गांवों की आबादी 8 हजार की है। और पूरा गांव प्रति वर्ष थोड़ा भी वाटर लेविल अधिक हो तो पानी से भर जाता है और जो सन्दर्भित वर्ष की बारिश है, उस वर्ष 15 दिन तक लगातार पानी का जमाव वहां रहा है, 59 क्विंटल में पूरे गांव के परिवारों को वितरित नहीं किया जा सकता है। अतः जो तथ्य सामने आये हैं, वह त्रुटिपूर्ण हैं, आप श्रीमन्, इनको निर्देशित करें कि यह इस पूरे प्रकरण की जांच करावें, जिससे सारे वास्तविक तथ्य सामने ले आए जायं। यह 59 क्विंटल वितरित करने की बात कहते हैं लेकिन जिनको मिलना चाहिये उनको नहीं मिला है। जबकि फर्जी तौर से उनके नाम दर्ज कर लिये गये हैं और सैकड़ों क्विन्टल सरकार का गया हुआ गेहूं बाजार में बेच लिया गया है। इस मसले में जो हमने शिकायत की थी, उसी आधार पर तत्कालीन परगनाधिकारी का वहां से ट्रांसफर किया गया और जिन दूसरे परगनाधिकारी को नियुक्त किया गया, उन्होंने थोड़ा बहुत उसको सही तरीके से वितरित कराया, जिनके बारे में कहा जा रहा है कि हमारी मध्यस्थता से हुआ। तो श्रीमन्, इसको आप स्थगित करें और फिर से इसकी जांच हम लोगों का साक्ष्य लेने के बाद की जाए और उसके बाद सारे तथ्य सदन के सामने रखे जायं।

श्री बलदेव सिंह आर्य--

मान्यवर, मैंने तो निवेदन किया, हमने 134 क्विंटल 23 गांवों में, जिनकी सूची माननीय सदस्य ने दी थी, उनमें से कुछ मौके पर नहीं मिले, उनको छोड़कर शेष में वितरित किया गया। जितने गांव मिले हैं उनको 134 क्विंटल गेहूं वितरित किया गया था इसके अतिरिक्त नमक, मिट्टी का तेल और दियासलाई भी इन गांव वालों को दी गई। माननीय सदस्य की जो शिकायत है कि जांच में उनका उपस्थित होना आवश्यक था, तो अब भी आपको शिकायत हो तो दुबारा जांच कराई जा सकती है, कोई ऐसी बात नहीं है।

श्री माता प्रसाद पान्डेय--

जैसा मंत्री जी ने कहा पात्र परिवारों को गेहूं दिया गया, तो प्रति परिवार कितना गेहूं दिया गया और कुल कितने परिवारों को दिया गया ?

श्री बलदेव सिंह आर्य--

मान्यवर, कुल 1327 परिवार हैं, जिनको यह राहत वितरित की गयी।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय--

मैंने पूछा है कि प्रति परिवार कितना गेहूं दिया गया है ?

श्री बलदेव सिंह आर्य--

मैंने निवेदन किया कि गेहूं, मिट्टी का तेल, नमक और दियासलाई वितरित की गयी।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय--

मैं क्या पूछ रहा हूं और क्या मंत्री जी उत्तर दे रहे हैं। मेरा सवाल है कि प्रति पात्र परिवार को कितना गेहूं आपने दिया ? इसका जवाब यह नहीं दे रहे हैं ?

श्री अध्यक्ष--

मैं चाहता हूं इस मामले में आप पुनः जांच करायें।

श्री हुकुम सिंह--

मान्यवर, इस प्रश्न के दो भाग हैं, पहला कि पात्र व्यक्तियों को सहायता दी गयी या नहीं दी गयी और दूसरा यह कि शिकायतकर्ता का साक्ष्य न लेने के सम्बन्ध में है, तो मैं दूसरे भाग पर अपने प्रश्न के द्वारा बल देना चाहता हूं कि बार-बार आपके निर्देश देने के

बावजूद भी कि शिकायतकर्ता माननीय विधायक का साक्ष्य अवश्य लिया जाएगा, यह बार-बार यह कहते हैं कि वह अपने पते पर उपलब्ध नहीं थे। इनको न गांव मिलते हैं और न विधायक मिलते हैं। तो मैं यह जानना चाहता हूं कि किन-किन तिथियों में आपने विधायक को सूचना देनी चाही साक्ष्य के लिए और वह उपलब्ध नहीं हुए? और क्या सम्बन्धित परिवार के किसी सदस्य ने इस बात की लिखित पुष्टि की कि वह घर पर उपलब्ध नहीं हैं?

श्री बल्देव सिंह आर्य--

इस बात का खेद है कि लिखित सूचना माननीय सदस्य को नहीं गई, लेकिन रिपोर्ट में यह बताया गया है कि किसी को भेजकर सूचना उनके घर पर भिजवाई गयीं थी। मान्यवर, अब तो आपने दुबारा जांच का आदेश दे दिया है, इसलिए इसको फिर से देख लिया जायगा।

मथुरा जनपद में पिछड़ेपन को दूर करने हेतु योजनाएं

*5--श्री सरदार सिंह--

क्या नियोजन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि मथुरा जनपद के पिछड़ेपन को दूर करने के लिए शासन कौन-कौन सी योजनाएं बना रहा है और उन योजनाओं के माध्यम से शासन जिले के पिछड़ेपन को कब तक दूर कर देगा?

नियोजन मंत्री (श्री राम सिंह खन्ना)--

प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों के पिछड़ेपन की समस्या के समाधान हेतु वर्ष 1982-83 से विकेन्द्रित नियोजन प्रणाली लागू की गयी है। इसके अन्तर्गत प्रदेश के सापेक्ष मथुरा जनपद की आबादी एवं पिछड़ेपन की स्थिति के अनुरूप जिले को प्रतिवर्ष जिला-परिव्यय आवंटित किया जाता है। स्थानीय पिछड़ेपन को दूर करने के लिये जिला समिति स्वयं आवंटित परिव्यय के अन्दर योजना बनाती है। पिछड़ेपन को दूर करने के लिये निश्चित समय निर्धारित करना सम्भव नहीं है।

श्री सरदार सिंह--

मैं मान्यवर, आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि 1982-83 में मथुरा जिले के पिछड़ेपन को दूर करने के लिये जिला सेक्टर में कितना धन दिया गया?

श्री राम सिंह खन्ना--

मान्यवर, मथुरा जिले को 1982-83 में 3.68 करोड़ तथा 1983-84 में 3.87 करोड़ रुपया दिया गया है।

श्री सरदार सिंह--

मान्यवर, मैं यह जानना चाहता हूं कि 1982-83 में सुल्तानपुर जिले के पिछड़ेपन को दूर करने के लिये कितना पैसा दिया गया है?

श्री मोहन सिंह--

सुल्तानपुर को 10 करोड़ रुपया दिया गया है।

श्री अध्यक्ष--

अगर सुल्तानपुर के सम्बन्ध में सूचना हो तो जवाब दे दें।

श्री राम सिंह खन्ना--

मान्यवर, सूचना इस वक्त उपलब्ध नहीं है। जैसा कि उन्होंने कहा है तो उन्होंने अपने आपको मथुरा तक सीमित रखा है, इस प्रश्न में।

श्री सत्यपाल सिंह--

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने बताया कि मथुरा जिले तथा अनेक अन्य जिलों के पिछड़ेपन को दूर करने के लिये प्रत्येक जनपद के लिये कुछ न कुछ धनराशि दी गयी है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या प्रदेश के कुछ ऐसे पिछड़े जिलों को देखेंगे, उनकी भी सूची बनवायेंग जो वास्तव में पिछड़े हैं ताकि उनको अधिक

धन उनके पिछड़ेपन को दूर करने के लिये दिया जा सके ?

श्री राम सिंह खन्ना---

मान्यवर, यह तो देख ही लिया जायगा लेकिन जो मानक निर्धारित है उस मानक के अनुसार ही सब चीजों को देखते हुये धन आवंटित किया जाता है ।

श्री मोहन सिंह---

मैं माननीय मंत्री जी जानना चाहता हूं कि जिला योजना में जो धन के आवंटन का मानक है, वह क्या है ?

श्री राम सिंह खन्ना---

मान्यवर, मानक इस प्रकार से हैं । कुल जनसंख्या, अनुसूचित जाति, जनजाति की जनसंख्या, सीमांत कृषकों की तथा भूमिहीन मजदूरों की संख्या, कृषि उत्पादन में पिछड़ापन, औद्योगिक पिछड़ापन, सड़कों में पिछड़ापन, विद्युतीकृत ग्रामों में पिछड़ापन । तो 9 मानक हैं ।

लक्ष्मी शुगर मिल, हरदोई पर गन्ना आपूर्ति की बकाया धनराशि

C---श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त---

क्या गन्ना विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि लक्ष्मी शुगर मिल, हरदोई पर गन्ना आपूर्ति का कितना रुपया किसानों का देय है तथा इस चीनी मिल क्षेत्र के कृषकों द्वारा वर्ष 1983 में जो गन्ना सहकारी चीनी मिल तिलहर, जिला शाहजहांपुर को सप्लाई किया गया है उसका कितना रुपया सहकारी चीनी मिल तिलहर, जिला शाहजहांपुर पर बकाया है ? भुगतान कब तक कर दिया जायगा ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय---

लक्ष्मी शुगर मिल, हरदोई पर वर्ष 1982-83 में गन्ना आपूर्ति का 293.62 लाख रुपया देय था जिसमें से दिनांक 31-1-84 तक की स्थिति के अनुसार 290.54 लाख रुपये का भुगतान कर दिया गया है और अब केवल 3.08 लाख रुपया भुगतान हेतु शेष है ।

सत्र 1982-83 से पूर्व का मिल मालिकों के समय का 180.44 लाख रुपया बकाया है जो न्यायालयों में विवादग्रस्त है ।

सीजन 1982-83 में इस मिल क्षेत्र के किसानों का गन्ना तिलहर चीनी मिल को आपूर्ति नहीं किया गया, अतः तत्सम्बन्धी गन्ना मूल्य के बकाये तथा भुगतान का प्रश्न नहीं उठता ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त---

मान्यवर, क्या माननीय मंत्री जी को इस बात की जानकारी है कि यह जो 1982-83 की जो 180 लाख की बात की गयी, इसमें 1981-82 का कितना बकाया है और जो न्यायालय में विवाद की बात की गयी, वह 1977-78 की बात है, तो मैं यह जानना चाहता हूं कि 1981-82 का कितना बकाया है और 1977-78 का जो विवाद है, उसको राज्य सरकार ने अपने निगोसियेशन द्वारा जो तय किया, उसको मिल मालिकों ने नहीं माना और उसका भुगतान नहीं किया । चूंकि अब वह राज्य सरकार के अधीन है और राज्य सरकार ने ही इसको उस वक्त तय कराया था, इसलिए उस मुकदमे को वापस लेकर काश्तकारों को तत्काल भुगतान करा दें, ऐसा न करने का क्या कारण है ?

श्री सुरेन्द्र पाल सिंह---

मान्यवर, 1978-79 का तो है 101.96 लाख रुपया और 1981-82 का 78.40 लाख रुपया, यह कर्जा उस जमाने का है, जब इन्तजाम मिल मालिकों के हाथ में था । मैं तो कहता हूं कि रुपया तो उन्हें देना है, वह कहते हैं कि नहीं देना है । यह मामला हाई कोर्ट में गया है, सुप्रीम कोर्ट में गया

हैं, उसके फसले के बाद इस पर विचार किया जायगा ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, 1981-82 का नहीं बताया, वह बता दें । 1977-78 का जब हाई कोर्ट में मिल मालिक विवाद लेकर गये, राज्य सरकार के निर्णय को उन्होंने नहीं माना, राज्य सरकार के खिलाफ मुकदमा लेकर गये, इसलिए मैं यह जानना चाहता हूं कि उस मामले में कोर्ट का इन्तजार क्यों कर रहे हैं, क्योंकि राज्य सरकार स्वयं पार्टी थी, सरकार उस मुकदमे को वापस लेकर किसानों का भुगतान करा दे, ऐसा न करने का क्या कारण है ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय--

मान्यवर, जब मिल मालिकों का कब्जा था, उस समय का यह पैसा है और यही तो डिस्प्यूट है अदालत में कि मालिक देनदार हैं कि नहीं । सुप्रीम कोर्ट में चूंकि यह मामला 78-79 का विचाराधीन है, इसका जब फैसला हो जायगा, तभी तो यह निश्चय किया जा सकेगा कि देनदार कौन हैं ।

ग्राम अलिहाबाद कटाई, जनपद आजमगढ़ के प्रधान की पट्टे में अनियमितता सम्बन्धी शिकायत

*7--श्री पंचानन राय--

क्या राजस्व मन्त्री बताने का कष्ट करेंगे कि ग्राम अलिहाबाद कटाई, तहसील सगड़ी, जनपद आजमगढ़ के प्रधान की पट्टे में अनियमितता से सम्बन्धित शिकायत तथा इससे सम्बन्धित प्रश्नकर्त्ता का पत्र दिनांक 7-4-83 परगनाधिकारी, सगड़ी को प्राप्त हुआ है ? यदि हां तो इसमें क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री बल्देव सिंह आर्य --

जी हां ।

प्रश्नगत पत्र में उल्लिखित शिकायतों की जांच की गयी, जिसके अनुसार श्री रामायन पुत्र श्री सुखनन्दन, निवासी ग्राम शेखमोली, श्री श्याम चन्द पुत्र राजदेव, साकिन सिकरौरा, श्री चिल्हरू पुत्र सुखराज, निवासी ग्राम अलियाबाद कटाई तथा श्री बदामा पुत्र श्री जंगी, निवासी हरई स्नाइलपुर के पट्टे अनियमित पाये गये । इन अनियमित पट्टों को निरस्त करने का वाद अपर जिला धिकारी के न्यायालय में विचाराधीन है ।

श्री पंचानन राय--

मान्यवर, मैं जानना यह चाहता हूं मंत्री जी से कि क्या जो प्रधान ने शिकायत की है, उसमें यह भी है शिकायत में कि बिना ग्राम सभा के किसी प्रस्ताव के सैकड़ों एकड़ भूमि अनधिकृत व्यक्तियों को पट्टा कर दी गयी ? और मान्यवर, मुझे बहुत अफसोस है जो उत्तर आया है उसका सत्य से कोई रिश्ता नहीं है, दो-चार आदमियों का नाम लिख दिया गया । अभी मान्यवर, मोहन सिंह का प्रश्न सदन में उठा था और रोज उठता है और आपने निर्देश दिया है कि जो शिकायतकर्ता हों और इस सदन के सदस्य हों तो उनको अवश्य अवसर दिया जाना चाहिये । मुझसे रोज भेंट होती है, मेरा वह क्षेत्र है, जांच करने वालों से भी भेंट होती है । मैं मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि गांव सभा के किसी प्रस्ताव के बिना सैकड़ों एकड़ जमीन हरिजनों को न देकर अनधिकृत व्यक्तियों को दी गयी, सन्दर्भित पत्र के अलावा कितनी और शिकायतें इस सम्बन्ध में मेरी प्राप्त हुई हैं और जांच के समय ग्राम प्रधान या मुझसे कोई पूछताछ की गयी ?

श्री बल्देव सिंह आर्य--

जो प्रधान ने शिकायत की उसी पर जांच प्रारम्भ हुई है । प्रधान की शिकायत पर ही माननीय सदस्य ने शिकायत की है । तत्कालीन प्रधान ने जो भूमि आवंटित की थी, बिना भूमि आवंटन समिति के प्रस्ताव के तभी तो यह

शिकायत प्रारम्भ हुई है। इसीलिये 4 पट्टों को निरस्त करने का बाद उपर जिलाधिकारी के न्यायालय में विचाराधीन है और 13 के खिलाफ जांच जारी है। माननीय सदस्य को सूचित करके उनका साक्ष्य इसमें शामिल कर लिया जायेगा जिससे जो 17 लोगों को 9·285 हेक्टेयर जमीन दी गयी है, वह पट्टे निरस्त किये जा सकें लैंड मैनेजमेंट कमेटी ने इसका आवंटन नहीं किया। 54·668 एकड़ जमीन हरिजनों को दी गयी है। जो लेखपाल इसमें शामिल था, वह रिटायर हो गया है और तत्कालीन प्रधान का देहान्त हो गया है। परगनाधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही का प्रश्न है। 13 के खिलाफ जांच समाप्त हो जायेगी तो कार्यवाही की जायेगी।

श्री पंचानन राय---

मंत्री जी ने स्वीकार किया कि भूमि प्रबन्ध समिति के प्रस्ताव के बिना आवंटन किया गया। इसमें लेखपाल, तहसील के अधिकारी मिलकर सैकड़ों एकड़ जमीन के पट्टे फर्जी कर दिये हैं। जांच करने वालों ने न तो ग्राम प्रधान से सम्पर्क स्थापित किया और न ही मुझसे सम्पर्क स्थापित किया। मैं यह जानना चाहता हूं कि जितने पट्टे हुए हैं सब अनियमित हैं, इसलिए कि कोई प्रस्ताव नहीं था। क्या सारे पट्टों को निरस्त कराकर निश्चित समय के अन्दर पुनः पात्र व्यक्तियों को पट्टे कराकर, तहसीलदार और एस0 डी0 एम0 के विरुद्ध सरकार कार्यवाही करेगी ?

श्री बल्देव सिंह आर्य---

13 के विरुद्ध जांच चल रही है। माननीय सदस्य को यह शिकायत है कि बहुत सारी भूमि आवंटित की गई है गलत तरीके से, इसकी जांच कराई जायेगी और माननीय सदस्य सहायता करें ताकि अनधिकृत रूप से भूमि का जो आवंटन हुआ, उसको निरस्त किया जा सके और सार्वजनिक कामों के लिये या हरिजनों को वह दी जा सके।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा---

मंत्री जी के उत्तर के सन्दर्भ में एक नीतिगत प्रश्न पूछना चाहूंगा। इसी आदरणीय सदन में स्वीकार किया गया अनियमित पट्टे हुये हैं, मैंने 1974 में इस मामले को उठाया था। मंत्री जी ने कहा अनियमित हुये हैं। और उनके निरस्तीकरण की कार्यवाही की जा रही है और फाइलें भटक रही हैं कभी कमिश्नर के यहां तो कभी कहीं। क्या व्यवहारिक कठिनाई को देखते हुए संशोधित नियमों को देखते हुए पट्टे निरस्त न हुए हों तो तत्काल उन्हें निरस्त किया जायेगा ?

श्री बल्देव सिंह आर्य---

मान्यवर, इस पर विचार किया जा सकता है।

विकेन्द्रीयत जिलास्तरीय पद्धति को समाप्त कर 'प्रादेशिक ग्रामीण नियोजन आयोग' के गठन की मांग

*8---श्री श्याम लाल वाजपेयी---

क्या नियोजन मंत्री वर्तमान विकेन्द्रीकृत जिलास्तरीय पद्धति को समाप्त कर 'प्रादेशिक ग्रामीण नियोजन आयोग' का गठन करके जिलास्तरीय विकास प्रारम्भ करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ? यदि हां, तो कब से ?

श्री राम सिंह खन्ना---

जी नहीं।

विकेन्द्रित नियोजन प्रणाली में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के विकास का कार्य जिला स्तर पर विकेन्द्रीकृत नियोजन के माध्यम से हो रहा है, जिसमें किसी परिवर्तन की आवश्यकता नहीं प्रतीत होती है।

श्री श्याम लाल वाजपेयी---

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि यह बड़ा नीतिगत प्रश्न है और इस आदरणीय

सदन के साथ–साथ पूरे ग्रामीण भविष्य को समस्या जुड़ी हुई है । मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जिस उच्चतम भावना को लेकर के यह विकेन्द्रीकृत योजना बनी थी । यह सत्य है कि जब उसका मूल स्वरूप नष्ट हो चुका है और वह अफसरीकृत योजना बनायी गयी है तो मान्यवर, इस प्रदेश के विकास के लिए इस आदरणीय सदन की भावना का आदर करते हुये यह घोषणा आप करेंगे कि जनपद स्तरों का सन्तुलन बना रहे, किसी को पांच पैसा मिलता है किसी को एक रुपया मिलता है तो उस सन्तुलन को बनाए रखने के लिए आप प्रादेशिक ग्रामीण नियोजन का गठन करेंगे और वह आयोग लखनऊ या सम्बन्धित जिलों में माननीय विधायकों के साथ बैठकर योजना को अन्तिम रूप प्रदान करेंग ?

श्री राम सिंह खन्ना––

माननीय वाजपेयी जी ने जो कहा, इस सम्बन्ध में, मैं यह कहना चाहूंगा कि अभी दो साल भी नहीं हुए हैं इस योजना को चालू हुए, तो अभी ऐसा समय नहीं है उसको बदला जाये लेकिन माननीय वाजपेयी जी काफी अनुभवी हैं । अनुभव के आधार पर जो विचार प्रकट किए हैं उन्हें देखा जाएगा और उन पर विचार किया जायेगा । लेकिन इतनी जल्दी एक योजना को छोड़कर दूसरी चालू करना, जब कि केन्द्रीय सरकार ने अन्य प्रदेशों में भी लागू करने का विचार किया है, संभव नहीं हो पायेगा ।

श्री श्याम लाल वाजपेयी––

मैं माननीय मंत्री जी का आभार प्रकट करता हूं कि आंशिक रूप में उन्होंने स्वीकार किया है । इस आदरणीय सदन में माननीय मंत्री जी ने स्वीकार किया है कि वह विचार करेंगे लेकिन इतनी जल्दी नहीं, धीरे–धीरे करेंगे । मान्यवर, माननीय सदस्य ग्रामीण विकास के लिए बैठे हुए हैं और जब माननीय मंत्री जी ने स्वीकार भी कर लिया है कि विकेन्द्रीकृत योजना जर्जर क्षीण हो चुकी है और इस पर विचार भी किया जायेगा तो कल के बजाए आज क्यों नहीं घोषणा कर देते हैं कि कल के बजाए आज ही विचार करेंगे ?

श्री अध्यक्ष––

विचार कर लेंगे, आपकी बात को सुन लिया गया है ।

श्री हुकुम सिंह––

जो वे बातें माननीय सदस्य ने कहीं उसको देखते हुए साथ ही साथ जो योजना का प्रारूप जिला स्तर पर होता है, प्रारूप तैयार होने पर जो अधिकारियों को आदेश दिए जाते हैं तो स्वीकृत कुछ और होता है और होता कुछ और है तो क्या माननीय मंत्री जी ऐसे निर्देश देंगे कि उसको स्वीकार करने के बाद कोई संशोधन उसमें न किया जाए ?

श्री राम सिंह खन्ना––

जो बात आपने बतायी कि अव्यवस्था होती है, वह नहीं होनी चाहिए । मूल उद्देश्य यही है कि आप अपने जिले की आवश्यकतानुसार उस योजना को बनवें और उसका कार्यान्वयन करें उसके कार्यान्वयन में कोई दिक्कत आती है और आपके अनुकूल नहीं होती है तो उसकी देखभाल की जायगी ।

श्री श्याम लाल वाजपेयी––

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने माननीय हुकुम सिंह के उत्तर में बताया कि अनुकूल होनी चाहिये । मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से इस आदरणीय सदन के सम्पूर्ण सदस्यों की जानकारी के साथ विश्वास के साथ कहता हूं कि यह योजना जिसका नाम विकेन्द्रीयकरण रखा गया है, यह योजना अफसर लोग पहले बना लेते हैं और माननीय सदस्यों से औपचारिकता की मुहर मात्र लगवाते हैं । इसलिये मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि क्या मंत्री जी इस योजना के बारे में खुले हृदय से तत्काल विचार करेंगे ?

श्री राम सिंह खन्ना––

मान्यवर, बाजपेयी जी की सदन प्रियता को देखते हुए जो कह रहे हैं तो उसके

बारे में मैं ऐसा नहीं कहना चाहता कि उनकी बात नहीं मानता, पर यह बात कहूंगा कि औपचारिक तौर से माननीय विधायकों से मुहर लगवा ली जाती है, तो ऐसे विधायक नहीं हैं कि अफसरों के कहने से अपनी मुहर लगा देंगे। वह पूरी तरह से अपनी समस्याओं को समझते हैं। आपका यह जो आग्रह है और जो आधारभूत बातें आपने कही हैं, उसमें जो दिक्कतें हैं, उस पर हम विचार कर लेंगे।

ग्राम शम्भूखेड़ा मिरौंकलां, जिला उन्नाव को जाने वाले लिंक मार्ग पर अनधिकृत कब्जा हटाने के विरुद्ध कार्यवाही

*9--श्री रियासत हुसैन (अनुपस्थित)--

क्या राजस्व मंत्री को जानकारी है कि ग्राम मिरौंकलां से ग्राम शम्भूखेड़ा (तह0 पुरवा, जिला उन्नाव) को आने-जाने वाले लिंक मार्ग पर ग्राम दयाल खेड़ा के लोगों द्वारा अनधिकृत कब्जा कर मार्ग बन्द कर दिया गया है ? यदि हां, तो क्या उक्त अनाधिकृत कब्जे को हटवा कर इन हरिजनों के आने-जाने का मार्ग पूर्ववत् चालू कराने की सरकार कृपा करेगी ?

श्री बलदेव सिंह आर्य--

ग्राम शम्भूखेड़ा मिरौंकलां, तहसील पुरवा, जिला उन्नाव को आने जाने वाली लिंक मार्ग पर मोहन पुत्र लाला निवासी दयालखेड़ा ने भूमि संख्या 1439/2 पर अनाधिकृत कब्जा करके मार्ग अवरुद्ध कर दिया था। अनाधिकृत कब्जे को हटवा दिया गया है तथा मार्ग पूर्ववत् चालू हो गया है।

जिला गजेटियर का लेखन कार्य

*10--श्री भीखा लाल (अनुपस्थित)--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि शासन ने ऐसा निर्णय लिया है कि उपयोगी ग्रंथ जिला गजेटियर का लेखन बन्द कर दिए जावे ? यदि हां, तो ऐसा क्यों ?

श्री बलदेव सिंह आर्य--

जी नहीं।

अवशेष जिला गजेटियर्स की तैयारी का कार्य अभी चल रहा है।

11--श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री--

[दिनांक 5-4-1684 को सदन में वक्तव्य हो जाने के कारण निरस्त।]

चकबन्दी विभाग में स्थानान्तरित लेखपालों के संबंध में पत्र

*12--श्री प्रियदर्शी जेतली (अनुपस्थित)--

क्या राजस्व मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि गत 7 सितम्बर, 1983 व 23 सितम्बर, 1983 को प्रश्नकर्ता ने चकबन्दी विभाग में स्थानान्तरित लेखपालों के सम्बन्ध में दो पत्र दिये हैं ? यदि हां, तो उक्त दोनों पत्रों पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलदेव सिंह आर्य--

एक पत्र दिनांक 6 सितम्बर, 1983 प्राप्त हुआ 13-9-1983 का अनुस्मारक प्राप्त हुआ। दिनांक 23-9-1983 का कोई पत्र प्राप्त नहीं हुआ।

उपरोक्त पत्र में सर्वश्री कमला प्रसाद वर्मा व स्वामी नाथ मिश्र, लेखपाल तथा श्री राजेन्द्र प्रसाद सिंह रीडर का तबादला रोकने तथा चपरासी व लेखपालों के तबादले में की गई त्रुटियों को सुधारने की बात कही गई थी। श्री स्वामी नाथ मिश्र व राजेन्द्र प्रसाद सिंह के स्थानान्तरण रोक दिये गये। शेष के स्थानान्तरण रोकना संभव नहीं हो सका। छानबीन से यह तथ्य सही पाया गया कि कतिपय मामलों में अधिक समय से नियुक्त कर्मचारियों के तबादले न कर कम समय से नियुक्त कर्मचारियों के तबादले किये गये। ऐसा किन परिस्थितियों में हुआ इसकी जांच के आदेश दिनांक 20-1-1984 को दे दिये गये हैं।

13---श्री बलवीर सिंह--

[9वें बुधवार में तारांकित प्रश्न 7 के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।]

ग्राम सभा सुमही बुजुर्ग, जनपद देवरिया के प्रधान, श्री शारदा प्रसाद सिंह द्वारा ग्राम सभा को बंजर भूमि अपने नाम दर्ज किये जाने के विरुद्ध कार्यवाही

14--श्री ध्रुव प्रसाद राय--

क्या राजस्व मन्त्री कृपया बतायेंगे कि ग्राम सभा सुमही बुजुर्ग, ब्लाक फाजिल नगर, जनपद देवरिया के प्रधान (श्री शारदा प्रसाद सिंह) ने उक्त ग्राम सभा की पूर्ण बंजर, जो 18 एकड़ 69 डि0 है अपने और अपने सहयोगियों के नाम करा लिया है, जिसके सम्बन्ध में गांव वालों ने अगस्त, 1983 में जिला अधिकारी, देवरिया और उत्तर प्रदेश सरकार को पत्र दिया है ? यदि हां तो उस पर क्या कार्यवाही हुई ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री बल्देव सिंह आर्य--

जनपद देवरिया के ग्राम सुमही बुजुर्ग ब्लाक फाजिलनगर के आधार वर्ष खतौनी में श्री शारदा प्रसाद सिंह (प्रधान) पुत्र राम देव के नाम 3.13 एकड़, इन्द्रासन पुत्र राम लखन, निवासी ग्राम रामपुर उर्फ खुशहाल टोला के नाम 8.51 एकड़ तथा सोरी पुत्र इन्द्रासन, निवासी ग्राम बसडीला मैनुद्दीन के नाम 7.05 एकड़ कुल 18.69 एकड़ ऐसी भूमि दर्ज है जो ग्राम सभा के खाते में भी अंकित है । ग्रामवासियों का प्रार्थना-पत्र जिला अधिकारी को दिनांक 19-8-1983 को प्राप्त हुआ, इस प्रार्थना-पत्र के प्राप्त होने के पूर्व ही सहायक चकबन्दी अधिकारी के यहां अभिलेखों की जांच करते समय उक्त भूमि की दोहरी प्रविष्टि खारिज होने के सम्बन्ध में वाद पंजीकृत हुआ, जो विवादग्रस्त होने के कारण चकबंदी अधिकारी को निस्तारण हेतु सन्दर्भित किया गया । चकबन्दी अधिकारी के न्यायालय के वाद संख्या 5441, 5488, 5492 धारा 9-क(2)-जो0चक0अधि0 के अन्तर्गत दिनांक 27-8-1983 को उक्त भूमि 18.69 एकड़ से श्री शारदा प्रसाद सिंह इन्द्रासन व सोरी का नाम खारिज होकर ग्राम सभा सम्पत्ति बंजर, पोखरी तथा भीटा पूर्ववत् अंकित होने का आदेश हो चुका है । इसके पश्चात् श्री शारदा सिंह ने एक पुनर्विचार प्रार्थना-पत्र चकबंदी अधिकारी के न्यायालय में दिया है, जो विचाराधीन है ।

श्री ध्रुव प्रसाद राय--

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि उक्त भूमि, जो अभी न्यायालय के अधीन है और वह भी चकबन्दी अधिकारी के अधीन है, तो क्या सरकार यह देखेगी कि वह भूमि फिर से, जिन लोगों के नाम नामांकित हैं, उनको न दे कर, ग्राम सभा को उस पर कब्जा दिलाया जायेगा ?

श्री बल्देव सिंह आर्य--

मान्यवर, यह तो कह ही दिया गया है कि यह भूमि ग्राम सभा को वापस करने के लिए आदेश दे दिए गए हैं । किन्तु उस भूमि पर जिसने कब्जा कर रखा था, उसने चकबन्दी अधिकारी को पुनर्विचार करने हेतु आवेदन-पत्र दिया है । ग्राम सभा के नाम पर तो यह भूमि नामांकित भी हो चुकी है ।

श्री ध्रुव प्रसाद राय--

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि इस प्रकार की बहुत सी भूमि देवरिया जिले में लोगों द्वारा अधिग्रहित की गई है । तमुकही ब्लाक, पगरा ग्राम में 28 एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया गया है और कहीं पर 30 एकड़ तथा 40 एकड़ तक अधिग्रहण किया गया है । तो क्या सरकार इस प्रकार की भूमि को वापस करने के लिए कोई कदम उठा रही है और इस

प्रकार की भूमि की कोई जांच करने जा रही है और कोई समिति इस पर बना रहा है कि नहीं ?

श्री बल्देव सिंह आर्य--

मान्यवर, माननीय विधायक जी यदि इसे लिखकर दे देंगे तो उस पर जांच कर ली जायेगी ताकि उनको भी संतोष हो जायेगा ।

ग्राम लालगंज, जिला उन्नाव के माल विभाग का नक्शा गलत होने के सम्बन्ध में शिकायती-पत्र

15--श्री भगवती सिंह विशारद (अनुपस्थित)--

क्या राजस्व मन्त्री कृपया बतायेंगे कि उन्हें श्री श्रीराम प्रधान, ग्राम लालगंज, परगना मगरायर, तह0 पुरवा, जिला उन्नाव द्वारा दिनांक 25-11-1983 का भेजा हुआ कोई ऐसा शिकायती-पत्र मिला है जिसमें उन्होंने अपने ग्राम लालगंज के माल विभाग का नक्शा अधिकांशतः गलत होने की शिकायत की है ? यदि हां, तो उक्त ग्राम का नक्शा दुरुस्त कराने के सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री बल्देव सिंह आर्य--

जी हां । प्रश्नगत मामले का विवरण एकत्र किया जा रहा है ।

उत्तर प्रदेश सरकार बनाम अवध नारायन सिंह के मुकदमे का सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्णय

16--श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल (अनुपस्थित)--

क्या वित्त मन्त्री को जानकारी है कि सर्वोच्च न्यायालय ने दिनांक 9 मार्च, 1984 को उत्तर प्रदेश सरकार बनाम अवध नरायन सिंह के निर्णय के आधार पर तहसीलदार को राज्य कर्मचारी मानते हुए सभी सुविधायें दे दीं ? क्या यह भी सत्य है कि उसी फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने राजकीय कोषाध्यक्ष को भी राज्य कर्मचारी माना है ? यदि हां, तो उस फैसले के आधार पर राजकीय कोषाध्यक्षों को वही सुविधाएं अब तक न दिए जाने का क्या कारण है ?

श्री ब्रह्म दत्त--

माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश सरकार बनाम अवध नारायन सिंह आदि सिविल अपील संख्या 120/1963 में अपने फैसले दिनांक 9-3-1964 में तहसीलदार को संविधान की धारा 311 के प्राविधानों के लाभ का पात्र मानते हुए श्री अवध नारायन सिंह को नौकरी से हटाये जाने के आदेश को संविधान की धारा 311 (2) के उल्लंघन के कारण अवैध माना है । माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अन्य कोई सुविधा उक्त फैसले में नहीं दी है । माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उक्त फैसले में राजकीय कोषाध्यक्ष को राज्य का सिविल सर्वेन्ट (सिविल सर्वेन्ट आफ दी स्टेट) कहा है ।

राजकीय कोषाध्यक्ष को दिये गये नियुक्ति पत्र के अनुसार उनकी नियुक्ति अंशकालिक, अस्थायी होती है, उन्हें छुट्टी या पेंशन का कोई लाभ नहीं मिलता है और कभी भी नियुक्ति अधिकारी के विवेकानुसार उनकी सेवायें एक महीने का नोटिस देकर या नोटिस के बदले एक महीने का वेतन देकर बिना कारण बताये समाप्त की जा सकती हैं । इनको केवल नियत वेतन मिलता है और अपने कर्तव्यों के निर्वहनों के लिये इनसे जमानत प्राप्त की जाती है । माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने रिट संख्या 1511/1967 में अपने फैसले दिनांक 26-3-1968 में यह स्पष्ट व्यवस्था दी है कि राजकीय कोषाध्यक्ष संविधान की धारा 311 (2) के प्राविधानों के लाभ के लिये पात्र नहीं हैं ।

पर्वतीय क्षेत्र के राज्य कर्मचारियों को नगदीकरण अवकाश पर पर्वतीय विकास भत्ता दिया जाने का निर्णय

17--डाक्टर शिवानन्द नौटियाल--

क्या वित्त मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि पर्वतीय क्षेत्र के राज्य कर्मचारियों को नगदीकरण अवकाश पर पर्वतीय विकास भत्ता समाप्त कर दिया गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्रीमती इन्द्रमोहिनी--

जी हां, अर्जित अवकाश के नगदीकरण के साथ पर्वतीय विकास भत्ते का भुगतान किये जाने की सुविधा दिनांक 1-5-1981 को समाप्त कर दी गयी थी, परन्तु पुनर्विचारोपरान्त उक्त सुविधा पुनः दिये जाने का शासन द्वारा निर्णय लिया गया है और इस सम्बन्ध में आदेश दिनांक 25-2-1984 को प्रसारित किये जा चुके हैं ।

डाक्टर शिवानन्द नौटियाल--

क्या माननीय मन्त्री जी यह बताने को कृपा करेंगे कि जो आपने आदेश किये हैं वह कब किये हैं और वह कब से प्रभावी होगा ? दूसरा जो आपने यह निलम्बित किया था, उसके कारण क्या थे ?

श्री ब्रह्म दत्त--

मान्यवर, यह आदेश 27-12-82 को दिये गये थे स्पष्टीकरण के रूप में और उसी दिन से यह प्रभावी भी होगा । जहां तक आपने निलम्बन का कारण पूछा है । उस समय यह इसलिये किया गया था कि द्वितीय उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी वेतन आयोग उस समय बैठा हुआ था और उसकी सिफारिशों से यह किया गया था । लेकिन बाद में हमने इसे उचित नहीं समझा । अब तो यह ठीक हो गया है ।

श्री अध्यक्ष--

माननीय मन्त्री जी (श्री हाफिज मोहम्मद सिद्दीकी के सदन से उठकर न जाने पर) आप वापस आयें । जिस प्रकार आप जा रहे हैं यह आप नियमानुसार नहीं जा रहे हैं । नियम यह है कि जब आप अपनी कुर्सी छोड़कर जाते हैं तो आपको कुर्सी पर अपना सिर झुकाना चाहिये । भविष्य में आप इस बात का ध्यान रखें ।

डाक्टर शिवानन्द नौटियाल--

मान्यवर, जैसा कि माननीय मंत्री जी ने कहा कि पर्वतीय अंचल में मिलने वाला राज्य कर्मचारियों का नगदीकरण अवकाश तथा पर्वतीय विकास भत्ता दिनांक 1 मई, 1982 को समाप्त कर दिया गया था, परन्तु माननीय मंत्री जी ने कृपापूर्वक दिनांक 25 फरवरी, 1984 से उक्त सुविधायें देनी शुरू कर दी हैं । माननीय मन्त्री जी जब से यह समाप्त किया गया था, तब से आप उक्त सुविधायें पर्वतीय अंचल में राज्य कर्मचारियों को देने पर विचार करेंगे, क्योंकि आपने पुनर्विचार कर उन्हें वे सभी सुविधायें दे दी हैं ?

श्री ब्रह्म दत्त --

मान्यवर, सीधे उस रूप में नहीं हटाया गया है । कोई वित्तीय सुविधा पूर्वगामी प्रभाव से नहीं दी जाती ।

सरकारी गन्ना समितियों द्वारा चीनी मिलों को आपूर्ति किये जाने वाले गन्ने पर मिलने वाले कमीशन की नयी योजना

*18--श्री धर्मन सिंह गहलौत (अनुपस्थित)--

क्या गन्ना विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि सहकारी गन्ना समितियों द्वारा चीनी मिलों को आपूर्ति किये जाने वाले गन्ने पर मिलने वाले कमीशन की

नोट :--तारांकित प्रश्न संख्या 18 श्री दिवाकर विक्रम सिंह की रुचि पर लिया गया ।

प्रति क्विंटल के स्थान पर गन्ना उत्पादकों को मिलने वाले गन्ना मूल्य पर 3 पैसे प्रति रुपया करने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय--

सहकारी गन्ना समितियो द्वारा चीनी मिलों को आपूर्ति किये जाने वाले गन्ने पर मिलने वाले कमीशन प्रति क्विंटल के स्थान पर गन्ना उत्पादकों को मिलने वाले गन्ना मूल्य पर 3 पैसा प्रति रुपया करने की कोई योजना शासन के विचाराधीन नहीं है ।

प्रश्न का शेष भाग नहीं उठता ।

श्री दिवाकर विक्रम सिंह—

माननीय मंत्री जी के उत्तर के संदर्भ में मान्यवर, आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि क्या मन्त्री जी को यह ज्ञात है कि सहकारी समितियों को कटौती हुई है और यह बराबर बढ़ती हुई महंगाई को देखते हुए सहकारी समितियों की आर्थिक स्थिति जो है खराब होती जा रही है उसको सुधारने हेतु क्या माननीय मंत्री जी के पास गन्ना सप्लाई पर जो कमीशन चीनी मिल देती है उस कमीशन को धनराशि को बढ़ाने के लिये अथवा क्विंटल के ऊपर कमीशन न निर्धारित करके जो मूल्य भुगतान होता है उसके प्रतिशत के हिसाब से कमीशन निर्धारित करने के लिए बार-बार कोई ज्ञापन प्राप्त हुए हैं और उस पर क्या विचार किया गया है ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय--

समितियों की यह मांग है कि जो कमीशन बैठता है यह कम है उसको बढ़ाया जाय । उस पर शासन विचार कर रहा है । उनका जो कमीशन है 20 पैसा क्विंटल है । इस मामले पर शासन निर्णय शीघ्र ही लेगा ।

श्री दिवाकर विक्रम सिंह—

मान्यवर माननीय, मंत्री जी ने कहा कि शासन इस पर विचार कर रहा है । जहां तक मेरी जानकारी है यह प्रश्न शासन के सामने पिछले तीन वर्षों से विचाराधीन है । क्या मन्त्री जी बतायेंगे कि इस पर कब तक शीघ्र से शीघ्र निर्णय ले लिया जायेगा ? और क्या यह सही है कि अभी हाल ही मे गन्ना समितियों के कर्मचारियों का वेतन बढ़ाया गया है, तो अगर कमीशन की दर नहीं बढ़ायी गयी तो उन समितियों के कर्मचारियों के वेतन का भुगतान कैसे हो पायेगा ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय--

मान्यवर, इस पर बहुत शीघ्र निर्णय लिया जायेगा ।

श्री माता प्रसाद पान्डेय---

मान्यवर, यह गन्ना समितियों, जैसा कि इनों में आया, घाटे मे चल रही हैं । होता यह है कि डायरेक्टर लोग अपने रिश्तेदारों को उसमे भर लेते हैं, आमदनी से ज्यादा कर्मचारी होते हैं । मैं जानना चाहता हूं कि जिन गन्ना समितियों ने गन्ना किसानों का रुपया अपने निजी कर्मचारियों के वेतन मे भुगतान कर दिया है, क्या मन्त्री जी ऐसी गन्ना समितियों को समाप्त करने के प्रश्न पर विचार करेंगे ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

अगर माननीय सदस्य किसी ऐसी समिति का मामला प्रकाश में लायेंगे, जिसमें ऐसी अनियमितता की गयी है, तो उस पर विचार करेंगे ।

श्री माता प्रसाद पान्डेय--

मान्यवर, मेरे यहां बढ़नी समिति है, उसने गन्ना किसानों का पैसा अपने कर्मचारियों को वेतन में भुगतान कर दिया है । वर्ष 1978-79, 1979-80 और 1980-81 के किसानों के बहुत से रुपये को मिल से लेने के बाद बढ़नी गन्ना सहकारी समिति, बस्ती ने अपने कर्मचारियों को वेतन के रूप में भुगतान कर दिया है । आपके सौ बार निर्देश

देने के बाद भी रुपया गन्ना किसानों को नहीं मिल पा रहा है । माननीय मन्त्री जी ने नाम बताने की बात कही थी, मैंने नाम बता दिया । क्या माननीय मन्त्री जी उस समिति को समाप्त करके उसके सारे साधन बिल्डिंग इत्यादि जब्त करके किसानों को पैसा दिलवायेंगे ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय--

इसकी जांच करा ली जायेगी ।

श्री हुकुम सिंह--

जितनी भी सहकारी समितियां हैं, इनकी आर्थिक स्थिति के बारे में चिन्ता व्यक्त की गई है । पान्डेय जी ने भी ध्यान आकर्षित किया है । माननीय मन्त्री जी ने कहा कि विचार चल रहा है, परीक्षण चल रहा है । मैं जानकारी यह चाहता हूं कि विगत तीन साल में बार-बार यह उत्तर आपकी तरफ से आया है, क्या आप निश्चित समय बता पायेंगे कि कब तक निर्णय ले लेंगे ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय--

मैंने उत्तर दिया कि इसमें निर्णय बहुत शीघ्र लिया जायेगा ।

*19--श्री फिरंगी प्रसाद विशारद--

[दिनांक 17-2-84 को अतारांकित प्रश्न संख्या 92 द्वारा उत्तरित ।]

गन्ना क्रय केन्द्र, राजपुर व भोगनीपुर में खोलने के सम्बन्ध में पत्र

*20--श्री रामस्वरूप वर्मा--

क्या गन्ना विकास मन्त्री कृपया बतायेंगे कि उन्हें प्रश्नकर्त्ता द्वारा अग्रसारित श्री कैलाश नाथ, ग्राम जरैइलापुर, पो0 पुखराया जिला कानपुर देहात का प्रार्थना-पत्र दिनांक 23-12-82 का गन्ना क्रय केन्द्र, राजपुर व भोगनीपुर में खुलवाने के सम्बन्ध में प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो सरकार ने उक्त सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की ? सरकार उक्त स्थानों पर कब तक गन्ना क्रय केन्द्र खुलवाने जा रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय--

प्रश्न में उल्लिखित पत्र प्राप्त नहीं हुआ ।

प्रस्तावित गन्ना क्रय केन्द्र राजपुर व भोगनीपुर असुरक्षित क्षेत्र में हैं तथा निकटस्थ चीनी मिल से 200 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है । अतः इन केन्द्रों की स्थापना में कठिनाई है ।

श्री राम स्वरूप वर्मा--

माननीय अध्यक्ष, माननीय मंत्री जी ने जो अपने उत्तर में बताया है कि प्रश्न में उल्लिखित पत्र प्राप्त नहीं हुआ । मान्यवर, इस असत्य भाषण देने के लिये मैं विशेषाधिकार का प्रश्न प्रस्तुत करता हूं । यह मेरे पास पियून बुक है, उसमें पत्र की प्राप्ति अंकित है । अब यह कह रहे हैं कि पत्र हमको नहीं मिला है, उसके लिये मैं विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न उठाता हूं । अब सवाल यह पूछना है कि किस गन्ना मिल ने इस क्षेत्र की दूरी कही है कि 200 कि0 मी0 की दूरी पर स्थित है ? क्या किसी आस पास की गन्ना मिल से गन्ना सप्लाई कराने के लिये कोई व्यवस्था करायेंगे ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय--

मान्यवर, यह दोनों प्रस्तावित केन्द्र असुरक्षित क्षेत्र में हैं, रिजर्व एरिया में नहीं आते हैं ।

श्री राम स्वरूप वर्मा--

मान्यवर, यह जानना चाहा कि यहां से कोई मिल कितनी दूर है, जिसमें माननीय मंत्री जी इसको ले सकते हैं, कितनी दूरी की मिल के क्षेत्र को ले लेते हैं ?

श्री सुरेन्द्र पाल सिंह--

मान्यवर, घाटमपुर की अभी तैयार होने वाली है । हमें आशा है कि यह

मिल चल जायेगी, तो यह दोनों केन्द्र उसमें आ जायेंगे ।

अतारांकित प्रश्न

गन्ना विकास विभाग, बुलन्दशहर में अनुसूचित जाति/जनजाति के कर्मचारियों की संख्या

1---श्री छत्तर सिंह--

क्या गन्ना विकास मन्त्री बताने को कृपा करेंगे कि उनके विभाग में दिनांक 4-8-1983 को जनपद बुलन्दशहर में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के कितने कर्मचारियों को नियुक्ति है तथा इस समय कितने कार्यरत हैं ?

श्री सुरेन्द्र पाल सिंह---

दिनांक 4-8-1983 को जनपद बुलन्दशहर में गन्ना विकास विभाग के अन्तर्गत अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जाति के कर्मचारियों की संख्या 13 था तथा इस समय भी उनकी कार्यरत संख्या उतनी ही है ।

2---श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री--

[दिनांक 28-2-1984 को अतारांकित प्रश्न संख्या 143 द्वारा उत्तरित ।]

ग्राम लछिरामपुर, जिला वाराणसी के श्री जुगुल नारायन पुत्र भगौती को मृतक मानकर श्रीमती राज देवी का नाम दर्ज करने के विरुद्ध कार्यवाही

3---श्री ऊदल---

क्या राजस्व मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जुगुल नारायन पुत्र भगौती मिश्र, गांव लछिरामपुर, परगना पन्द्रह, तह0 व जिला वाराणसी की अन्तिम अभिलेख के वक्त चकबन्दी विभाग वाराणसी (पूर्वी) के अधिकारियों ने मृतक दिखा दिया और उनकी भूमि पर राज देवी स्त्री सूर्यनारायण, गांव अजयपुर, तह0 ज्ञानपुर, जिला वाराणसी को पुत्री दिखाकर दिनांक 26-2-1979 को आदेश पारित कर नाम चढ़ाने का आदेश दे दिया ? यदि हां, तो क्या यह सत्य है कि जुगुल नरायन पुत्र भगौती आज भी जिन्दा है ? क्या सरकार इसकी जांच करायेगी और गलत एवं फर्जी कार्य करने वालों को दण्डित करेगी ?

श्री बल्देव सिंह आर्य--

यह सही है कि ग्राम लछिरामपुर, परगना पन्द्रह, तहसील व जिला वाराणसी के श्री जुगुल नरायन पुत्र भगौती मिश्र को मृतक मानकर चक खाता नम्बर 153 में उसका नाम खारिज करके श्रीमती राजदेवी पत्नी सूर्यनारायण (पुत्री) का नाम बतौर वारिसु दर्ज करने का आदेश सहायक चकबन्दी अधिकारी द्वारा दिनांक 26-2-1979 को पारित किया गया है । इस आदेश के विरुद्ध अपील सहायक बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी के न्यायालय में विचाराधीन है । न्यायिक प्रक्रिया समाप्त होने के बाद आवश्यक कार्यवाही किया जाना संभव होगा ।

बाढ़ समस्या से उत्पीड़ित ग्राम जज्जौर, जनपद सुलतानपुर के ग्रामवासियों का प्रार्थना पत्र

4---श्री खैरुल बशर--

क्या राजस्व मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि बाढ़ समस्या से उत्पीड़ित ग्राम जज्जौर, विकास क्षेत्र धनपतगंज जनपद सुल्तानपुर के ग्रामवासियों का कोई प्रार्थना-पत्र श्री राम गोविन्द चौधरी, एम0 एल0 ए0 के संलग्नक सहित श्री बी0 बी0 सिन्हा, विशेष सचिव, राजस्व, उत्तर प्रदेश शासन को दिनांक 27/28-10-1983 को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो सरकार ने अब तक क्या कार्यवाही की ? यदि नहीं, तो क्यों और विलम्ब का क्या कारण है ?

श्री बल्देव सिंह आर्य--

जी हां । प्रार्थना-पत्र में प्रार्थना की गई थी कि जनपद सुल्तानपुर का जज्जौर विकास क्षेत्र, धनपतगंज बाढ़ से प्रतिवर्ष प्रभावित होता है, अतः यहां पर

नोट--तारांकित प्रश्न संख्या 20 के बाद प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया ।

औद्योगिक योजना होना चाहिये तथा राहत कार्य भी होना चाहिये । इस सम्बन्ध में जिलाधिकारी, सुलतानपुर से आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने के के लिये कहा गया था । जिलाधिकारी से प्राप्त सूचनानुसार ग्राम जज्जौर की स्थिति ऐसी है कि उस स्थल पर किसी प्रकार की औद्योगिक योजना चलाया जाना सम्भव नहीं है । बाढ़ की स्थिति में कार्य युद्धस्तर पर किया जाता है एवं पीड़ितों को नियमानुसार सहायता उपलब्ध करायी जाती है । इस वर्ष ग्राम प्रधान की उपस्थिति एवं पहचान पर ग्राम जज्जौर के 322 पात्र परिवारों को नियमानुसार रु0 68,000 गृह अनुदान वितरित किया गया एवं चना, गुड़, माचिस, नमक भी वितरित किया गया । इस वर्ष बाढ़ की स्थिति ऐसी नहीं थी कि कोई और सहायता प्रदान की जाती किन्तु आवागमन के लिये आठ नावें लगायी गयी थीं ।

6--श्री मोहन सिंह--

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया ।]

जनपद फैजाबाद, तहसील बीकापुर के अन्तर्गत श्री तीरथ व श्री छुट्ठूराम को आवंटित भूमि पर कब्जा न मिलने के सम्बन्ध में कार्यवाही

6--श्री गोपीनाथ वर्मा--

क्या राजस्व मन्त्री बतायेंगे कि जनपद फैजाबाद, तहसील बीकापुर के अन्तर्गत श्री तीरथ पुत्र श्री कालोदीन, हरिजन व श्री छट्ठूराम पुत्र श्री मोमई, ग्राम बाहरपुर का आवंटित भूमि पर कब्जा न मिलने के सम्बन्ध में दिनांक 5-8-1983 को प्रश्नकर्त्ता का कोई पत्र प्राप्त हुआ है ? क्या सम्बन्धित हरिजनों को आवंटित भूमि की पैमाइश कराकर कब्जा दिया गया है ? यदि हां, तो कब्जा दिलाए जाने की तिथि क्या है ?

श्री बल्देव सिंह आर्य--

जी हां ।

श्री तीरथ पुत्र कालोदीन नामक कोई व्यक्ति ग्राम बाहरपुर में नहीं है । अतः इस नाम के व्यक्ति को भूमि आवन्टन का प्रश्न ही नहीं है । छट्ठूराम पुत्र सोमई, ग्राम बाहरपुर को भूमि संख्या 209 रकबा 0-1-4 वर्ष 1975 में आवास स्थल के प्रयोजन हेतु प्रदिष्ट किया गया था जिस पर पर्यवेक्षक कानूनगो द्वारा दिनांक 9-4-1976 को निशानदेही करके कब्जा दे दिया गया था ।

चकबन्दी लेखपाल एवं चपरासियों के स्थानान्तरण के सम्बन्ध में पत्र पर कृत कार्यवाही

7--श्री गोपीनाथ वर्मा--

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि संचालक चकबन्दी, फैजाबाद द्वारा चकबन्दी आयुक्त, उ0 प्र0, लखनऊ को भेजे गये पत्र संख्या मे0 मो0/अ0 लि0, दिनांक 10 जुलाई, 1983, जो चकबन्दी लेखपाल एवं चपरासियों के स्थानान्तरण के सम्बन्ध में था, पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्री बल्देव सिंह आर्य--

उप संचालक चकबन्दी, फैजाबाद का पत्र मेमो/ दिनांक 10 जुलाई, 1983, चकबन्दी लेखपाल एवं चपरासियों की अद्यावधिक सूची गलत बनायी जाने एवं उनके स्थानान्तरण सम्बन्धी माह अगस्त, 1983 में प्राप्त हुआ था । प्रश्नगत पत्र से सम्बन्धित 4 चपरासियों का स्थानान्तरण निरस्त किया जा चुका है । चकबन्दी लेखपाल के स्थानान्तरण के सम्बन्ध में बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी, फैजाबाद से गलत सूची भेजने हेतु स्पष्टीकरण मांगा गया है ।

ग्राम सुल्तानपुर, फैजाबाद में अवैधानिक निर्माण तथा अतिक्रमण की गयी भूमि से प्रस्तावित हर्जाना

8--श्री गोपीनाथ वर्मा---

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिसम्बर, 1982 में परगना मैजिस्ट्रेट, अकबरपुर द्वारा ग्राम सुल्तानपुर (अकबेलपुर), फैजाबाद में किसी अवैधानिक निर्माण तथा गांव सभा की भूमि आदि सम्बन्धी मामले में किसी मुकदमे में 122-बी का कार्यवाही करने के आदेश पारित किए थे ? यदि हां, तो अब तक इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई ? उक्त गांव एवं पुरवे में कुल कितनी गांव सभा की भूमि है ? मौके पर कितनी बची है और कितनी किस--किस व्यक्ति द्वारा अतिक्रमण की गई है ?

श्री बल्देव सिंह आर्य--

जी हां ।

परगनाधिकारी के निर्देश पर तेरह मामलों में अतिक्रमणकर्ताओं के विरुद्ध उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1952 की धारा 122-बी के अन्तर्गत अतिरिक्त कलेक्टर के न्यायालय में बदखली के वाद दायर किए गए थे जो अभी विचाराधीन हैं । ग्राम सुल्तानपुर में गांव सभा की 85-17-5 धूर भूमि है जिसमें से पुरवा अकबेलपुर में 1-9-19 धूर भूमि है । मजरा अकबेलपुर में 0-14-3 धूर भूमि पर अतिक्रमण किया गया है । शेष 0-14-16 धूर भूमि खाली है । अतिक्रमणकर्ता तथा उनके द्वारा अतिक्रमण की गई भूमि का सूचक संलग्न है ।

9---श्री गोपीनाथ वर्मा---

क्या राजस्व मंत्री जी कृपया यह भी बताएंगे कि अतिक्रमित भूमि में मुख्य रूप से क्या-क्या निर्माण कराये गये हैं और इन्हें कब तक बेदखल कर, गांव सभा की भूमि खाली कराई जा रही है ? साथ ही अतिक्रमण की अवधि से अब तक की अवधि के लिए सम्बन्धित लोगों से क्या कोई जुर्माना आदि लिया जाना प्रस्तावित है ? यदि हां, तो कितना-कितना और कब तक ?

श्री बल्देव सिंह आर्य--

अतिक्रमित 0-15-3 धूर में से 0-5-0 धूर भूमि आबादी सहन, 0-0-18 धूर नलकूप सहन, 0-5-17 धूर कृषि कार्यों हेतु यथा 0-3-8 धूर उपलो-कण्डे पाथने व अन्य मवेशी बांधने हेतु कब्जा कर लिया गया है । बेदखली के वाद न्यायालय में विचाराधीन है । वादों के निर्णीत होने के उपरान्त ही भूमि खाली कराई जा सकेगी । अतिक्रमण की अवधि से अब तक हर्जाना की कुल धनराशि 1,760 रु० प्रस्तावित की गई है । अतिक्रमणकर्ता बाद प्रस्तावित हर्जाने का विवरण संलग्न है ।

(देखिये नत्थी "क" आगे पृष्ठ 145 पर ।)

ग्राम भोगला, तहसील हसनगंज, जनपद उन्नाव में बाढ़ एवं वर्षा से क्षतिग्रस्त मकानों का गृह अनुदान वितरण का आधार तथा वितरण में अनियमितता के विरुद्ध जांच

10--श्री दिवाकर विक्रम सिंह--

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विगत दिनांक 4-3-83 को ग्राम भोगला, तहसील हसनगंज, जनपद उन्नाव के ग्रामवासियों को वर्षा के कारण मकान गिरने का पैसा वितरित कराया गया ? यदि हां, तो कितने लोगों को और उसका सम्पूर्ण विवरण क्या है ?

श्री बल्देव सिंह आर्य--

जी हां, ग्राम भोगला में वर्ष 1981 की बाढ़ एवं वर्षा से 12 पूर्ण क्षतिग्रस्त मकानों के स्वामियों को दिनांक 2-3-83

को 400 रु0 की दर से 4,800 रु0 एवं 48 आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त मकानों के स्वामियों को दिनांक 4-3-83 को 200 रु0 की दर से 9,600 रु0 गृह अनुदान का भुगतान किया गया था। इस प्रकार कुल 14,400 रु0 भुगतान किया गया था।

11--श्री दिवाकर विक्रम सिंह--

क्या राजस्व मंत्री यह भी बताने की कृपा करेंगे कि उपरोक्त ग्राम में तहसील के कर्मचारियों ने उपरोक्त ग्राम प्रधान की संस्तुति पर उन व्यक्तियों को जिनके मकान नहीं गिरे थे पैसा वितरित किया और उन व्यक्तियों को जिनके मकान वर्षा के कारण पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त हुए थे उनको पैसा नहीं वितरित किया ?

श्री बल्देव सिंह आर्य--

तहसील हसनगंज के कर्मचारियों द्वारा ग्राम प्रधान की संस्तुति पर ऐसे व्यक्तियों को पैसा नहीं वितरित किया गया जिनके मकान नहीं गिरे थे तथा किसी व्यक्ति को छोड़ा नहीं गया जिसका मकान पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त हुआ था।

12--श्री दिवाकर विक्रम सिंह--

क्या राजस्व मन्त्री जी यह भी बतायेंगे कि उपरोक्त वितरण में अनियमितता के सम्बन्ध में ग्रामवासियों ने एक सामूहिक प्रार्थना-पत्र माह मार्च, 1983 में तहसीलदार व परगनाधिकारी, हसनगंज व जिलाधिकारी, उन्नाव को दिये थे ? यदि हां, तो उक्त शिकायतों की जांच किस अधिकारी ने कब की और सम्पूर्ण जांच रिपोर्ट क्या है ? रिपोर्ट के अनुसार दोषी अधिकारीगण कौन-कौन हैं और उनके विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही हुई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बल्देव सिंह आर्य--

ग्राम मोगला, तहसील हसनगंज, जनपद उन्नाव के ग्रामवासियों को इस संबंध में माह मार्च, 1983 को एक सामूहिक प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुआ था, जिसकी जांच पहले क्षेत्रीय पर्यवेक्षक कानूनगो द्वारा कराई गई। तत्पश्चात् पुनः उच्चस्तरीय जांच कराई गई। जांच में दो अपात्र व्यक्तियों को 200 रु0 प्रति व्यक्ति की दर से जो अनियमित अनुदान वितरण पाया गया, उसके राजस्व देयों की भांति वसूली हेतु वसूली आदेश (रिकवरी-सार्टीफिकेट) जारी कर दिया गया है। जांच में पाये गये दोषी लेखपाल श्री श्रवण कुमार व मत्स्य निरीक्षक श्री ओम प्रकाश श्रीवास्तव का स्पष्टीकरण प्राप्त कर उनके विरुद्ध कार्यवाही शुरू कर दी गई है।

13--श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

दिनांक 22-2-84 को अतारांकित प्रश्न संख्या 193 द्वारा उत्तरित।]

मनकापुर चकबन्दी इकाई में स्थित ग्राम हरखोपुर में चकों की पुनः पैमाइश अन्य सार्वजनिक स्थलों पर अनधिकृत कब्जों को हटाने के सम्बन्ध में कार्यवाही

14--श्री ईश्वर शरण विद्यार्थी--

क्या राजस्व मन्त्री को जानकारी है कि गोंडा जनपद की मनकापुर चकबन्दी इकाई में स्थित ग्राम हरखोपुर में कृषकों का एक सामूहिक प्रार्थना-पत्र क्षेत्रीय विधायक के पत्र के साथ माह जून, 1983 में चकों की पुनः पैमाइश, चक रोड तथा अन्य सार्वजनिक स्थलों पर से अनधिकृत कब्जों को हटाने के सम्बन्ध में शासन को प्राप्त हुआ था ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बल्देव सिंह आर्य--

जी हां। ग्रामवासी चकों की पुनः पैमाइश चाहते हैं। चूंकि इस समय खेतों में फसल खड़ी है जिसके कारण पैमाइश होने में कठिनाई होगी इसलिए

फसल कटने पर पुनः पैमाइश करा दी जायेगी ।

सरकारी निर्देशों के प्रतिकूल गन्ना क्रय केन्द्रों से फैक्टरी गेट तक का परिवहन व्यय कृषकों से अधिक वसूल किये जाने के संबंध में कार्यवाही

15--श्री जयदीप सिंह बरार--

विधान सभा के प्रथम सत्र 83 के 4थे शुक्र0 के ता0 प्रश्न सं0 13 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या गन्ना विकास मन्त्री आदेश जारी करने की कृपा करेंगे कि राज्य सरकार द्वारा चीनी मिलों को दी जाने वाली समस्त सुविधाओं में से उन मिलों द्वारा क्रय केन्द्रों से 82-83 पिराई सत्र में 50 पैसे प्रति क्विंटल से अधिक परिवहन व्यय कटौती की धनराशि को यथासम्भव वसूल किया जा सके ? यदि नहीं, तो क्यों ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री सुरेन्द्र पाल सिंह--

जैसा कि संदर्भित प्रश्न संख्या 13 के उत्तर में पहले ही बताया गया है परिवहन व्यय के मामले में निर्णय लेने हेतु भारत सरकार ही सक्षम है । इस सम्बन्ध में भारत सरकार द्वारा दायर की गई विशेष अवकाश याचिका अभी उच्चतम न्यायालय के विचाराधीन है अतः सत्र 1982-83 में निर्धारित दर से अधिक भाड़ा कटौती करने वाली मिलों से अधिक कटौती की धनराशि वसूल किये जाने का अभी कोई प्रश्न नहीं उठता ।

कतिपय जनपदों में बंजर, बीहड़, ऊसर अथवा अकृष्य भूमि में निजी/राजकीय और ग्राम सभा का स्वामित्व

16--श्री जयदीप सिंह बरार--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनपद शाहजहांपुर में कुल कितनी भूमि पर बंजर, बीहड़, ऊसर अथवा अकृष्य बेकार होने के कारण कृषि नहीं होती है ? क्या शासन के पास जानकारी है कि इस भूमि में से क्रमशः कितनी-कितनी भूमि निजी, राजकीय और ग्राम सभा के स्वामित्व में है ?

श्री बलदेव सिंह आर्य--

प्रश्न की सूचना एकत्र करने में शासन का जो श्रम, धन एवं समय व्यय होगा वह उसके लाभ के अनुरूप न होगा ।

17--श्री जयदीप सिंह बरार--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनपद बदायूं में कुल कितनी भूमि पर बंजर, ऊसर, बीहड़ अथवा अकृष्य बेकार होने के कारण कृषि नहीं होती है ? क्या शासन के पास जानकारी है कि इस भूमि में से क्रमशः कितनी-कितनी भूमि निजी, राजकीय और ग्राम सभा के स्वामित्व में है ?

श्री बलदेव सिंह आर्य--

प्रश्न की सूचना एकत्र करने में शासन का जो श्रम, धन एवं समय व्यय होगा वह उसके लाभ के अनुरूप न होगा ।

18--श्री जयदीप सिंह बरार--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनपद गाजियाबाद में कुल कितनी भूमि पर बंजर, ऊसर, बीहड़ अथवा अकृष्य बेकार होने के कारण कृषि नहीं होती है ? क्या शासन के पास जानकारी है कि इस भूमि में क्रमशः कितनी-कितनी भूमि निजी, राजकीय और ग्राम सभा के स्वामित्व में है ?

श्री बलदेव सिंह आर्य--

प्रश्न की सूचना एकत्र करने में शासन का जो श्रम, धन एवं समय व्यय होगा वह उसके लाभ के अनुरूप न होगा ।

19—श्री जयदीप सिंह बरार—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनपद सहारनपुर में कुल कितनी भूमि पर बंजर, ऊसर, बीहड़ अथवा अकृष्य बेकार होने के कारण कृषि नहीं होती है ? क्या शासन के पास जानकारी है कि इस भूमि में से क्रमशः कितनी-कितनी भूमि निजी, राजकीय और ग्राम सभा के स्वामित्व में है ?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

प्रश्न की सूचना एकत्र करने में शासन का जो श्रम, धन एवं समय व्यय होगा वह उसके लाभ के अनरूप न होगा ।

20—श्री जयदीप सिंह बरार—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनपद मुजफ्फरनगर में कुल कितनी भमि पर बंजर, ऊसर, बीहड़ अथवा अकृष्य बेकार होने के कारण कृषि नहीं होती है ? क्या शासन के पास जानकारी है कि इस भूमि में से क्रमशः कितनी-कितनी भूमि निजी, राजकीय और ग्राम सभा के स्वामित्व में है ?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

प्रश्न की सूचना एकत्र करने में शासन का जो श्रम, धन एवं समय व्यय होगा उसके लाभ के अनुरूप न होगा ।

21—श्री जयदीप सिंह बरार—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनपद बुलन्दशहर में कुल कितनी भमि पर बंजर, ऊसर, बीहड़ अथवा अकृष्य बेकार होने के कारण कृषि नहीं होती है ? क्या शासन के पास जानकारी है कि इस भूमि में से क्रमशः कितनी-कितनी भूमि निजी, राजकीय और ग्राम सभा के स्वामित्व में है ?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

प्रश्न की सूचना एकत्र करने में शासन का जो श्रम, धन एवं समय व्यय होगा वह उसके लाभ के अनुरूप न होगा ।

22—श्री जयदीप सिंह बरार—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनपद मेरठ में कुल कितनी भूमि पर बंजर, ऊसर, बीहड़ अथवा अकृष्य बेकार होने के कारण कृषि नहीं होती है ? क्या शासन के पास जानकारी है कि इस भूमि में से क्रमशः कितनी-कितनी भूमि निजी, राजकीय और ग्राम सभा के स्वामित्व में है ?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

प्रश्न की सूचना एकत्र करने में शासन का जो श्रम, धन एवं समय व्यय होगा वह उसके लाभ के अनुरूप न होगा ।

23—श्री जयदीप सिंह बरार—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनपद उन्नाव में कुल कितनी भूमि पर बंजर, ऊसर, बीहड़ अथवा अकृष्य बेकार होने के कारण कृषि नहीं होती है ? क्या शासन के पास जानकारी है कि इस भूमि में से क्रमशः कितनी-कितनी भूमि निजी, राजकीय और ग्राम सभा के स्वामित्व में है ?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

प्रश्न की सूचना एकत्र करने में शासन का जो श्रम, धन एवं समय व्यय होगा वह उसके लाभ के अनुरूप न होगा ।

24—श्री जयदीप सिंह बरार—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनपद सीतापुर में कुल कितनी भूमि पर बंजर, ऊसर, बीहड़ अथवा अकृष्य बेकार होने के कारण कृषि नहीं होती है ? क्या शासन के पास जानकारी है कि इस भूमि में से क्रमशः कितनी-कितनी भूमि निजी, राजकीय और ग्राम सभा के स्वामित्व में है ?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

प्रश्न की सूचना एकत्र करने में शासन का जो श्रम, धन एवं समय व्यय होगा वह उसके लाभ के अनुरूप न होगा ।

25--श्री जयदीप सिंह बरार--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनपद रायबरेली में कुल कितनी भूमि पर बंजर, ऊसर, बीहड़ अथवा अकृष्य बेकार होने के कारण कृषि नहीं होती है ? क्या शासन के पास जानकारी है कि इस भूमि में से क्रमशः कितनी-कितनी भूमि निजी, राजकीय और ग्राम सभा के स्वामित्व में है ?

श्री बल्देव सिंह आर्य--

प्रश्न की सूचना एकत्र करने में शासन का जो श्रम, धन एवं समय व्यय होगा वह उसके लाभ के अनुरूप न होगा ।

विकास क्षेत्र जलालपुर, मुफ्तीगंज एवं धर्मापुर में अतिवृष्टि से क्षतिग्रस्त मकानों हेतु गृह अनुदान का वितरण

26--श्री प्रभूनारायण सिंह--

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि वर्ष 83 में जनपद जौनपुर के विकास क्षेत्र जलालपुर, मुफ्तीगंज एवं धर्मापुर में अतिवृष्टि से कितने मकान पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हुए ? इन क्षतिग्रस्त मकानों हेतु सम्बन्धित व्यक्तियों को कितनी धनराशि दी गई ?

श्री बल्देव सिंह आर्य--

वर्ष 1983 में जनपद जौनपुर के विकास खंड जलालपुर, मुफ्तीगंज तथा धर्मापुर में अतिवृष्टि एवं बाढ़ के कारण 488 मकान पूर्ण रूप से तथा 2166 मकान आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हुए ।

प्रभावित व्यक्तियों की सूची तैयार करके पात्रता के आधार पर गृह अनुदान के वितरण की कार्यवाही की जा रही है ।

गांव सभा, बीबीपुर, जिला गाजीपुर में गांव सभा की भूमि पर गलत इन्द्राज होने के संबंध में जांच

27--श्री ऊदल--

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गांव सभा बीबीपुर, तहसील सैदपुर, जिला गाजीपुर की आराजी नं0 42, 43, 45 तथा 55 गांव सभा की सम्पत्ति है और उसमें बहुत से हरिजन एवं राजभर आबाद भी हैं ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि उक्त नम्बरों को मसीद हैदर के नाम दिखाया गया है और उसकी रजिस्ट्री जोखू पुत्र रामधनी के नाम की गयी है ? क्या सरकार इसकी जांच कराकर गांव सभा की सम्पति की रक्षा करेगी ?

श्री बल्देव सिंह आर्य--

आराजी नं0 42, 43, 45 तथा 55 इस समय अभिलेख में जोखन पुत्र रामधनी के नाम संक्रमणीय भूमिधर दर्ज है । मौके पर आबादी एवं कोट है तथा इसमें बहुत से हरिजन एवं राजभर आबाद हैं । उक्त नम्बरान पहले ग्राम सभा की सम्पत्ति थी, जो कस्टोडियन के सेल सर्टिफिकेट (रजिस्टर्ड) के आधार पर वाद संख्या 844 में न्यायालय परगना अधिकारी, सैदपुर के निर्णय दिनांक 27--4--74 के अनुसार मसीद हैदर पुत्र जमीर हैदर (इवैकुई) कस्टोडियन का नाम खारिज करके जोखन पुत्र रामधनी, निवासी बीबीपुर का नाम अंकित है ।

संप्रति इस सम्बन्ध में विस्तृत जांच की जा रही है ।

सुल्तानपुर में नियुक्त जिला उप संचालक चकबन्दी तथा उनके न्यायालय में विचाराधीन मुकदमें

28--श्री राम गोविन्द--

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला सुलतानपुर में कित

जिला उप संचालक, चकबन्दी नियुक्त हैं और उनके न्यायालय में 1-1-1983 से 31-8-83 तक कितने मुकदमें दायर तथा फैसला किये गये हैं तथा कितने विचाराधीन हैं ?

श्री बलदेव सिंह आर्य—

जिला उप संचालक चकबन्दी जिले का कलेक्टर होता है। इस प्रकार सुलतानपुर में केवल एक जिला उप संचालक चकबन्दी नियुक्त हैं और उनके न्यायालय में 1-1-1983 से 31-8-83 तक 3 मुकदमें दायर हुये, 2 मुकदमों का फैसला हुआ और एक मुकदमा विचाराधीन है।

मिसिल बन्द रजिस्टर उपलब्ध न होने की तत्कालीन सहायक चकबन्दी अधिकारी, श्री सैय्यद मुहम्मद सैयदैन से पूछताछ

29—श्री राम गोविन्द—

विधान सभा के द्वितीय सत्र 83 के 1ले शुक्र के अता० प्र० सं० 75 के उत्तर के संदर्भ में क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि तत्कालीन सहायक चकबन्दी अधिकारी, श्री सैयद मुहम्मद सैयदैन जो वर्तमान बन्दोबस्त अधिकारी, चकबन्दी हैं उनसे भी पूछताछ की गयी है ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलदेव सिंह आर्य—

जी नहीं।

प्रश्नगत प्रश्न प्राप्त होने पर श्री सैय्यद मुहम्मद सैयदैन से पत्र दिनांक 3 जनवरी, 1984 द्वारा पूछताछ की गई। उन्होंने सूचित किया है कि लगभग 28 वर्ष बीत जाने के कारण उन्हें स्मरण नहीं है कि संबंधित ग्राम बाहरपुर उनके क्षेत्र में था अथवा नहीं। उन्होंने यह भी सूचित किया है कि प्रश्न से सम्बन्धित न्यायालयों के मिसिल बन्द रजिस्टर का कोई सम्बन्ध क्षेत्र में कार्यरत सहायक चकबन्दी अधिकारी से नहीं हो सकता।

आयुक्त, कार्यालय बिक्रीकर में अस्थाई/स्थाई रूप से स्वीकृत पद तथा आरक्षण कोटा

30—श्री दुर्गा प्रसाद मिश्र—

क्या वित्त मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आयुक्त, कार्यालय बिक्रीकर में वेतनमान 430-685 में 31 अक्तूबर, 83 तक कितने पद अस्थाई/स्थाई रूप से स्वीकृत हैं ? क्या सभी स्वीकृत पदों में अनुसूचित जाति का निर्धारित 18 प्रतिशत का कोटा पूर्ण है ? यदि नहीं तो क्यों ? इसे कब तक पूर्ण किया जायेगा ?

श्री वह्म दत्त—

बिक्रीकर विभाग में पूरे प्रदेश के लिए वेतनमान 430-685 रु० में स्वीकृत कुल पृथक् ही सम्वर्ग के हैं। आयुक्त बिक्रीकर कार्यालय के लिए इस वेतनमान के पद का कोई पृथक् सम्वर्ग नहीं है। आयुक्त बिक्रीकर कार्यालय एवं इससे सम्बद्ध प्रदेश स्थित राज्य प्रतिनिधि कार्यालयों में 31-10-83 तक इस वेतनमान में केवल 47 स्थायी पद स्वीकृत हैं। कोई अस्थायी पद स्वीकृत नहीं हैं। पूरे प्रदेश में इस वेतनमान में 755 स्थायी तथा 185 अस्थायी पद स्वीकृत हैं।

इस वेतनमान में सभी पद केवल पदोन्नति से भरे जाते हैं। पदोन्नति में आरक्षण का कोटा 20 मार्च, 1974 से लागू है। अब से 698 पद पदोन्नति से भरे जाने हैं जिनमें 113 पद अनुसूचित जाति के कर्मचारियों से भरे गए हैं। इस प्रकार आरक्षण के अनुसार 13 पद कम हैं। कर्मचारियों की ज्येष्ठता सूची को अगस्त, 1982 से पहले अन्तिम रूप न दिए जाने से आरक्षण का कोटा पूरा किया जाना सम्भव नहीं हो सका। आगामी पदोन्नति के समय कोटे की कमी को पूरा कर लिया जाएगा।

31--श्री जसवन्त सिंह बिष्ट--

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त।]

जनपद एटा की तहसील अलीगंज में गत वर्षा से फसलों को क्षति, भू-राजस्व में छूट का प्रस्ताव

32--श्री तेजपाल सिंह--

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद एटा, तहसील अलीगंज में गत वर्षा के कारण फसल की कितना नुकसान किन-किन ग्रामों में हुआ ? क्या इन ग्रामों के निवासियों को राजकीय सुविधा देने का कष्ट करेंगे और तकावी, लगान और आबपाशी माफ करेंगे यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलदेव सिंह आर्य--

जनपद एटा की तहसील अलीगंज में वर्ष 1983 में गत वर्षा से मात्र 253 ग्रामों में 50 प्रतिशत से अधिक तथा 184 ग्रामों में 50 प्रतिशत से कम क्षति हुई। उक्त कुल 437 ग्रामों में 29,710 हेक्टेयर क्षेत्रफल में 672.10 लाख रुपये की अनुमानित क्षति फसल को हुई। उक्त प्रभावित ग्रामों के नामों की सूची विस्तृत होने के कारण पूर्व सूचना के आधार पर मेरे कार्यालय कक्ष में देखी जा सकती है।

उपरोक्त प्रभावित ग्रामों के निवासियों को राहत पहुंचाने के लिए अहेतुक सहायता तथा गृह अनुदान का वितरण किया गया। जिन क्षेत्रों में फसलों को 50 प्रतिशत से अधिक की क्षति हुई, वहां के कृषकों से कृषि देयों, भू-राजस्व, तकावी तथा सिंचाई देयों की वसूली स्थगित कर दी गई। जिलाधिकारी की सूचनानुसार, भू-राजस्व में छूट के प्रस्ताव तैयार कर राजस्व परिषद् उत्तर प्रदेश तथा शासन को अनुमोदनार्थ भेजने की कार्यवाही प्रगति पर है।

जिला अल्मोड़ा में मनीला नामक स्थान पर सब तहसील की कथित स्वीकृति

32(ए)--श्री जसवन्त सिंह बिष्ट--

क्या राजस्व मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि जिला अल्मोड़ा में स्थान मानीला में सब तहसील कब स्वीकार की गई और कब से उस का कार्य प्रारम्भ हो गया है।

श्री बलदेव सिंह आर्य--

जनपद अल्मोड़ा में मनीला नामक स्थान पर नायब तहसीलदार का मुख्यालय उनके क्षेत्र में रखने का निर्णय लिया गया था। सब तहसील स्वीकृत नहीं की गयी है। अतः सब-तहसील का कार्य प्रारम्भ होने का प्रश्न नहीं उठता।

33--श्री जसवन्त सिंह बिष्ट--

[आश्वासन समिति के विचार धीन होने के कारण निरस्त।]

सई, गोमती नदियों की भीषण बाढ़ से मालगुजारी में छूट

34--श्री प्रभूनारायण सिंह--

विधान सभा के प्रथम सत्र 1983 के 1ले शुक्र के लिए निर्धारित अता0 प्र0 सं0 71 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या प्रश्नगत छूट शासन द्वारा स्वीकृत होकर सम्बन्धित व्यक्तियों को प्राप्त हो गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलदेव सिंह आर्य--

शासन द्वारा मालगुजारी में 4,28,967·86 रु0 की छूट प्रदान की गई जिससे 22,535 खातेदार लाभान्वित हुए।

ग्राम बीबनमऊ के अभिलेखों में किए गए फर्जी इन्द्राजों के विरुद्ध कार्यवाही

35--श्री प्रभूनारायण सिंह--

विधान सभा के प्रथम सत्र 1983 के 1ले शुक्र के लिए निर्धारित प्रश्नकर्त्ता द्वारा पूछे गये ता0 प्र0 सं0 10 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नगत मामलों में अब तक क्या कार्यवाही की गई ? क्या यह सत्य है कि अब तक न तो कोई अनियमितता दूर की गई और न किसी भ्रष्ट कर्मचारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही ही की गयी ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री बलदेव सिंह आर्य--

ग्राम बीबनमऊ के फर्जी इन्द्राजों को परगनाधिकारी के आदेश दिनांक 21 दिसम्बर, 1983 द्वारा निरस्त किया जा चुका है ।

फर्जी इन्द्राज के सम्बन्ध में श्री मो0 इसराईल, रेगुलर लेखपाल को निलम्बित किया गया था परन्तु आरोप सिद्ध न होने पर प्रतिकूल प्रविष्टि देकर बहाल कर दिया गया है । अब इसी सम्बन्ध में श्री रमाशंकर रेगुलर लेखपाल के विरुद्ध जांच कार्यवाही चल रही है ।

ग्राम इजरी के दाखिलशुदा अभिलेख राजस्व अभिलेखागार से गायब होने के सम्बन्ध में प्रभारी अधिकारी, राजस्व अभिलेखागार को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया है । जांच पूर्ण हो जाने पर दोषी पाये गये कर्मचारी के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी ।

ग्राम इजरी की जिल्द बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी कार्यालय के तत्कालीन पेशी कानूनगो श्री पुरुषोत्तम सिंह के चार्ज से गायब हुई थी, जिनकी शिनाख्त दिनांक 9-8-1983 को समाप्त की जा चुकी है । इस सम्बन्ध में सम्बन्धित थाने में एक प्रथम सूचना रिपोर्ट भी दिनांक 23-4-83 को दर्ज करायी गयी है ।

बाजपुर, जिला नैनीताल की सहकारी चीनी मिल को लाभ, कृषकों को दिया गया गन्ने का क्रय मूल्य

36--श्री जसवन्त सिंह विष्ट--

क्या गन्ना विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बाजपुर, जिला नैनीताल की सहकारी चीनी मिल को 1980-81 में कितना शुद्ध लाभ हुआ है और कितना धन किसानों का हिस्सा पूंजी में मुनाफे का वितरण किया गया है तथा किसानों को क्या मूल्य दिया गया है तथा वर्ष 1981-82 में गन्ने का क्रय मूल्य किसानों को क्या दिया गया तथा कितना लाभ या घाटा हुआ है और यदि घाटा हुआ है तो क्या दोषी अधिकारियों को कोई दंड दिया गया है ?

श्री सुरेन्द्र पाल सिंह--

बाजपुर सहकारी चीनी मिल के वर्ष 1980-81 तथा 1981-82 के लेखों का अभी सम्परीक्षण पूरा नहीं हुआ है । अतः उक्त वर्षों में हुए लाभ अथवा हानि के आंकड़ों का ज्ञान नहीं हो पाया । इस स्थिति में लाभ के बंटवारे अथवा हानि के लिए दोषी अधिकारियों को दण्डित करने का प्रश्न नहीं उठता ।

वर्ष 1980-81 में कुल रुपया 7,92,04,799·96 तथा वर्ष 1981-82 में कुल रुपया 9,26,22,452·10 का भुगतान गन्ना मूल्य के रूप में किया गया ।

सहायक आयुक्त बिक्री-कर कार्यालय, लखनऊ में सहायकों का कार्यकाल व स्थानान्तरण

37--श्री राम आसरे वर्मा--

क्या वित्त मंत्री को जानकारी है कि सहायक आयुक्त (शा0) बिक्री-कर

कार्यालय, लखनऊ में अधिकांश सहायक 5 वर्ष की अवधि से अधिक समय से कार्यरत हैं ? यदि हां, तो इनका स्थानान्तरण न किये जाने का क्या कारण है ? क्या मंत्री जी इनका स्थानान्तरण अविलम्ब करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रह्म दत्त—

जी नहीं, केवल तीन सहायक 5 वर्ष से अधिक अवधि से कार्यरत थे, जिन्हें स्थानान्तरित कर दिया गया है ।

38—श्री दिवाकर विक्रम सिंह—

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त ।]

आगरा जिले में फिरोजाबाद को पृथक् जिला बनाने की मांग

39—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि आगरा जिले में फिरोजाबाद को एक पृथक जिला बनाना शासन के विचाराधीन है तथा वर्ष 1976 में शासन द्वारा नियुक्त जिला पुनर्गठन समिति ने फिरोजाबाद को पृथक जिला बनाने की संस्तुति की थी ? यदि हां, तो जिला कब तक बना दिया जायेगा ?

श्री बलदेव सिंह आर्य—

जिला पुनर्गठन समिति ने फिरोजाबाद को जिला बनाने की संस्तुति की थी परन्तु प्रदेश के वित्तीय संसाधनों को दृष्टिगत रखते हुए फिरोजाबाद को संप्रति जिला बनाया जाना सम्भव नहीं है ।

खड्डा चीनी मिल, जनपद देवरिया में व्यापक घोटाले, भ्रष्टाचार की जांच

40—श्री रियासत हुसैन—

क्या गन्ना विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री राजनारायण नेता, जनता पार्टी का दिनांक 12 मई, 1983 को खड्डा चीनी मिल, जनपद देवरिया में व्यापक घोटाले तथा भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में 50 मुद्दों पर सी० आई० डी० द्वारा जांच कराए जाने विषयक पत्र उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उन भ्रष्टाचार और घोटाले सम्बन्धी आरोपों पर जांच कराए जाने के संबंध में क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुरेन्द्र पाल सिंह—

जी हां ।

शिकायतों की जांच उ० प्र० राज्य चीनी निगम द्वारा कराई जा रही है । जांच आख्या प्राप्त होने पर यथोचित कार्यवाही करने पर विचार किया जायेगा ।

ग्राम जोकहरा में हरिजनों के लिए छूटी भूमि पर अनधिकृत कब्जे के विरुद्ध कार्यवाही

41—श्री पंचानन राय—

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि हरिजनों के लिए छूटी भूमि पर अनधिकृत कब्जा किए जाने से संबन्धित ग्राम जोकहरा, तहसील सगड़ी, जनपद आजमगढ़ के हरिजनों का पत्र प्रश्नकर्त्ता के पत्र दिनांक 30-4-83 के साथ परगनाधिकारी, सगड़ी आजमगढ़ को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री बलदेव सिंह आर्य—

जिलाधिकारी आजमगढ़ ने सूचित किया है कि प्रश्न में उल्लिखित पत्र दिनांक 30-4-1983 तथा संलग्नक परगनाधिकारी, सगड़ी, आजमगढ़ को नहीं प्राप्त हुआ है ।

ग्राम जोकहरा में हरिजनों के लिए छूटी भूमि पर कुल 30 व्यक्तियों का अनधिकृत कब्जा पाया गया और उनके विरुद्ध बेदखली का मुकदमा कायम कर दिया गया है ।

आजमगढ़ जिले में स्थित ग्राम में अग्निकांड से क्षति तथा गृह अनुदान का वितरण

42–श्री पंचानन राय––

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जिले की सगड़ी तहसील में स्थित ग्राम आराजी अजगरा मगरवी का घुसवा टोला (माधो का पुरा) दिनांक 27–3–83 को पूर्ण रूपेण जल कर राख हो गया तथा इस सम्बन्ध में प्रश्नकर्त्ता का पत्र दिनांक 6 अप्रैल, 1983 मुख्य मंत्री को प्राप्त हुआ ह ? यदि हां, तो इस अग्निकांड में कुल कितनी क्षति हुई है तथा इसके पीड़ितों को क्या राहत पहुंचाई गई है ?

श्री बल्देव सिंह आर्य––

जी हां ।

इस अग्निकांड से कुल अनुमानित क्षति 1,10,800 रुपए (एक लाख दस हजार आठ सौ रुपये) की हुई है तथा अग्निकांड से कुल प्रभावित सात परिवारों को 200 रु0 प्रति परिवार की दर से कुल 1400 रु0 गृह अनुदान के रूप में वितरित किए गए।

श्री सत्य नारायन ग्राम गड़ेरुवा (कर्मिणी), जनपद आजमगढ़ का मकान जलने से सम्बन्धित पत्र

43–श्री पंचानन राय––

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री सत्य नारायण ग्राम कर्मिणी, तहसील, सगड़ी, जनपद आजमगढ़ का मकान 5–4–83 को जल जाने से सम्बन्धित प्रार्थना–पत्र प्रश्नकर्त्ता के पत्र दिनांक 16–4–83 के साथ मुख्य मंत्री को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री बल्देव सिंह आर्य––

श्री सत्यनारायन, ग्राम गड़ेरुवा (कर्मिणी), तहसील सगड़ी, जनपद आजमगढ़ का मकान 5–4–83 को जल जाने से सम्बन्धित प्रार्थना–पत्र एवम् माननीय प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 16–4–83 का प्राप्त होना नही पाया जाता । इस सम्बन्ध में तहसीलदार सगड़ी द्वारा जांच कराई गई । जांच के अनुसार ग्राम गड़ेरुवा (कर्मिणी), तहसील सगड़ी, जनपद आजमगढ़ में दिनांक 5–4–83 को अचानक आग लगी, जिसकी सूचना क्षेत्रीय लेखपाल श्री हरिहर प्रसाद द्विवेदी द्वारा दिनांक 11–4–83 को दी गई । क्षेत्रीय कानूनगो द्वारा उक्त अग्निकाण्ड की जांच दिनांक 12–4–83 को कराई गई । उक्त अग्निकाण्ड के फलस्वरूप श्री सिरपत पुत्र क्षत्रधारी व श्री लक्ष्मी व सत्यनरायन पुत्र जगपत के मकान तथा उसमें रखे सामानों का नुकसान हुआ है । क्षति का अनुमानित मूल्यांकन क्रमशः 1,460 व 1 175 रुपये कुल क्षति 2,635 रुपये है । उक्त अग्निकाण्ड में कुल दो परिवार प्रभावित हुए हैं, किन्तु किसी प्रकार की जीवन हानि नहीं हुई हैं । प्रत्येक प्रभावित परिवार को 50 रुपये की अहेतुक सहायता दिनांक 23 अप्रैल, 1983 को वितरित की गई है । श्री लक्ष्मी व श्री सत्यनरायन का संयुक्त परिवार है तथा श्री सत्यनरायन बिल्ली में काम करते तथा वहीं रहते हैं जिसके कारण स्थल पर गृहस्वामी श्री लक्ष्मी को उक्त अहेतुक सहायता प्रदान की गई है ।

जनपद हरदोई की तहसील बिलग्राम के गांवों में चकबन्दी बन्दोबस्त का कार्य

44–श्री राम आसरे वर्मा––

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि हरदोई की तहसील बिलग्राम के किन–किन गांवों में चकबन्दी बन्दोबस्त का कार्य चल रहा है ? तथा उसे कब तक पूरा करा दिया जायगा ?

श्री बल्देव सिंह आर्य––

जनपद हरदोई की तहसील बिलग्राम में पुराने लाट के 2 ग्रामों क्रमशः नूर–

पुर हुधोड़ा व सत्रेड़ा में चकों के कब्जा परिवर्तन का कार्य हो गया है तथा जिल्द बंदोबस्त बनने का कार्य चल रहा है । इन ग्रामों का बंदोबस्त मार्च, 1985 तक पूरा होने की संभावना है ।

जनपद हरदोई के ग्राम सभा रहुला में ग्राम सभा की भूमि पर अनधिकृत कब्जे दारों से लिया गया कथित जुर्माना

45--श्री राम अंसरे वर्मा--

क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जनपद हरदोई के ब्लाक बिलग्राम के ग्राम सभा रहुला में ग्राम सभा की भूमि पर अनधिकृत कब्जा करने वालों पर वर्ष 1975 व 1976 में जो परगनाधिकारी बिलग्राम द्वारा जुर्माने किये थे उनकी वसूली की गई है ? यदि हां, तो कब तक वसूली करने के पश्चात् क्या जुर्माने की धनराशि ग्राम सभा को स्थानान्तरित कर दी गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलदेव सिंह आर्य--

1965 व 1976 में कोई जुर्माने नहीं किए गए । शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

उत्तर प्रदेश सचिवालय के वित्त विभाग के कर्मचारियों द्वारा दिया गया भवन निर्माण अग्रिम हेतु प्रार्थना-पत्र को स्वीकार न किये जाने का आधार

46--श्री राम अंसरे वर्मा--

विधान सभा में दिनांक 2 सितम्बर, 1983 के अता0 प्र0 संख्या 62 के उत्तर के संदर्भ में क्या वित्त मन्त्री कृपया बतायेंगे कि जिन कर्मचारियों ने समस्त औपचारिकतायें पूर्ण कर दी थीं, उनको भवन निर्माण अग्रिम स्वीकार न किये जाने का आधार क्या था ? शिथिलीकरण करके अग्रिम किनको स्वीकार हुआ था वह कौन-कौन सी शर्तें थीं और जिन व्यक्तियों को दिया गया उनके नाम क्या हैं ?

श्री ब्रह्म दत्त--

जिन कर्मचारियों ने समस्त औपचारिकतायें पूर्ण कर दी थीं, उनको भवन निर्माण अग्रिम सक्षम स्वीकार न किये जाने का आधार निर्धारित प्राथमिकताओं के अन्तर्गत पात्र न होना अथवा निर्धारित प्राथमिकताओं से छूट प्रदान किये जाने का औचित्य न पाया जाना था ।

निर्धारित प्राथमिकताओं से छूट दिय जाने हेतु कोई शर्तें निर्धारित नहीं थीं । प्रत्येक मामले में गुणावगुण के आधार पर छूट का पर्याप्त औचित्य पाये जाने पर अग्रिम स्वीकृत किया गया था ।

जिन कर्मचारियों ने जनवरी, 1980 से दिसम्बर, 1982 की अवधि में भवन निर्माण अग्रिम हेतु आवेदन-पत्र दिये थे उनमें से प्राथमिकताओं को शिथिल करके निम्न कर्मचारियों को अग्रिम स्वीकृत किये गये हैं :--

(1) श्री राम नरेश त्रिपाठी, स्थानापन्न प्रवर वर्ग सहायक ।

(2) श्री नवाब सिंह, स्थानापन्न प्रवर वर्ग सहायक ।

(3) श्री हरी राम सिंह, स्थानापन्न प्रवर वर्ग सहायक ।

(4) श्री लाला, चपरासी ।

(5) श्री चन्द्रेश सिंह, स्थानापन्न प्रवर वर्ग सहायक ।

(6) श्री सूर्य नारायण सिंह, स्थानापन्न प्रवर वर्ग सहायक ।

47--श्री मोहम्मद अबरार अहमद--

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त ।]

जनपद बदायूं के बिक्री-कर कार्यालय के तृतीय श्रेणी के कर्मचारी, श्री हसीब मियां, श्री महेन्द्र पाल सिंह तथा श्री सोहन पाल सिंह के विरुद्ध प्राप्त शिकायतों की जांच

48--श्री मोहम्मद अबरार अहमद--

क्या वित्त मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बदायूं के बिक्रीकर कार्यालय के तृतीय श्रेणी के 3 कर्मचारी श्री हसीब मियां, महेन्द्र पाल सिंह तथा श्री सोहन पाल सिंह के विरुद्ध प्राप्त शिकायतों की जांच वर्ष 1981 एवं 1982 में प्रारम्भ हुई थी ? यदि हां, तो क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जांच अधिकारी कौन था और इन कर्मचारियों के विरुद्ध शिकायतों की जांच मुख्यालय स्तर के किसी अधिकारी को न सौंपने के क्या कारण थे एवं जांच के फलस्वरूप कर्मचारी दोषी पाये गये हैं ? यदि हां, तो दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रह्म दत्त--

जी हां। सर्वश्री हसीब मियां व महेन्द्र पाल सिंह के जांच अधिकारी बिक्रीकर अधिकारी (ए), बरेली तथा श्री सोहन पाल सिंह के जांच अधिकारी, बिक्रीकर अधिकारी (ए), बदायूं नियुक्त किये गये थे। चूंकि तृतीय श्रेणी कर्मचारी के नियुक्ति अधिकारी सहायक आयुक्त (कार्यपालक) हैं, उनके द्वारा बिक्रीकर अधिकारी (ए), बरेली तथा बदायूं को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया था, अतः मुख्यालय स्तर के अधिकारी को जांच सौंपना आवश्यक नहीं था।

श्री हसीब मियां के सम्बन्ध में अभी जांच पूर्ण नहीं हुई है। जांच के पश्चात् श्री महेन्द्र पाल सिंह की तीन वार्षिक वेतन वृद्धियां सदैव के लिये रोक दी गई हैं, सत्यनिष्ठा भी संदिग्ध करते हुए उन्हें जन-सम्पर्क पटल से हटा दिया गया है। श्री सोहन पाल सिंह की एक वार्षिक वेतन वृद्धि स्थायी रूप से रोक दी गई तथा वर्ष 1982-83 की चरित्र-पंजिका में प्रतिकूल प्रविष्टि अंकित कर दी गई हैं।

बिक्रीकर कार्यालय, जनपद बदायूं में तृतीय श्रेणी के कर्मचारियों का कार्यकाल एवं दोषी कर्मचारियों का अन्य जनपदों में स्थानान्तरण

49--श्री मोहम्मद अबरार अहमद--

क्या वित्त मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि बिक्रीकर कार्यालय जनपद बदायूं में कौन-कौन से तृतीय श्रेणी के कर्मचारी ऐसे हैं, जो विगत 5 वर्ष एवं 10 वर्ष से कार्यरत हैं ? क्या सरकार यह भी बताने की कृपा करेंगी कि इन दोनों केटेगरी के कर्मचारियों में से कौन-कौन से कर्मचारी ऐसे हैं, जो विभागीय अभिलेखों में हेराफेरी करने के मामलों में वर्ष 1976, 1981, 1982 एवं 1983 में दोषी पाये गये हैं ? क्या सरकार दोषी पाये गये कर्मचारियों को बदायूं जनपद से अन्य जनपदों में स्थानान्तरित करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रह्म दत्त--

बिक्रीकर कार्यालय, जनपद बदायूं में तृतीय श्रेणी के निम्नलिखित कर्मचारी विगत पांच एवं दस वर्ष से कार्यरत हैं :--

पांच वर्ष से कार्यरत

1--श्री सुशील कुमार सक्सेना।

2--श्री फल सिंह।

3--श्री आर० एस० शुक्ला।

4--श्री राम सेवक शर्मा।

5--श्री जय सिंह।

6—श्री राम पाल ।

7—श्री राम स्वरूप ।

8—श्री उमेश चन्द्र शर्मा ।

9—श्री सुरेन्द्र कुमार सक्सेना ।

10—श्री चन्द्र पाल ।

11—श्री शाहिद बक्स ।

12—श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा ।

13—श्री महेन्द्र पाल सिंह ।

14—श्री विजय कुमार सक्सेना ।

दस वर्ष से कार्यरत

1—श्री अजीजुल हसन ।

2—श्री हेतु राम ।

3—श्री आर० एस० अरोड़ा ।

उक्त दोनों श्रेणी के कर्मचारियों में से श्री महेन्द्र पाल सिंह लिपिक, वर्ष 1981 82 तथा 1983 में विभागीय अभिलेखों में हेरा-फेरी करने के लिए दोषी पाये गये । सक्षम अधिकारी द्वारा उन्हें दंडित करते हुये अन-सम्पर्क पटल से अन्य पटल पर हटा दिया गया है । आयुक्त बिक्रीकर द्वारा सम्बन्धित परि-क्षेत्रीय अधिकारी को निर्देशित कर दिया गया है कि श्री महेन्द्र पाल सिंह को बरेली परिक्षेत्र में किसी अन्य मंडल में स्थानान्तरित कर दें ।

50—श्री मोहम्मद अबरार अहमद—

[दिनांक 17-2-84 को अतारांकित प्रश्न संख्या 75 द्वारा उत्तरित]

51—श्री रियासत हुसैन—

[स्पष्टीकरण के अभाव में निरस्त]

जनपद चमोली में घाट, देवाल, रुद्र प्रयाग तथा अगस्तमुनि में उपकोषागार खोलने की मांग

52—श्री कुंवर सिंह नेगी—

विधान सभा के प्रथम सत्र 83 के 3रे शब्द के लिए निर्धारित अता० प्र० सं० 17 के उत्तर के संदर्भ में क्या वित्त मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नगत स्थानों पर उप-कोषागार खोलने हेतु कब तक निर्णय हो जायेगा ? निर्णय में विलम्ब का क्या कारण है ?

श्री ब्रह्म दत्त—

जनपद चमोली में घाट, देवाल, रुद्रप्रयाग तथा अगस्तमुनि में से केवल रुद्रप्रयाग में उपकोषागार खोलने का औचित्य पाया गया है और उसके सम्बन्ध में औपचारिक अग्रिम कार्यवाही की जा रही है ।

मामले में गुणा वगुण के आधार पर विचार करने हेतु सूचनायें एकत्र करने में समय लगा है ।

53—श्री कुंवर सिंह नेगी—

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

जनपद नैनीताल के मुख्यालय को हल्द्वानी स्थानान्तरित करने का कथित विचार

54—कुंवर सिंह नेगी—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि जनपद नैनीताल के मुख्यालय को नैनीताल स्थानान्तरित करने का मामला राजस्व परिषद् के विचाराधीन है ? यदि हां, तो इसका क्या औचित्य है ?

श्री बलदेव सिंह आर्य—

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद सीतापुर के कृषकों का बिसवां, हरगांव, महोली तथा हरदोई पर बकाया गन्ना का मूल्य

55—श्री हरगोविन्द वर्मा—

क्या गन्ना विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि 27 अक्तूबर, 1983 को

3 बजे प्राक्कलन समिति की बैठक में जो जनपद सीतापुर के कलेक्टर के कार्यालय में हुई, जिला गन्ना अधिकारी ने बताया कि सीतापुर में गन्ने का बकाया केवल 10 लाख रुपया है ? क्या यह सत्य है कि अभी सीतापुर जनपद में गन्ने का बकाया लगभग 1 करोड़ से ज्यादा है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार 27 अक्तूबर, 1983 तक बिसवां, हरिगांव, महोली और हरदोई के मिलों पर कितना बकाया किसान का है और उसी के आधार पर किसानों को मय ब्याज के बकाया अदा करेगी ?

श्री सुरेन्द्र पाल सिंह—

प्राप्त सूचना के अनुसार जिला गन्ना अधिकारी, सीतापुर ने यह सूचना दी थी कि जनपद सीतापुर के कृषकों का बिसवां, हरगांव, महोली तथा हरदोई चीनी मिलों पर सत्र 1982-83 का लगभग 120 लाख रु0 गन्ना मूल्य का बकाया है उसमें से 110 लाख रु0 शासन से आर्थिक सहायता प्राप्त हो जाने पर अवशेष गन्ना मूल्य लगभग 10 लाख रु0 रह जायेगा ।

बिसवां, हरगांव, महोली तथा हरदोई चीनी मिलों पर सत्र 1982-83 के देय गन्ना मूल्य तथा अवशेष का विवरण निम्न प्रकार है :

चीनी मिल का नाम	देय गन्ना मूल्य (लाख रु0 में)	अवशेष	
		27-10-83	31-1-84
बिसवां	417.25	26.90	शून्य
हरगांव	1,029.93	29.23	0.91
महोली	404.57	74.01	शून्य
हरदोई	293.62	2.44	शून्य
योग ..	2,145.37	122.58	0.91

प्रश्न का शेष भाग नहीं उठता ।

जनपद बदायूं के बिक्रीकर कार्यालय में विभागीय अभिलेखों में हेराफेरी करने सम्बन्धी शिकायती पत्र की जांच

56—श्री मोहम्मद अबरार अहमद—

क्या वित्त मंत्री बतने की कृपा करेंगे कि जनपद बदायूं के बिक्रीकर कार्यालय में विभागीय अभिलेखों में हेरा-फेरी करने सम्बन्धी शिकायती-पत्र श्री अफजाल हुसैन अंसारी प्रेसीडेंट यूथ मोमिन कांफेन्स (सिटी) मोहल्ला कबूलपुरा बदायूं का माननीय वित्त मंत्री को (आपको) दिनांक 8-1-83 एवं दिनांक 6-9-83 को सांसद मोहम्मद असरार अहमद ने भेजा है ? यदि हां, तो 8 बेजीय शिकायती पत्र में सरकार द्वारा कौन जांच अधिकारी नियुक्त किया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार यह भी बताने की कृपा करेगी कि शिकायती पत्र में जनपद बदायूं के बिक्रीकर कार्यालय के कौन-कौन अधिकारी कर्मचारी दोषी पाये गये हैं ? दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध सरकार कोई कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रह्म दत्त—

जी हां । अपर आयुक्त बिक्रीकर, उ0 प्र0, लखनऊ को जांच अधिकारी

नियुक्त किया गया है तथा जांच अभी लंबित है। जांच के बाद ही यह पता लगने पर कि कौन अधिकारी/कर्मचारी दोषी हैं, उनके विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

कोयला व्यापारियों को पंजीयन जारी करने के सम्बन्ध में श्री राधेश्याम अरोरा के विरुद्ध कार्यवाही

57—श्री मोहम्मद अबरार अहमद—

क्या वित्त मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बदायूं के बिक्री कर कार्यालय से बाहर प्रान्त से कोयला आयात के लिये फर्मों को पंजीयन जारी किये गये हैं (1) मेसर्स शांति कोल एजेन्सी, उझानी-बी0 डी0—2570, (2) मेसर्स गर्ग ब्रदर्स कोयला, उझानी-बी0 डी0-2597, (3) मेसर्स भवन कोल एजेन्सी, उझानी-बी0 डी0—2605, (4) मेसर्स पी0 बी0 इन्टरप्राइजेज, उझानी-बी0 डी0-2610 क ? यदि हां, तो क्या सही है कि इन फर्मों को पंजीयन प्रमाण-पत्र राधेश्याम अरोरा, तत्कालीन आ0 प्रा0 की रिपोर्ट पर जारी किये गये हैं ? क्या सरकार यह भी बताने का कष्ट करेगी कि जनपद बदायूं में कोयला व्यापारियों के विरुद्ध पहले ही से पंजीयन जारी करने के सम्बन्ध में अधिकारियों के विरुद्ध उच्च स्तरीय जांच चल रही है ? यदि हां, तो पुनः कोयला व्यापारियों को पंजीयन जारी कराने के सम्बन्ध में राधेश्याम अरोरा के विरुद्ध कोई कार्यवाही की जावेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रह्म दत्त—

जी हां।

जी नहीं। पंजीयन प्रमाण-पत्र स्वीकार किए जाने के विषय में श्री राधेश्याम अरोरा की कोई रिपोर्ट उपलब्ध नहीं थी श्री अरोरा केवल पंजीयन प्रमाण-पत्र फार्म-15 भरते थे जो अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित हैं। शासन को अधिकारियों के विरुद्ध उच्च स्तरीय जांच की कोई सूचना नहीं है। कोयला व्यापारियों के पंजीयन के मामले में श्री राधेश्याम अरोरा द्वारा अनियमितता किए जाने का कोई मामला प्रकाश में लाया जाए तो उनके विरुद्ध कार्यवाही की जा सकती है।

ग्राम नया गांव मुबारकपुर, जनपद हरदोई में चकबन्दी में छोड़ी गयी भूमि पर नाजायज कब्जेदारों के विरुद्ध कार्यवाही

58—श्री रामआसरे वर्मा—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम नयागांव मुबारकपुर तहसील हरदोई, जनपद हरदोई में चकबन्दी में छोड़ी गयी बंजर भूमि पानी की नाली की भूमि तथा चक रोडों के लिए छोड़ी गयी भूमि पर नाजायज कब्जा किया जा रहा है, जिससे वहां के निवासियों में रोष उत्पन्न हो गया है ? यदि हां, तो शासन उक्त भूमि में नाजायज कब्जादारों के विरुद्ध क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री बलदेव सिंह आर्य—

जनपद व तहसील हरदोई में स्थित ग्राम नयागांव मुबारकपुर में चकबन्दी के उपरान्त छोड़ी गयी बंजर भूमि, पानी की नाली की भूमि तथा चकरोडों की भूमि पर नाजायज कब्जा किए जाने सम्बन्धी 38 मामले प्रकाश में आये। इन सभी मामलों में सम्बन्धित व्यक्तियों के विरुद्ध उ0 प्र0 जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम की धारा 122 (ख) के अन्तर्गत बेदखली की कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गयी है।

जिला गन्ना अधिकारी, सीतापुर में सामयिक लिपिकों/भुगतान लिपिकों की नियुक्ति हेतु साक्षात्कार

59—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग मंत्री कृपया बतायेंगे कि जिला गन्ना

अधिकारी कार्यालय सीतापुर में दिनांक 2-11-83 को सामयिक लिपिकों/ सामयिक मुगतन लिपिकों की नियुक्ति हेतु जो साक्षात्कार होना था उसे क्यों स्थगित कर दिया गया ? स्थगन की सूचना नोटिस बोर्ड पर कब लगाई गयी ? पूर्व सूचना पाकर भी जो भारी संख्या में अभ्यर्थी जिला गन्ना अधिकारी कार्यालय पर आ गये तथा नोटिस बोर्ड पर स्थगन की सूचना पाकर वापस गये उनके आने-जाने में हुए मार्ग व्यय क्षतिपूर्ति दी गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ? अगला साक्षात्कार कब होगा ?

श्री सुरेन्द्र पाल सिंह--

जिला गन्ना अधिकारी सीतापुर के कार्यालय में सामयिक लिपिकों/भुगतान लिपिकों की नियुक्ति हेतु जो परीक्षा एवं साक्षात्कार दिनांक 2-11-83 को होना था उसे इस कारण से स्थगित करना पड़ा कि 200 अभ्यर्थियों के स्थान पर 326 अभ्यर्थियों की परीक्षा व्यवस्था करना तत्काल सम्भव नहीं था । स्थगन की सूचना आवेदन-पत्र जमा करने की अन्तिम तिथि 1-11-83 को ही नोटिस बोर्ड पर प्रातः 11 बजे लगा दी गयी थी ।

आवेदन-पत्र जमा करने की अन्तिम तिथि पर ही प्रातः काल नोटिस बोर्ड पर सूचना लगा देने के उपरान्त भारी संख्या में अभ्यर्थियों के जिला गन्ना अधिकारी कार्यालय पर आने का कोई कारण नहीं था तथा मार्ग व्यय क्षति-पूर्ति देने का नियमों में कोई प्राविधान नही है । परीक्षा हेतु अगली तिथि दिनांक 1-1-84 निश्चित की गयी तथा सफल अभ्यर्थियों का साक्षात्कार दिनांक 6-1-84 को सम्पन्न हुआ ।

तहसील पुनर्गठन समिति का प्रतिवेदन तथा परीक्षण

60--श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

विधान सभा के द्वितीय सत्र 84 के 3रे शुक्र के लिए निर्धारित प्रश्नकर्ता के अता0 प्र0 सं0 15 के उत्तर के सम्बन्ध में क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि तहसीलों का सृजन एवं पुनर्गठन करने हेतु गठित समिति का प्रतिवेदन शासन को कब प्राप्त हुआ ? परीक्षण करके निर्णय कब तक हो जायगा ? समग्र परीक्षण किस स्टेज पर हो रही है ?

श्री बल्देव सिंह आर्य--

तहसील पुनर्गठन समिति का प्रतिवेदन शासन को 4 अगस्त, 1983 को प्राप्त हुआ ।

प्रतिवेदन पर विचारोपरान्त प्रदेश में सम्प्रति 5 नयी तहसीलें हरिद्वार (सहारनपुर) पटियाली (एटा) गौरागंज (सुल्तानपुर) तिलोई एवं लालगंज (रायबरेली) में स्थापित करने का निर्णय लिया गया है । शेष प्रस्तावों पर यथास्थिति विचार अष्टम वित्त आयोग से वित्तीय सहायता प्राप्त होने पर किया जायगा ।

सहायक आयुक्त (शासकीय) सीतापुर क्षेत्र, सीतापुर के कार्यालय में लिपिकों के चयन हेतु टंकण को रद्द की गयी परीक्षा

61--श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

क्या वित्त मंत्री कृपया बतायेंगे कि सहायक आयुक्त बिक्रीकर (शासकीय) सीतापुर क्षेत्र, सीतापुर के कार्यालय के लिपिकों के चयन हेतु टंकण की जो परीक्षा फरवरी, 83 में हुई उसका परिणाम कब घोषित किया गया ? क्या यह सही है कि घोषित सूची के अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए 3 बार बुलाने के बाद भी चयन न करके पूर्ण परीक्षा ही रद्द कर दी गयी ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री बल्देव सिंह आर्य--

सहायक आयुक्त (शासकीय) सीतापुर क्षेत्र, सीतापुर के कार्यालय में लिपिकों के चयन हेतु टंकण की जो परीक्षा फरवरी, 1983 में हुई थी उसका परिणाम घोषित नहीं किया गया ।

उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को साक्षात्कार हेतु 22 से 24 जून, 83 तथा 13 से 15 जुलाई, 83 को बुलाया गया था किन्तु यह तथ्य प्रकाश में आने पर कि परीक्षा में अभ्यर्थियों द्वारा प्रतिरूपण (इम्परसोनेशन) किया गया, सम्पूर्ण परीक्षा रद्द करनी पड़ी ।

जनपद हरदोई की तहसील बिलग्राम में ग्राम सभा की भूमि पर अनधिकृत कब्जे के कारण किये गये जुर्मानों की धनराशि

62--श्री राम आसरे वर्मा--

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद हरदोई की तहसील बिलग्राम में 31-10-83 को ग्राम सभा की भूमि पर अनधिकृत कब्जे के कारण किये गये जुर्माने की कितनी धनराशि किन-किन ग्राम सभाओं की जमा है उसे ग्राम सभाओं को हस्तान्तरित न किये जाने के क्या कारण हैं तथा हस्तान्तरण कब तक करा दिया जायेगा ?

श्री बलदेव सिंह आर्य--

जनपद हरदोई की तहसील बिलग्राम में दिनांक 31-10-1983 तक ग्राम सभा की भूमि पर अनधिकृत कब्जे के कारण किये गये जुर्माना की कुल धनराशि 22,952.05 है । इस धनराशि में से रु0 4,268.00 की वसूलयाबी 13 गांव सभाओं से कर ली गई । (सूची संलग्न) 18,684.05 की धनराशि वसूली हेतु अवशेष है । नव निर्वाचित प्रधानों के डाकघर से अकाउन्ट परिवर्तित होने में देरी होने के कारण यह धनराशि गांव सभाओं को हस्तांतरित नहीं की जा सकी । अब यह कार्यवाही 31-3-1984 तक पूर्ण हो जाने की सम्भावना है

(देखिए परिशिष्ट 'ख' आगे पृष्ठ 147 पर ।)

ग्राम सभा रहुला की भूमि पर अनधिकृत कब्जे के फलस्वरूप जुर्माने की कथित धनराशि

63--श्री राम आसरे वर्मा--

क्या राजस्व मंत्री को यह भी जानकारी है कि वर्ष 1975-76 में उक्त तहसील के ग्राम रहुला से सम्बन्धित इसी तरह की जुर्माने की धनराशि तहसील में जमा है ? यदि हां, तो इस धनराशि को कब तक ग्राम सभा के सुपुर्द कर दिया जायगा ?

श्री बलदेव सिंह आर्य--

तहसील बिलग्राम के ग्राम सभा रहुला की भूमि पर अनधिकृत कब्जे के फलस्वरूप 1975-76 में किये गये जुर्माने की कोई धनराशि तहसील स्तर पर जमा नहीं है । शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद जौनपुर के अन्तर्गत गांव सभा गौरा की भूमि पर अनधिकृत कब्जे हटाने की कार्यवाही

64--श्री प्रभूनारायण सिंह--

क्या राजस्व मंत्री को जानकारी है कि जनपद जौनपुर के विकास क्षेत्र धर्मापुर गांव के अन्तर्गत गांव सभा गौरा की भूमि पर कुछ प्रभावशाली व्यक्तियों ने अनधिकृत कब्जा कर रखा है ? क्या यह सत्य है कि गांव के उत्थान हेतु सिद्धान्त में सुरक्षित की गई भूमि पर भी अनधिकृत कब्जा है ? यदि हां, तो क्या सरकार शीघ्र गत ग्राम की भूमि पर किए गए अनधिकृत कब्जों को खाली करायेगी ?

श्री बलदेव सिंह आर्य--

जी हां ।

जनपद जौनपुर के विकास खंड, धर्मापुर के अन्तर्गत ग्राम सभा गौरा की आराजी संख्या-124/0,75 के 0.3 एकड़ तथा आराजी संख्या-122/658/

0.79 एकड़ के, 0.10 एकड़ क्षेत्रफल पर क्रमशः राजेन्द्र पुत्र शम्भू तथा श्री क्षमानन्द पुत्र हवलदार, निवासी ग्राम गौरा ने अनधिकृत रूप से मकान का निर्माण करा लिया है। आराजी संख्या 124/.75 अस्पताल के लिए सुरक्षित भूमि है तथा आराजी संख्या 122/268 रकबा .79 ए0 ऊसर दर्ज है।

अनधिकृत कब्जा हटाने हेतु नियमानुसार बेदखली की कार्यवाही तहसीलदार, जौनपुर के न्यायालय में विचाराधीन है।

ग्राम रसूलपुर, जिला सुल्तानपुर में गाटा संख्या 1152, ग्राम समाज की सम्पत्ति पर अनधिकृत कब्जेदारों के विरुद्ध कार्यवाही

65--श्री राम गोविन्द--

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम रसूलपुर, परगना जगदीशपुर, तहसील मुसाफिरखाना, जिला सुल्तानपुर में स्थित गाटा संख्या 1152 ग्राम समाज की सम्पत्ति है, जिस पर कुछ लोगों द्वारा 1974 से नाजायज कब्जा करके खेती की जाती है? यदि हां, तो नाजायज कब्जेदारों के विरुद्ध आज तक कोई कार्यवाही न किये जाने का क्या कारण है? क्या सरकार इस मामले की जांच करवाकर दोषी पाये गये व्यक्तियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही करेगी? यदि हां, तो क्या? यदि नहीं तो क्यों?

श्री बल्देव सिंह आर्य--

जी हां।

गाटा संख्या 1152 का सम्पूर्ण क्षेत्रफल 2 बीघा 5 विस्वा 19 धूर है। गाटा संख्या 1152/1 क्षेत्रफल 2 बिस्वा पर श्री गुलाम मोहम्द पुत्र श्री दोस्त मुहम्मद अनधिकृत रूप से अध्यासन कर खेती कर रहे हैं तथा गाटा संख्या 1152/3 क्षेत्र 6 बिस्वा पर श्रीमती गुमानी स्त्री श्री उसमान व श्री रज्जब पुत्र भिखई का कब्जा व दखल है। उक्त अनधिकृत रूप से काबिज व्यक्तियों के विरुद्ध जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम की धारा 122 बी के अन्तर्गत कार्यवाही तहसीलदार मुसाफिरखाना के न्यायालय में दिनांक 13-1-84 से विचाराधीन है। वर्ष 1974 से कब्जा करने का कोई प्रमाण नहीं मिला। ग्राम अभिलेखों में अनधिकृत कब्जा 1391 फ0 में अंकित है।

श्री अब्दुल वाहिद खां द्वारा झूठा शपथ-पत्र दाखिल करने के सम्बन्ध में कार्यवाही

66--श्री राम गोविन्द--

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री फिरंगी प्रसाद विशारद, विधायक का पत्र दिनांक 23-4-83 जिसमें श्री अब्दुल वाहिद खां पुत्र श्री मुहम्मद मुस्तफा खां, निवासी ग्राम रसूलपुर, परगना जगदीशपुर, तहसील मुसाफिरखाना, जिला सुल्तानपुर द्वारा झूठा शपथ-पत्र दिनांक 31-12-82 वाद संख्या 249 धारा 5-ग जो च0 अधिनियम ग्राम रसूलपुर न्यायालय बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी मुसाफिरखाना, सुल्तानपुर में दाखिल करके अपनी भूमि बेचने की अनुमति प्राप्त कर ली है, जिलाधिकारी सुल्तानपुर को प्राप्त हुआ है। यदि हां, तो शपथकर्त्ता के झूठा शपथ-पत्र दाखिल करने के सम्बन्ध में कोई कार्यवाही की गयी? यदि हां, तो कब और क्या? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री बल्देव सिंह आर्य--

जी हां। शपथकर्ता श्री अब्दुल वाहिद खां पुत्र श्री मो0 मुस्तफा खां की मृत्यु दिनांक 6-12-83 को हो चुकी है, अतः उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की जा सकी।

जनपद गोरखपुर में अतिवृष्टि और बाढ़ से ध्वस्त मकानों की संख्या तथा गृह अनुदान

67—श्रीमती गौरी देवी—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि गोरखपुर जनपद में वर्ष 81-82, 82-83 में अतिवृष्टि और बाढ़ से कुल कितने मकान पूर्णतः और कितने आंशिक रूप से ध्वस्त हुए हैं। गोरखपुर जिले में उक्त सालों में अहेतुक सहायता, गृह अनुदान तथा तकावी मद में पृथक् पृथक् कितनी धनराशि मांगी गयी है तथा सरकार द्वारा उक्त मदों में कितना धन दिया गया ?

श्री बलदेव सिंह आर्य—

गोरखपुर जनपद में वर्ष 81-82 तथा 82-83 में अतिवृष्टि एवं बाढ़ से पूर्णतः एवं आंशिक रूप से ध्वस्त मकानों की संख्या निम्न प्रकार है :—

वर्ष	पूर्णतः ध्वस्त मकानों की संख्या	आंशिक रूप से ध्वस्त मकानों की संख्या	योग
81-82	13,101	20,099	33,200
82-83	1386	3,360	4,746

उक्त वर्षों में अहेतुक सहायता, गृह अनुदान तथा तकावी की मदों में मांग की गई धनराशि तथा शासन द्वारा स्वीकृत की गई धनराशि का विवरण निम्नांकित है :—

वर्ष	मद	मांग की गई धनराशि	शासन द्वारा उपलब्ध कराई गई धनराशि
		रु0	रु0
81-82	अहेतुक सहायता	89,00,000	74,50,000
	गृह अनुदान	70,00,000	67,50,000
	तकावी	..	5,56,300
82-83	अहेतुक सहायता	43,60,000	42,50,000
	गृह अनुदान	12,00,000	5,73,000
	तकावी	..	4,56,300

68—श्री रियासत हुसन—

[दिनांक 25-3-83 को अतारांकित प्रश्न संख्या 25 द्वारा उत्तरित।]

गाजीपुर जनपद को सूखे से क्षति तथा राहत कार्य

69—श्री राम नारायण सिंह (एडवोकेट)—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 83 में सम्पूर्ण गाजीपुर जनपद सूखा एवं बाढ़ की विभीषिका से बुरी तरह से प्रभावित रहा है। यदि हां, तो कृषि क्षति की रिपोर्ट जिला प्रशासन द्वारा क्या सरकार को भेजी गयी है ? इस जनपद के कृषकों को अब तक सरकार द्वारा कौन सी आर्थिक राहत प्रदान की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलदेव सिंह आर्य—

वर्ष 1983 में सम्पूर्ण गाजीपुर जनपद सूखा से प्रभावित था किन्तु बाढ़ से सम्पूर्ण जनपद प्रभावित नहीं था।

जी हां।

आपदा राहत कार्य हेतु शासन द्वारा जनपद गाजीपुर को 26·70 लाख रुपया आवंटित किया गया। जिलाधिकारी गाजीपुर की सूचनानुसार अब तक अहेतुक सहायता मद में 17·79 लाख रुपया,

अनुग्रह अनुदान मद में 16 हजार रुपया तथा आपदा तकावी मद से 50 हजार वितरित किया गया है ।

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना के अन्तर्गत प्रभावितों को राहत स्वरूप रोजगार सुलभ कराया गया ।

जिन क्षेत्रों में फसलों को 50 प्रतिशत से अधिक क्षति हुई, वहां कृषि देयों की वसूली तीन माह तक स्थगित कर दी गयी तथा जिन क्षेत्रों में 50 प्रतिशत से कम क्षति हुई, वहां की वसूली में उत्पीड़क कार्यवाही पर रोक लगा दी गयी ।

जनपद के 16,750 असहायों को नि:शुल्क खाद्यान्न वितरण की व्यवस्था की गयी ।

श्री शिव रतन शुक्ला, सेवा-निवृत्त तहसीलदार, जिला खीरी की पेन्शन के सम्बन्ध में मांगे गये कतिपय स्पष्टीकरण

70--श्री भीखा लाल--

क्या वित्त मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि महालेखाकार (तृतीय) पेंशन आडिट विभाग के कार्यालय के पत्र संख्या पे0 आर0 2/79, दिनांक 3-8-82 जिसके माध्यम से श्री शिव रतन लाल शुक्ला, सेवा-निवृत्त तहसीलदार, उप-कोषागार, निघासन, जिला खीरी की पेंशन के सम्बन्ध में कुछ स्पष्टीकरण मांगे गये हैं, उनको प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त स्पष्टीकरण न भेजने का क्या कारण है और श्री शुक्ला की पेंशन का मामला कब तक तय कर दिया जायेगा ?

श्री ब्रह्म दत्त--

श्री शिव रतन लाल शुक्ला से सम्बन्धित एवं प्रश्न में उल्लिखित संख्या एवं दिनांक का कोई पत्र शासन में नहीं प्राप्त हुआ है । महालेखाकार (तृतीय) का पत्रांक पी0 आर0 2/7/579, दिनांक 12-8-82 प्राप्त हुआ है, जिसमें कोषागारों के केश कर्मचारियों को अनुमन्य पेंशन के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण मांगे गये थे । जिन्हें 16-12-83 को भेज दिया गया है ।

प्रदेश के कोषागारों में कार्यरत तहसीलदारों को अन्य राजकीय कर्मचारियों के समान पेंशन की सुविधाओ की मांग

71--श्री भीखालाल--

क्या वित्त मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सचिव, वित्त विभाग के आदेश संख्या एस0-3-750/10-34 (95)/79, दिनांक 31 मार्च, 1981 के द्वारा प्रदेश के कोषागारों में कार्यरत तहसीलदारों को अन्य राजकीय कर्मचारियों के समान पेंशन आदि की सुविधायें प्रदान की गई हैं ? यदि हां, तो उक्त आदेश को अब तक लागू किया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रह्म दत्त--

जी हां ।

उल्लिखित आदेश दिनांक 1-1-81 से प्रभावी है । इस सम्बन्ध में महालेखाकार ने कुछ स्पष्टीकरण मांगे थे, जो 16-12-83 को भेज दिये गये हैं ।

मंत्री, किसान संघर्ष समिति फतेहगढ़, जिला फर्रुखाबाद का कथित प्रार्थना-पत्र

72--श्री भीखालाल--

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मंत्री किसान संघर्ष समिति, फतेहगढ़, जिला फर्रुखाबाद का प्रार्थना-पत्र दिनांक 17 सितम्बर, 1982 जिसमें सुपरवाईजर कानूनगो द्वारा अवैधानिक रूप से पट्टा करने और लेखपाल के कागजात में अनधिकृत इन्द्राज करने की शिकायत की गई है, उनको प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या इसकी जांच कराई गई और जांच का क्या परिणाम निकला ?

श्री बल्देव सिंह आर्य---

प्रश्न में संदर्भित समिति, किसान संघर्ष समिति फतेहगढ़, जिला फर्रुखाबाद का प्रार्थना-पत्र दिनांक 17 सितम्बर, 1982 प्राप्त नहीं हुआ है ।

73--श्री सूबेदार सिंह--

[दिनांक 15 फरवरी, 1984 को अतारांकित प्रश्न संख्य 81 द्वारा उत्तरित ।]

74--श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

[4थे बुधवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 153 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

पाकिस्तान से आये रिफ्यूजियों को नजूल भूमि आवंटन किये जाने के सम्बन्ध में पत्र

75--श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि सचिव, उ0 प्र0 शासन राजस्व अनुभाग-6 को जिलाधिकारी, गढ़वाल का कोई पत्र संख्या 189/2/159-77-78/150, दिनांक 29 अक्तूबर, 1982 पाकिस्तान से आये रिफ्यूजियों को नजूल भूमि आवंटन किये जाने के सम्बन्ध में प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो मुख्य सिफारिशें क्या हैं तथा उस पर सरकार द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गई ?

श्री बल्देव सिंह आर्य--

जी हां । प्रश्नगत पत्र में मुख्य सिफारिशें श्री रफीक टेलर व श्री गंगा प्रसाद टेलर को पूर्व स्वीकृत नजूल भूमि के बदले अन्य नजूल भूमि दिये जाने एवं श्री राम लाल शरणार्थी को अन्य शरणार्थियों की भांति नजूल भूमि आवंटित किये जाने तथा श्री खुशी राम व श्री नरायण दास के स्टाल को नियमित किये जाने के सम्बन्ध में थीं ।

मामला नजूल भूमि से सम्बन्धित होने के कारण सचिव, आवास एवं नगर विकास, नजूल अनुभाग को संदर्भित कर दिया गया है ।

दि महाबीर शुगर मिल प्रा0 लि0, सिसवा बाजार, गोरखपुर पर कृषकों का बकाया गन्ना मूल्य

76--श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

क्या गन्ना विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि दि महाबीर शुगर मिल प्रा0 लि0, सिसवा बाजार, गोरखपुर पर गन्ना किसानों का वर्ष 1981-82, 1982-83, 1983-84 का कितना-कितना रुपया बकाया है तथा इसका भुगतान कराने हेतु सरकार क्या प्रयास कर रही है तथा भुगतान कब तक कर दिया जायेगा ?

श्री सुरेन्द्र पाल सिंह--

दि महाबीर शुगर मिल प्रा0 लि0, सिसवा बाजार, गोरखपुर पर गन्ना किसानों का वर्ष 1981-82 का कोई गन्ना मूल्य बकाया नहीं है । वर्ष 1982-83 का कुल देय गन्ना मूल्य 186·90 लाख रु0 में दिनांक 31 जनवरी, 1984 तक की स्थिति के अनुसार 176·66 लाख रु0 का भुगतान कर दिया गया है केवल 10·24 लाख रु0 भुगतान हेतु शेष है, जिसके भुगतान हेतु प्रभावी कार्यवाही की गई है । वर्ष 1983-84 में अब तक चीनी मिल ने पेराई कार्य प्रारम्भ नहीं किया है । अतः गन्ना मूल्य के बकाये का प्रश्न नहीं उठता ।

ग्राम सभा चुनौटी, जनपद उन्नाव के ग्राम प्रधान, श्री चेतराम द्वारा ग्राम सभा की भूमि पर अवैध कब्जा किये जाने की शिकायत

77--श्री कुबेर भण्डारी--

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम सभा चुनौटी, तहसील हसनगंज, जनपद उन्नाव के ग्राम प्रधान श्री चेतराम ने उपरोक्त ग्राम सभा की

भूमि पर गांव के ही कुछ व्यक्तियों द्वारा अवैध कब्जा किये जाने की जो शिकायत परगनाधिकारी, हसनगंज के पास दिनांक 21 सितम्बर, 1983 को भेजी थी, प्राप्त हुई ? यदि हां, तो क्या दोषी कर्मचारी के विरुद्ध जांच कराकर कार्यवाही करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

श्री चेतराम प्रधान, ग्राम चुनौटी, तहसील हसनगंज, जिला उन्नाव का प्रार्थना-पत्र दिनांक 21 सितम्बर, 1983, तहसील में दिनांक 3 अक्तूबर, 1983 को प्राप्त हुआ। इसकी प्राप्ति के पूर्व ही लेखपाल/ पर्यवेक्षक कानूनगो द्वारा की गई रिपोर्ट के आधार पर दिनांक 9 सितम्बर, 1983 को ग्राम सभा चुनौटी की भूमि के अवैध कब्जों के सम्बन्ध में ग्राम के 18 व्यक्तियों के विरुद्ध उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि सुधार अधिनियम की नियमावली के नियम 115-डी के अन्तर्गत तहसीलदार हसनगंज के न्यायालय में कार्यवाही चल रही है। किसी कर्मचारी के विरुद्ध कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता।

जनपद गोरखपुर में बाढ़ सहायता, गृह अनुदान एवं अहेतुक सहायता का वितरण

78—श्रीमती गौरी देवी—

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि गोरखपुर जनपद में वर्ष 1981-82 व 1982-83 की तुलना में 1983 में बाढ़ सहायता, गृह अनुदान एवं अहेतुक सहायता क्यों वितरित की गई है ? क्या सरकार बतायेगी कि कुल कितने गांवों में कितने व्यक्तियों को किस मात्रा में बाढ़ सहायता, गृह अनुदान और अहेतुक सहायता प्रदान की गई ?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

जी नहीं।

जनपद गोरखपुर में वर्ष 1981-82 एवं 1982-83 में वर्ष 1983 की अपेक्षा बाढ़ का प्रकोप अधिक रहा, जिसके कारण वर्ष 1983 की अपेक्षा उक्त दोनों वर्षों में बाढ़ पीड़ितों को राहत सहायता अधिक दी गई। चूंकि वर्ष 1983-84 में बाढ़ का प्रकोप बहुत कम रहा, इसलिए उक्त दोनों वर्षों की अपेक्षा राहत सामग्री कम कर दी गई है। जिलाधिकारी की सूचनानुसार वर्ष 1983-84 में बाढ़ सहायता, में गृहअनुदान वितरण के सम्बन्ध में ध्वस्त मकानों की सूची का सत्यापन किया जा चुका है। शीघ्र ही वितरण सुनिश्चित कर दिया जायेगा।

वर्ष 1981-82, 1982-83 एवं वर्ष 1983 में बाढ़ सहायता के रूप में दिये गये राहत का विवरण संलग्न है।

(देखिये नत्थी "ग" आगे पृष्ठ 148 पर।)

कलेक्ट्रेट अधिष्ठान के तृतीय श्रेणी के कर्मचारियों की वरिष्ठता सूची उनके नियुक्ति दिनांक से तैयार कराने का आदेश

79—श्री भोला लाल—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राजस्व परिषद् ने वर्ष 1982-83 में यह आदेश दिया था कि कलेक्ट्रेट अधिष्ठान के तृतीय श्रेणी के कर्मचारियों की वरिष्ठता सूची उनकी नियुक्ति के दिनांक से तैयार की जाय ? यदि हां, तो क्या उक्त आदेश का पालन जनपद जौनपुर में किया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

जी हां। उक्त आदेशों का पालन कलेक्ट्रेट, जौनपुर में किया जा रहा है।

कलेक्ट्रेट अधिष्ठान के तृतीय श्रेणी के कर्मचारियों को सेलेक्शन ग्रेड देने का आदेश

80—श्री भोला लाल—

क्या राजस्व मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि कलेक्ट्रेट अधिष्ठान के तृतीय

श्रेणी के कर्मचारियों को सेलेक्शन ग्रेड देने का आदेश शासन ने वर्ष 1983 में दिया है ? यदि हां, तो क्या इसका पालन जनपद जौनपुर में किया गया है? यदि नहीं तो क्यों ? यदि पालन किया गया है तो अब तक कितने कर्मचारियों को सेलेक्शन ग्रेड दिया जा चुका है ?

श्री बल्देव सिंह आर्य--

जी हां । कलेक्ट्रेट जौनपुर में तृतीय श्रेणी के 42 कर्मचारियों को अब तक सेलेक्शन ग्रेड दिया जा चुका है ।

82--श्री भीखा लाल--

[दिनांक 23-2-1984 को अतारांकित प्रश्न संख्या 150 द्वारा उत्तरित ।]

जनपद उन्नाव में चीनी मिल लगाने के सम्बन्ध में निर्णय

82--श्री भीखा लाल--

क्या गन्ना विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उन्नाव जनपद में चीनी मिल लगाने के सम्बन्ध में सरकार ने क्या कोई निर्णय लिया है ? यदि हां, तो मिल की स्थापना कब तक हो जायेगी ?

श्री सुरेन्द्र पाल सिंह--

जनपद उन्नाव में चीनी मिल स्थापना संबंधी सर्वेक्षण कराया जा रहा है ।

सड़कों को सीधा करने एवं अवरोधक स्थानों को चकबन्दी प्रक्रिया द्वारा ठीक करने के संबंध में पत्र

83--श्री मलिक मोहम्मद कमाल यूसुफ--

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता ने 26 अप्रैल, 1983 को अपने निर्वाचन क्षेत्र में 35 सड़कों को सीधा करने एवं जहां अवरोध हों उसे चकबंदी प्रक्रिया द्वारा ठीक करने हेतु प्रश्नकर्ता का संबंधित पत्र जिलाधिकारी बस्ती को प्राप्त हुआ था जिस पर जिलाधिकारी, बस्ती ने अपने आदेश दिनांक 27-4-1983 द्वारा बन्दोबस्त अधिकारी चकबंदी डुमरियागंज को आवश्यक कार्यवाही करने का निर्देश दिया था ।

सड़कों में पड़ने वाले ग्रामों से जिन ग्रामों का चक निर्माण हो चुका है उनमें आवश्यकतानुसार इस प्रयोजन हेतु भूमि सुरक्षित कर दी गई है और जिन ग्रामों में चक निर्माण नहीं हुये हैं उनमें भी चक निर्माण के समय यथा सम्भव इस प्रयोजन हेतु भूमि सुरक्षित करने के निर्देश संबंधित चकबंदी अधिकारियों को दे दिये गये हैं ।

चकबन्दी कराने के संबंध में पत्र पर जांच

84--श्री राम चरण सिंह--

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता ने दिनांक 20-10-1983 को एक पत्र चकबंदी कराये जाने के संबंध में श्री राम रथी, प्रधान ग्राम सभा पिपरवार विकास खंड घोरावल, जिला मिर्जापुर के प्रार्थना-पत्र के साथ दिया था ? यदि हां, तो इस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री बल्देव सिंह आर्य--

जो हां। प्रश्नगत ग्राम में चकबंदी कराने के संबंध में जांच बन्दोबस्त अधिकारी चकबंदी मिर्जापुर से करायी गयी है, जांच आख्या का परीक्षण चकबंदी निदेशक द्वारा किया जा रहा है।

कतिपय जनपदों की बंजर, ऊसर, बीहड़ भूमि में निजी राजकीय और ग्राम सभा का स्वामित्व

85--श्री जयदीप सिंह बरार--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनपद झांसी में कुल कितनी भूमि पर बंजर, ऊसर, बीहड़ अथवा अकृष्य होने के कारण कृषि नहीं होती है ? क्या शासन के पास जानकारी है कि इस भूमि में से क्रमशः कितनी-कितनी भूमि निजी, राजकीय और ग्राम सभा के स्वामित्व में है ?

श्री बल्देव सिंह आर्य--

प्रश्न की सूचना एकत्र करने में शासन का जो श्रम, धन एवं समय व्यय होगा वह उसके लाभ के अनुरूप न होगा।

86--श्री जयदीप सिंह बरार--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनपद देवरिया में कुल कितनी भूमि पर बंजर, ऊसर, बीहड़ अथवा अकृष्य होने के कारण कृषि नहीं होती है ? क्या शासन के पास जानकारी है कि इस भूमि में से क्रमशः कितनी-कितनी भूमि निजी, राजकीय, ग्राम सभा के स्वामित्व में है ?

श्री बल्देव सिंह आर्य--

प्रश्न की सूचना एकत्र करने में शासन का जो श्रम, धन एवं समय व्यय होगा वह उसके लाभ के अनुरूप न होगा।

87--श्री जयदीप सिंह बरार--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनपद बस्ती में कुल कितनी भूमि पर बंजर, ऊसर, बीहड़ अथवा अकृष्य होने के कारण कृषि नहीं होती है ? क्या शासन के पास जानकारी है कि इस भूमि में से क्रमशः कितना-कितनी भूमि निजी, राजकीय और ग्राम सभा के स्वामित्व में है ?

श्री बल्देव सिंह आर्य--

प्रश्न की सूचना एकत्र करने में शासन का जो श्रम, धन एवं समय व्यय होगा वह उसके लाभ के अनुरूप न होगा।

88--श्री जयदीप सिंह बरार--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनपद उत्तरकाशी में कुल कितनी भूमि पर बंजर, ऊसर, बीहड़ अथवा अकृष्य बेकार होने के कारण कृषि नहीं होती है ? क्या शासन के पास जानकारी है कि इस भूमि में से क्रमशः कितनी-कितनी भूमि निजी, राजकीय और ग्राम सभा के स्वामित्व में है ?

श्री बल्देव सिंह आर्य--

प्रश्न की सूचना एकत्र करने में शासन को जो श्रम, धन एवं समय व्यय होगा वह उसके लाभ के अनुरूप न होगा।

89--श्री जयदीप सिंह बरार--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनपद टेहरी-गढ़वाल में कुल कितनी भूमि पर बंजर, ऊसर, बीहड़ अथवा अकृष्य होने के कारण कृषि नहीं होती है ? क्या शासन के पास जानकारी है कि इस भूमि में से क्रमशः कितनी-कितनी भूमि निजी, राजकीय और ग्राम सभा के स्वामित्व में है ?

श्री बल्देव सिंह आर्य--

प्रश्न की सूचना एकत्र करने में शासन का जो श्रम, धन एवं समय व्यय होगा वह उसके लाभ के अनुरूप न होगा।

90—श्री जयदीप सिंह बरार—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनपद चमोली में कुल कितनी भूमि पर बंजर, ऊसर, बीहड़ अथवा अकृष्य होने के कारण कृषि नहीं होती है ? क्या शासन के पास जानकारी है कि इस भूमि में से क्रमशः कितनी-कितनी भूमि निजी, राजकीय और ग्राम सभा के स्वामित्व में है ?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

प्रश्न की सूचना एकत्र करने में शासन का जो श्रम, धन एवं समय व्यय होगा वह उसके लाभ के अनुरूप न होगा।

91—श्री जयदीप सिंह बरार—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनपद देहरादून में कुल कितनी भूमि पर बंजर, ऊसर, बीहड़ अथवा अकृष्य होने के कारण कृषि नहीं होती है ? क्या शासन के पास जानकारी है कि इस भूमि में से क्रमशः कितनी-कितनी भूमि निजी, राजकीय और ग्राम सभा के स्वामित्व में है ?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

प्रश्न की सूचना एकत्र करने में शासन का जो श्रम, धन एवं समय व्यय होगा वह उसके लाभ के अनुरूप न होगा।

92—श्री जयदीप सिंह बरार—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनपद पौड़ी गढ़वाल में कुल कितनी भूमि पर बंजर, ऊसर, बीहड़ अथवा अकृष्य होने के कारण कृषि नहीं होती है ? क्या शासन के पास जानकारी है कि इस भूमि में से क्रमशः कितनी-कितनी भूमि निजी, राजकीय और ग्राम सभा के स्वामित्व में है ?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

प्रश्न की सूचना एकत्र करने में शासन का जो श्रम, धन एवं समय व्यय होगा वह उसके लाभ के अनुरूप न होगा।

93-94—श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री—

[3रे बुधवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 171-172 के अन्तर्गत स्थानान्तरित।]

लखनऊ के बिक्री-कर कार्यालय में गबन हुई धनराशि को मय ब्याज के करदाताओं को देने के सम्बन्ध में पत्र

95—श्री यदुनाथ सिंह—

क्या वित्त मंत्री को ज्ञात है कि आयुक्त बिक्रीकर के उ० प्र० बिक्रीकर उत्पीड़न समिति का पत्र तारीख 1-11-83 को लखनऊ बिक्रीकर कार्यालय में गबन हुए सवा दो लाख के रिफंड को मय ब्याज के करदाताओं को देने के सम्बन्ध में मिला है ? यदि हां, तो क्या गबन हुए रिफंड को मय ब्याज करदाताओं को दे दिया गया है ? यदि नहीं, तो अब कब तक दिया जायेगा ? क्या दोषी कर्मचारियों और अधिकारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई है ? यदि हां, तो क्या ?

श्री ब्रह्मदत्त—

जी हां।

अभी नहीं।

गबन की धनराशि की स्वीकृति विचाराधीन है।

प्रधान लिपिक को निलम्बित कर दिया गया है। पुलिस में रिपोर्ट लिखाई गई है। प्रधान लिपिक का धारा 409 भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत चालान हुआ है और वे जमानत पर हैं। इसके अतिरिक्त दो आहरण वितरण अधिकारियों के विरुद्ध तथा सहायक आयुक्त (शासकीय) व उपायुक्त (शासकीय) द्वारा पर्यवेक्षकीय उत्तरदायित्व न निभाने हेतु प्रशासनिक कार्यवाही विचाराधीन है।

जनपद बांदा के ग्राम घुरौन्डा में चकबन्दी अनियमितताओं के सम्बन्ध में पत्र

96--प्रोफेसर चन्द्र प्रकाश शर्मा--

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद बांदा के तहसील नरैनी के ग्राम घुरौन्डा में चकबन्दी अनियमितताओं से सम्बन्धित प्रश्नकर्ता का कोई शिकायती-पत्र, दिनांक 13 सितम्बर, 1983 में शासन को प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलदेव सिंह आर्य--

जी हां। प्रार्थना-पत्र की जांच उप संचालक चकबन्दी, बांदा द्वारा की जा रही है।

देवरिया जनपद में दो जिला गन्ना अधिकारी कार्यरत होने के सम्बन्ध में पत्र

97--श्री हरिवंश सहाय--

क्या गन्ना विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि देवरिया जनपद के जिला लोकदल के मंत्री श्री हरिशंकर कुशवाहा का देवरिया जनपद में दो जिला गन्ना अधिकारी कार्यरत होने के सम्बन्ध में पत्र दिनांक 20-7-83 का प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्री सुरेन्द्र पाल सिंह--

जी हां। पत्र में दिये गये सुझाव का विभिन्न पहलुओं से परीक्षण किया जा रहा है।

जातिवाद के आधार पर गन्ना विभाग में हुए तबादले के विषय में पत्र

98--श्री हरिवंश सहाय--

क्या गन्ना विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री हरिशंकर कुशवाहा, मन्त्री जिला लोकदल, देवरिया का कोई पत्र दि0 16-7-83 का जातिवाद के के आधार पर गन्ना विभाग में हुए तबादले के विषय में मुख्य मंत्री को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री सुरेन्द्रपाल सिंह--

जी हां।

शिकायती-पत्र की जांच करवायी गयी। जांच में आरोप सिद्ध नहीं पाये गये।

गन्ना आयुक्त के आदेशानुसार कतिपय जनपदों में ग्राम सेवकों की निरस्त की गयी नियुक्तियां

99--श्री हरिवंश सहाय--

क्या गन्ना विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला गन्ना अधिकारी, देवरिया द्वारा दिसम्बर, 1982 में 4 गन्ना ग्राम सेवकों की नियुक्ति हुई थी, जो स्वीकृत संख्या के अन्तर्गत थी ? क्या उनकी गन्ना आयुक्त के निदेशानुसार सेवाएं समाप्त कर दी गयीं ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री सुरेन्द्रपाल सिंह--

जी हां। जिला गन्ना अधिकारी देवरिया ने दिसम्बर, 1982 में स्वीकृत संख्या के अन्तर्गत 4 गन्ना ग्राम सेवकों की नियुक्ति की थी। परन्तु यह नियुक्तियां विभागीय निदेशों के अनुसार नहीं थी जिसके कारण गन्ना आयुक्त के आदेशों के अनुसार इन नियुक्तियों को निरस्त कर दिया गया।

100--श्री हरिवंश सहाय--

क्या गन्ना विकास मंत्री यह भी बताने की कृपा करेंगे कि इसी प्रकार की नियुक्तियां सुल्तानपुर, अलीगढ़, मथुरा, आजमगढ़ तथा सहारनपुर में भी की गयी थी, क्या उन नियुक्तियों को भी गन्ना आयुक्त द्वारा निरस्त कर दिया गया यदि नहीं, तो क्यों ? क्या उन्हें भी

निरस्त करने की कार्यवाही गन्ना आयुक्त करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुरेन्द्र पाल सिंह---

जनपद सुलतानपुर में कोई नियुक्ति नहीं की गई । प्रश्न में उल्लिखित शेष जनपदों में नियुक्तियां की गई हैं, जिन्हें निरस्त नहीं किया गया है । इन नियुक्तियों की प्रक्रिया सम्बन्धी मामलों का परीक्षण किया जा रहा है । नियुक्तियों में अनियमितता पायी जाने पर निरस्त करने की कार्यवाही की जायगी ।

गन्ना सहकारी समितियों के ऋण वसूली के सम्बन्ध में पत्र

101--श्री हरिवंश सहाय--

क्या गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पूरन चन्द्र गुप्त, सदस्य, भारत कृषक समाज, लक्ष्मीगंज, देवरिया का गन्ना सहकारी समितियों के ऋण वसूली के सम्बन्ध में पत्र दिनांक 1-8-83 का प्रश्नकर्त्ता के पत्र के साथ प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही हुई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुरेन्द्रपाल सिंह---

जी हां ।

इसमें प्राप्त प्रस्तावों पर विचार किया गया परन्तु वैधानिक कठिनाइयों के कारण उनका कार्यान्वयन सम्भव नहीं पाया गया ।

जिला गन्ना सेवा प्राधिकरण, पडरौना में सामयिक लिपिकों की नियुक्तियां

102---श्री हरिवंश सहाय---

क्या गन्ना विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 83 में जिला गन्ना सेवा प्राधिकरण, पडरौना में कितने सामयिक लिपिकों की नियुक्तियां की गयीं हैं क्या उनका सूची सेवायोजन कार्यालय से मंगायी गयी थी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुरेन्द्र पाल सिंह--

वर्ष 1983 में जिला गन्ना सेवा प्राधिकरण पडरौना में 28 सामयिक लिपिकों की नियुक्तियां की गयी थीं । भर्ती यू0 पी0 कोआपरेटिव केन सर्विस रेगुलेशन 1975 के रेगुलेशन संख्या 17 व 18 (भर्ती प्रक्रिया) व रेगुलेशन संख्या 23 से 25 के प्राविधानों के अनुसार की गयी सीजनल कर्मचारियों की भर्ती हेतु सेवायोजन कार्यालय से सूची मंगाने का कोई प्राविधान उक्त नियमों में नहीं है ।

गन्ना रक्षा निरीक्षक, पडरौना को जिला गन्ना सेवा प्राधिकरण का सचिव बना दिए जाने का औचित्य

103--श्री हरिवंश सहाय---

क्या गन्ना विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि यू0 पी0 कोआपरेटिव सर्विस रूल ऐण्ड रेगुलेशन, 1975 के अन्तर्गत जिला सेवा प्राधिकरण का सचिव ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक होता है ? यदि हां, तो किन परिस्थितियों में जिला गन्ना सेवा प्राधिकरण, पडरौना के सचिव के पद पर गन्ना रक्षा निरीक्षक, पडरौना को नामित किया गया ?

श्री सुरेन्द्र पाल सिंह--

जी हां, ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक तथा गन्ना रक्षा निरीक्षक एक ही संवर्ग तथा समान वेतनमान के पद हैं । ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक को गन्ना रक्षा निरीक्षक के पद पर या गन्ना रक्षा निरीक्षक को ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक के पद पर नियुक्त किया जा सकता है ।

ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक पडरौना जो प्राधिकरण के सचिव थे, विकास एवं अन्य गन्ना पूर्ति कार्यों में व्यस्त रहने के कारण कार्य हित में गन्ना रक्षा निरीक्षक पडरौना को जिला गन्ना सेवा प्राधिकरण का सचिव बना दिया गया था ।

राजकीय गन्ना ग्राम सेवकों की नियुक्तियों पर प्रतिबन्ध

104--श्री हरिवंश सहाय--

क्या गन्ना विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गन्ना विभाग में राजकीय वेतनभोगी गन्ना ग्राम सेवकों की नियुक्तियों पर प्रतिबन्ध लगा है ? यदि हां, तो कब से तथा कब तक के लिए है ? प्रतिबन्ध लगाने का कारण क्या है ?

श्री सुरेन्द्र पाल सिंह--

जी हां । सामान्य जाति के राजकीय गन्ना ग्राम सेवकों की नियुक्ति पर दिनांक 20-7-82 से प्रतिबन्ध लगाया गया है । यह प्रतिबन्ध आरक्षण कोटा पूरा कराने के उद्देश्य से लगाया गया है

कतिपय जनपदों में गन्ना ग्राम सेवकों की नियुक्तियां

जनपद का नाम	नियुक्त किये गये गन्ना ग्राम सेवकों की संख्या	कार्यरत गन्ना ग्राम सेवकों की संख्या
1--देवरिया	4	0
2--पडरौना	4	4
3--आजमगढ़	9	8
4--अलीगढ़	8	8
5--मथुरा	21	21
6--सहारनपुर	3	2

105--श्री हरिवंश सहाय--

क्या गन्ना विकास मन्त्री यह भी बताने की कृपा करेंगे कि देवरिया पडरौना, आजमगढ़, सुल्तानपुर, अलीगढ़, मथुरा तथा सहारनपुर में जिला गन्ना अधिकारियों द्वारा माह जनवरी, 1981 से जून, 1983 तक कितने-कितने गन्ना ग्राम सेवकों की नियुक्तियां की गयीं और वे विभाग में कार्यरत हैं ?

श्री सुरेन्द्र पाल सिंह--

माह जनवरी, 1981 से जून, 1983 तक किसी गन्ना ग्राम सेवक की नियुक्ति सुल्तानपुर में नहीं की गई । प्रश्न में उल्लिखित शेष जनपदों में उक्त अवधि में नियुक्त किये गये तथा कार्यरत गन्ना ग्राम सेवकों का विवरण निम्न प्रकार है :--

कतिपय जनपदों में बंजर, ऊसर, बीहड़ भूमि में निजी, राजकीय और ग्राम सभा का स्वामित्व

106--श्री जयदीप सिंह बरार--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनपद सुल्तानपुर में कुल कितनी भूमि पर बंजर, ऊसर, बीहड़ अथवा अकृष्य होने के कारण कृषि नहीं होती है ? क्या शासन के पास जानकारी है कि इस भूमि में से क्रमशः कितनी-कितनी भूमि निजी, राजकीय और ग्राम सभा के स्वामित्व में है ?

श्री बलदेव सिंह आर्य--

प्रश्न की सूचना एकत्र करने में शासन का जो श्रम, धन एवं समय व्यय होगा वह उसके लाभ के अनुरूप न होगा ।

107--श्री जयदीप सिंह बरार--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनपद प्रतापगढ़ में कुल कितनी भूमि पर बंजर, ऊसर, बीहड़ तथा अकृष्य होने के कारण कृषि नहीं होती है ? क्या शासन के पास जानकारी है ।

कि इस भूमि में से क्रमशः कितना-कितनी भूमि निजी, राजकीय और ग्राम सभा के स्वामित्व में है ?

श्री बलदेव सिंह आर्य---

प्रश्न की सूचना एकत्र करने में शासन का जो श्रम, धन एवं समय व्यय होगा वह उसके लाभ के अनुरूप न होगा ।

108--श्री जयदीप सिंह बरार--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनपद गोण्डा में कुल कितनी भूमि पर बंजर, ऊसर, बीहड़ तथा अकृष्य होने के कारण कृषि नहीं होती है ? क्या शासन के पास जानकारी है कि इस भूमि में से क्रमशः कितनी-कितनी भूमि निजी, राजकीय और ग्राम सभा के स्वामित्व में है ?

श्री बलदेव सिंह आर्य--

प्रश्न की सूचना एकत्र करने में शासन का जो श्रम, धन एवं समय व्यय होगा वह उसके लाभ के अनुरूप न होगा ।

109--श्री जगदीप सिंह बरार--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनपद बाराबंकी में कुल कितनी भूमि पर बंजर, ऊसर, बीहड़ तथा अकृष्य होने के कारण कृषि नहीं होती है ? क्या शासन के पास जानकारी है कि इस भूमि में से क्रमशः कितनी-कितनी भूमि निजी, राजकीय और ग्राम सभा के स्वामित्व में है ?

श्री बलदेव सिंह आर्य--

प्रश्न की सूचना एकत्र करने में शासन का जो श्रम, धन एवं समय व्यय होगा वह उसके लाभ के अनुरूप न होगा ।

110--श्री जयदीप सिंह बरार--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनपद बहराइच में कुल कितनी भूमि पर बंजर, ऊसर, बीहड़ अथवा अकृष्य होने के कारण कृषि नहीं होती है ? क्या शासन के पास जानकारी है कि इस भूमि में से क्रमशः कितनी-कितनी भूमि निजी, राजकीय और ग्राम सभा के स्वामित्व में है ?

श्री बलदेव सिंह आर्य--

प्रश्न की सूचना एकत्र करने में शासन का जो श्रम, धन एवं समय व्यय होगा वह उसके लाभ के अनुरूप न होगा ।

111--श्री जयदीप सिंह बरार---

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनपद फैजाबाद में कुल कितनी भूमि पर बंजर, ऊसर, बीहड़ अथवा अकृष्य होने के कारण कृषि नहीं होती है ? क्या शासन के पास जानकारी है कि इस भूमि में से क्रमशः कितनी-कितनी भूमि निजी, राजकीय और ग्राम सभा के स्वामित्व में है ?

श्री बलदेव सिंह आर्य--

प्रश्न की सूचना एकत्र करने में शासन का जो श्रम, धन एवं समय व्यय होगा वह उसके लाभ के अनुरूप न होगा ।

112--श्री जयदीप सिंह बरार--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनपद कानपुर नगर में कुल कितनी भूमि पर बंजर, ऊसर, बीहड़ अथवा अकृष्य होने के कारण कृषि नहीं होती है ? क्या शासन के पास जानकारी है कि इस भूमि में से क्रमशः कितनी-कितनी भूमि निजी, राजकीय और ग्राम सभा के स्वामित्व में है ?

श्री बलदेव सिंह आर्य--

प्रश्न की सूचना एकत्र करने में शासन का जो श्रम, धन एवं समय व्यय होगा वह उसके लाभ के अनुरूप न होगा ।

113--श्री जयदीप सिंह बरार--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनपद कानपुर देहात में कुल

कितनी भूमि पर बंजर, ऊसर, बीहड़ अथवा अकृष्य होने के कारण कृषि नहीं होती है ? क्या शासन के पास जानकारी है कि इस भूमि में से क्रमशः कितनी-कितनी भूमि निजी, राजकीय और ग्राम सभा के स्वामित्व में है ?

श्री बल्देव सिंह आर्य--

प्रश्न की सूचना एकत्र करने में शासन का जो श्रम, धन एवं समय व्यय होगा वह उसके लाभ के अनुरूप न होगा ।

114--श्री जयदीप सिंह बरार--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनपद फतेहपुर में कुल कितनी भूमि पर बंजर, ऊसर, बीहड़ अथवा अकृष्य होने के कारण कृषि नहीं होती है ? क्या शासन के पास जानकारी हैं कि इस भूमि में से क्रमशः कितनी-कितनी भूमि निजी, राजकीय और ग्राम सभा के स्वामित्व में है ?

श्री बल्देव सिंह आर्य--

प्रश्न की सूचना एकत्र करने में शासन का जो श्रम, धन एवं समय व्यय होगा वह उसके लाभ के अनुरूप न होगा ।

115--श्री जयदीप सिंह बरार--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनपद फर्रुखाबाद में कुल कितनी भूमि पर बंजर, ऊसर, बीहड़ अथवा अकृष्य होने के कारण कृषि नहीं होती है ? क्या शासन के पास जानकारी है कि इस भूमि में से क्रमशः कितनी-कितनी भूमि निजी, राजकीय और ग्राम सभा के स्वामित्व में है ?

श्री बल्देव सिंह आर्य--

प्रश्न की सूचना एकत्र करने में शासन का जो श्रम, धन एवं समय व्यय होगा वह उसके लाभ के अनुरूप न होगा ।

116--श्री जयदीप सिंह बरार--

क्या शासन बताने की कृपा करेगी कि जनपद खीरी में कुल कितनी भूमि पर बंजर, ऊसर, बीहड़ अथवा अकृष्य होने के कारण कृषि नहीं होती है ? क्या शासन के पास जानकारी है कि इस भूमि में से क्रमशः कितनी-कितनी भूमि निजी, राजकीय और ग्राम सभा के स्वामित्व में है ?

श्री बल्देव सिंह आर्य--

प्रश्न की सूचना एकत्र करने में शासन का जो श्रम, धन एवं समय व्यय होगा वह उसके लाभ के अनुरूप न होगा ।

117--श्री जयदीप सिंह बरार--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनपद हरदोई में कुल कितनी भूमि पर बंजर, ऊसर, बीहड़ अथवा अकृष्य होने के कारण कृषि नहीं होती है ? क्या शासन के पास जानकारी है कि इस भूमि में से क्रमशः कितनी-कितनी भूमि निजी, राजकीय और ग्राम सभा के स्वामित्व में है ?

श्री बल्देव सिंह आर्य--

प्रश्न की सूचना एकत्र करने में शासन का जो श्रम, धन एवं समय व्यय होगा वह उसके लाभ के अनुरूप न होगा ।

118--श्री जयदीप सिंह बरार--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनपद लखनऊ में कुल कितनी भूमि पर बंजर, ऊसर, बीहड़ अथवा अकृष्य होने के कारण कृषि नहीं होती है ? क्या शासन के पास जानकारी है कि इस भूमि में से क्रमशः कितनी-कितनी भूमि निजी, राजकीय और ग्राम समाज के स्वामित्व में है ?

श्री बल्देव सिंह आर्य--

प्रश्न की सूचना एकत्र करने में शासन का जो श्रम, धन एवं समय व्यय

होगा वह उसके लाभ के अनुरूप न होगा ।

119--श्री जयदीप सिंह बरार--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनपद पिथौरागढ़ में कुल कितनी भूमि पर बंजर, ऊसर, बीहड़ अथवा अकृष्य होने के कारण कृषि नहीं होती है ? क्या शासन के पास जानकारी है कि इस भूमि में से क्रमशः कितनी-कितनी भूमि निजी, राजकीय और ग्राम सभा के स्वामित्व में है ?

श्री बल्देव सिंह आर्य--

प्रश्न की सूचना एकत्र करने में शासन का जो श्रम, धन एवं समय व्यय होगा वह उसके लाभ के अनुरूप न होगा ।

120--श्री जयदीप सिंह बरार--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनपद अल्मोड़ा में कुल कितनी भूमि पर बंजर, ऊसर, बीहड़ अथवा अकृष्य होने के कारण कृषि नहीं होती है ? क्या शासन के पास जानकारी है कि इस भूमि में से क्रमशः कितनी-कितनी भूमि निजी, राजकीय और ग्राम सभा के स्वामित्व में है ?

श्री बल्देव सिंह आर्य--

प्रश्न की सूचना एकत्र करने में शासन का जो श्रम, धन एवं समय व्यय होगा वह उसके लाभ के अनुरूप न होगा ।

121--श्री जयदीप सिंह बरार--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनपद नैनीताल में कुल कितनी भूमि पर बंजर, ऊसर, बीहड़ अथवा अकृष्य होने के कारण कृषि नहीं होती है ? क्या शासन के पास जानकारी है कि उक्त भूमि में से क्रमशः कितनी-कितनी भूमि निजी, राजकीय और ग्राम सभा के स्वामित्व में है ?

श्री बल्देव सिंह आर्य--

प्रश्न की सूचना एकत्र करने में शासन का जो श्रम, धन एवं समय व्यय होगा वह उसके लाभ के अनुरूप न होगा ।

122--जयदीप सिंह बरार--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनपद ललितपुर में कुल कितनी भूमि पर बंजर, ऊसर, बीहड़ अथवा अकृष्य होने के कारण कृषि नहीं होती है ? क्या शासन के पास जानकारी है कि इस भूमि में से क्रमशः कितनी-कितनी भूमि निजी, राजकीय और ग्राम सभा के स्वामित्व में है ?

श्री बल्देव सिंह आर्य--

प्रश्न की सूचना एकत्र करने में शासन का जो श्रम, धन एवं समय व्यय होगा वह उसके लाभ के अनुरूप न होगा ।

123--श्री जयदीप सिंह बरार--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनपद जालौन में कुल कितनी भूमि पर बंजर, ऊसर, बीहड़ अथवा अकृष्य होने के कारण कृषि नहीं होती है ? क्या शासन के पास जानकारी है कि इस भूमि में से क्रमशः कितनी-कितनी भूमि निजी, राजकीय और ग्राम सभा के स्वामित्व में है ?

श्री बल्देव सिंह आर्य--

प्रश्न की सूचना एकत्र करने में शासन का जो श्रम, धन एवं समय व्यय होगा वह उसके लाभ के अनुरूप न होगा ?

124--श्री जयदीप सिंह बरार--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनपद हमीरपुर में कुल कितनी भूमि पर बंजर ऊसर, बीहड़ अथवा अकृष्य होने के कारण कृषि नहीं होती है ? क्या शासन के पास जानकारी है कि इस भूमि में से क्रमशः कितनी-कितनी भूमि निजी, राजकीय और ग्राम सभा के स्वामित्व में है ?

श्री बल्देव सिंह आर्य--

प्रश्न की सूचना एकत्र करने में शासन का जो श्रम, धन एवं समय व्यय होगा वह उसके लाभ के अनुरूप न होगा ।

125--श्री जयदीप सिंह बरार--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनपद बांदा में कुल कितनी भूमि पर बंजर, ऊसर, बीहड़ अथवा अकृष्य होने के कारण कृषि नहीं होती है ? क्या शासन के पास जानकारी है कि इस भूमि में से क्रमशः कितनी-कितनी भूमि निजी, राजकीय और ग्राम सभा के स्वामित्व में है ?

श्री बलदेव सिंह आर्य--

प्रश्न की सूचना एकत्र करने में शासन का जो श्रम, धन एवं समय व्यय होगा वह उसके लाभ के अनुरूप न होगा ।

श्री चन्दन सिंह, पटवारी, जनपद पौड़ी गढ़वाल का निलम्बन अवधि में निर्वाह भत्ते का भुगतान

126--डाक्टर शिवानन्द नौटियाल--

क्या राजस्व मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि आदेश संख्या शा0/7 विकास कार्यवाही अप्रैल, 1980 की तामील पटवारी श्री चन्दन सिंह, जनपद पौड़ी-गढ़वाल पर कब की गयी और तब से अब उनका निलम्बन किन कारणों से किया गया और अब तक निलम्बन अवधि में उन्हें कितना भत्ता दिया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलदेव सिंह आर्य--

आदेश संख्या ज्ञाप/7-विभागीय कार्यवाही दिनांक 19-4-80 न कि प्रश्न में उल्लिखित आदेश संख्या शा0/7-विकास कार्यवाही अप्रैल, 1980 की तामील श्री चन्दन सिंह पर दिनांक 29-10-1980 को की गई ।

श्री चन्दन सिंह के विरुद्ध 2 आरोप थे पहला आरोप यह था कि 1386 फसली के पड़ताल के महत्वपूर्ण आंकड़ों को प्रस्तुत न किया जाना तथा दूसरा आरोप श्रीमती माला देवी की संदिग्ध मृत्यु की विवेचना के दौरान भ्रष्टाचार से संबंधित था । दोनों आरोपों के संबंध में अलग-अलग विभागीय कार्यवाही की गयी । पहले आरोप के संबंध में श्री चन्दन सिंह के विरुद्ध की जा रही विभागीय कार्यवाही के संबंध में दिनांक 27-11-1980 को उन्हें सवेतन बहाल करने का निर्णय लिया गया परन्तु दूसरे आरोप के संबंध में चल रही कार्यवाही उस समय तक पूरी न होने के कारण उन्हें निलंबित रखा गया ।

निलम्बन की अवधि में श्री चन्दन सिंह को कुल रुपया 15,640·70 पैसे का निर्वाह भत्ते का भुगतान किया जा चुका है ।

सहकारी गन्ना विकास समिति लि0, बुलन्दशहर पर गन्ना कृषकों का रोड फंड कटौती के रुपयों का कथित घोटाला

127--श्री किरनपाल सिंह--

क्या गन्ना विकास मन्त्री कृपया बतायेंगे कि गन्ना समिति, बुलन्दशहर पर गन्ना कृषकों का रोड फंड कटौती का पिछले 10 वर्षों का लगभग 10 लाख रुपया का कोई घोटाला प्रकाश में आया है ? यदि हां, तो उक्त दस लाख रुपये का घोटाला करने वाले जिम्मेदार अधिकारियों व कर्मचारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ? क्या कृषकों के रोड फंड कटौती के रुपए को शीघ्र प्राप्त कर निर्माण कार्य में लगाने की कृपा की जायगी ?

श्री सुरेन्द्र पाल सिंह--

जी नहीं । सरकारी गन्ना विकास समिति लि0, बुलन्दशहर पर गन्ना कृषकों का रोड फंड कटौती का पिछले 10 वर्षों का 10 लाख रुपये का कोई घोटाला प्रकाश में नहीं आया है । अतः किसी के विरुद्ध कार्रवाई का प्रश्न नहीं उठता है ।

उक्त समिति को 1971-72 से 1982-83 तक लगभग रु0 14 लाख रोड फंड मे कटौती से प्राप्त हुआ। उपर्युक्त अवधि में लगभग 5·75 लाख रु0 का कार्य सम्पन्न हुआ। चालू वर्ष 1983-84 मे लगभग 5·25 लाख रु0 का कार्य कराया जा रहा है। इसके पूर्ण होने पर शेष लगभग 3 लाख रु0 समिति के पास अवशेष है।

ग्राम दीपकपुर, जनपद जौनपुर में चकबन्दी अधिकारी श्री काली चरन गौतम द्वारा की गयी अनियमितताओं के संबध में शिकायती-पत्र

128--श्री राम लाल वर्मा--

क्या राजस्व मन्त्री को ज्ञात है कि ग्राम दीपकपुर, परगना गडवारा, तहसील मछलीशहर, जनपद जौनपुर में च0 अ0 कालीचरन गौतम द्वारा की गयी अनियमितताओं के सम्बन्ध में श्री हरि हर नाथ ने प्रश्नकर्ता के माध्यम से 28 अक्तूबर, 1983 को कोई शिकायती-पत्र राजस्व मन्त्री जी को भेजा है? यदि हां, तो प्रश्नगत शिकायती-पत्र के प्रमुख बिन्दु क्या हैं? उस पर शासन ने क्या कार्यवाही की? यदि नहीं, तो क्यों और कब तक उन बिन्दुओं पर कार्यवाही सुनिश्चित कर ली जायेगी?

श्री बल्देव सिंह आर्य--

जी हां, उपरोक्त शिकायती-पत्र के मुख्य बिन्दु निम्नलिखित हैं :

1--श्री काली चरन गौतम, चकबंदी अधिकारी ने मनमाने ढंग से गाटा सं0 50811 रकबा 0-06 श्री दया शंकर पुत्र श्री राम बोध को अपनी व्यक्तिगत इच्छा पर दे दिया तथा पत्रावली में हेर फेर भी कर दिया है।

2--श्री काली चरन गौतम, चकबंदी अधिकारी के उपरोक्त कृत्य से विशेषक परेशान हैं तथा वह पर्दाफाश करने की बात जब चकबंदी अधिकारी से कही तो निवेदक के सारे चक व जमीन बर्बाद करने की धमकी भी दी है।

3--श्री गौतम का स्थानान्तरण हो चुका था किन्तु उन्हें रोका गया है। इस अवधि में खुले रूप में धन संग्रह कर रहे हैं।

4--श्री कालीचरन गौतम, चकबंदी अधिकारी को स्थानान्तरित कर उनके विरुद्ध जांच की जावे।

उपरोक्त शिकायती-पत्र की जांच स्क्वायड दल द्वारा करायी जा रही है।

जनपद देवरिया के ग्राम सभा पचपेड़ा में सिंचाई विभाग की भूमि के चक को काटे जाने की शिकायत

129--श्री दुर्गा प्रसाद मिश्र--

क्या राजस्व मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद देवरिया के तहसील हाटा के ग्राम सभा पचपेड़ा में 18·39 एकड़ सरकारी जमीन, जो राजस्व अभिलेख में सिंचाई विभाग के नाम से थी, उस जमीन को चकबन्दी विभाग हाटा द्वारा कुछ प्रभावशाली काश्तकारों के नाम बिना सिंचाई विभाग को सूचित किए ही चक काट दिया गया है? क्या इसके सम्बन्ध में भूतपूर्व विधायक श्री शारदा प्रसाद जायसवाल द्वारा दिनांक 1-9-82 को शासन में शिकायत भेजी गयी थी? उस पर अभी तक क्या कार्यवाही की गई? क्या सरकार ही रही सरकारी सम्पत्ति की क्षति से बचाने के लिए जांच कराने पर विचार करेगी?

श्री बल्देव सिंह आर्य---

ग्राम पचपेड़ा, तहसील हाटा, जनपद देवरिया में राजकीय सम्पत्ति सिंचाई विभाग के नाम से 18·37 एकड़ भूमि आधार वर्ष की खतौनी खाता सं0 383

में अंकित है जो मौके के क्षेत्रफल के अनुसार 18.24 एकड़ दर्ज को गई। इस भूमि पर सिंचाई विभाग से प्राप्त करने वाले ग्राम के कृषकगण खेती करते हैं अतएव ग्राम के गाटों के विनिमय अनुपात के समय सिंचाई विभाग के नाम से अंकित विवादित गाटों का भी मूल्यांकन निर्धारित किया गया है एवं सिंचाई विभाग के खाते की कुल 18·24 एकड़ भूमि का 128·90 आना मूल्यांकन के स्थान पर वाद कटौती 121·16 आने की भूमि पर चक प्रदिष्ट किया गया है जिसमें से 3.88 एकड़, 37.18 आना मूल्यांकन की भूमि सिंचाई विभाग के प्रस्तावित नहर के लिये प्रदिष्ट की गयी है एक शेष 83·98 आने की 11·87 एकड़ भूमि नहर विभाग के नाम से चक मूल गाटों पर प्रदिष्ट किया गया है। यह बात सत्य है कि चकों की आकृतियों को सुडौल करने तथा सिंचाई विभाग को प्रस्तावित नहर में विभिन्न काश्तकारों से निकाली गई भूमि के बदले सिंचाई विभाग की भूमि का कुछ अंश ग्राम के कुछ काश्तकारों के चकों में प्रदिष्ट हुआ है। सिंचाई विभाग की ओर से विवादित गाटों को चकबन्दी क्रिया से पृथक करने के लिए नियमानुसार दायर की गई धारा-9 (ब) (2) के अन्तर्गत मुकदमा न्यायालय में विचाराधीन है। श्री शारदा प्रसाद जायसवाल, भू0 पू0 विधायक का संदर्भित शिकायती-पत्र शासन के राजस्व विभाग में प्राप्त नहीं हुआ है। न्यायालय के निर्णय के बाद आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

वृत्तिकर विभाग का बिक्रीकर विभाग में संविलयन, स्वीकृत पद तथा आरक्षण कोटा

130--डाक्टर शिवानन्द नौटियाल--

क्या वित्त मंत्री को जानकारी है कि वृत्तिकर विभाग को अब बिक्री-कर में मिलाया जा चुका है कब समाप्त हुआ तथा उसमें कितने पद किस वेतनमान में अस्थायी/स्थायी रूप से स्वीकृत थे और प्रत्येक में कितने-कितने कर्मचारी थे ? इन विभिन्न वेतनमानों में अलग-अलग जो अनुसूचित जाति के कर्मचारी कार्यरत थे, क्या उनका आरक्षण का कोटा पूरा था ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रह्मदत्त--

जी हां। दिनांक 24-9-82 के आदेश द्वारा वृत्तिकर के पदों को बिक्रीकर के समकक्ष पदों में विलीन कर दिया गया है। इस विभाग के लिए विभिन्न वेतनमानों में निम्न पद स्थायी रूप से स्वीकृत थे :--

(1) कार्यालय अधीक्षक 570-1,100 रु0।

1 पद

ग्रेड-1

(2) वरिष्ठ सहायक 515-860 रु0।

1 पद

(3) वरिष्ठ लिपिक 430-685 रु0।

32 पद।

(4) कनिष्ठ लिपिक टंकण 354-550 रु0।

117 पद।

क्रमांक 1 एवं 2 पर एक-एक कर्मचारी कार्यरत थे। नियमानुसार इन पदों पर आरक्षण नहीं बनता। क्रमांक 3 पर 32 पदों के विरुद्ध 8 अनुसूचित जाति के कर्मचारी कार्यरत थे। क्रमांक 4 पर उल्लिखित उक्त 117 पदों के विरुद्ध वास्तविक रूप से कार्यरत तथा उसमें अनुसूचित जाति के कार्यरत कर्मचारियों के सम्बन्ध में क्षेत्रों से सूचना प्राप्त की जा रही है।

बिक्रीकर विभाग के विभिन्न वेतनमानों में अनुसूचित जाति के कर्मचारी तथा ज्येष्ठता सूची

131--डाक्टर शिवानन्द नौटियाल—

क्या वित्त मंत्री को ज्ञात है कि बिक्री-कर विभाग में विभिन्न वेतनमानों में अलग-अलग कितने अनुसूचित जाति के कर्मचारी हैं ? क्या इनकी कोई ज्येष्ठता सूची अलग से बनायी गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ? इसे कब तक बनवा दिया जायगा ?

श्री ब्रह्मदत्त---

बिक्री-कर विभाग में विभिन्न वेतनमानों में अलग-अलग कार्यरत अनुसूचित जाति के कर्मचारियों की संख्या निम्न प्रकार है :---

वेतनमान	संख्या अनु0 जाति
लिपिक वर्गीय सम्वर्ग	
रु0	
625-1,360	1
570-1,100	7
515-860	11
515-860 (आशुलिपिक)	6
470-735	11
430-685	125
सांख्यकीय सम्वर्ग	
470-735	25
सम्परीक्षक सम्वर्ग	
470-735	8

क्षेत्रीय एवं परिक्षेत्रीय कार्यालयों में वेतनमान 354-550 रु0 में कार्यरत कनिष्ठ लिपिक तथा 470-735 रु0 में कार्यरत आशुलिपिकों के सम्बन्ध में सम्बन्धित अधिकारियों से सूचना प्राप्त की जा रही है ।

सेवा नियमावली में ऐसा कोई प्राविधान नहीं है कि अनुसूचित जाति के कर्मचारियों की अलग से ज्येष्ठता सूची बनायी जाय । अतः अलग से ज्येष्ठता सूची बनाने का प्रश्न नहीं उठता है ।

बिक्रीकर विभाग में तदर्थ रूप से नियुक्त अनुसूचित जाति के कर्मचारियों का प्रत्यावर्तन

132---डाक्टर शिवानन्द नौटियाल---

क्या वित्त मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दि0 11-4-77 को वेतनमान 280-460 में तदर्थ रूप से कतिपय अनुसूचित जाति के कर्मचारियों को दि0 6-10-82 को प्रत्यावर्तित कर दिया गया है जब कि इनके स्थान पर नियमित नियुक्तियां मार्च, 83 तक की गयी हैं ? यदि हां, तो यह किन परिस्थितियों में किया गया ? क्या सन्दर्भित मामले में जांच कराकर सम्बन्धित अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही करने की कृपा करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रह्मदत्त---

जी हां । दिनांक 6-10-82 को वेतनमान 280-460 में तदर्थ रूप से कार्यरत तीन अनुसूचित जाति के कर्मचारियों को प्रत्यावर्तित किया गया था क्योंकि इनके स्थान पर उनसे ज्येष्ठ अनुसूचित जाति के कर्मचारियों को नियमित रूप से आदेश दिनांक 30-9-82 एवं 14-10-82 द्वारा पदोन्नति दी गयी थी । अतः मार्च, 83 में पुनः इन कर्मचारियों के स्थान पर नियमित नियुक्तियां करने अथवा जांच कराकर सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता ।

गन्ना समिति, किच्छा, नैनीताल के लिपिकों का स्थायीकरण

133—श्री शेर बहादुर—

क्या गन्ना विकास मन्त्री यह बतायेंगे कि गन्ना समिति किच्छा (नैनीताल) में सन् 1973–74 से कार्यरत कितने लिपिक ऐसे हैं जो अभी तक कनफर्म नहीं हो पाए हैं ? क्या यह शासनादेश के अनुकूल है ? यदि नहीं, तो अभी तक क्यों नहीं कनफर्म हुए ?

श्री सुरेन्द्र पाल सिंह—

सन् 1973–74 में गन्ना समिति किच्छा (नैनीताल) अस्तित्व में ही नहीं थी ।

134—श्री शेर बहादुर तथा श्री प्रियदर्शी जेतली—

[दिनांक 17–2–84 को अतारांकित प्रश्न संख्या 27 द्वारा उत्तरित ।]

श्री शिव कुमार निगम, ए0 डी0 एम0 (पी0) तथा सामान्य प्रबन्धक, दी सहकारी चीनी मिल, घोसी, आजमगढ़ के विरुद्ध शिकायतों की जांच

135—श्री राजकुमार राय—

क्या गन्ना विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उन्हें क्षेत्र समिति फतेहपुर मंडाव, जिला आजमगढ़ के सदस्यों एवं कुछ स्वतन्त्रता संग्राम सेनानियों के शिकायती–पत्र प्रश्नकर्त्ता के संस्तुति पत्र दि0 10–7–83 के साथ ए0 डी0 एम0 (पी0), आजमगढ़ तथा सामान्य प्रबन्धक, दी सहकारी चीनी मिल, घोसी, आजमगढ़ श्री शिवकुमार निगम के विरुद्ध मिला था ? यदि हां, तो उसमें क्या कार्यवाही हुई तथा कितने आरोप सही पाए गये ?

श्री सुरेन्द्र पाल सिंह—

जी हां ।

शिकायतों की जांच जिला अधिकारी, आजमगढ़ के स्तर पर की गयी और शिकायत–पत्र के सभी आरोप निराधार पाये गये ।

136—श्री राजकुमार राय—

[स्पष्टीकरण के अभाव में निरस्त ।]

लखनऊ बिक्रीकर कार्यालय में एस0 आई0 बी0 की आलमारी कटने की जांच

137—श्री यदुनाथ सिंह—

क्या वित्त मन्त्री को ज्ञात है कि उ0 प्र0 बिक्रीकर उत्पीड़न निवारण समिति ने लखनऊ बिक्रीकर कार्यालय में एस0 आई0 बी0 की अलमारी कटने की नए सिरे से जांच के लिए आयुक्त, बिक्रीकर को एक पत्र ता0 6–10–83 को व रिमाइन्डर दि0 1–11–83 को दिया था ? यदि हां, तो मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि क्या जांच पुनः प्रारम्भ हो गई है ? यदि नहीं, तो अब कब तक प्रारम्भ की जावेगी ?

श्री ब्रह्मदत्त—

जी हां ।

श्री भरतलाल, चौकीदार को सेवा से पृथक् किया गया था परन्तु माननीय उच्च न्यायालय द्वारा उसे पुनः सेवा में पदारुढ़ करने के आदेश दिये गये थे। न्यायालय के निर्णय के अनुपालन में श्री भरतलाल को सेवा में पुनः रख लिया गया है । अतः पुनः नये सिरे से जांच प्रारम्भ करने का कोई औचित्य नहीं है ।

पुनः जांच का औचित्य नहीं है ।

138—श्री रियासत हुसैन—

[करण 26 (1) के अन्तर्गत उत्तरित ।]

सहायक चीनी आयुक्त तथा उप चीनी आयुक्त, बरेली के विरुद्ध शिकायतों की जांच

139--श्री मोतीलाल देहलवी--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सहायक चीनी आयुक्त, बरेली तथा उप चीनी आयुक्त, बरेली के विरुद्ध गम्भीर आरोप-पत्र अप्रैल, 1983 से सितम्बर, 1983 तक विधायक तथा जनता द्वारा दिए गये थे जिनमें स्थानान्तरण कर सी0 आई0 डी0 या विजिलेंस की जांच की मांग की गयी थी ? यदि हां, तो उसमें क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री सुरेन्द्र पाल सिंह--

सहायक चीनी आयुक्त, बरेली तथा उप चीनी आयुक्त, बरेली के विरुद्ध अप्रैल, 1983 से सितम्बर, 1983 तक के प्राप्त शिकायती पत्रों की जांच अपर चीनी आयुक्त से कराने हेतु आदेश दिये गये हैं। शिकायती पत्रों की जांच की जा रही है। जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर वांछित कार्यवाही के सम्बन्ध में यथोचित निर्णय लिया जायेगा।

ग्राम संभई, जिला वाराणसी में भूमि के आवंटन के सम्बन्ध में भूमि प्रबन्धक समिति का प्रस्ताव तथा परगनाधिकारी द्वारा अनुमोदन

140--श्री ऊदल--

क्या राजस्व मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि भूमि प्रबन्धक समिति गांव सभा संभई भटानी, परगना भदोही, तह0 ज्ञानपुर, जिला वाराणसी के चेयरमैन प्रधान गांव सभा श्री पंचम व सदस्यों ने गांव सभा की भूमि कुछ ऐसे व्यक्तियों को आवंटित कर दिया है, जो उस गांव के निवासी नहीं हैं और परगना हाकिम ज्ञानपुर ने भी स्वीकृति प्रदान कर दी है ? यदि हां, तो क्या सरकार भूमि प्रबन्धक समिति व परगना हाकिम के खिलाफ कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बल्देव सिंह आर्य--

ग्राम संभई भटानो, परगना भदोही, तहसील ज्ञानपुर म भूमि के आवंटन का प्रस्ताव 135 व्यक्तियों के लिए भूमि प्रबन्धक समिति के चेयरमैन प्रधान गांव सभा श्री पंचम व सदस्यों ने दिनांक 30-6-83 को पारित किया, जिसकी जांच की गई और जांचोपरान्त 11 व्यक्ति पात्र नहीं पाए गए, उनके सम्बन्ध में प्रस्ताव अमान्य करते हुए शेष 124 व्यक्तियों के लिये प्रस्ताव का अनुमोदन परगनाधिकारी, ज्ञानपुर ने दिनांक 27-7-83 को किया है। उक्त 124 आवंटियों में से 122 आवन्टियों के विरुद्ध धारा 198 (4) जमींदारी विनाश अधिनियम के अन्तर्गत पट्टा निरस्तीकरण का वाद अपर जिलाधिकारी, ज्ञानपुर के न्यायालय में विचाराधीन है। न्यायालय के निर्णय के बाद यदि आवश्यक हुआ तो सम्बन्धित भूमि प्रबन्धक समिति व कर्मचारी/अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी।

इटावा, इलाहाबाद, मथुरा, एटा, अलीगढ़ तथा आगरा जनपदों की अकृष्य भूमि के सम्बन्ध में जानकारी

141--श्री जयदीप सिंह बराड़--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनपद इटावा में कुल कितनी भूमि पर बंजर, ऊसर, बीहड़ अथवा अकृष्य होने के कारण कृषि नहीं होती है ? क्या शासन के पास जानकारी है कि इस भूमि में से क्रमशः कितनी-कितनी भूमि निजी, राजकीय और ग्राम सभा के स्वमित्व में है ?

श्री बल्देव सिंह आर्य--

प्रश्न की सूचना एकत्र करने में शासन का जो श्रम, धन एवं समय व्यय होगा वह उसके लाभ के अनुरूप न होगा।

142—श्री जयदीप सिंह बरार—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनपद इलाहाबाद में कुल कितनी भूमि पर बंजर, ऊसर, बीहड़ अथवा अकृष्य होने के कारण कृषि नहीं होती है ? क्या शासन के पास जानकारी है कि इस भूमि में से क्रमशः कितनी-कितनी भूमि निजी, राजकीय और ग्राम सभा के स्वामित्व में है ?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

प्रश्न की सूचना एकत्र करने में शासन का जो श्रम, धन एवं समय व्यय होगा वह उसके लाभ के अनुरूप न होगा ।

143—श्री जयदीप सिंह बरार—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनपद मथुरा में कुल कितनी भूमि पर बंजर, ऊसर, बीहड़ अथवा अकृष्य होने के कारण कृषि नहीं होती है ? क्या शासन के पास जानकारी है कि इस भूमि में से क्रमशः कितनी-कितनी भूमि निजी, राजकीय और ग्राम सभा के स्वामित्व में है ?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

प्रश्न की सूचना एकत्र करने में शासन का जो श्रम, धन एवं समय व्यय होगा वह उसके लाभ के अनुरूप न होगा ।

144—श्री जयदीप सिंह बरार—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनपद एटा में कुल कितनी भूमि पर बंजर, ऊसर, बीहड़ अथवा अकृष्य होने के कारण कृषि नहीं होती है ? क्या शासन के पास जानकारी है कि इस भूमि में से क्रमशः कितनी-कितनी भूमि निजी, राजकीय और ग्राम सभा के स्वामित्व में है ?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

प्रश्न की सूचना एकत्र करने में शासन का जो श्रम, धन एवं समय व्यय होगा वह उसके लाभ के अनुरूप न होगा ।

145—श्री जयदीप सिंह बरार—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनपद अलीगढ़ में कुल कितनी भूमि पर बंजर, ऊसर, बीहड़ अथवा अकृष्य होने के कारण कृषि नहीं होती है ? क्या शासन के पास जानकारी है कि इस भूमि में से क्रमशः कितनी-कितनी भूमि निजी, राजकीय और ग्राम सभा के स्वामित्व में है ?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

प्रश्न की सूचना एकत्र करने में शासन का जो श्रम, धन एवं समय व्यय होगा वह उसके लाभ के अनुरूप न होगा ।

146—श्री जयदीप सिंह बरार—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनपद आगरा में कुल कितनी भूमि पर बंजर, ऊसर, बीहड़ अथवा अकृष्य होने के कारण, कृषि नहीं होती है ? क्या शासन के पास जानकारी है कि इस भूमि में से क्रमशः कितनी-कितनी भूमि निजी, राजकीय और ग्राम सभा के स्वामित्व में है ?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

प्रश्न की सूचना एकत्र करने में शासन का जो श्रम, धन एवं समय व्यय होगा वह उसके लाभ के अनुरूप न होगा ।

रायबरेली में नियुक्त बिक्रीकर अधिकारी के विरुद्ध व्यापारियों की शिकायतों पर जांच

147—श्री यदुनाथ सिंह—

क्या वित्त मंत्री को ज्ञात है कि रायबरेली में वर्ष 82-83 में नियुक्त बिक्रीकर अधिकारी के विरुद्ध व्यापारियों ने जनवरी, 83 में शासन को शिकायत भेजी थी तथा अपर आयुक्त ने जांच की और इस अधिकारी का लखनऊ में

तबादला कर दिया गया ? यदि हां, तो व्यापारियों की शिकायत क्या थी ? क्या इस अधिकारी के पास कोई वाहन (स्कूटर, जीप आदि) भी है ? यदि हां, तो क्या वाहन खरीदने के लिए शासन से स्वीकृति ली थी ?

श्री ब्रह्मदत्त--

जी हां ।

भ्रष्टाचार, पुत्री के जन्म दिवस पर व्यापारियों से मांग, पेट्रोल जीप रखना इलाहाबाद में मकान बनवाना, स्वतः कर निर्धारण योजना के अन्तर्गत वादों का निस्तारण न करना, कर मुक्त वादों में पेशियां लगवाना, छोटे व्यापारियों को परेशान करना फार्म--31 को देने में अनियमितता, ईंट भट्ठे वालों को परेशान करना, मद्यपान करना, व्यापारियों को रिफन्ड का पूरा पैसा न दिया जाना आदि ।

प्रारम्भिक जांच में इनके पास एक पेट्रोल जीप का होना पाया गया जिसे इन्होंने श्री एस० एस० सिंह, ठेकेदार, की बताया । अतः इसे खरीदने हेतु शासन की स्वीकृति का प्रश्न नहीं उठता ।

पश्चिमी जिलों में गन्ना सुरक्षण हेतु गन्ना आयुक्त की अध्यक्षता में मेरठ में हुई बैठक

148--श्री किशनपाल सिंह--

क्या गन्ना विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि 30-10-83 को मेरठ में गन्ना आयुक्त की अध्यक्षता में मेरठ कमिश्नरी की रिजर्वेशन मीटिंग हुई थी ? यदि हां, तो क्या उक्त मीटिंग की सूचना कमिश्नरी के विधायकों को दी गयी थी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुरेन्द्र पाल सिंह--

दिनांक 30-10-83 को नहीं लेकिन दिनांक 12-10-83 व 18-10-83 को पश्चिमी जिलों की चीनी मिलों के लिए गन्ना सुरक्षण हेतु बैठक जिला गन्ना अधिकारी, मेरठ के कार्यालय में गन्ना आयुक्त की अध्यक्षता में हुई थी । इन बैठकों में प्रचलित प्रक्रिया के अनुसार चीनी मिलों तथा गन्ना समितियों के प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया गया था । इन बैठकों में माननीय विधायकों को आमंत्रित करने का कोई प्राविधान उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति एवं खरीद विनियमन) अधिनियम, 1953 में नहीं है ।

वाराणसी के ग्राम पूरे मनोहर के भूमिहीन हरिजनों को भूमि का आवंटन

149--श्री ऊदल--

क्या राजस्व मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि गांव पूरे मनोहर, ब्लाक सुरियावां, पो० भदोही, तहसील ज्ञानपुर, जिला वाराणसी में बीसों परिवार हरिजन एवं भूमिहीन हैं ? यदि हां, तो उनको आवास के लिए तथा कृषि के लिए अब तक भूमि का आवंटन क्यों नहीं किया है ? क्या इसकी जांच कराकर आवंटन कराने का आदेश सरकार जिलाधीश, वाराणसी को देगी ?

श्री बलदेव सिंह आर्य--

ग्राम पूरे मनोहर, ब्लाक सुरियावां, तहसील ज्ञानपुर, जिला वाराणसी में भूमिहीन खेतिहर मजदूर सात तथा 3--1/8 एकड़ के नीचे के खेतिहर मजदूर सात कुल 14 पात्र व्यक्ति हैं । ग्राम में कृषि योग्य छिट--पुट भूमि उपलब्ध होने के कारण भूमि प्रबन्धक समिति ने उसे सार्वजनिक उपयोग के लिए सुरक्षित रखा है । इस प्रकार ग्राम में कृषि आवंटन हेतु भूमि उपलब्ध नहीं है । आवासीय भूमि का आवंटन उस समय तक पाये गये 6 पात्र

व्यक्तियों को किया गया है । नया सर्वेक्षण कराकर आवास आवंटन की कार्यवाही की जा रही है ।

जनपद मैनपुरी की अकृष्य भूमि के सम्बन्ध में जानकारी

150--श्री जयदीप सिंह बरार--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनपद मैनपुरी में कुल कितनी भूमि पर बंजर, ऊसर, बीहड़ अथवा अकृष्य होने के कारण कृषि नहीं होती है ? क्या शासन के पास जानकारी है कि इस भूमि में से क्रमशः कितनी-कितनी भूमि निजी, राजकीय और ग्राम सभा के स्वामित्व में है ?

श्री बल्देव सिंह आर्य--

प्रश्न को सूचना एकत्र करने में शासन का जो श्रम, धन एवं समय व्यय होगा वह उसके लाभ के अनुरूप न होगा ।

151--श्री ऊदल--

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया]

152--श्री यदुनाथ सिंह--

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त ।]

चकबन्दी विभाग के विरुद्ध ग्राम सभा सोनपुरवा, वाराणसी के प्रधान के शिकायती-पत्र पर कृत कार्यवाही

153--श्री ऊदल--

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गांव सभा सोनपुरवा, परगना पन्द्रह, तहसील व जिला वाराणसी के प्रधान देवनाथ ने उप संचालक चकबन्दी एवं जिलाधीश, वाराणसी को एक प्रार्थना-पत्र 18 आरोपों का, चकबन्दी विभाग के खिलाफ 2-8-83 को दिया है ? यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री बल्देव सिंह आर्य--

जी हां ।

यह प्रार्थना-पत्र ग्राम लछिरामपुर से सम्बन्धित है । इस ग्राम का कब्जा परिवर्तन दिनांक 30-5-75 को किया गया । धारा 52(1) की विज्ञप्ति प्रकाशनार्थ दिनांक 31-3-83 को भेजी गई । शिकायती-पत्र की जांच से बहुत सी त्रुटियां प्रकाश में आईं । इन त्रुटियों के कारण धारा 52(1) का प्रकाशन रुकवा दिया गया है तथा अशुद्धियों का समाधान संदर्भ के माध्यम से किया जा रहा है ।

श्री ख्याली राम शर्मा, वरिष्ठ उपाध्यक्ष, यू0 पी0 सेल्स टैक्स मिनिस्ट्रीयल स्टाफ एसोशियेशन, अलीगढ़ के शिकायती-पत्र पर सतर्कता अधिष्ठान द्वारा जांच

154--श्री यदुनाथ सिंह--

विधान सभा के द्वितीय सत्र 83 के 2रे शुक्र0 के लिए निर्धारित अता0 प्र0 सं0 85 के सन्दर्भ में वित्त मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या सतर्कता विभाग की रपट आ गई है ? यदि हां, तो इस रपट में किस-किस को दोषी पाया गया ? क्या जांच अधिकारी के द्वारा उपायुक्त का आचरण संदिग्ध पाने के पश्चात् उनको सेवा-निवृत्ति के समय सत्यनिष्ठा को प्रमाणित किया गया ? क्या सेवा निवृत्त उक्त उपायुक्त की पेंशन तय कर दी गयी और ग्रेच्युटी दे दी गयी ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री ब्रह्मदत्त--

जी हां, सतर्कता अधिष्ठान क जांच रिपोर्ट सतर्कता विभाग के प दिनांक 17 मार्च, 1983 के साथ प्राप्त

हुई थी । जांच रिपोर्ट श्री गौरीश चरण श्रीवास्तव, आशुलिपिक द्वारा गलत यात्रा भत्ता आहरित किये जाने के विषय में थी, जिसमें जांचोपरान्त सतर्कता अधिष्ठान ने पाया था कि इस सम्बन्ध में पहले ही विभागीय जांच की गई थी और उसके फलस्वरूप विभागीय कार्यवाही की जा रही थी । अतः उन्होंने अपनी जांच समाप्त करते हुये यह अपेक्षा की थी कि विभागीय कार्यवाही करते समय इस बात का भी विधिक दृष्टि से परीक्षण करा लिया जाय कि श्री श्रीवास्तव के विरुद्ध पाये गये तथ्य वान्डिक अपराध की कोटि में आते हैं अथवा नहीं और तद्नुसार अभियोजन चलाने का कार्यवाही अथवा विभागीय कार्यवाही की जाय । आयुक्त, बिक्रीकर को 14-7-33 के पत्र द्वारा तद्नुसार सूचित कर दिया गया था । आयुक्त, बिक्रीकर द्वारा सतर्कता अधिष्ठान से सम्बन्धित अभिलेख प्राप्त कर लिए गये हैं और मामले का विधिक परीक्षण किया जा रहा है जहां तक सेवानिवृत्त उपायुक्त, श्री आर० जी० जौहरी का प्रश्न है, सतर्कता अधिष्ठान ने उक्त रिपोर्ट में उनके आचरण के विरुद्ध कोई टिप्पणी नहीं की है । फलस्वरूप सत्य-निष्ठा न प्रमाणित किये जाने का प्रश्न सतर्कता जांच के परिपेक्ष्य में नहीं उठता । उन्हें पेंशन व ग्रेच्युटी दिये जाने के आदेश पारित कर दिये गये हैं । उनकी पेंशन व ग्रेच्युटी रोकने का कोई आधार नहीं था । उल्लेखनीय है कि कार्य आचरण प्रमाण-पत्र दिये जाने की प्रथा को शासनादेश दिनांक 26-4-82 द्वारा समाप्त किया जा चुका है ।

दि किसान सहकारी चीनी मिल, सठियांव के क्षेत्र में निर्मित मार्गों का विवरण

155--श्री पंचानन राय--

क्या गन्ना विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दि किसान सहकारी चीनी मिल, सठियांव के क्षेत्र में 1 अप्रैल, 80 से 31 अक्तूबर, 83 तक कितनी-कितनी लम्बाई के किन-किन मार्गों का निर्माण कराया गया तथा इन पर अलग-अलग कितनी धनराशि व्यय की गयी ?

श्री सुरेन्द्र पाल सिंह--

दि किसान सहकारी चीनी मिल, सठियांव के क्षेत्र में 1 अप्रैल, 80 से 31 अक्तूबर, 83 तक की अवधि में जिन विभिन्न मार्गों का निर्माण कराया गया उनकी लम्बाई तथा उन पर किये गये व्यय की सूचना संलग्न है ।

(देखिए नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ 149 पर ।)

ग्राम अतरकच्छा, जनपद आजमगढ़ में दिए गए पट्टे तथा भूमि पर कब्जा

156--श्री पंचानन राय--

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम अतरकच्छा, विकास खण्ड अजमतगढ़, जनपद आजमगढ़ में कितनी-कितनी जमीन किन-किन व्यक्तियों को पट्टा की गयी है ? इनमें से किनको-किनको कब्जा दिला दिया गया है ? जिन व्यक्तियों को कब्जा नहीं दिया गया है, उन्हें कब तक कब्जा दिला दिया जायगा ?

श्री बलदेव सिंह आर्य--

ग्राम अतरकच्छा, तहसील सगड़ी, विकास खण्ड अजमतगढ़, जनपद आजमगढ़ में श्री चन्द्रभान पुत्र बुधई, निवासी ग्राम अतरकच्छा को भू-खण्ड नं० 618 में से 245 कड़ी तथा भू० सं० 571 में से 118 कड़ी का पट्टा दिनांक 27-10-75 को किया गया है और पट्टे की भूमि पर उन्हें कब्जा भी दिलाया जा चुका है । इसके अतिरिक्त इस ग्राम में किसी अन्य व्यक्ति को ग्राम समाज की भूमि का पट्टा नहीं दिया गया है । अस्तु कब्जा दिलाने के लिए अवशेष मामलों का प्रश्न नहीं उठता ।

ग्राम अतरकच्छा, जनपद आजम-
गढ़ की ग्राम सभा की
भूमि पर अवैध कब्जे
के विरुद्ध कार्यवाही

157-श्री पंचानन राय--

क्या राजस्व मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम अतर कच्छा, वि0 खं0 अजमतगढ़, जनपद आजमगढ़ में ग्राम समाज की सम्पत्ति पर कुछ व्यक्तियों ने अवैध कब्जा कर लिया है ? यदि हां, तो उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

श्री बल्देव सिंह आर्य--

जी हां ।

ग्राम अतरकच्छा, विकास खन्ड अजमत-गढ़, तहसील सगड़ी, जनपद आजमगढ़ में ग्राम सभा की भूमि पर 12 व्यक्तियों ने अवैध रूप से अनाधिकृत कब्जा कर लिया है । इन सभी व्यक्तियों के विरुद्ध तहसीलदार सगड़ी के न्यायालय में बेदखली का वाद दायर कर दिया गया है ।

जनपद बरेली, मिर्जापुर, जौनपुर,
गाजीपुर, बलिया, वाराणसी,
बिजनौर, रामपुर, मुरादा-
बाद तथा पीलीभीत में बंजर,
ऊसर तथा बीहड़ भूमि
के सम्बन्ध में
जानकारी

158-श्री जयदीप सिंह बरार--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनपद बरेली में कुल कितनी भूमि पर बंजर, ऊसर, बीहड़ अथवा अकृष्य होने के कारण कृषि नहीं होती है ? क्या शासन के पास जानकारी है कि इस भूमि में से क्रमशः कितनी-कितनी भूमि निजी, राजकीय और ग्राम सभा के स्वामित्व में है ?

श्री बल्देव सिंह आर्य--

प्रश्न की सूचना एकत्र करने में शासन का जो श्रम, धन एवं समय व्यय होगा वह उसके लाभ के अनुरूप न होगा ।

159-श्री जयदीप सिंह बरार--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनपद मिर्जापुर में कुल कितनी भूमि पर बंजर, ऊसर, बीहड़ अथवा अकृष्य होने के कारण कृषि नहीं होती है ? क्या शासन के पास जानकारी है कि इस भूमि में से क्रमशः कितनी-कितनी भूमि निजी, राजकीय और ग्राम सभा के स्वामित्व में है ?

श्री बल्देव सिंह आर्य--

प्रश्न की सूचना एकत्र करने में शासन का जो श्रम, धन एवं समय व्यय होगा वह उसके लाभ के अनुरूप न होगा ।

160-श्री जयदीप सिंह बरार--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनपद जौनपुर में कुल कितनी भूमि पर बंजर, ऊसर, बीहड़ अथवा अकृष्य होने के कारण कृषि नहीं होती है ? क्या शासन के पास जानकारी है कि इस भूमि में से क्रमशः कितनी-कितनी भूमि निजी, राजकीय और ग्राम सभा के स्वामित्व में है ?

श्री बल्देव सिंह आर्य--

प्रश्न की सूचना एकत्र करने में शासन का जो श्रम, धन एवं समय व्यय होगा वह उसके लाभ के अनुरूप न होगा ।

161-श्री जयदीप सिंह बरार--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनपद गाजीपुर में कुल कितनी भूमि पर बंजर, ऊसर, बीहड़ अथवा अकृष्य होने के कारण कृषि नहीं होती है ? क्या शासन के पास जानकारी है कि

इस भूमि में से क्रमशः कितनी-कितनी भूमि निजी, राजकीय अथवा ग्राम सभा के स्वामित्व में है ?

श्री बल्देव सिंह आर्य--

प्रश्न की सूचना एकत्र करने में शासन का जो श्रम, धन एवं समय व्यय होगा वह उसके लाभ के अनुरूप न होगा ।

162-श्री जयदीप सिंह बरार--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनपद बलिया में कुल कितनी भूमि पर बंजर, ऊसर, बीहड़ अथवा अकृष्य होने के कारण कृषि नहीं होती है ? क्या शासन के पास जानकारी है कि इस भूमि में से क्रमशः कितनी-कितनी भूमि निजी, राजकीय और ग्राम सभा के स्वामित्व में है ?

श्री बल्देव सिंह आर्य--

प्रश्न की सूचना एकत्र करने में शासन का जो श्रम, धन एवं समय व्यय होगा वह उसके लाभ के अनुरूप न होगा ।

163-श्री जयदीप सिंह बरार--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनपद वाराणसी में कुल कितनी भूमि पर बंजर, ऊसर, बीहड़ अथवा अकृष्य होने के कारण कृषि नहीं होती है ? क्या शासन के पास जानकारी है कि इस भूमि में से क्रमशः कितनी-कितनी भूमि निजी, राजकीय और ग्राम सभा के स्वामित्व में है ?

श्री बल्देव सिंह आर्य--

प्रश्न की सूचना एकत्र करने में शासन का जो श्रम धन एवं समय व्यय होगा वह उसके लाभ के अनुरूप न होगा ।

164-श्री जयदीप सिंह बरार--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनपद बिजनौर में कुल कितनी भूमि पर बंजर, ऊसर, बीहड़ अथवा अकृष्य होने के कारण कृषि नहीं होती है ? क्या शासन के पास जानकारी है कि इस भूमि में से क्रमशः कितनी-कितनी भूमि निजी, राजकीय और ग्राम सभा के स्वामित्व में है ?

श्री बल्देव सिंह आर्य--

प्रश्न की सूचना एकत्र करने में शासन का जो श्रम, धन एवं समय व्यय होगा वह उसके लाभ के अनुरूप न होगा ।

165-श्री जयदीप सिंह बरार--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनपद रामपुर में कुल कितनी भूमि बंजर, ऊसर, बीहड़ अथवा बेकार होने के कारण कृषि नहीं होती है ? क्या शासन के पास जानकारी है कि इस भूमि में से क्रमशः कितनी-कितनी भूमि निजी, राजकीय और ग्राम सभा के स्वामित्व में है ?

श्री बल्देव सिंह आर्य--

प्रश्न की सूचना एकत्र करने में शासन का जो श्रम, धन एवं समय व्यय होगा वह उसके लाभ के अनुरूप न होगा ।

166--श्री जयदीप सिंह बरार--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनपद मुरादाबाद में कुल कितनी भूमि पर बंजर, ऊसर, बीहड़ अथवा अकृष्य होने के कारण कृषि नहीं होती है ? क्या शासन के पास जानकारी है कि इस भूमि में से क्रमशः कितनी-कितनी भूमि निजी, राजकीय और ग्राम सभा के स्वामित्व में है ?

श्री बल्देव सिंह आर्य--

प्रश्न की सूचना एकत्र करने में शासन का जो श्रम, धन एवं समय व्यय होगा वह उसके लाभ के अनुरूप न होगा ।

167--श्री जयदीप सिंह बरार--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनपद पीलीभीत में कुल कितनी भूमि पर बंजर, ऊसर, बीहड़ अथवा अकृष्य होने के कारण कृषि नहीं होती है ? क्या शासन के पास जानकारी है कि इस भूमि में से क्रमशः कितनी-कितनी भूमि निजी, राजकोष और ग्राम सभा के स्वामित्व में है ?

श्री बल्देव सिंह आर्य--

प्रश्न की सूचना एकत्र करने में शासन का जो श्रम, धन एवं समय व्यय होगा वह उसके लाभ के अनुरूप न होगा ।

जनपद शाहजहांपुर में मनोरंजन कर से आय तथा सिनेमा घरों में फर्जी टिकटों तथा डुप्लीकेट फिल्मों की कथित बिक्री

168--श्री सत्यपाल सिंह--

क्या वित्त मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि 1 जनवरी, 1982 से 31 जुलाई, 82 तक जनपद शाहजहांपुर में विभिन्न स्रोतों से मनोरंजन-कर के रूप में कुल कितनी आय हुई तथा इन्हीं मासों में वर्ष 83 में कितनी आय हुई है ? क्या यह सच है कि जनपद शाहजहांपुर के मनोरंजन-कर विभाग के कर्मचारियों व अधिकारियों और विभिन्न सिनेमाघरों (टाकीज) के मैनेजरों व मालिकों को मिली भगत से फर्जी (डुप्लीकेट) सिनेमा टिकट की बिक्री जोरों पर है तथा डुप्लीकेट फिल्मों का धंधा भी इस जनपद में भयंकर रूप से व्याप्त है ? क्या शासन इस सम्बन्ध में सी0 आई0 डी0 विभाग द्वारा जांच कराने की कृपा करेगी ?

श्री ब्रह्मदत्त--

जनपद शाहजहांपुर में 1 जनवरी, 1982 से 31 जुलाई, 1982 तक रु0 29, 09, 928.61 पै0 की मनोरंजन कर के रूप में आय हुई तथा वर्ष 1983 में इसी अवधि में रु0 31, 53, 724.88 पै0 की आय हुई है ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जौनपुर जनपद के ग्राम बाजनपुर, ग्राम हैदरपुर तथा ग्राम गोधुआ में चकबन्दी बन्दोबस्त रजिस्टर में फर्जी इन्द्राजों की रिपोर्ट पर कार्यवाही

169--श्री ऊदल--

क्या राजस्व मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि गांव बाजनपुर, परगना मुंगरा, तह0 मछली शहर, जिला जौनपुर के चकबन्दी बन्दोबस्त रजिस्टर एवं खतौनी में काफी फर्जी इन्द्राज धारा 52 प्रकाशन एवं जिल्द बन्दोबस्त बन जाने के बाद कराया गया है ? क्या यह सही है कि गांव बाजनपुर में सरकार बनाम अहिवरन आदि के नाम से 16 रिपोर्ट हल्का लेखपाल एवं कानूनगो ने तहसीलदार मछली शहर, जिला जौनपुर को दिया है ? यदि हां, तो उस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गई ? क्या सरकार फर्जी इन्द्राज काटकर ठीक करेगी ?

श्री बल्देव सिंह आर्य--

जी हां । फर्जी इन्द्राजों के सम्बन्ध में 16 रिपोर्टें हल्का लेखपाल एवं पर्यवेक्षक कानूनगो द्वारा कर दी गई हैं, जिसमें सरकार बनाम अहिवरन भी शामिल है । यह प्रकरण तहसीलदार, मछलीशहर के न्यायालय में विचाराधीन है । निर्णय होने के बाद इन्द्राज संशोधित किये जायेंगे ।

170--श्री ऊदल--

क्या राजस्व मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि गांव हैदरपुर, परगना मुंगरा, तह0 मछलीशहर, जिला जौनपुर में चकबन्दी बन्दोबस्त रजिस्टर एवं खतौनी में फर्जी इन्द्राज धारा 52 प्रकाशन एवं जिल्द बन्दोबस्त बन जाने के बाद किया गया है ? क्या यह सही है कि गांव हैदरपुर में सरकार बनाम कामता वगैरह के नाम से 16 रिपोर्ट लेखपाल व कानूनगो ने तहसीलदार, मछलीशहर को

दिया है ? इस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? क्या सरकार इसकी व्यापक जांच करायेगी ?

श्री बल्देव सिंह आर्य--

जी हां । फर्जी इन्द्राजों के सम्बन्ध में क्षेत्रीय लेखपाल एवं कानूनगो द्वारा 17 रिपोर्टें, जिसमें सरकार बनाम कामता आदि शामिल है, की गई है और मामला तहसीलदार, मछलीशहर के न्यायालय में विचाराधीन हैं । निर्णय के पश्चात् इन्द्राज संशोधित किये जायेंगे ।

171--श्री ऊदल---

क्या राजस्व मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि गांव गोधुआ, परगना मुंगरा, तह0 मछलीशहर, जिला जौनपुर में चकबन्दी बन्दोबस्त रजिस्टर एवं खतौनी में फर्जी इन्द्राज बहुत से खातों में धारा 52 के प्रकाशन एवं जिल्द बन्दोबस्त बन जाने के बाद किया गया है ? क्या यह सही है कि गांव गोधुआ में ग्राम सभा बनाम जयकरन वगैरह के नाम से 19 रिपोर्ट हल्का लेखपाल एवं कानूनगो ने तहसीलदार, मछलीशहर को दिया है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री बल्देव सिंह आर्य---

जी हां । फर्जी इन्द्राजों के सम्बन्ध में क्षेत्रीय लेखपाल एवं कानूनगो के द्वारा 20 रिपोर्टें, जिसमें गांव सभा बनाम जयकरन भी शामिल हैं, की गई हैं और यह प्रकरण भी तहसीलदार, मछलीशहर के न्यायालय में विचाराधीन हैं । निर्णय के बाद इन्द्राजों में संशोधन किया जायगा ।

172--ऊदल--

क्या राजस्व मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि गांव हैदरपुर गोधुआ व वामनपुर मुंगरा, तह0 मछलीशहर, जिला जौनपुर में जिल्द बन्दोबस्त में जालसाजी करके 114 एकड़ भूमि पर कई लोगों का फर्जी इन्द्राज किया गया है ? क्या सरकार इसकी व्यापक जांच करेगी ? और फर्जी इन्द्राज को काटकर सही इन्द्राज करायेगी ?

श्री बल्देव सिंह आर्य--

ग्राम हैदरपुर गोधुवा, वामनपुर, परगना मुंगरा, तहसील मछलीशहर, जिला जौनपुर के सम्बन्ध में प्रश्न सं0 169, 170 तथा 171 में दिये गये विवरण में क्रमशः 16.74, 20.75, 16.04 कुल मिलाकर 53.53 एकड़ भूमि पर फर्जी इन्द्राज का मामला प्रकाश में आया । इस सम्बन्ध में व्यापक जांच की गई तथा नियमानुसार कार्यवाही की जा रही है ।

जनपद जौनपुर के ग्राम सभा हैदरपुर के भूमि प्रबन्धक समिति के प्रधान, श्री भीम सिंह द्वारा फर्जी इन्द्राज की विरुद्ध शिकायतों पर जांचो परान्त कार्यवाही

173--श्री ऊदल--

क्या राजस्व मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि तहसीलदार, मछलीशहर, जिला जौनपुर को गांव सभा हैदरपुर, पो0 मुंगरा, तह0 मछलीशहर, जिला जौनपुर के उप प्रधान जंगबहादुर तथा भूमि प्रबन्धक समिति के सात सदस्यों ने वर्तमान प्रधान गांव सभा हैदरपुर भीम सिंह के खिलाफ प्रार्थना-पत्र दिया था कि प्रधान ने गांव समाज हैदरपुर की जमीन अपने तथा अपने लड़कों एवं भाभी के नाम फर्जी तरीके से इन्द्राज करा लिया है ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में कोई जांच सन् 82 में कराई गयी है ? यदि हां, तो उनकी आख्या क्या है और उस पर क्या कार्यवाही की गई ? क्या सरकार उस जांच आख्या की एक रिपोर्ट सदन को मेज पर रखने की कृपा करेगी ?

श्री बल्देव सिंह आर्य--

जी हां । जांच के उपरान्त सभी आरोप सही पाये गये । सम्बन्धित व्यक्तियों के विरुद्ध न्यायालय में वाद प्रस्तुत किया गया जो अभी विचाराधीन हैं । चूंकि न्यायालय का अन्तिम निर्णय नहीं हुआ है अतः जांच आख्या सदन के पटल पर रखना अभी जनहित में नहीं हैं ।

मुहाफिजखाना (रिकार्ड रूम) जौनपुर में फर्जी इन्द्राजों की दुरुस्ती की कार्यवाही

174—श्री ऊदल—

क्या राजस्व मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि फर्जी इन्द्राज मुहाफिजखाना (रिकार्ड रूम), जौनपुर में किये जाने का मामला सन् 81 व 82 में ही प्रकाश में आ गया था और तहसीलदार, परगना हाकिम, मछलीशहर एवं जिला-धीश, जौनपुर को प्रार्थना-पत्र दिये गये थे ? यदि हां, तो क्या अब तक उसकी जांच की गई या नहीं ?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

जी हां । फर्जी इन्द्राज की दुरुस्ती की कार्यवाही सक्षम न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है ।

ग्राम हैदरपुर, जनपद जौनपुर के खाता नं0 326, में जिल्द बन्दोबस्त में श्रीमती रम्मू के नाम इन्द्राज की गयी भूमि की जांच

175—श्री ऊदल—

क्या राजस्व मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि गांव हैदरपुर, परगना मुंगरा, तह0 मछलीशहर, जिला जौनपुर में गांव हैदरपुर का धारा 52 का प्रकाशन हो जाने तथा चकबन्दी जिल्द बन्दोबस्त बन जाने के बाद फर्जी तरीके से खाता 226 (जिल्द बन्दोबस्त) में गड्ढे के खाते की भूमि नं0 194-ब/50 श्रीमती रम्मू बेवा सूर्यबली, हैदरपुर के नाम किया गया है ? क्या यह सही है कि गांव हैदरपुर के प्रधान भीम सिंह की यह भाभी है ? क्या इस सम्बन्ध में अब तक कोई कार्यवाही की गयी ? क्या सरकार इसकी जांच कर उन कर्मचारियों को भी सजा देगी जिन्होंने जिल्द बन्दोबस्त में नाम रम्मू बेवा का चढ़ाया है ? क्या उक्त प्रधान के खिलाफ भी कार्यवाही करेगी और फर्जी नाम को काटकर गांव सभा की भूमि की रक्षा करेगी ?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

ग्राम हैदरपुर, परगना मुंगरा, तहसील मछलीशहर, जनपद जौनपुर के चकबन्दी बन्दोबस्त एवं खतौनी में धारा 52 के प्रकाशन एवं जिल्द बन्दोबस्त बन जाने के बाद फर्जी तरीके से खाता नं0 226 नहीं बल्कि खाता नं0 326 में जिल्द बन्दोबस्त में खाते की भूमि नं0 194 ब/50 रम्मू बेवा सूर्यबली के नाम इन्द्राज किया गया है । मु0 रम्मू प्रधान श्री भीम सिंह की भाभी नहीं बल्कि उनकी मामी हैं । इस संबंध में कार्यवाही की गई है । तहसीलदार की अदालत में लेखपाल बनाम मु0 रम्मू का वाद विचाराधीन है । अदालत के निर्णयानुसार अग्रिम कार्यवाही की जायेगी ।

राजस्व विभाग, बस्ती में कार्यरत तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों का वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर निर्धारित वेतन

176—श्री राधेश्याम वर्मा—

क्या राजस्व मन्त्री की जानकारी है कि जनपद बस्ती के राजस्व विभाग में कार्यरत तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों का वेतन, वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर निर्धारित करके वेतन एरियर का भुगतान अभी तक नहीं किया गया है ? यदि हां, तो उनका वेतन एरियर कब तक भुगतान कर दिया जायेगा ?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

जनपद बस्ती के राजस्व विभाग के तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के कुल 2,354 कर्मचारियों का वेतन द्वितीय उ0 प्र0 वेतन आयोग 1979-80 की संस्तुतियों के आधार पर निर्धारित कर दिया गया है । उक्त में से 1,946 कर्मचारियों के बकाये का भुगतान हो चुका है और शेष 408 कर्मचारियों के बकाया वेतन का भुगतान मार्च, 1984 तक कर दिया जायेगा ।

वित्त विभाग के कर्मचारी की मृत्यु के पश्चात् उनकी पत्नी की नियुक्ति

177—श्री रामस्वरूप वर्मा—

क्या वित्त मंत्री कृपया बतायेंगे कि उन्हें प्रश्नकर्त्ता का पत्र दि0 1-6-83 प्राप्त हुआ है, जिसमें वित्त विभाग के कर्मचारी की मृत्यु के पश्चात् नियमानुसार उनकी विधवा को नौकरी देने की मांग की गयी थी ? यदि हां, तो उसकी सेवा निवृत्ति करने का कारण क्या है ? क्या सरकार उसकी बेवा को तत्काल उक्त नौकरी देने की कृपा करेगी ?

श्री ब्रह्मदत्त—

जी हां ।

विधवा द्वारा अपने पति के मृत्यु प्रमाण-पत्र न देने के कारण उसकी सेवायें दिनांक 31-5-83 को समाप्त की गई थी परन्तु मृत्यु प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर उसकी नियुक्ति दिनांक 3-9-83 को कर दी गई है ।

178—श्री रामस्वरूप निम—

[3रे गुरुवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 130 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

ग्राम सिसई रानीपुर के काश्तकारों का चक नपवाने के संबंध में प्रार्थना-पत्र तथा चक आपत्तियों/अपीलों का निस्तारण

179—यमुना प्रसाद—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि चकबन्दी अधिकारी सर्किल करनपुर (बभनान) गोण्डा स्थित ग्राम सिसई रानीपुर के काश्तकारों का चक नपवाने के सम्बन्ध में कोई प्रार्थना-पत्र जून, 83 के मध्य में शासन को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही हुई ? यदि नहीं, तो क्यों और कब तक चक कटवा दिये जायेंगे ?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

जी हां । इस प्रार्थना-पत्र में कृषकों के चकों की पैमाइश एवं कब्जा परिवर्तन कराने की मांग की थी । इस ग्राम में चकों का निर्माण कराने के पश्चात् जोत चकबन्दी अधिनियम की धारा 20 के अन्तर्गत प्रस्तावित चकबन्दी योजना का प्रकाशन दिनांक 11-10-82 को किया गया था, जिसके विरुद्ध प्राप्त चक आपत्तियों का निस्तारण चकबन्दी अधिकारी द्वारा दिनांक 16-12-83 को कर दिया गया है । चकबन्दी अधिकारी के आदेशों के विरुद्ध प्रस्तुत अपीलों का निस्तारण किया जा रहा है । अपीलों के निस्तारण के पश्चात् फसल कटने पर अप्रैल, 1984 में अन्तिम रूप से चकों की पैमाइश कराकर कब्जा परिवर्तन करा देना संभावित है ।

180—श्री यमुना प्रसाद—

क्या राजस्व मंत्री यह भी बताने की कृपा करेंगे कि सिसई रानीपुर ग्राम की एक साल से लम्बित कितनी चक आपत्तियों/अपीलों का निस्तारण अब तक नहीं किया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों और कब तक करवा दिया जायेगा ?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

ग्राम सिसई रानीपुर, परगना बभनी-पायर, तहसील उतरौला, जिला गोण्डा की कोई चक अपील एक-एक साल से लम्बित नहीं है । ग्राम की चक आपत्तियों का निस्तारण चकबन्दी अधिकारी द्वारा दिनांक 16-12-83 को किया गया है, जिसके विरुद्ध दिनांक 17-12-83 से 9-1-84 तक 7 चक अपीलें और उसके पश्चात् दिनांक 27-1-84 तक 17 चक अपीलें तथा दिनांक 28-1-84 से 5-2-84 तक 9 अपीलें प्राप्त हुई हैं ।

181—श्रीमती गौरी देवी—

[स्पष्टीकरण के अभाव में निरस्त ।]

रजिस्ट्रार सोसाइटीज, लखनऊ द्वारा एजूकेशन सोस इटी, कौंच संस्था का पंजीकरण

182—श्री राम प्रसाद—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि रजिस्ट्रार सोसाइटीज, लखनऊ द्वारा

एजूकेशन सोसाइटी कोंच, महाविद्यालय कोंच के ही एक नाम से जून, 1975 एवं जनवरी, 1981 में दो भिन्न समितियों को पंजीकृत किया गया ? यदि हां तो किस आधार पर ?

श्री ब्रह्मदत्त--

सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन अधिनियम के अन्तर्गत एजूकेशन सोसाइटी कोंच, महाविद्यालय कोंच, जिला जालौन के नाम से संस्था 20-6-75 को पंजीकृत करायी गयी थी। परन्तु उक्त संस्था ने सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन अधिनियम की धारा 3-ए के अन्तर्गत निर्धारित अवधि के अन्दर अपने पंजीकरण का नवीनीकरण नहीं कराया जिसके फल-स्वरूप उक्त संस्था उपरोक्त अधिनियम की धारा 3-ए(5) के अन्तर्गत अपंजीकृत हो गयी। श्री कमलेश कुमार सिरौठिया ने अपने प्रार्थना-पत्र दिनांक 8-12-80 के आधार पर उपरोक्त अपंजीकृत संस्था के समान नाम की संस्था का रजिस्ट्रेशन संख्या 5540/80-81, दिनांक 16-1-81 द्वारा करा लिया।

जब 1975 में पंजीकृत संस्था उपरोक्त अधिनियम की धारा 3-ए(5) के अनुसार रजिस्ट्रेशन प्रमाण-पत्र के नवीनीकरण न कराने के कारण अपंजीकृत हो गयी थी तो 1975 में जारी किया गया रजिस्ट्रेशन प्रमाण-पत्र निष्प्रभावी हो गया तथा उक्त अधिनियम के अन्तर्गत उसका कोई वैधानिक अस्तित्व नहीं रहा। श्री कमलेश कुमार सिरौठिया को उनके 8-12-80 के प्रार्थना-पत्र के आधार पर 16-1-81 को रजिस्ट्रेशन प्रमाण-पत्र कानून के अनुसार जारी किया गया है।

उत्तर प्रदेश के सुपरवाइजर कानूनगो संवर्ग (मैदानी क्षेत्र) में कुल स्थायी/अस्थायी पद

183--श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि इस समय उ0 प्र0 में सुपरवाइजर कानूनगो के कुल स्थायी तथा अस्थायी पद कितने हैं ? इनमें से ऐसे अप्रशिक्षित सुपरवाइजर कानूनगो की संख्या कितनी है जो कि 6 वर्ष से 10 वर्ष की अवधि से उन पदों पर कार्यरत हैं ?

श्री बलदेव सिंह आर्य--

उत्तर प्रदेश के सुपरवाइजर कानूनगो संवर्ग (मैदानी क्षेत्र में) कुल 1,354 पद हैं, जिसमें से 972 पद स्थायी तथा 382 पद अस्थायी हैं। राजस्व परिषद् के पत्र दिनांक 17-5-83 के संलग्नक के अनुसार 6 वर्ष से 10 वर्ष की अवधि से उन पदों पर कार्यरत अप्रशिक्षित सुपरवाइजर कानूनगो की संख्या 296 है।

ग्राम सभा चनुकी, जनपद देवरिया के कमजोर वर्ग के परिवारों को कथित आवंटित भूमि तथा परगनाधिकारी, सलेमपुर द्वारा अनुमोदन

184--श्री जनार्दन प्रसाद ओझा तथा श्री गौरी शंकर भैंरया--

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम सभा चनुकी, जनपद देवरिया के 16 परिवारों को जो समाज के कमजोर वर्ग के थे, को पात्रता के आधार पर पट्टे की आवंटित भूमि पर 14 वर्ष पूर्व से मकान (ईंट, पक्का, कच्चा व झोपड़ी आदि बनाकर बसे थे) दिनांक 19 जुलाई, 1983 को पुलिस एवं सफाई मजदूरों के दल के साथ परगनाधिकारी, सलेमपुर ने उजड़वा दिया जिसमें 1,00,000 (एक लाख) रुपये से अधिक की सम्पत्ति लूट ली गई और उक्त परिवार बेघर हो गये ? यदि हां, तो तथ्य क्या हैं ?

श्री बलदेव सिंह आर्य--

यह सत्य नहीं है कि ग्राम सभा चनुकी, जनपद देवरिया के 16 परिवारों को वैध रूप से कोई भूमि आवंटित थी। वास्तविकता यह है कि इन परिवारों को भूमि आवंटित करने का मात्र एक प्रस्ताव भूमि प्रबन्धक समिति

द्वारा किया गया था और श्री भगवती पान्डेय, निवासी ग्राम चनुकी द्वारा वाद संख्या–141/81 भगवती प्रसाद बनाम राम सूरत आदि मौजा चनुकी अन्तर्गत धारा 198 (4)/122–बी (6) जमींदारी विनाश एवं भूमि सुधार अधिनियम प्रस्तुत करने पर जिलाधिकारी के निर्णय दिनांक 30 सितम्बर, 1981 से निरस्त कर दिया गया। अनधिकृत रूप से कब्जा करने पर 19 जुलाई, 1983 को पुलिस की सहायता से भूमि खाली कराकर सार्वजनिक प्रयोग हेतु ग्राम सभा को दे दी गई। किसी प्रकार की सम्पत्ति लूटने एवं उक्त परिवारों के बेघर होने की बात निराधार है।

185––श्री जनार्दन प्रसाद ओझा तथा श्री गौरी शंकर भैरया––

क्या राजस्व मन्त्री कृपया यह भी बतायेंगे कि भूमि प्रबन्धक समिति चनुकी ने दिनांक 30 अगस्त, 1982 को पात्रता के आधार पर 14 वर्षों से बसे हुए 16 परिवारों को पुनः उसी भूमि को आवंटित कर परगनाधिकारी, सलेमपुर से अनुमोदन करने की सिफारिश की है, जिसका अनुमोदन परगनाधिकारी, सलेमपुर ने अब तक नहीं किया है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री बल्देव सिंह आर्य––

इस तरह का कोई भी प्रस्ताव दिनांक 30 अगस्त, 1982 अनुमोदन के लिए परगनाधिकारी, सलेमपुर को प्राप्त नहीं हुआ। शेष का प्रश्न नहीं उठता।

सेवानिवृत्त श्री शम्भू लाल, लेखपाल, तहसील नौगढ़, जिला बस्ती के जी0पी0एफ0 के फाइनल का भुगतान

186––श्री मथुरा प्रसाद पाण्डेय––

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि श्री शम्भू लाल पुत्र श्री जैमंगल लाल, लेखपाल, एस0 के0 चिल्हिया, तहसील नौगढ़, जिला बस्ती जो सन् 1971 में रिटायर हुए हैं उनका जी0 पी0 एफ0 का फाइनल एकाउन्ट आज तक नहीं बना और न उन्हें पैसा मिला ? क्या इस सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता को एक प्रश्नोत्तर में बताया गया था कि शम्भू लाल का एकाउन्ट ए0 जी0 आफिस भेज दिया गया है 12 साल हो गये एक छोटे कर्मचारी का एकाउन्ट आज तक क्यों नहीं फाइनल हुआ ?

श्री बल्देव सिंह आर्य––

जी हां।

श्री शम्भू लाल पुत्र श्री जैमंगल लाल, लेखपाल, एस0 के0 चिल्हिया, तहसील नौगढ़, जिला बस्ती 30 नवम्बर, 1971 को सेवा निवृत्त हुए। श्री शम्भू लाल के जी0 पी0 एफ0 के अंतिम भुगतान हेतु प्रार्थना पत्र 15 फरवरी, 1977 को महालेखाकार कार्यालय भेज दिया गया था। तब से जिलाधिकारी, बस्ती द्वारा महालेखाकार कार्यालय को श्री शम्भू लाल के जी0 पी0 एफ0 के अंतिम भुगतान हेतु निरन्तर स्मरण कराया जा रहा है और व्यक्तिगत सम्पर्क द्वारा भुगतान का प्रयास किया जा रहा है। अंतिम बार महालेखाकार कार्यालय से दिनांक 23 फरवरी, 1984 को व्यक्तिगत सम्पर्क किया गया। महालेखाकार कार्यालय से अंतिम भुगतान हेतु प्राधिकार पत्र प्राप्त होने पर जी0 पी0 एफ0 का अंतिम भुगतान किया जायेगा।

जनपद शाहजहांपुर में बाढ़ से प्रभावित परिवारों को अहेतुक सहायता

187––श्री सत्यपाल सिंह––

क्या राजस्व मन्त्री कृपया बतायेंगे कि इस वर्ष जनपद शाहजहांपुर में आई हुई बाढ़ के लिए कितना रुपया प्रभावित लोगों के लिए कितने ग्रामों में वितरित किया गया है ? क्या सरकार इस जनपद को बाढ़ प्रभावित जिला घोषित कर लगान व आबपाशी माफ करायेगी ? यदि हां, तो इसके आदेश कब तक हो जायेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बल्देव सिंह आर्य––

जनपद शाहजहांपुर में वर्ष 1983 में आई बाढ़ से राहत प्रदान करने के उद्देश्य से आवश्यकता एवं नियमों के

अनुसार प्रभावित 213 ग्रामों में अहेतुक सहायता मद से 4,39,568 रु0 की धनराशि, 182 ग्रामों में क्षतिग्रस्त मकानों के निर्माण हेतु 4,85,400 रु0 की धनराशि, 129 ग्रामों में निःशुल्क खाद्यान्न के वितरण हेतु 14,725 रु0 की धनराशि तथा 24 ग्रामों में मृत व्यक्तियों के परिवार की सहायतार्थ अनुग्रह अनुदान मद से 21,900 रु0 की धनराशि तथा 14,725 रु0 की धनराशि अन्य सहायता पर व्यय की गई। इसके अतिरिक्त आपदा तकाबी की मद से 83,700 रु0 की धनराशि भी वितरित की गई।

शासन द्वारा किसी जनपद को बाढ़ प्रभावित जनपद नहीं घोषित किया जाता है बल्कि जिलाधिकारी से प्राप्त सूचनानुसार सम्बन्धित जनपद को बाढ़ प्रभावित मान लिया जाता है। तदनुसार जनपद शाहजहांपुर को वर्ष 1983 की बाढ़ से प्रभावित जनपद माना जा चुका है।

शासन के रेडियोग्राम संख्या 4452/1-10-83, दिनांक 3 सितम्बर, 1983 के अन्तर्गत खड़ी फसलों के 50 प्रतिशत से अधिक क्षतिग्रस्त क्षेत्रों की कृषि देयों की वसूली 3 माह के लिये स्थगित कर दी गई थी तथा 50 प्रतिशत से कम क्षति वाले क्षेत्रों में वसूली में उत्पीड़क कार्यवाही रोक दी गई थी। 50 प्रतिशत से अधिक की क्षति वाले मामलों में भू-राजस्व में छूट का प्रस्ताव विचाराधीन है।

ग्राम पचमरी, जनपद गोंडा के सीलिंग के मामले में घपले के सम्बन्ध में शिकायत

188--श्री उमेश्वर प्रताप सिंह--

क्या राजस्व मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता ने मार्च 1983 में सचिव, राजस्व परिषद्, लखनऊ को स्वर्गीय श्री रंग बिहारी मिश्र के पुत्र श्री कृष्णपाल मिश्र, श्री राम पाल मिश्र, श्री जानकी शरण मिश्र व पौत्र श्री बासुदेव मिश्र, श्री विष्णु देव मिश्र सुपुत्र श्री राम सरन मिश्र आदि ग्राम पचमरी, जनपद गोंडा के सीलिंग के मामले में घपले के सम्बन्ध में शिकायत की थी? क्या उनमें जांच की गई? यदि हां, तो जांच रिपोर्ट क्या है?

श्री बल्देव सिंह आर्य--

जी हां।

शिकायती-पत्र की जांच कर आवश्यक कार्यवाही करने हेतु जिलाधिकारी, गोंडा को राजस्व परिषद् द्वारा निर्देश दे दिये गये हैं। जांच आख्या प्रतीक्षित है।

श्री मुरारी लाल खरे, चकबन्दी अधिकारी द्वारा विवादों के निस्तारण में भ्रष्टाचार की शिकायतें

189--श्री माता प्रसाद पण्डेय तथा श्री मलिक मुहम्मद कमाल यूसुफ--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि चकबन्दी अधिकारी, बस्ती (श्री मुरारी लाल खरे) सन 1980 से बस्ती जिले में कार्यरत हैं? यदि हां, तो क्या यह सही है कि विवादों का निस्तारण निर्धारित मापदण्ड के अनुसार समय व ठीक प्रणाली से नहीं किया? विवादों के निस्तारण में भ्रष्टाचार की शिकायतें उक्त अधिकारी के विरुद्ध 1980 से दिसम्बर, 1983 तक कितनी प्राप्त हुईं? या सरकार उक्त शिकायतों पर कार्यवाही करने के लिए सोच रही है? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री बल्देव सिंह आर्य--

जी हां। श्री मुरारी लाल खरे, चकबन्दी अधिकारी द्वारा वर्ष 1981-82, 1982-83 तथा 1983-84 में वादों के निस्तारण का मासिक औसत निर्धारित मापदण्ड से कम रहा है। विवादों के

निस्तारण में ठीक प्रणाली न अपनाने व भ्रष्टाचार सम्बन्धी एक शिकायती-पत्र दिनांक 3-12-81 का श्री लालमणि शुक्ल, निवासी ग्राम सिकटा, तप्पा हरदी, परगना बस्ती पश्चिमी, तसीस हरैया, जिला बस्ती ने तत्कालीन बस्तीबस्त अधिकारी, चकबन्दी के समक्ष प्रस्तुत किया था जिस पर तत्कालीन बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी द्वारा जांच की गई थी। जांचोपरान्त श्री खरे चकबन्दी अधिकारी का स्पष्टीकरण मांगा गया जो उनके द्वारा प्रस्तुत कर दिया गया है जिसका परीक्षण उप संचालक चकबन्दी, बस्ती द्वारा किया जा रहा है।

190-198--श्रीमती प्रेमवती तिवारी--

[मंत्रिमण्डल में सम्मिलित होने के कारण हटाया गया।]

प्रदेश के विभिन्न जिलों में नई तहसील कायम करने का प्रस्ताव

199--श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश के विभिन्न जिलों में कुछ नई तहसीलें कायम करने का प्रस्ताव शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो किस-किस जिले में नई तहसीलें स्थापित करना विचाराधीन है तथा नई तहसीलों के मुख्यालय कहां-कहां होंगे ? स्थापना कब तक हो जायेगी ?

श्री बलदेव सिंह आर्य--

प्रदेश में 5 नई तहसीलें हरिद्वार (सहारनपुर), पटियाली (एटा), गोरीगंज (सुल्तानपुर), तिलोई एवं लालगंज (रायबरेली) बनाने का निर्णय लिया गया है। अन्य प्रस्तावों पर यथास्थिति विचार अष्टम वित्त आयोग से सहायता प्राप्त होने पर किया जायगा।

प्रश्नों के सम्बन्ध में व्यवस्था के प्रश्न

[समय 12 बजकर 15 मिनट]

*श्री जयदीप सिंह बरार--

मान्यवर, मैंने व्यवस्था चाही थी। आज के एजेण्डा में मैंने प्रदेश के कुछ आंकड़े मांगे थे, जिसके उत्तर में माननीय राजस्व मंत्री जी ने विभिन्न जिलों से जानकारी मांगी थी। उन्होंने लिख दिया है कि प्रश्न की सूचना एकत्रित करने में शासन का जो समय, श्रम और धन लगेगा, वह उसके लाभ के अनुरूप न होगा। प्रश्नों के दो भाग थे। एक की जानकारी स्पष्ट रूप से नियोजन विभाग और कृषि विभाग के पास उपलब्ध है जिलेवार को कितनी भूमि उपलब्ध है। दूसरे भाग में कहना है कि लाखों हेक्टेयर भूमि बंजर, बीहड़, ऊसर और अकृष्य पड़ी है। इस भूमि के कुल क्षेत्रफल की जानकारी हुए बिना इसके उद्धार की योजना का क्रियान्वयन असम्भव है। बड़े खेद की बात है कि माननीय मंत्री जी ने प्रश्नों की ग्राह्यता सम्बन्धी आपके निर्णय को ही चुनौती नहीं दी है बल्कि लाखों हेक्टेयर बेकार भूमि के उद्धार के महत्व को भी इन प्रश्नों सम्बन्धी जानकारी एकत्र करने के कार्य से कम महत्व दिया है।

मैं व्यवस्था चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी ऐसे उत्तर दे सकते हैं कि जो जानकारी शासन के पास उपलब्ध है, उसके लिए भी वे कह सकते हैं कि नहीं देंगे ? लाभ, नफा, नुकसान का निर्णय करना क्या उनके अधिकार में है ? जब आपने प्रश्नों को ग्राह्य कर लिया, तो फिर यह कैसे हो सकता है ?

श्री अध्यक्ष--

श्री जयदीप सिंह बरार ने जो सूचना मुझे भेजी है, वह नियम 300 के अन्तर्गत नहीं है। उन्होंने दो बातों की

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

ओर ध्यान आकर्षित किया है। पहली यह कि उनके कथित प्रश्नों का उत्तर माननीय मंत्री जी द्वारा संतोषजनक नहीं दिया गया था और दूसरी यह कि माननीय मंत्री जी द्वारा दिये गये उत्तर को 'उत्तर दिये जाने से इंकार' बताते हुए उस पर अध्यक्ष पीठ को व्यवस्था की बात का उल्लेख किया है। मैं तत्काल इस पर व्यवस्था देना उचित नहीं समझता हूं। मैं इसका पहले परीक्षण कराऊंगा फिर कोई निर्णय ले सकूंगा।

श्री फिरंगी प्रसाद विशारद—

आज मेरा प्रश्न 19 (नत्थी 'ख') पर लगा हुआ था और उत्तर यह आया है कि 17-2-84 को उत्तर दे दिया गया है। उस समय मैंने 17-2-84 के प्रश्न में यह पूछा था कि गांव की चकबन्दी की व्यवस्था में चार स्टेजेज बतायी गयी थीं। चार स्टेजेज में तहसील सदर, गोरखपुर की चकबन्दी हो रही है, लेकिन 78 में जो चकबन्दी हो रही थी, तो नदी के किनारे के गांव जो कटान से प्रभावित हैं, उनकी चकबन्दी हो रही है, लेकिन 25-30 साल पहले जहां चकबन्दी हो गयी उनकी पुनः चकबन्दी करायी जायेगी तो जो उत्तर दिया गया है कि दिनांक 17-2-84 में उत्तर दिया जा चुका है। यह ठीक नहीं है।

श्री अध्यक्ष—

व्यवस्था का क्या सवाल है इसमें ?

श्री फिरंगी प्रसाद विशारद—

लिखा गया है कि इसका उत्तर दे दिया गया है।

श्री अध्यक्ष—

ठीक है, आप लिखकर दे दीजिये, इसका उत्तर दिलवा लेंगे।

श्री पंचानन राय—

अतारांकित सवालों का जो जवाब आता है, उसमें हो यह रहा है कि पूछा कुछ जाता है और जवाब कुछ आता है। इसके अतिरिक्त एक दूसरी बात की ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। अतारांकित प्रश्न संख्या 42-43 के उत्तर में यह बताया गया है कि वहां के गांवों में आग लग जाने से गांव जलते रहे और इससे जो हानि हुई है, सरकारी आंकड़ों के अनुसार वह लगभग 1 लाख 10 हजार 800 रु० के है, लेकिन हानि इससे कहीं ज्यादा है। इस संबंध में माननीय मुख्य मंत्री जी को पत्र लिखा गया था, उस पर अब तक क्या कार्यवाही हुई, यह बताया नहीं गया है। सिर्फ उत्तर में यह बताया गया कि 7 परिवारों को 200 रु० दिये गये हैं।

श्री अध्यक्ष—

तो इसको मैं कैसे बता सकता हूं, आप इस सम्बन्ध में लिखकर दे दीजिए, जो नियम इसके लिए बने हैं, उसी के अनुसार कार्यवाही होगी।

श्री राम गोविन्द—

मान्यवर, मैं प्रश्न संख्या 29 (अतारांकित) की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा जिसमें "विधान सभा के द्वितीय सत्र 83 के पहले शुक्रवार के अता० प्रश्न संख्या 75 के उत्तर के संदर्भ में क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि तत्कालीन सहायक चकबन्दी अधिकारी, श्री सैयद मुहम्मद सैयदेन जो वर्तमान में बन्दोबस्त अधिकारी, चकबन्दी हैं, उससे भी पूछतांछ की गयी है ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?"

जिसका उत्तर मान्यवर, आया है, जी नहीं, इसके आगे दिया है "प्रश्नगत

प्रश्न प्राप्त होने पर श्री सैयद मुहम्मद सैयदैन से पत्र दिनांक 3 जनवरी, 1984 द्वारा पूछताछ की गयी । उन्होंने सूचित किया है कि लगभग 28 वर्ष बीत जाने के कारण उन्हें स्मरण नहीं है कि संबंधित ग्राम बाहरपुर उनके क्षेत्र में था अथवा नहीं । उन्होंने यह भी सूचित किया है कि . . .

श्री अध्यक्ष--

यह कोई व्यवस्था का प्रश्न है ? व्यवस्था का प्रश्न नियमों के अनुसार उठाना चाहिये ।

श्री राम गोविन्द--

मान्यवर, यही कह रहा हूं कि इसका जो उत्तर आया है, वह गलत है कि बन्दोबस्त अधिकारी, चकबन्दी को यह याद नहीं है कि फलां क्षेत्र उनसे संबंधित है या नहीं और उन्होंने वहां पर कार्य किया या नहीं, तो मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि क्या वह इस प्रश्न का उत्तर स्पष्ट रूप से दिलवायेंगे ?

श्री अध्यक्ष--

यह लिखकर आप दे दीजिए ।

श्री दिवाकर विक्रम सिंह--

मान्यवर, इस बात के बराबर आपकी पीठ से निर्देश दिये जाते रहे हैं कि यदि कोई विधायक कोई शिकायत करता है, तो जांचकर्ता अधिकारी को उस विधायक से सम्पर्क स्थापित करना चाहिये, लेकिन मान्यवर, ऐसा हो नहीं रहा है, इसलिए मैं आपके माध्यम से यह व्यवस्था चाहता हूं कि क्या यदि आपकी पीठ से दिये गये निर्देशों का कोई जांचकर्त्ता अधिकारी पालन न करे, तो सदन की अवमानना है या नहीं, यदि है तो उस पर कोई कार्यवाही क्यों नहीं होती है ?

श्री अध्यक्ष--

मैंने इस सिलसिले में कई बार निर्देश इस सदन में दिए हैं कि जब कोई विधायक शिकायत करें तो उस शिकायत के जांचकर्त्ता अधिकारी संबंधित विधायक या शिकायतकर्त्ता से सम्पर्क अवश्य करना चाहिये यह बात आज पुनः आयी, इसलिए माननीय मंत्रिगण इस ओर विशेष ध्यान दें और म अपनी तरफ से एक सर्कुलर या वार्निंग और दे दूंगा । यदि फिर इस प्रकार की कोई बात होगी तो उसके खिलाफ कार्यवाही की जायेगी ।

इकोना जंगल (जालौन) में वन विभाग के कर्मचारियों की मिलो भगत से लकड़ी काटने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अध्यक्ष--

आज नियम 301 की 18 सूचनाएं प्राप्त हुयी थीं, जिसमें से केवल 7 सूचनाएं स्वीकृत हुई हैं सर्वश्री शंकर सिंह, तवेश्वर, नन्द राम, मोहन सिंह, जनार्दन प्रसाद ओझा, माता प्रसाद पाण्डेय और श्री सन्त बख्श रावत की और शेष अस्वीकृत हुई हैं । श्री विजय सिंह राना की सूचना 200 शब्दों से अधिक है । श्री बिहारी लाल की सूचना 16-3-84 को वक्तव्य के लिए स्वीकार है । श्री पंचानन राय की सूचना क्र० सं० 2 की पुनरावृत्ति है तथा श्री यदुनाथ सिंह की सूचना नियम 56 में भी प्राप्त हुई है ।

श्री शंकर सिंह--

मान्यवर, मैं अत्यन्त लोक महत्व के विषय की ओर सदन एवं सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं । जनपद जालौन के कदौरा विकास खण्ड अन्तर्गत इकौना जंगल में फारेस्ट विभाग के कर्मचारियों ने मिलकर जंगल से शीशम की लकड़ी फरवरी, 1984 के तीसरे सप्ताह में कटवाई । इन कर्मचारियों ने डेराश्याम नगर में जाकर मनोहर, रामरतन, तुलाराम, रामदीन

आदि से बबीना ग्राम तक लकड़ी ढोने के लिए 50 रुपया प्रति बैलगाड़ी तय किया। गांव के उपरोक्त गरीब लोगों ने लकड़ी ढोकर जब ढुलाई मांगा तो फारेस्ट विभाग के कर्मचारियों ने पुलिस को बुलाकर इन गरीबों को लकड़ी काटने के अभियोग में रपट लिखवाकर फंसवा दिया और शीशम की कीमती लकड़ी स्वयं गायब करा दी। श्यामनगर के उपरोक्त गरीब लोगों को झूठा फसाये जाने के फलस्वरूप जंगल विभाग के कर्मचारियों के प्रति क्षेत्र में भारी रोष व्याप्त है। जंगल कर्मचारी क्षेत्र के लोगों को यह भी धमकी दे रहे हैं कि यदि इन्होंने सही बात की तो उनको भी फंसा दिया जायेगा।

अतः उपरोक्त अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर सरकार द्वारा उच्चस्तरीय जांच करा कर दोषी कर्मचारियों को दंडित कराये जाने एवं निर्दोष व्यक्तियों के विरुद्ध कायम मुकदमे को वापस किए जाने की मांग करता हूं।

श्री रामनाथ यादव, ग्राम प्रधान द्वारा ग्राम गजहड़ा तहसील मुहम्मदाबाद (आजमगढ़) की ग्राम समाज की भूमि हड़प लेने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री तपेश्वर—

माननीय अध्यक्ष जी, रामनाथ यादव, ग्राम गजहड़ा, तहसील मुहम्मदाबाद (आजमगढ़) ग्राम गजहड़ा की करीब 60 एकड़ ग्राम समाज की भूमि को अवैधानिक ढंग से हड़पे जाने के विरोध में 26 फरवरी, 1984 से विधान भवन के सामने आमरण अनशन कर रहे हैं। वह भूमि 20 सूत्रीय कार्यक्रम में गरीबों, हरिजनों को आवंटित करने योग्य है। उसी ग्राम के बरखास्त प्रधान, इनरू यादव ने अपने परिवार व सम्बन्धियों के नाम फर्जी मुकदमे के आधार पर दर्ज करा दिया है। इसके सम्बन्ध में दिसम्बर, 1981 में भी रामनाथ ने आमरण अनशन किया था, जिसमें 19 दिसम्बर, 1981 को परगनाधिकारी को जांच हेतु आदेश हुआ था। अब तक जांच की कार्यवाही नहीं हुई, जबकि बोर्ड आफ रेवन्यू व हाईकोर्ट ने भी ग्राम सभा की सम्पत्ति घोषित कर दी है। इसके सम्बन्ध में 13, 19 जनवरी व 9 फरवरी, 1984 को प्रार्थना-पत्र व सूचना मुख्य मंत्री, राजस्व मंत्री आदि को भेजी गयी है। सारे मामले लेखपाल प्रभुनाथ राम व वर्तमान परगनाधिकारी की मिली भगत से दबाये गये हैं।

मैं इस अविलम्बनीय लोकमहत्व के प्रश्न को सरकार के संज्ञान में लाकर अनशन तुरन्त समाप्त कराने तथा उक्त भूमि को आवंटित कराने तथा दोषी कर्मचारियों व अधिकारियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही करने की मांग करता हूं।

फरीदपुर (बरेली) में जूनियर हाई स्कूल हेतु बनायी जा रही इमारतों में गलत सामग्री प्रयोग किये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री नन्द राम—

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से शासन एवं आदरणीय सदन के संज्ञान में यह तथ्य लाना चाहता हूं कि मेरे निर्वाचन क्षेत्र फरीदपुर, जिला बरेली में जू0 हाई स्कूल, ग्राम बसावनपुर, फरीदपुर में जो राहत कार्य में इमारत बनी है, वह गिर गयी, जिससे धन का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है और फिर उस इमारत का अभी तक बनने का अवसर नहीं आया। मेरे निर्वाचन क्षेत्र में ग्राम ढडुरुवा, ब्लाक फरीदपुर तथा ग्राम खजरिया व जेड़ ब्लाक भुता में जो भी स्कूल

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

के भवन बन रहे हैं उन सबमें पीली ईंट का प्रयोग किया जा रहा है। इस प्रकार की घटिया जूनियर इंजीनियर की सांठगांठ से हो रही है। स्कूल का भवन न होने से गांव के बच्चों को बरसात, गर्मी तथा जाड़ा तीनों मौसमों की परेशानियों का सामना करना पड़ता है, जिससे पढ़ाई में बहुत बड़ा नुकसान होता है।

मेरी मांग है कि इस लोकमहत्व के सुनिश्चित अविलम्बनीय प्रश्न पर जांच करायी जाय तथा जानबूझ कर दोषी जूनियर इंजीनियर को दंडित किया जाय।

अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों द्वारा किये जा रहे अनशन के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री मोहन सिंह—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान एक अत्यन्त लोकमहत्व के विषय की ओर ले जाना चाहता हूं कि अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के प्रधानाध्यापक विधान भवन के सामने अनशन पर हैं। प्रदेश में 602 विद्यालयों में लगभग 20 हजार अध्यापक कर्मचारी कार्यरत हैं किन्तु इन्हें शासन द्वारा मान्यता दिये जाने के बावजूद 1977 से ही वेतन भुगतान नहीं किया जा रहा है जिसके कारण अधिकांश शैक्षिक कर्मियों के सामने भुखमरी की समस्या उत्पन्न हो गयी है। शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश ने 200 असहायता प्राप्त विद्यालयों को 1983-84 में अनुदान सूची पर लाने की संस्तुति की थी किन्तु उसे नहीं किया गया। 1984-85 में एक भी विद्यालय को अनुदान सूची पर नहीं लाया जायेगा इससे स्थिति और भी गम्भीर हो गयी है। अतः मेरी मांग है कि असहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों को अनुदान सूची पर लाया जाय। जूनियर हाई स्कूल के प्रधानाध्यापकों एवं अध्यापकों को उच्चीकृत होने के बाद हाई स्कूल में पाठन योग्य माना जाये। यदि ऐसा नहीं किया गया तो इस प्रदेश के हजारों छात्रों एवं शिक्षकों तथा शिक्षणेत्तर कर्मचारियों का भविष्य अंधकारमय हो जायेगा। शिक्षा विभाग को निर्दिष्ट किया जाय कि 1977 के बाद मान्यता प्राप्त उ0 मा0 विद्यालयों की अनुदान सूची शीघ्र प्रकाशित करें।

*Speaker has not revised the speech.

थानाध्यक्ष छितवापुर चौकी (लखनऊ) के अत्याचार के विरोध में लालकुंआ के बाजार बन्द होने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से अत्यन्त लोक महत्व के प्रश्न को आदरणीय सदन के संज्ञान में लाना चाहता हूं। लखनऊ शहर का लालकुंआ मोहल्ला पुलिस जुल्म के विरोध में बन्द है। इसके पहले भी 24 अगस्त को इसी सन्दर्भ में पूरा बाजार बन्द रहा है। पुलिस ज्यादती के खिलाफ मैंने विधान सभा में प्रश्न किया था तथा सत्य कथा में प्रकाशित मार्च अंक में "ऐसी होती है प्रक्रिया", एक लेख छपा है। इससे उत्तेजित होकर गत 24 एवं 25 फरवरी को पुलिस ने प्रतिष्ठित लोगों पर अंधाधुंध लाठियां चलायी। 70 साल के बूढ़े सामाजिक कार्यकर्ता, श्री हरिश्चन्द्र को बुरी तरह से पीटा, झूठे मुकदमे में चालान किया। 40 वर्षों से चल रही पुरानी दुकानों को तोड़कर सामान लूटा गया। पूरे लालकुंआ क्षेत्र में पुलिस आतंक का राज्य है। छितवापुर चौकी के इंचार्ज, श्री चतुर्वेदी ने पुलिस कर्मियों के

*Speaker has not revised the speech.

अतिरिक्त असामाजिक तत्वों को भी निगरानी नागरिकों को आतंकित करने हेतु लक्ष्य दिया है। लोग घर छोड़कर भागे हैं। अतः अत्यन्त लोक महत्व की इस घटना की ओर शासन का ध्यानाकर्षण छितवापुर चौकी से तत्काल हटाकर प्रशासकीय अधिकारियों द्वारा पूरे मामले की खुली जांच की मांग करता हूं।

बस्ती नगरपालिका की उपजाऊ भूमि को प्रशासन द्वारा किराये पर उठाने के सम्बन्ध में नियम 351 के अन्तर्गत सूचना

*श्री माता प्रसाद पाण्डेय--

महोदय, आपके माध्यम से सरकार एवं सदन का ध्यान बस्ती जनपद के बस्ती नगरपालिका के अत्यन्त उपयोगी भूमि पर जिलाधिकारी एवं नगरपालिका अधिशासी अधिकारी मिल कर व्यक्तिगत लाभ हेतु लोगों को साधारण वार्षिक किराये पर दे रहे हैं। नगरपालिका कार्यालय के चहरदिवारी के भीतर ही किसी व्यापारी को पट्ट पर जमीन दी गयी ह। गांधी नगर में नगरपालिका के बने डेढ़ एकड़ डम्पिग ग्राउन्ड को बन्द करके उसे भी पट्टे पर दे दिया गया है। उसके बन्द हो जाने से गांधी नगर क्षेत्र के मेहतरों के लिए समस्या उत्पन्न हो गयी है। अब कोई स्थान ऐसा नहीं रह गया कि घरों का मैला साफ करके वहां ले जाकर रख सकें। इसलिए इधर-उधर नालियों में फेंक देते हैं। इससे बस्ती नगरपालिका की जनता में घोर असंतोष व्याप्त हो गया है। शासन से मेरी मांग है कि इस मामले की छान-बीन करा कर दोषी अधिकारी के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही करायें।

जिलाधिकारी, लखनऊ द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण भूमिहीन बेरोजगार योजना में किये जा रहे घपले के सम्बन्ध में नियम 351 के अन्तर्गत सूचना

*श्री सन्त बख्श रावत--

माध्यवर, लखनऊ जनपद में 200 कि0 मी0 सम्पर्क मार्गों का निर्माण सोलिंग एवं उनकी पुलियों के निर्माण की स्वीकृति राष्ट्रीय ग्रामीण भूमिहीन बेरोजगार योजना के अन्तर्गत शासन द्वारा स्वीकृत हुई है। जिलाधिकारी, लखनऊ द्वारा बिना जिला अभिकरण की स्वीकृति के गैर तकनीकी खंड विकास अधिकारियों के माध्यम से निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया है। निर्माण बिना प्राक्कलन की स्वीकृति के होने एवं त्रुटिपूर्ण अनियमित ढंग से कराया जा रहा है जिसके कारण जनपद की जनता में भारी रोष एवं क्षोभ व्याप्त हो गया है। शासकीय धन का दुरुपयोग होने की भारी सम्भावना प्रतीत होती है। कई विकास खंडों में जिलाधिकारी महोदय ने शिलान्यास किया ह। अतः आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि इस प्रकार के अनियमित कार्य को रोकने एवं पात्र एजेन्सियों के माध्य से कार्य करने का अनुरोध करता हूं।

डा0 बी0 एन0 अवस्थी, गोरखपुर के स्थानान्तरण के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

श्री अध्यक्ष--

आज औचित्य के प्रश्नों की चार सूचनायें प्राप्त हुई हैं। कानजीव गुप्ता

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जी का मामला मैं आज नहीं ले सकूंगा क्योंकि आज माननीय मंत्री जी का स्वास्थ्य अच्छा नहीं है उन्होंने मुझसे प्रार्थना की है। मैं औचित्य के जो प्रश्न आये हैं उन्हें क्रम से एक-एक करके लूंगा। माननीय सदस्य संक्षेप में ही अपनी बात कहें।

(व्यवधान)

श्री शंकर सिंह

मान्यवर, मैंने सुना है कि आज आपका स्वास्थ्य अच्छा नहीं है इसलिये आप उसे नहीं ले सकेंगे।

श्री अध्यक्ष—

मैंने उनके बारे में कहा है। आप से क्या मतलब।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मुझे पूरी सहानुभूति मंत्री जी से है। हम कल चर्चा कर लेंगे।

श्री फिरंगी प्रसाद विशारद—

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से यह औचित्य का प्रश्न उठाता हूं कि 23 जून, सन् 1983 को मेरी पत्नी जिला अस्पताल, गोरखपुर में भरती रही। वह शुगर की मरीज है। दवाओं के अभाव में पैराल्डिहाइड का एक इन्जेक्शन उन पर लगाया गया। उस इन्जेक्शन पर पी० एच० सी० खोराबार की मोहर लगी हुई थी। यह कोई ऐसी दवा नहीं थी जो कि वहां पर लोकल परचेज से उपलब्ध नहीं हो सकती थी। मान्यवर, डाक्टर पी० एन० अवस्थी वहां पर बैठे हुए थे लेकिन यह इन्जेक्शन स्टाफ नर्स ने लगाया। इस इन्जेक्शन के लगाने के बाद तत्काल मेरी पत्नी की तबीयत खराब हो गई। मैंने इस स्थिति को देखकर तुरन्त जनपद पुलिस अधीक्षक, गोरखपुर, श्री सतपथी को बुलाया। एस०एस०पी० वहां पर आये। तब तक सारे डाक्टर अस्पताल को छोड़कर भाग चुके थे। उसके बाद डेढ़-दो घन्टे तक एस० एस० पी० वहां पर बैठे रहे, डाक्टर पी०एन० अवस्थी को बुलाया, लेकिन वे नहीं आये। उसके उपरान्त डाक्टर पी० एन० अवस्थी के खिलाफ 307 का मुकदमा कोतवाली में दर्ज हुआ। इस पर जब मैंने प्रश्न उठाया तो यह कहा गया कि जांच चल रही है। उसके बाद डाक्टर पी० एन० अवस्थी का वहां से ट्रांसफर कर दिया गया।

मान्यवर, मेरी निश्चित जानकारी है और यह सत्य है कि डाक्टर पी०एन० अवस्थी का ट्रांसफर नैनीताल कर दिया गया है और वे वहां नहीं जा रहे हैं। शासन के ऊपर दबाव डाल रहे हैं। वे गोरखपुर में ही बैठकर अस्पताल के बाहर प्रैक्टिस भी कर रहे हैं। टेलीफोन और टेलीग्राम से तिकड़म लगा रहे हैं। वे वहीं पर पड़े रहना चाहते हैं और चाहते हैं कि मार्च तक वे किसी तरह से बचे रहें। ऐसी स्थिति में सम्बन्धित स्टाफ नर्स को आजमगढ़ भेजा जा चुका है। मुझे इस बात का बड़ा असन्तोष है कि शासन इस तरह के आदेश करता है और उसका पालन न कराने में वह कितना अक्षम है। यह इसका एक जीता-जागता उदाहरण है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि डाक्टर पी० एन० अवस्थी ने नैनीताल में ज्वाइन कर लिया है या नहीं? वे चार्ज देकर अभी गोरखपुर में ही पड़े हैं। मुझे यह भी मालूम हुआ है कि मंत्री जी के कुछ रिश्ते नाते के लोग भी गोरखपुर में भी हैं, इसलिए हो सकता है कि उनका कुछ दबाव भी पड़ता हो।

जन स्वास्थ्य मंत्री (श्री लोकपति)—

मान्यवर, जो नोटिस आया है उससे तो कोई औचित्य का प्रश्न नहीं बनता।

जहां तक डाक्टर अवस्थी का प्रश्न है, आपके कक्ष में जो तय हुआ था, वहां पर माननीय फिरंगी प्रसाद भी थे, तो उनको गोरखपुर से हटाने के

आदेश हो चुके हैं, वह गये या नहीं गये मुझे मालूम नहीं। लेकिन हमारे ऊपर कोई दबाव नहीं आ रहा है। लेकिन वह गोरखपुर में नहीं रहेंगे।

श्री अध्यक्ष--

माननीय फिरंगी प्रसाद विशारद जी की बात और माननीय मंत्री जी का उत्तर आ गया है। उन्होंने औचित्य के प्रश्न के माध्यम से यहां पर यह बात उठानी चाही, जिसके सम्बन्ध में उनको पूर्व शिकायत थी उस पर कार्यवाही चल रही है, शासन से पत्र-व्यवहार हो रहा है। यह प्रश्न संविधान के किसी अनुच्छेद से सम्बन्धित है या कोई घटना सदन के सम्मुख हुई होती तो औचित्य का प्रश्न उठाया जा सकता था। इसलिए मैं इसको अस्वीकार करता हूं। माननीय मंत्री जी ने उसका उत्तर दे दिया है वह विशेष रूप से इसको देख लेंगे क्योंकि उनकी पत्नी से सम्बन्धित मामला है।

चमोली में भोटिया जनजाति के लोगों पर गोली वर्षा की न्यायिक जांच न कराये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

*श्री कुंवर सिंह नेगी--

मान्यवर, मैंने तथा कुछ अन्य विधायकों ने 15-2-84 को चमोली में भोटिया जनजाति के लोगों पर पुलिस द्वारा गोली वर्षा से सम्बन्धित घटना के बारे में कार्य-स्थगन प्रस्ताव दिया था। उस पर 23-2-84 को माननीय मुख्य मंत्री ने इस सदन में एक वक्तव्य दिया था। हम लोगों ने मुख्य मांग की थी कि उसकी न्यायिक जांच हो। माननीय मुख्य मंत्री जी ने इस सदन में 23 ता0 को इस वक्तव्य के दौरान साफ रूप से घोषणा की थी कि इस मामले की न्यायिक जांच होगी। मान्यवर, इसके बाद भी रेडियो में तीन-तीन बार प्रसारण हुआ कि न्यायिक जांच होगी। यहां पर जो पर्वतीय विकास मंत्री, माननीय चन्द्र मोहन सिंह नेगी एवं श्री गुलाब सिंह जो, सिंचाई राज्य मंत्री जो भी गढ़वाल गये थे उन्होंने भी कहा था कि न्यायिक जांच होगी। परन्तु अभी तक मैजिस्टीरियल जांच हो रही है। न्यायिक जांच के कोई आदेश नहीं गये हैं। न्यायिक जांच होने के बारे में कोई रिफरेंस अभी तक सरकार द्वारा नहीं गया है। लोगों में भ्रम है कि क्या घोषणा की थी और क्या हो रहा है। यह महत्वपूर्ण सवाल है जब इस सम्बन्ध में स्पष्ट घोषणा हो चुकी है तो उसका परिपालन होना चाहिये।

श्री विद्या सागर नौटियाल--

मान्यवर, हमें भी सुन लें।

श्री अध्यक्ष--

क्या फायदा होगा। माननीय नेगी जी क्या आपने कार्यवाही देख ली है? सदन में जो आश्वासन दिया गया था क्या आपने उस कार्यवाही को देखा है?

श्री कुंवर सिंह नेगी--

जी हां, कार्यवाही में यह है माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा है कि जहां तक घटना का सम्बन्ध है अगर माननीय सदस्य मैजिस्टीरियल जांच से सन्तुष्ट नहीं होंगे तो जुडिशियल इन्क्वायरी करा दी जायगी। हमने 13 तारीख को माननीय मुख्य मंत्री जी को ज्ञापन दिया था, उस समय भी जुडिशियल इन्क्वायरी की मांग की थी। उसके बाद भी सदन में मामला

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

उठा । डा0 शिवानन्द नौटियाल, माननीय विद्या सागर नौटियाल, माननीय मुख्तार अनीस आदि बोले थे । सब की यह मांग थी कि इसकी न्यायिक जांच होनी चाहिये । सन्तुष्ट और असन्तुष्ट की बात तो मेरा ख्याल है, गलत रिपोर्टिंग हुई है । सारे प्रदेश में, रेडियो में और इनके मंत्री लोगों ने खुद कहा, सब जगह घोषणा हो गयी कि न्यायिक जांच होगी ।

डाक्टर शिवानन्द नौटियाल

माननीय, मैं आपका ध्यान एक बात पर आकृष्ट करना चाहता हूं । माननीय मुख्य मंत्री जी ने स्पष्ट कहा था माननीय विधायकगण यदि मैजिस्टीरियल जांच से संतुष्ट नहीं हैं तो न्यायिक जांच करवा रहे हैं ।

श्री विद्या सागर नौटियाल—

माननीय वहां पुलिस अभी भी आतंक कर रही है । मैजिस्टीरियल जांच के बहाने क्योंकि मैजिस्टीरियल जांच जारी है इसलिए भोटिया लोगों को परेशान किया जा रहा है, वह लोग घर छोड़ कर निकल रहे हैं ।

श्री अध्यक्ष—

हो गया, एक ही बात पर दो-दो व्यक्ति कैसे बोलेंगे ?

संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)—

माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो कहा वह यह है कि यदि माननीय विधायक संतुष्ट न हों । तो इसका आज पता चला कि माननीय विधायक सन्तुष्ट नहीं हैं, क्योंकि उनके कहने के बाद कोई भी माननीय विधायक उनसे नहीं मिला और न किसी प्रकार का कोई पत्र मिला कि उससे संतुष्ट नहीं हैं । आज सदन में पता चला कि जो मैजिस्टीरियल इन्क्वायरी हो रही है उससे सन्तुष्ट नहीं हैं, तो इसके आदेश जारी कर दिये जायेंगे ।

श्री अध्यक्ष—

मैं इसको उठाने की आज्ञा नहीं दे रहा हूं क्योंकि आश्वासन मिल गया है । इसलिए इस औचित्य के प्रश्न को अस्वीकृत किया जाता है ।

श्री सन्त बख्श रावत—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से अपना औचित्य का प्रश्न उठाना चाहता हूं कि आपकी पीठ से कई बार शासन को निर्देश दिये जा चुके हैं कि सत्र चल रहा होगा तो उस बीच जनपदों में अधिकारी कोई मीटिंग नहीं बुलायेंगे ....

श्री अध्यक्ष—

जिसके सम्बन्ध में आप कह रहे हैं उसकी कोई निश्चित सूचना या पत्र आपके पास क्या है ?

श्री सन्त बख्श रावत—

मुझको सूचना नहीं मिली है ।

श्री अध्यक्ष—

सूचना नहीं है तो इसको क्यों लिया जाये । इसकी आज्ञा मैं आपको नहीं दे रहा हूं । आप निश्चित सूचना दें अन्यथा बैठ जायं ।

(माननीय सदस्य बैठ गये)

बनारस के दोषोपुरा मुहल्ले की कब्रों को खुदाई के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

श्री मुहम्मद आजम खां—

माननीय, 28 फरवरी को मैंने नियम 56 के अन्तर्गत बनारस में दोषीपुरा मुहल्ले में दो कब्रों के खोदे जाने के सम्बन्ध में मामला यहां उठाया था कार्य स्थगन में, लेकिन मालूम हुआ है कि सरकार बनारस के इस मामले में संजीदा नहीं है और वहां कोई आवश्यक कार्यवाही नहीं करने जा रही है जिससे कि वहां अमन बहाल हो सके । मंत्री जी सामने

बैठे हैं, वह उस दिन जवाब देना चाहते थे लेकिन उनसे आपने जवाब नहीं लिया था और इसलिये जवाब नहीं आ सका था। मैं उस समय के फैसले से संतुष्ट नहीं था और सदन त्याग करके भी चला गया था। इसलिये मैं चाहूंगा कि दोषीपुरा के मामले को सरकार आसानी से न ले और संजीदगी से महसूस करे। ऐसा न हो कि हम कोई चीज एहतियाती तौर पर करें। [× × ×]

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

इस चीज को नहीं लिखा जायेगा।

श्री मुहम्मद आजम खां—

मान्यवर, जो चीज अखबारों में छपी है उसको कार्यवाही में नहीं लिखा जायेगा यह कोई बात नहीं है। आज यह तय हो जाना चाहिये कि क्या लिखा जायेगा, क्या नहीं लिखा जायेगा।

(व्यवधान)

मान्यवर, [× × ×] तो यह उस समय होता है जब कोई माननीय विधायक कार्यवाही से संतुष्ट न हों। मैं यह मानकर चलता हूं कि सत्ता पक्ष के विधायकों ने वहां जो किया, वह ठीक था क्योंकि जब कोई असंतुष्ट होता है तो वह इस प्रकार की ही कार्यवाही करता है। इसलिये ऐसा न हो कि यहां भी वैसा ही माहौल बने और बनारस में कोई कांड हो जाये। मान्यवर, मैंने मुरादाबाद कांड से पहले इसी सदन में कहा था कि ऐसा होने वाला है लेकिन सत्ता पक्ष के मंत्रियों ने उस समय चीख-चीख कर कहा था कि वहां कुछ नहीं होगा, हम सतर्क हैं। लेकिन मुरादाबाद में बेगुनाह ढाई हजार मुसलमान नमाजियों और 500 मासूम बच्चों का कत्ल नाहक किया गया, रौन्द दिया गया मासूम बच्चों को। यह बच्चे किसी सियासी पार्टी के मेम्बर नहीं थे लेकिन फिर भी पी० ए० सी० की गोलियों से महफूज वह न रह सके। इसलिये आपकी नीयत पर मुझे शुबह है कि बनारस के दोषीपुरा में जब दो कब्रें खोदी जायेंगी, तो वहां जो पी० ए० सी० की 20 कंपनियां और मांगी गयी हैं, वह क्यों मांगी गयी हैं और जिनको भेजने का यह मतलब है कि वहां आपकी पूरी तैयारी है और जब मुसलमान कब्रें खोदने के समय इकट्ठा होंगे, तो उनको खोदने से रोका जायेगा जिसमें झगड़ा होगा और फिर आपकी पी० ए० सी० उनको अपना निशाना ठीक करने के लिये उनका कत्ल करेगी।

मान्यवर, 1965 में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी वाले मामले पर एक आर्डिनेन्स आया था, उस समय बनारस में पी० ए० सी० ने मुसलमानों पर जो गोलियां चलायी थीं, वह उनके सीनों पर लगी थीं और एक व्यक्ति भी निचले धड़ से घायल नहीं हुआ था। जब यह पूछा गया कि आखिर पी० ए० सी० की सारी गोलियां सीनों पर ही क्यों लगी हैं तो उस समय के मुख्य मंत्री ने कहा था कि हमें इस बात पर फख्र है कि हमारी पी० ए० सी० के जवानों के निशाने बिल्कुल दुरुस्त हैं और एक गोली भी जाया नहीं गयी है। इसलिये मेरा खुला इल्जाम है कि सरकार ने जिस तरह अपने सियासी मफादात के पेशे नजर मुरादाबाद में खून-खराबा कराया, मेरठ में जैसा सितम कराया, बहराइच और टांडा में जैसा जुल्म कराया उसी प्रकार बनारस में भी करायेगी। इसलिये कहता हूं यह कांग्रेस का मंसूबाबंद प्रोग्राम है जिस तरह लखनऊ में शिया-सुन्नी को लड़ाकर कांग्रेस अपने लिये वोट हासिल करती है, उसी तरह बनारस के मुसलमानों को आपस में लड़ाकर वह शिया-सुन्नी के नाम पर अलग-अलग करके किसी एक समुदाय के वोट अपने हक में पक्के करना चाहती है। इसलिये मेरा इल्जाम है कि यह सारा नंगा नाच जो सत्ता पक्ष वोटों के लिये कर रहा है, मान्यवर, मैंने सदन

नोट—[× × ×] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया

में उस दिन भी कहा था कि यह सुप्रीम कोर्ट के स्तर का मामला है, इसलिये इसमें स्वयं प्रधान मंत्री इसमें इन्टरवीन करें और इसका फैसला करायें और प्रभी यह सरकार यहां ऐलान करे कि वहां पर हजारों बेगुनाह जानों को महफूज रखने के लिए यह सरकार क्या कर रही है ?

श्री ऊदल--

मान्यवर चूंकि यह मेरे जनपद का गम्भीर मामला है, जिस पर माननीय सदस्य अभी बोल रहे थे, इसीलिए मुझे भी उठना पड़ा है। माननीय संसदीय कार्य मंत्री तो जो यहां उपस्थित हैं, इस चीज के लिये सक्षम हैं, सरकार की तरफ से जवाब देने के लिये वह पूरी तरह सक्षम हैं। यह मामला कोई व्यक्तिगत झगड़े का सवाल नहीं है, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश कर दिया है और उस जजमेंट की कापी जब बनारस में आई तो वहां के अधिकारियों और सरकार को भी उसने निर्देशित किया कि वहां के जो लोग हार गये हैं, उनकी कब्रें हटाई जायें और बीच में यदि वह नहीं हटाते हैं और हटाने के लिए तैयार नहीं होते हैं तो उनको हटा दिया जाये। इस पर जिले के अधिकारियों ने और सरकार ने सुप्रीमकोर्ट से निवेदन किया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने दुबारा फिर वही फैसला कर दिया। ऐसी हालत में यह सरकार या कोई व्यक्ति कैसे उसे टाल सकता है ? यह मामला बड़ा अहम है, यह सही है कि वहां पर दो सम्प्रदायों के बीच का झगड़ा है, कोई हिन्दू मुस्लिम के बीच का झगड़ा नहीं है। यह शिया और सुन्नी दो सम्प्रदायों के बीच का झगड़ा है और इन दोनों के बीच करीब 50 सालों से या उससे भी अधिक समय से मुकदमे चल रहे थे और अन्त में यह मामला सुप्रीम कोर्ट गया। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि जो माननीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, उसको किस तरह से निपटाया जाये, यह प्रदेश सरकार की बहुत बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है। क्योंकि जिले के अधिकारी सरकार के ही निर्देशन में चल रहे हैं। वहां पर शान्ति बनाये रखना बहुत आवश्यक है। वहां पर पी0ए0सी0, सी0आर0पी0 की कम्पनियां मंगा ली गई हैं। वहां महीनों से प्रशासनिक अधिकारियों और दूसरे लोगों की बैठकें हो रही हैं। प्रशासनिक अधिकारी और सभी लोग परेशान हैं। एक दिन मैं संयोग से गृह सचिव के यहां चला गया था, वह भी इसको लेकर परेशान थे कि कैसे इसको हल किया जायें। इसलिए सरकार दोनों सम्प्रदायों के लोगों को अगर बुलाकर, बिठाकर, उसका कोई हल निकाल सके तो बहुत अच्छा हो। ताकि वहां पर जो तनावपूर्ण स्थिति है, वह समाप्त हो जाये और सुप्रीम कोर्ट के फैसले का अमल हो। उसको लिखा जाये, तभी वह मान सकता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने दुबारा फैसला करके यह आदेश दिया है कि इस तरह से यह लागू होगा। सुप्रीम कोर्ट का फैसला सर्वोपरि है, इसलिये मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि इसमें कोई बीच का रास्ता यह सरकार निकाले।

(श्री अम्मार रिजवी के खड़े होने पर।)

श्री मसरूर जाफरी--

मैं इस कम्युनिटी को बिलांग करता हूं, इसलिए मैं भी अपनी बात निवेदन करना चाहता....

(व्यवधान)

*संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)--

मेरा निवेदन है कि आप इस पर कोई अधिक चर्चा न करावें।

(व्यवधान)

श्री मुहम्मद आजम खां--

चर्चा न करायें, क्यों चर्चा न करायें, कल भी ऐसे ही कह दिया गया और आज भी कहा जा रहा है,

(व्यवधान)

---

*वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया।

फिर हम यहां काहे के लिए आये हैं, जाइये; चाय पीजिये जाकर ....

(व्यवधान)

(संसदीय कार्य मंत्री ने अपना भाषण प्रारम्भ किया और श्री मुहम्मद आजम खां उनके साथ-साथ बोलते रहे।)

श्री अम्मार रिजवी—

बहुत से लोग सुलह चाहते हैं, बहुत से लोग शान्ति चहते हैं, लेकिन बहुत से ऐसे भी लोग हैं जो भावनायें भड़काकर, अफवाहें फैलाकर झगड़ा करना चाहते हैं। मैं आपके माध्यम से सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं और उत्तर प्रदेश की जनता को आश्वस्त करना चाहता हूं कि सरकार इस मसले की गम्भीरता के प्रति पूरी तरह से जागरूक है। बराबर इस बात के प्रयास हो रहे हैं कि दोनों तरफ के लोगों से मिलकर, बातचीत होकर मसला सुलझ जाये। इसके लिए बातचीत जारी है। स्वास्थ्य मन्त्री जी, जेल मंत्री जी, स्वयं मुख्य मंत्री जी और सभी लोग इसके लिये प्रयत्नशील हैं और कई बैठकें हो चुकी हैं और हो रही हैं, लेकिन यह जनहित में बताना उचित नहीं है कि किस हद तक बातचीत हुई है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला है। इसके बारे में कोई चीज यहां पर बताना जनहित में उचित नहीं है। लेकिन मेरा निवेदन यह है कि बहुत सी बातों को कह कर फसाद पैदा किया जा सकता है, और बहुत सी चीजों से खामोशी भी पैदा की जा सकती है। बजाय इसके कि हम इस विषय पर कोई चर्चा यहां करें, बेहतर होता यदि हमारे भाई माननीय आजम साहब बनारस जाकर आपस में समझौता कराते....

(व्यवधान)

जो लोग इस तरह से साम्प्रदायिकता-पूर्ण भाषणों के द्वारा तथा पुरानी बातों को कह-कह कर, उत्तेजनात्मक बातें कह कर, साम्प्रदायिकता की भावनाओं को भड़काना चाहते हैं, वे इस देश के दुश्मन हैं। जो लोग इस तरह की बातें करते हैं उनसे लोगों को होशियार रहना चाहिये।

माननीय, जहां तक बनारस का मामला है, शासन पूरी तरह से गम्भीरता से इस मसले पर विचार कर रहा है और बराबर कोई हल निकालने की कोशिश कर रहा है। माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी वहां गये भी हैं। उनके साथ बैठकें भी हुई हैं।

(व्यवधान)

अभी दूसरी बैठक भी होने जा रही है जिसमें माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी भी होंगे तथा अन्य लोग भी होंगे। आप विश्वास रखें, इस मामले में हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं कि मामला आपसी सुलह से सुलझ जाये। मैं आपके माध्यम से, विपक्ष के लोगों से अपील करूंगा कि वे इस मामले में हमारा सहयोग करें।

श्री अध्यक्ष—

मैंने माननीय आजम खां तथा और माननीय सदस्यों को तथा माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी को सुना। माननीय मुहम्मद आजम खां ने बनारस के मुहल्ला दोषीपुरा में दो कब्रों को हटाये जाने से साम्प्रदायिक भावना फैलने के अंदेशे पर अपनी भावनायें व्यक्त की हैं। इसी सम्बन्ध में 28 फरवरी, 1984 को भी कार्य स्थगन प्रस्ताव की ग्राह्यता पर उन्होंने अपनी बात कही थी और कुछ चर्चा हुई थी। शासन ने उस वक्त भी उन बातों का नोटिस लिया था। मेरे कक्ष में भी कुछ बातें हुई थीं। उसके पश्चात् मैंने शासन का ध्यान आकृष्ट करते हुए उस वक्त उस प्रस्ताव को अस्वीकृत कर दिया था। आज भी इस औचित्य के प्रश्न पर बोलते हुए माननीय संसदीय कार्यमन्त्री ने आश्वासन दिया है और मैं समझता हूं वे इसे

देखेंगे । माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी, चूंकि वे वहां के रहने वाले हैं, वे भी कृपया इस मामले को देखें । इधर (विरोध पक्ष) के लोगों को भी शामिल कर लें और सद्भावनापूर्वक इसको हल करने का प्रयास करें । मैं इस औचित्य के प्रश्न को अस्वीकार करता हूं और इसे उठाने की आज्ञा नहीं दे रहा हूं ।

तत्कालीन शिक्षा मंत्री के विरुद्ध उठाये गये विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न पर श्री अध्यक्ष का निर्णय

श्री अध्यक्ष—

श्री नन्द किशोर सिंह, सदस्य, विधान सभा ने दिनांक 8 सितम्बर, 1983 को तत्कालीन माननीय शिक्षा मन्त्री के विरुद्ध सदन की अवमानना के प्रश्न की सूचना दी थी । माननीय सदस्य का कहना है कि विधान सभा के द्वितीय सत्र, 1983 के प्रथम सोमवार के अतारांकित प्रश्न संख्या–50 के उत्तर में माननीय शिक्षा मंत्री ने तथ्यों को छिपाते हुए, सदन को गुमराह करने के लिए गलत बयानी की है ।

उक्त प्रश्न में यह जानकारी मांगी गई थी कि श्री कृष्ण हाई स्कूल हाता पोस्ट नौकुल, जिला देवरिया में दिनांक 31 दिसम्बर, 1982 को कक्षा 6 से कक्षा 10 तक कक्षावार कितने छात्र हैं ? कुल कितने सेक्शन हैं ? इन सेक्शनों को पढ़ाने के लिए कितने अध्यापक हैं तथा कितने अध्यापकों की और आवश्यकता है ? इसके उत्तर में कक्षा 6 से 10 तक कक्षावार छात्र संख्या दी गई और यह सूचित किया गया कि विद्यालय में पांच सेक्शन हैं एवं बारह अध्यापक कार्यरत हैं । प्रबन्धक द्वारा यदि मानक के अनुसार सक्षम अधिकारी से अतिरिक्त सेक्शन निर्मित कराये जाते हैं तो पांच अध्यापकों की और आवश्यकता पड़ेगी । इस सम्बन्ध में तत्कालीन शिक्षा मंत्री से वस्तुस्थिति की जानकारी की मांग की गयी थी । अपने पत्र दिनांक 25 जनवरी, 1984 द्वारा उन्होंने इस मामले की सम्यक् जांच कराने के उपरांत यह सूचित किया है कि उक्त प्रश्न का उत्तर तैयार करने में त्रुटि हुई है । छात्रों की संख्या तो ठीक सूचित की गयी थी किंतु कक्षा 6 से 10 तक की कक्षाओं में 13 सेक्शन एवं प्रधानाध्यापक सहित कुल 10 अध्यापकों के पद सृजित हैं जब कि सदन में दिये गये उत्तर में पांच सेक्शन और 12 अध्यापक बताये गये थे । माननीय मंत्री जी ने यह भी सूचित किया है कि प्रश्नगत मामले में त्रुटि अवश्य हुयी है किंतु सदन में उस उत्तर के दिये जाने का यह आशय नहीं था कि सदन को गुमराह किया जाय । माननीय मंत्री ने वास्तविक स्थिति के आधार पर यह प्रस्ताव किया है कि सदन में दिये गये उक्त त्रुटिपूर्ण उत्तर को शुद्ध करने के लिये सम्यक् जांच के फलस्वरूप पाये गये तथ्यों के आधार पर संशोधित उत्तर दे दिया जाय ।

उक्त जांच के फलस्वरूप अवगत सही तथ्यों के आधार पर तैयार किये गये संशोधित उत्तर के आलेख में यह भी कहा गया है कि विद्यालय प्रबन्धक द्वारा सृजन हेतु निर्धारित प्रपत्र पर सूचना प्रेषित किये जाने पर मानक के अनुसार सक्षम अधिकारी द्वारा पदों के सृजन की कार्यवाही कर दी जायगी ।

माननीय मंत्री से प्राप्त जानकारी का अवलोकन करने के बाद मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि इस मामले में त्रुटि तो अवश्य हुई है किन्तु जानबूझकर सदन को गुमराह करने के उद्देश्य से त्रुटिपूर्ण उत्तर नहीं दिया गया है । अतः मैं इसे सदन की अवमानना के प्रश्न के रूप में अस्वीकार करता हूं किन्तु जैसा कि तत्कालीन माननीय शिक्षा मंत्री ने अपने उक्त पत्र में प्रस्ताव किया है, मैं यह आवश्यक समझता हूं कि संदर्भित उत्तर संशोधित करने के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश विधान सभा के अध्यक्ष द्वारा जारी किये गये प्रक्रिया सम्बन्धी करण संख्या 43 (3) के अन्तर्गत आवश्यक कार्यवाही की जाय और भविष्य में इसका ध्यान रखा जाय ।

कार्य–मंत्रणा समिति द्वारा समय निर्धारण का प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष––

कार्य–मंत्रणा समिति ने जो निर्णय किया है उसको मैं सदन के सामने पढ़ देता हूं ।

"उत्तर प्रदेश विधान सभा की कार्य–मंत्रणा समिति ने अपनी दिनांक 1 मार्च, 1984 की बैठक में यह सिफारिश की है कि दिनांक 5 मार्च, 1984 से 19 मार्च, 1984 तक के विधान सभा के उपवेशनों का कार्यक्रम निम्नलिखित रूप में निर्धारित किया जाय––

5 मार्च, 1984 सोमवार	वित्तीय वर्ष 1984–85 के आय–व्ययक पर सामान्य चर्चा (तीसरा दिन) ।
6 मार्च, 1984 मंगलवार	1––अपराह्न 5 बजे तक–– वित्तीय वर्ष 1984–85 के आय–व्ययक पर सामान्य चर्चा (चौथा दिन) ।
	2––अपराह्न 5 बजे से– श्री रियासत हुसैन, श्री जनार्दन प्रसाद ओझा, श्री राम गोविन्द तथा श्री केदार नाथ सिंह द्वारा अभिसूचित निम्नलिखित प्रस्ताव का प्रस्तुतीकरण एवं उस पर विचार (डेढ़ घंटा) :––

यह सदन टांडा, जनपद फैजाबाद, बहराइच तथा गोंडा नगरों के हर धर्म तथा वर्ग के वासियों की गत माह अक्तूबर, 1983 में दशहरा, मोहर्रम के अवसर पर धीरज व सहिष्णुता व आपस में सद्भाव तथा नियंत्रित रहने पर बधायी देता है।

प्रशासकों को अपने कर्तव्यों का पालन करने में विलम्ब करने तथा उसकी असमर्थता पर निंदा करता है तथा तत्समय की घटित घटनाओं पर लोगों के जान व माल हानि पर संवेदना तथा उनके साथ सहानुभूति प्रकट करता है ।

7 मार्च, 1984 बुधवार	वित्तीय वर्ष 1984–85 के आय–व्ययक पर सामान्य चर्चा (पांचवां एवं अंतिम दिन) ।
8 मार्च, 1984 गुरुवार 9 मार्च, 1984 शुक्रवार 10 मार्च, 1984 शनिवार 11 मार्च, 1984 रविवार	बैठक नहीं होगी ।
12 मार्च, 1984	(1) अपराह्न 5 बजे तक–– वित्तीय वर्ष 1984–85 के आय–व्ययक की मांगों पर मतदान (पहला दिन) ।
	(2) अपराह्न 5 बजे से–– प्रदेश में दैनिक वस्तुओं के मूल्य में जबरदस्त तेजी आने तथा राज्य सरकार के उसे रोकने में असफल होने के कारण उत्पन्न जन असंतोष की समस्या के सम्बन्ध में श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री, सदस्य विधान सभा द्वारा नियम 52 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर चर्चा (डेढ़ घंटा) ।

13 मार्च, 1984 मंगलवार	वित्तीय वर्ष 1984-85 के आय-व्ययक की मांगों पर मतदान (दूसरा दिन) । अपराह्न 5 बजे-- वित्तीय वर्ष 1984-85 के तृतीय अनुपूरक अनुदानों का प्रस्तुतीकरण होगा ।
14 मार्च, 1984 बुधवार	(1) अपराह्न 5 बजे तक-- वित्तीय वर्ष 1983-84 तृतीय अनुपूरक अनुदानों पर सामान्य चर्चा, मांगों पर मतदान तथा तत्सम्बन्धी विनियोग विधेयक का पुरःस्थापन, उस पर विचार एवं उसका पारण । (2) अपराह्न 5 बजे से-- संसदीय कार्य मंत्री द्वारा निम्नलिखित संकल्प का प्रस्तुतीकरण एवं उस पर विचार : "उत्तर प्रदेश विधान मंडल के दोनों सदनों द्वारा स्वीकृत मंत्रियों को परामर्श देने के लिये स्थायी समितियों के निर्वाचन, संगठन तथा कार्यविधि के नियम" के नियम 1 के खंड (क) में उल्लिखित समितियों की सूची के अंत में निम्नलिखित नयी प्रविष्टि बढ़ा दी जाय, अर्थात्-- "30 गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग-16--
15 मार्च, 1984 गुरुवार	(1) अपराह्न 5 बजे तक--- वित्तीय वर्ष 1984-85 के आय-व्ययक की मांगों पर मतदान (तीसरा दिन) । (2) अपराह्न 5 बजे से-- वित्त मंत्री द्वारा "कृषि भूमि के सम्बन्ध में संपदा शुल्क का राज्य में विनियमन" विषयक संकल्प का प्रस्तुतीकरण एवं उस पर विचार।
16 मार्च, 1984 शुक्रवार 17 मार्च, 1984 शनिवार 18 मार्च, 1984 रविवार 19 मार्च, 1984 सोमवार	(होली का अवकाश) बैठक नहीं होगी ।

श्री अम्मार रिजवी--

श्रीमन्, मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन कार्य-मंत्रणा समिति की सिफारिशों से, जिसकी सूचना माननीय अध्यक्ष द्वारा आज सदन को दी गयी है, सहमत है ।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि यह सदन कार्य-मंत्रणा समिति की सिफारिशों से, जिसकी सूचना माननीय अध्यक्ष द्वारा आज सदन को दी गयी है, सहमत है ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।

गढ़वाल विश्वविद्यालय तथा पांच अन्य निकायों के निर्वाचन कार्यक्रम की सूचना

[1 बजकर 5 मिनट]

श्री अध्यक्ष--

गढ़वाल विश्वविद्यालय तथा अन्य 5 निकायों के निर्वाचन के सम्बन्ध में....

श्री विद्या सागर नौटियाल--

मान्यवर, एक मिनट मुझे सुन लें। निवेदन यह है कि गढ़वाल विश्वविद्यालय के चुनाव विगत ढाई वर्षों से टलते आ रहे हैं। एक बार जब श्रीमान् ने चुनाव प्रक्रिया जारी की थी, तो 5 सीटों को भरने के लिये 5 व्यक्तियों ने नामांकन-पत्र दाखिल किये थे। शासक दल की अन्दरूनी लड़ाई के कारण अन्य विश्व-विद्यालयों के निर्वाचन हेतु संख्या से अधिक नामांकन-पत्र दाखिल हो गये। श्रीमान् ने उन अन्य विश्वविद्यालयों के लिए दुबारा नामांकन-पत्र मांगे और उसमें गढ़वाल विश्वविद्यालय को भी जोड़ दिया, कायदे से गढ़वाल विश्वविद्यालय के लिये प्रस्तुत पांच नामांकन-पत्रों को भरने वाले माननीय विधायकों को निर्वाचित घोषित कर दिया जाना चाहिये था। इस समय भी 28 फरवरी अन्तिम तिथि नियत थी, 28 फरवरी तक केवल 3 व्यक्तियों ने नामांकन-पत्र प्रस्तुत किये, जिनमें शासक पक्ष के श्री हरदेव भी हैं जो वाइस-चांसलर बनने वाले हैं। अब श्रीमन्, इस विश्वविद्यालय के लिए वह पुनः नामांकन भरने की तारीख बढ़ा रहे हैं। मेरा निवेदन यह है कि जो तीन नाम आये हैं, उन्हें निर्वाचित घोषित कर दिया जाय और शेष दो नामों के लिये निर्वाचन की प्रक्रिया चालू की जाय। इसके बारे में मैं श्रीमान् से व्यवस्था चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष--

माननीय संसदीय कार्य-मंत्री कोई आप आश्वासन दे रहे हैं ?

संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)--

मान्यवर, जो तिथि आप निश्चित कर देंगे, उसमें चुनाव करवा दिया जायगा।

श्री विद्या सागर नौटियाल--

मान्यवर, पांच नाम 28 तारीख तक मांगे गये थे केवल तीन प्रस्तुत हुए, इन तीनों को निर्वाचित घोषित कर दिया जाय और दो पदों के लिये नये नाम मांगे जायं।

श्री अध्यक्ष--

यह जो कार्यक्रम निर्धारित किया गया है, और जैसा संसदीय कार्य-मंत्री ने कहा है, अगर ऐसा न होगा, तो जैसा नौटियाल जी कह रहे हैं, उस पर विचार कर लिया जायगा। गढ़वाल विश्वविद्यालय तथा अन्य 5 निकायों के निर्वाचन के सम्बन्ध में नाम-निर्देशन हेतु नियत तिथि दिनांक 28 फरवरी, 1984 के स्थान पर 5 मार्च, 1984 किये जाने के सम्बन्ध में मुख्य सचेतक कांग्रेस दल (आई) तथा मुख्य सचेतक राष्ट्रीय लोकतांत्रिक मोर्चा के अनुरोध पर अब निम्नलिखित कार्यक्रम निर्धारित किया जाता है :--

(1)	नाम-निर्देशन पत्र प्राप्त करने की अन्तिम तिथि तथा समय	दिनांक 5 मार्च, 1984 को 4 बजे अपराह्न तक।
(2)	नाम-निर्देशन पत्रों की संवीक्षा की तिथि तथा समय	दिनांक 6 मार्च, 1984 को 2 बजे अपराह्न (सचिव, विधान सभा के कक्ष में)।

(3) नामों को वापसी की अन्तिम तिथि तथा समय	दिनांक 13 मार्च, 1984 को 4 बजे अपराह्न तक।
(4) निर्वाचन यदि आवश्यक हुआ तो मतदान	दिनांक 20 मार्च, 1984 को पूर्वाह्न 10-30 बजे से अपराह्न 4-30 बजे तक विधान मण्डल पुस्तकालय, विधान भवन, लखनऊ में होगा।

कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष--

आज दिनांक 2 मार्च, 1984 को नियम 56 के अन्तर्गत 20 सूचनाएं प्राप्त हुई। पहली सूचना श्री कुंवर सिंह नेगी, श्री नरेन्द्र सिंह भंडारी, श्री विद्या सागर नौटियाल की मसूरी में बहुमंजिली इमारतों के बनाने से उत्पन्न खतरे के सम्बन्ध में है। दूसरी श्री सरदार सिंह की--प्रदेश में हथियार खरीदने के फर्जी लाइसेंसों से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है। तीसरी श्री मोहन सिंह की--ओबरा विद्युत गृह में अग्निकाण्ड के सम्बन्ध में, चौथी राजेन्द्र कुमार गुप्त की--बेसिक मान्टेसरी स्कूलों के अध्यापकों को कम वेतन मिलने के सम्बन्ध में है। पांचवीं श्री जटा शंकर सिंह की--उर्दू को दूसरी राज्य भाषा बनाने का विरोध किये जाने के सम्बन्ध में है। छठवीं श्री रुद्र प्रताप सिंह की--प्रदेश में हाई स्कूल एवं इन्टर की परीक्षा केन्द्रों में परिवर्तन के सम्बन्ध में है। सातवीं श्री नन्द किशोर सिंह की--असहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के अध्यापकों द्वारा आमरण अनशन किये जाने के सम्बन्ध में है, आठवीं श्री जनार्दन प्रसाद ओझा की भी यही सूचना है, नवीं श्री खैरुलबशर इत्यादि की--के0 के0 रेयान मिल, कानपुर में तालाबन्दी से मजदूरों के समक्ष भुखमरी की समस्या के सम्बन्ध में है। दसवीं श्रीमती गौरी देवी की--प्रदेश में राष्ट्रीय ग्रामीण योजना के मजदूरों की समस्या के सम्बन्ध में है। 11वीं श्री फिरंगी प्रसाद विशारद की--पुलिस चौकी कर्वी (गोरखपुर) के खिलाफ सभा का आयोजन किया जाना, 12वीं श्री रेवती रमण सिंह की--इलाहाबाद विश्वविद्यालय के शिक्षकों द्वारा हड़ताल, 13वीं श्री सत्यपाल सिंह यादव, श्री राम गोविन्द की--जनपद गाजीपुर में पुलिस आतंक से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में, चौदहवीं श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री की--प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, झांसी के नर्स के साथ बलात्कार, 15वीं श्री शंकर सिंह की--जालौन में पुलिस फोर्स की आपसी रंजिश से उत्पन्न समस्या के सम्बन्ध में, 16वीं श्री विजय सिंह राना की--आगरा नगर के नलों में पीला पानी आने के सम्बन्ध में, 17वीं श्री किरनपाल सिंह की--फर्रुखाबाद कानपुर पैसेंजर ट्रेन में पड़ी डकैती के सम्बन्ध में, 18वीं श्री माता प्रसाद पाण्डेय की--बस्ती एवं नेपाल की सीमा पर वस्त्रों के तस्कर के सम्बन्ध में, 19वीं श्री यदुनाथ सिंह एवं श्री जसवन्त सिंह विष्ट की--प्रदेश के औद्योगिक व व्यापारिक संगठनों द्वारा चलाये जा रहे आंदोलन के सम्बन्ध में, 20वीं श्री लटूरी सिंह, श्री रियाज अहमद, श्री यमुना प्रसाद, श्री कुंवर सिंह नेगी की--आई0टी0आई0 एसोसियेशन द्वारा हड़ताल किये जाने के सम्बन्ध में है। मैंने श्री मोहन सिंह की सूचना वक्तव्य के लिये स्वीकार किया है, श्री रुद्र प्रताप सिंह को वक्तव्य के लिये स्वीकार किया है। श्री कुंवर सिंह नेगी, श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी और श्री विद्यासागर नौटियाल की सूचना पर मैंने शासन का ध्यान आकृष्ट कर दिया है, श्री सरदार सिंह की सूचना पर शासन का ध्यान आकृष्ट कर दिया है, श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त का जहां तक सम्बन्ध है, मैंने जांच के

लिये विशेष रूप से शासन का ध्यान आकृष्ट किया है, श्री खैरुलबशर इत्यादि की सूचना पर शासन का ध्यान आकृष्ट कर दिया गया है, श्री रेवती रमण सिंह के मामले में कार्यवाही करने हेतु शासन से कहा है। श्री विजय सिंह राना का वक्तव्य के लिये स्वीकार किया है। बाकी सभी सूचनाओं को मैंने अस्वीकार किया है।

(व्यवधान)

20 लोगों को सूचना कैसे सम्भव होगा। जो आपने नियम बनाये हैं, उसके अनुसार वक्तव्य के लिये स्वीकार की गयी है, शासन का ध्यान आकृष्ट किया गया और कार्यवाही करने के लिये कहा गया है। हमने इस पर निर्णय दे दिया है, अब हम आगे बढ़ते हैं।

(घोर व्यवधान)

कार्य-स्थगन प्रस्तावों की ग्राह्यता पर न बोलने देने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष--

सब लोग बैठें।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मेर व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष--

आप लोग बैठें, श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त व्यवस्था का प्रश्न उठा रहे ह।

श्री जनार्दन प्रताव ओझा--

मेरा भी व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष--

आपको दुबारा सुनूंगा। आप बैठें।

श्री राम गोविन्द--

पहले हम लोगों को बुलाइये।

श्री अध्यक्ष--

मैंने गुप्ता जी को आज्ञा दी है। व्यवस्था का प्रश्न उठा रहे हैं।

श्री सत्यपाल सिंह--

कैसे बैठें ? इस तरह का वहां पर आतंक छाया हुआ है···

(घोर व्यवधान)

श्री राम गोविन्व—

[×××]

श्री सत्यपाल सिंह—

[×××]

श्री अध्यक्ष--

बिना आज्ञा के जो बोल रहे हैं एक शब्द नहीं लिखा जायेगा।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष--

आप कहें।

(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

कैसे कहूं ? इतने लोग बोल रहे हैं।

श्री अध्यक्ष--

आप सभी लोग बैठें।

(व्यवधान)

नोट--[×××] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

गुप्ता जी अपनी बात कहकर आपकी कोई मदद करना चाहते हैं, पहले आप बैठ जाएं । नन्दकिशोर जी, आप बैठें । कामरोको प्रस्ताव में 20 सूचनायें आई हैं, सबको लिया जाना कैसे सम्भव है ?

(व्यवधान)

*श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, मैं बड़ी नम्रता के साथ जो आपकी व्यवस्था है, उसको शिरोधार्य करता हूं । लेकिन मैं आपका ध्यान नियम 56 की ओर भी आकर्षित करना चाहता हूं जो आपके द्वारा निस्तारित हुए हैं । मान्यवर, जो आपके कक्ष में बातचीत हुई है उसकी चर्चा सदन में नहीं करनी होती है । लेकिन मान्यवर, जो कारण है, उसमें आपने प्रावधान किया है कि जो भी नियम 56 की सूचनायें आयेंगी, उन सूचनाओं की ग्राह्यता निर्धारित की है आपने । मान्यवर, उसमें यह भी स्वीकार किया है कि 200 से शब्दों से अधिक शब्द उसमें नहीं होंगे और तीन से अधिक सूचना अगर आपका विवेक एलऊ करेगा तो उसे स्वीकार करेंगे । तो आपने इन ग्राह्यता को सुना । इन नियमों को देखा और आपने अपने कक्ष में दिए गए निर्णय के अनुसार फैसला दे दिया । मान्यवर, आपके कार्यालय ने जो आपके सामने विषय दिए हैं, मैंने चार-पांच सदस्यों की श्री राम गोविन्द, श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री, श्री जनार्दन प्रसाद ओझा और स्वयं अपनी सूचनाओं को पढ़ा और जो विषय उन्होंने दिए हैं, वह उस रूप में आपके पास नहीं पहुंचे । अपनी जो सूचना उन्होंने दी, उसमें अर्थ का अनर्थ हो गया । श्री जटाशंकर जी का जो विषय था वह द्वितीय राज्य भाषा उर्दू का था । उर्दू को द्वितीय राज्य भाषा बनाने के विरोध में कुछ लोग कानपुर में शान्तिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे थे, उन पर लाठी चार्ज किया गया । इसके अलावा आपने जो रद्दा, उनकी तनख्वाह न मिलने के कारण, मैंने कहा मिनिमम वेजेज पर इस पर मैंने शासन का ध्यान आकर्षित किया है । इसके अलावा मान्यवर, जो कार्यालय से सूचना बनी उसका अर्थ का अनर्थ कर दिया है । मान्यवर, जो करण हैं इसके अलावा आप अपने विवेक से घोषणा कर दें आपको अधिकार है । लेकिन जो नियमावली है, जो करण हैं वह आप द्वारा ही जारी किये गये हैं । मैं आपके अधिकारों को चुनौती नहीं दे रहा हूं । आप मान्यवर, कृपया पुनर्विचार कर लें, हिन्दुस्तान में जितने विधान मंडल हैं, उसमें हमारी संख्या सबसे ज्यादा है । अगर हम शासन का ध्यान आकृष्ट नहीं कर पाते तो हमारे अधिकार झुठ्ठल हो जायेंगे

मान्यवर, मैं चाहूंगा कि एक तो इसमें पुनर्विचार कर लिया जाये, करण को देखा जाये और सबके विषय को देख लिया जाये । मान्यवर, हम आपकी बात की आलोचना नहीं करते हैं । लेकिन मान्यवर, कभी-कभी ऐसा प्रश्न उत्पन्न हो जाता है कि हमारा फर्ज बगावत बन जाता है । कार्यालय ने क्योंकि गलत रूप से प्रस्तुत किया है, इसलिए आवश्यक है, कि जिनको आप उचित समझें, अविलम्बनीय लोकमहत्व का समझें, आठ दिन के अन्दर की घटना समझें, हमारा इतना ही कहना है कि उनको सुन लें, जिससे सही तथ्य सामने आ जा जायं । अभी सदन प्रारम्भ होने से पहले मेरी माननीय संसदीय कार्य मंत्री से बात हुई थी । कई मामलों में माननीय संसदीय कार्य मंत्री उत्तर देना चाहते हैं । हम कार्य-

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

स्थगन में चर्चा द्वारा ध्यान आकृष्ट करना चाहते हैं। हमारी नियमावली के अनुसार कुछ दिन पहले कार्य स्थगन शाम को लाया जाता था। पहले लाने का मतलब यही है कि उत्तर आ जाय। इसलिए मान्यवर, इस ओर मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

आप लोग बैठें, मैं पहले गुप्ता जी ने जो बात कही है, उसका जवाब तो दे दूं। मुझे कोई ऐतराज नहीं है कि रोज बीस की बीस सूचनायें ले ली जाया करें और पढ़ी जाया करें।

(व्यवधान)

लेकिन कल जो निर्णय हुआ था, उसके आधार पर आपने यह कहा था कि मुझे अपने विवेक से काम लेना चाहिये। मैंने पढ़ने के बाद वक्तव्य के लिए निर्देशित कर दिया है। इसके बाद फिर भी कोई निर्णय लेना है, तो मुझे कोई एतराज नहीं होगा।

(व्यवधान)

*श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

मान्यवर, मैंने व्यवस्था का प्रश्न उठाने की अनुमति चाही है। आपके कक्ष में क्या होगा, या क्या हुआ, उससे इस आदरणीय सदन से कोई मतलब नहीं है। मैं नियम 56 की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। इसमें कोई भी मामला इसलिए नहीं दिया जाता है कि ध्यान आकृष्ट कर दें या शासन को निर्देशित कर दें। इसकी मंशा कार्य स्थगन की होती है, काम रोकने की होती है। यह उदारता या अनुदारता कि ध्यान आकृष्ट करा दिया जाय, शासन को निर्देश दे दिये जायं, ठीक है, किन्तु नियम 56 में इसको इसलिए दिया जाता है कि तत्काल इसे महत्वपूर्ण प्रश्न मानकर, अविलम्बनीय लोकमहत्व का प्रश्न मानकर इसके लिए तत्काल इस आदरणीय सदन का कार्य रोका जाय। मान्यवर, आपकी जो परम्परा सृजित हुई है कि केवल आप उसको पढ़ देंगे, शासन को सूचित कर देंगे, ध्यान आकृष्ट कर देंगे, निर्देशित कर देंगे, उपदेशित कर देंगे तो हमें निर्देशों की आवश्यकता नहीं है। यह हमारे अधिकारों का अतिक्रमण है, हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। मैं आपके अधिकार को चुनौती नहीं देता। नियमों में प्राविधान है। अगर संशोधन करना है तो नियमों में कीजिये। लेकिन जब तक वर्तमान रूप में नियमावली है, नियम 56 का जो अवशिष्ठ है, उसमें अंकित है, हमारा प्रश्न कार्य स्थगन का हुआ करता है, निर्देशों का नहीं। आपके चेम्बर में जो तय हुआ, अनौपचारिक बैठक में क्या तय हुआ, उससे इस आदरणीय सदन का कोई मतलब नहीं। अगर आप आवश्यक समझते हैं कि प्रक्रिया में संशोधन हो तो नियमावली में संशोधन कीजिये। सदन के प्रस्ताव द्वारा संशोधन कीजिये।

*श्री मोहन सिंह--

मान्यवर, मैंने नियम 56 में जो दिया है, ओबरा इस प्रदेश का विद्युत् केन्द्र है, आपने इसे वक्तव्य के लिए स्वीकृत कर दिया। इस पर कार्य-स्थगन के द्वारा चर्चा इसलिए आवश्यक है क्योंकि पूरे प्रदेश की विद्युत् व्यवस्था की जिम्मेदारी ओबरा की है, वहां दो सौ करोड़ रुपये प्रति माह का नुकसान उद्योगों को और कृषि को हो रहा है। उत्तर प्रदेश में विद्युत् की इतनी खपत है कि 41 करोड़ रुपये की बिजली बाहर से खरीद कर उत्तर प्रदेश में वितरित की गई है। पूरा प्रदेश अंधकार में डूबा है। सान्याल साहब के निकम्मेपन की वजह से इतना बड़ा विस्फोट हुआ और विद्युत् गृह जलकर राख हो गया। एक अरब रुपये से अधिक की हानि हुई। शासन कह रहा

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

है कि 30 करोड़ की हुई । इसलिए माननीय, एस0 एस0 मिश्रा की अध्यक्षता में एक जांच कमेटी बनाई गई । उसने रिपोर्ट दी है, उसके तथ्यों को झुठलाने की कोशिश शासन कर रहा है और अब सी0 बी0 आई0 से जांच करा रहा है । लेकिन वास्तविकता यह है कि उसी जांच रिपोर्ट के आधार पर आज लोगों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही की जा रही है, जब कि कार्यवाही होनी चाहिये थी श्री सान्याल, अध्यक्ष के खिलाफ और कार्यवाही होनी चाहिये थी महाप्रबन्धक, श्री के0 एम0 माथुर के खिलाफ । लेकिन इनके खिलाफ कोई भी कार्यवाही नहीं हो रही है ।

माननीय, 1974 में जब श्री सान्याल ओबरा के महाप्रबन्धक थे तो उस समय भी वहां पर आग लगी थी । सतर्कता विभाग द्वारा उसकी जांच की गई थी, जिसकी रिपोर्ट में श्री सान्याल को दोषी पाया गया था । उस समय श्री सान्याल ने स्वैच्छिक रिटायरमेन्ट ले लिया । ऐसे सक्षम व्यक्ति को फिर से उसका अध्यक्ष बना दिया । आज इसीलिए विद्युत परिषद् की हालत खराब है । 700 करोड़ का घाटा विद्युत परिषद् को हो चुका है और उत्तर प्रदेश सरकार को 100 करोड़ रुपये का जो सरकार का ऋण के ऊपर ब्याज था । आज ऋण का ब्याज साढ़े तीन सौ करोड़ रुपये हो गया है । यह एक गम्भीर स्थिति है । मैं चाहता हूं कि इस पर तत्काल चर्चा करायी जानी चाहिए । यदि इस पर चर्चा नहीं कर येंगे तो कृषि की हालत और खराब हो जायेगी, उद्योगों की हालत और खराब हो जायेगी तथा जो निकम्मे अधिकारी हैं, उनके कारनामों पर परदा डल जायेगा । इसलिए माननीय अध्यक्ष महोदय, आज आप इस सदन की कार्यवाही रोकर इस पर अविलम्ब चर्चा करवा दें ।

श्री राम गोविन्द--

माननीय, एक कार्य स्थगन का प्रस्ताव मैंने अपने दस्तखत से और माननीय श्री सान्याल जी के दस्तखत से दिया था । श्रीमन्, जनपद गाजीपुर के थाना करीमुद्दीनपुर की पुलिस ने बलिया जिले के प्रधानपुर गांव के 4 लोगों को घर से पकड़ ले गई और उनका इन्काउन्टर कर दिया गया । इसके विरोध में जनवादी पार्टी के एक नेता, श्री राम वृक्ष यादव जब एक जनसभा को सम्बोधित कर रहे थे, तो यह निरंकुश पुलिस सभा के बीच में से ही उन्हें उठाकर ले गई, उनका अपहरण कर लिया गया । उन्हें अज्ञात स्थान में ले जाकर उनको बहुत मारा-पीटा और उन्हें घायल कर दिया । एक हफ्ते के बाद उन्हें किसी तरह से इस पुलिस ने छोड़ा, जो अभी भी अस्पताल में पड़े हुए हैं ।

माननीय, इस तरह से इस प्रदेश की निरंकुश पुलिस आज शासन की आड़ में निर्दोष लोगों की जानें ले रही है और जो इसका विरोध करता है, उसका यह अपहरण कर लेती है । यह एक महत्वपूर्ण मसला है, मैं समझता हूं कि इससे बड़ा मसला और कोई नहीं हो सकता । आप इस पर, सदन की कार्यवाही को रोक कर, अविलम्ब चर्चा करवा दें । माननीय, 4 लोगों की जानें गई हैं, जो व्यक्ति इसका विरोध कर रहे हैं, पुलिस उन्हें दबा रही है । श्री राम वृक्ष यादव आज अस्पताल में मरणासन्न हालत में पड़े हुए हैं । मैं पुनः आपसे मांग करता हूं कि आप इस महत्वपूर्ण मसले पर, आज की सदन की कार्यवाही रोकर कर अविलम्ब चर्चा करवा दें ।

श्री जटाशंकर सिंह--

माननीय, भारतीय नागरिकों को भारतीय संविधान में जो मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं, उनमें से स्वतंत्रता का अधिकार और विशेषकर

अभिव्यक्ति का अधिकार मूलाधार है। इसी अधिकार के आधार पर आज हम लोग इस सदन में बैठे हुए हैं, उसी अधिकारों के संरक्षण का यह माननीय सदन प्रतीक है।

मान्यवर, इसी अधिकार के आधार पर कानपुर में उर्दू को दूसरी राज्य भाषा बनाये जाने के विरोध में विद्यार्थी परिषद् के लोग अपना एक ज्ञापन जिलाधिकारी को देने जा रहे थे, परन्तु उन्हें रास्ते में ही गिरफ्तार कर लिया गया, उनके ऊपर लाठी चलाया गया। यह सरकार गोली और लाठी के बल पर हमारे मौलिक अधिकारों को छीनना चाहती है। यह घटना एक दिन पहले घटी है। यह एक बहुत ही अविलम्बनीय लोक महत्व का विषय है। हमारे मौलिक अधिकारों पर कुठाराघात किया गया है। मैं इस सदन का संरक्षण चाहता हूं। यह घटना 1 मार्च, 1984 को हुई है। इसलिए माननीय अध्यक्ष महोदय, आज की सदन की कार्यवाही रोककर, इस महत्वपूर्ण विषय पर आप चर्चा करवा दें।

(श्री सत्यपाल सिंह के खड़े होने पर)

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री--

मान्यवर, मैं कानपुर होकर आ रहा हूं, मैंने वहां की स्थिति को प्रत्यक्ष रूप से देखा है। माननीय, मुझे मौका दे दें, मैं सही तस्वीर, जो अब वहां बन गयी है, उससे अवगत कराना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष--

आप बैठें। मैंने श्री सत्यपाल सिंह को बुला लिया है।

*श्री सत्यपाल सिंह--

मान्यवर, मैंने नियम 56 के अन्तर्गत एक सूचना दी थी और आपके कक्ष में भी आकर आपसे मिला था और आपसे अनुरोध किया था कि जो हमारा प्रजातन्त्र में अधिकार है, मान्यवर, उन अधिकार के तहत, हमें अपनी बात कहने का अवसर दिया जाय। मान्यवर, जैसा कि चौधरी साहब ने कहा, जो बलिया का विषय है, मान्यवर, इसी थानेदार ने बलिया जनपद के अलावा आजमगढ़ में 6 लोगों की मौत के घाट उतारा था। इसके बाद ही थानेदार ने गाजीपुर जनपद के अन्तर्गत, सैदपुर में 6 लोगों को मौत के घाट उतारा और जमानिया थाने, करमुद्दीनपुर थाने के अन्तर्गत कई जुल्म किये। मान्यवर, करमुद्दीनपुर थाने के अन्तर्गत इसने एक ही परिवार के तीन सगे भाइयों को मौत के घाट उतारा। मान्यवर, इस थानेदार के उक्त जुल्मों के खिलाफ में करीमुद्दीनपुर थाना क्षेत्र के अन्तर्गत जब श्री रामवृक्ष यादव, अध्यक्ष, चनवादी पार्टी, गाजीपुर जनसभा कर रहे थे, तो वहां के थानाध्यक्ष, श्री नरेन्द्र प्रसाद त्रिपाठी अपने सिपाहियों, पालतू गुण्डों को लेकर के वहां गये और उनको बुरी तरह से मारा-पीटा तथा फिर उनका अपहरण भी करके ले गये। मान्यवर, बहुत दिन के बाद उनका पता लग सका।

मान्यवर, मैंने आपसे अनुरोध किया था कि इस अहम मसले को स्वीकार कर लें। मान्यवर, यह मामला एक जनपद का ही नहीं, यह एक घटना से ही सम्बन्धित नहीं है, बल्कि यह अन्य जनपदों की भी बहुत सी घटनाओं के साथ जुड़ा हुआ है। मान्यवर, श्रीपति मिश्र की सरकार जो इस बात का दावा करती है कि फर्जी इन्काउन्टर नहीं हो रहे हैं, मेरा आपसे कहना है कि इनमें इस तरह के यह जो पालतू थानेदार हैं, मान्यवर, खुले रूप से जनता के साथ में इस तरह का व्यवहार कर रहे हैं, उनकी हत्याएं कर रहे हैं और हम विरोधी पार्टी के लोग जो इस तरह के उत्पीड़न के विरुद्ध अपनी आवाज बुलंद करना चाहते हैं, तो वहां पर हमारे

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

साथ अन्याय होता है, इस तरह से मार पीट होता है, अपहरण होता है माननीय यह एक ऐसी महत्वपूर्ण घटना है जो सारे प्रदेश के विरोधी पार्टी के विरुद्ध हुई है। माननीय, आपने इसको नोटिस में नहीं लिया और न ही सरकार को इस पर कोई दिशा निर्देश ही दिया। मैं मांग करूंगा कि माननीय, इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर अवश्य चर्चा करायी जाय। हम लोगों को आप आरक्षण प्रदान करें।

श्री अध्यक्ष--

माननीय संसदीय कार्य मंत्री जो, माननीय सदस्य ने जो कहा, आपने सुना, आप इस पर कुछ कहना पसन्द करेंगे ?

(संसदीय कार्य मन्त्री के खड़े होने पर)

श्री खैरुल बशर--

माननीय, हम लोगों को भी पहले सुन लें।

श्री अध्यक्ष---

अभी माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी कहने के लिए खड़े हुए हैं, अब आप खड़े हो गये हैं अपनी सूचना की बाबत। अब इस तरह कहिये तो सभी को सुनें, मुझे कोई ऐतराज नहीं है। यह इस तरह से नहीं चलेगा।

श्री ऊदल--

माननीय, मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं, आपने माननीय सदस्यों की बात को पहले सुना नहीं, और आपने अपने कक्ष में जो निर्णय किया है, यहां आकर उसे सुना दिया। माननीय सदस्य एक मिनट, दो मिनट में कुछ कहना चाहते हैं। यहां परम्परा रखी गयी थी कि एक-दो मिनट के लिये सबको सुन लेते हैं, उसके बाद जिसमें आप निर्देश देना चाहते थे, देते थे, बयान देने की बात होती थी, तो उसके लिये कह देते थे। आज पता नहीं, आपके कक्ष में क्या मीटिंग हुई है, उसके बारे में तो मैं कुछ नहीं कहना चाहता, आपने एक फैसला यहां एकाएक आकर के दे दिया। माननीय सदस्य जो अपनी बात एक-एक मिनट में कहना चाहते हैं, उसको आप सुनना नहीं चाहते। आपने कह दिया 20 आ गयी हैं, सबकी सुनूंगा नहीं। अभी तीन को सुनने का फैसला था, अब आप एक तरफ से सबकी सुन रहे हैं।

श्री अध्यक्ष--

सबको नहीं सुन रहा हूं।

श्री ऊदल--

मेरा निवेदन है, हम यहां इसलिए आये हैं कि इतना बड़ा हमारा प्रदेश है, बहुत सी समस्याएं हैं, अगर एक-दो मिनट माननीय सदस्य चाहते हैं किसी अहम मसले पर कुछ कहना, तो कृपा करके उन परम्पराओं का खयाल रखते हुए आप पहले से ही कोई निर्णय न लें, यह मेरा आपसे निवेदन है। सबको एक या दो मिनट के लिये मौका दे दें, ताकि अशांति न हो।

*संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)--

माननीय राजेन्द्र कुमार गुप्त जी ने मान्टेसरी स्कूल के जो अध्यापक हैं, उनकी तनख्वाहों के बारे में उनका उत्पोड़न जो किया जा रहा है, उसके बारे में बात कही और यह मिनिमम वेजेज ऐक्ट को लागू करने की बात कही।

जहां तक कि यह समस्या है, माननीय, बहुत जगह से शिकायतें ऐसी आयी हैं और हम एक इसकी बाबत

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

कमेटी बनाने जा रहे हैं जो इन तमाम सब विद्यालयों, मान्टेसरी स्कूल्स टीचरों को जो स्थिति है, उसे देखेंगी । और उसे किस तरह से दूर किया जाए उसको देखेगी । जहां तक कि मिनिमम वेजेज ऐक्ट को लागू किये जाने का सवाल है, यह तमाम स्कूलों पर और विशेषकर विद्यालयों में लागू किया जाना चाहिए, इसके कार्यान्वयन को भी सरकार देखेगी ।

माननीय राम गोविन्द जी ने श्री रामवृक्ष, अध्यक्ष, जनवादी पार्टी के ऊपर प्राणघातक हमले की बात कही और उसके बारे में सत्यपाल सिंह जी ने भी कहा । मान्यवर, इस मामले को इनक्वायरी सी0 आई0 डी0 द्वारा करायी जा रही है और उसमें जो भी तथ्य सामने आयेंगे, उसके हिसाब से कार्यवाही होगी ।

(व्यवधान)

श्री जटाशकर सिंह जी ने प्रदर्शन के बारे में कहा है । इस विषय में अभी सूचना प्राप्त नहीं हुई है । सूचना मंगाकर आपको सूचित करेंगे ।

श्री अध्यक्ष—

माननीय मोहन सिंह जी की सूचना के बारे में कुछ नहीं कहना चाहते हैं ?

श्री अम्मार रिजवी—

मान्यवर, इसके ऊपर एक कमेटी भी बनी थी, उसने अपनी रिपोर्ट दे दी है । आपने वक्तव्य के लिये स्वीकार किया है, सारे तथ्य सामने आ जायेंगे । माननीय मोहन सिंह जी की एक बात के बारे में कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश सरकार पूरी तरह से इस बात का प्रयास कर रही है कि जो ओबरा में हुआ और जो घटना वहां पर हुई, अगर उसमें कोई दोषी पाया जाता है तो उसे बचाने का कोई सवाल पैदा नहीं होता । जिनके ऐक्शन या ओमीशन से कोई बात हुई है, किसी को बचाने का सवाल नहीं है । जहां तक बिजली बाहर से मंगाने का सवाल है, ऐसी स्थिति तो कभी भी आ सकती है । उत्तर प्रदेश इतना बड़ा प्रदेश है कि बिजली की आवश्यकता पड़ने पर कभी भी बिजली पंजाब से कभी दिल्ली की ग्रिड से लेते आये हैं ।

(व्यवधान)

श्री सत्यपाल सिंह—

मैं मंत्री जी द्वारा दिये गये उत्तर के विरोध में सदन त्याग करता हूं ।

(श्री सत्यपाल सिंह सदन त्याग कर चले गये ।)

*श्री कुंवर सिंह नेगी—

मेरी सूचना मसूरी के बारे में है । पर्वत की रानी कही जाने वाली मसूरी का अस्तित्व खतरे में है । जियालाजिस्ट की सलाह पर मसूरी में बहुमन्जिले इमारतें बनने पर रोक लगी है क्योंकि यह बहुत कमजोर है । एक-दो मंजिलों से ज्यादा ऊंची इमारत बनाने पर रोक है । 1982 से यह हो रहा है कि दिल्ली और दूसरी जगहों से कोलोनाइजर्स आ रहे हैं और सरकार और कारिन्दों की मिलीभगत से बहुमन्जिली इमारतों का निर्माण हो रहा है । 7-8 मन्जिल के मकान बन रहे हैं, जो कि कभी भी ढह सकते हैं । ये मसूरी की सुन्दरता को भी नष्ट कर रहे हैं । इस पर रोक लगाने के लिए इस पर चर्चा होनी चाहिए कि जियालाजिस्ट की रिपोर्ट के विरुद्ध कैसे अनुमति दी गई है ? कहा यह जाता है कि वहां पर श्री ओ0 पी0 शर्मा, डी0 एम0 और ए0 डी0 एम0 की मिलीभगत से सारा काम हुआ है, इन लोगों ने साजिश करके किया है । प्रभावशाली लोगों के खिलाफ सरकार और प्रशासन कुछ नहीं कर पा रहा है । सारे लोग चिन्तित हैं । यह सूचना अविलम्बनीय है और लोकमहत्व की है, अतः मेरा अनुरोध है कि इस पर अवश्य चर्चा करायें और माननीय मन्त्री जी से इसका जवाब दिलायें ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री रेवती रमण सिंह--

मैंने नियम 56 के अन्तर्गत एक सूचना दी थी। इस समय इलाहाबाद विश्वविद्यालय में गम्भीर स्थिति उत्पन्न हो गई है। पिछले सत्र में 'जीरो' सेशन हो गया था। शासन की तरफ से और हर तरफ से प्रयास किया गया कि इस साल न हो। अभी 15 दिन पहले लगभग दो महीने तक वहां के प्रोफेसरों ने हड़ताल की और दो महीने तक कोई क्लासेज नहीं चले, जिसका नतीजा यह हुआ कि जो इम्तहान मार्च में होने वाले थे, जुलाई-अगस्त में कर दिए गए। पूरी सम्भावना है कि इस साल भी इलाहाबाद विश्वविद्यालय में 'जीरो' सेशन हो जायेगा और अभी कल परसों वहां के प्रोफेसर व अध्यापकों की ओर से यह नोटिस दिया गया है कि वह फिर से स्ट्राइक पर जाने वाले हैं। इस गम्भीरता को देखते हुए मैं चाहूंगा कि इलाहाबाद के 50 विद्यालय हैं, जिनका जन-जीवन इनसे जुड़ा हुआ है और यही इलाहाबाद है, जिसमें प्रदेश के जो प्रमुख विश्वविद्यालय हैं, जहां से प्रशासनिक सेवा में ज्यादातर लड़के इलाहाबाद से ही आते हैं, इसलिए इस प्रकार की स्थिति को देखते हुए मेरे द्वारा दिए गए कार्य-स्थगन प्रस्ताव को स्वीकार करने का कष्ट करें और इस पर सदन में चर्चा करने की आज्ञा दें।

*श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

माननीय, कार्य-स्थगन प्रस्ताव जो मेरे द्वारा दिया गया है, उसकी गम्भीरता को देखते हुए मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि मैंने जो इस पर व्यवस्था का प्रश्न उठाया था कि जनता के शासनकाल में साढ़े तीन सौ गैर सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों को उनको अनुदान सूची में रखने का संकल्प किया गया था जिसमें डेढ़ सौ विद्यालयों को तो कर दिया था, 200 विद्यालय शेष रह गए थे, वह 200 विद्यालय आज भी वैसे ही हैं, उन पर कोई कार्यवाही नहीं की गई है, जिसकी वजह से उनमें रोष व्याप्त है। इन विद्यालयों के अध्यापकगण लगभग 20 सालों से प्रशिक्षण करते-करते उनके बाल सफेद हो गए हैं और वह रिटायर होने की स्थिति में आ गए हैं, लेकिन वह अनुदान सूची में अभी तक नहीं आ सके। हर जगह यही स्थिति है। इसलिए शिक्षा जगत में इस प्रकार के आन्दोलन कब तक चलेंगे, इसलिए माननीय, मैं आपके माध्यम से अनुरोध करूंगा कि तत्काल असहायता प्राप्त विद्यालयों को सहायता दी जाए।

*श्री विजय सिंह राना--

माननीय, मैं आगरा नगर से संबंधित एक समस्या आपके सामने रख रहा हूं कि वहां पर आज पानी के नाम पर जन-जीवन को जहर पिलाया जा रहा है। एकदम गंदा और पीला पानी है, जिसे पी-पीकर लोग बीमार हो रहे हैं।

श्री अध्यक्ष--

पी-पीकर लोग मोटे हो रहे हैं या बीमार ?

(हंसी)

श्री विजय सिंह राना--

माननीय, मैं निवेदन कर रहा था कि नगर में इस समस्या को लेकर बड़ी भयंकर स्थिति पैदा हो गई है। अभी हाल ही में माननीय, जल संस्थान के अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा एक रिपोर्ट अखबारों में प्रकाशित हुई थी जिसमें उन्होंने स्वीकार किया है कि पानी पीला है, पर पीला पानी स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नहीं है। माननीय, पानी का स्वाभाविक रंग श्वेत है। यदि उसका रंग पीला होता है तो निश्चित है कि उसमें प्रदूषण हुआ है। प्रदूषण वाला पानी स्वास्थ्य के लिए हानिकारक क्यों नहीं है, समझ में नहीं आता ? इस प्रकार यह कर्मचारी और अधिकारी अपना कर्तव्य पालन करने में अक्षम हैं और दूसरी ओर भोली निरीह जनता को गुमराह कर रहे हैं। अतः माननीय, सम्पूर्ण आगरा नगर की जनता दुखी है, बेबस है, आप संरक्षण प्रदान करें। आपने चर्चा के लिए इसे

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

स्वीकार कर लिया, मैं अनुग्रहीत हूं। उधर माई डाक्टर कौशल बैठे हैं आप चाहें तो इनसे पूछ लें।

*श्री रुद्र प्रताप सिंह--

मान्यवर, मैंने आपको नियम 56 के अन्तगत एक सूचना दी थी कि यह कार्य-स्थगन प्रस्ताव स्वीकार कर लें और आज सदन की कार्यवाही रोककर इस पर चर्चा कराएं ताकि जो 20 फरवरी को हड़ताल अध्यापकों को समाप्त हुई है। यह हड़ताल इस बात को लेकर थी कि माध्यमिक शिक्षा परिषद् ने एक ऐसा नियम बना दिया है कि बालिकाएं अपने विद्यालयों में परीक्षा नहीं देंगी। जब कि मान्यवर, आप भी और हम सभी लोग जानते हैं कि इनके जमाने में असुरक्षा बहुत है, रोजाना महिलाओं के बलात्कार आदि की सूचनाएं आती रहती हैं। इस सरकार द्वारा आज लड़कियों को उनके विद्यालय को छोड़कर दूसरे स्कूलों में परीक्षा लेने की व्यवस्था की जा रही है, जिससे आज ऐसी समस्या उजागर हो गई है कि गुंडों ने तय कर लिया है कि जब वह जायेंगी तो वह उनका अतिक्रमण करेंगे, तो मैं मान्यवर, आपसे अनुरोध करूंगा कि आप माननीय शिक्षा मंत्री जी को यह आदेश दें कि लड़कियों के परीक्षा के जो स्थान बदले जाने के आदेश हैं, वह चेंज किए जाएं और जहां पर वह लड़कियां पढ़ती हैं, वहीं पर परीक्षा दें।

यहां विधान सभा के गेट पर अनुदान प्राप्त विद्यालयों के अध्यापक भूख हड़ताल कर रहे हैं। यदि वह मर जायेंगे तो हम लोग जिन्दा रहकर क्या करेंगे? आप इनसे कहिए कि ये इस पर कुछ सोचें विचारें अगर वे 200 विद्यालयों को भी ले लें, कुछ तो सोचें। मान्यवर, आप इनको निर्देशित कीजिए।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

*श्री खैरुल बशर--

मान्यवर, मैंने जो आपको नियम 56 की सूचना दी थी, इसमें कानपुर में जे0 के0 रेयन 16 मई को बगैर सरकार की स्वीकृति के बन्द कर दी गयी। जिसके कारण से 2200 मजदूर बेकार हो गये और इससे दस हजार परिवार प्रभावित हैं। आज वहां रात को 500 मजदूर जिसमें 250 महिलायें भी हैं, वे अपने बच्चों को गोद में लेकर यहां पहुंची हुई हैं। हमारे देश की आजादी की लड़ाई में फ्रीडम फाईटर, कैप्टन लक्ष्मी सहगल तथा रमआसरे की लड़की उनका नेतृत्व कर रही थी और 50 खत प्रधान मंत्री को, हमारे प्रदेश की सरकार के मुख्य मंत्री को तथा माननीय श्रम मंत्री को लिखे गये हैं, उस पर अभीतक कोई बयान नहीं दिया गया। आज सी0 टू के जनरल सेक्रेटरी के समेत सबको हिरासत में ले लिया यह हमारा देश जिसकी आजादी की लड़ाई के बाद सुभाषचन्द्र बोस, ढिल्लन आदि---

श्री अध्यक्ष--

आप नियम 56 पर ही बोलिये।

श्री खैरूल बशर---

मैं उसी पर ता बोल रहा हूं कि कानपुर में तीन मिलें जे0 के0 सिंघानिया ने बन्द कर दी हैं। सरकार ने बार-बार आश्वासन दिया है कि मिलों को बन्द नहीं होने दिया जायेगा परन्तु हमारे देश के सबसे बड़े पूंजीपति सिंघानिया परिवार ने बगैर शासन की स्वीकृति के उन्हे बन्द कर दिया है। इन चार मिलों के 56 हजार मजदूर बेकार हो गये हैं। सरकार उन मिलों को अधिग्रहण करके चलावे। सिंघानिया कहता है कि 1 रु0 में हमारी मिल को ले लो। सिंघानिया ने मिल के सारे पैसे को ट्रान्सफर कर दिया है। यदि प्रदेश की सरकार ने इस पर अंकुश नहीं लगाया तो पूरे प्रदेश का मजदूर वर्ग पूंजीपतियों के हमले से

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

आहि-आहि करेगा । इसलिये मैं चाहता हूं कि सदन की कार्यवाही रोक कर इस महत्व पूर्ण विषय पर आप चर्चा करा दें ।

(व्यवधान)

श्री सरदार सिंह--

माननीय अध्यक्ष महोदय, पुलिस की साजिश से प्रदेश में ...

श्री जसवन्त सिंह विष्ट--

आप मुझे कोई मौका नहीं देते हैं । मैंने भी एक सूचना दी है, आप मुझको पहले सुन लें ।

श्री अध्यक्ष --

मैं आज्ञा नहीं दे रहा हूं, विष्ट जी आप बैठिये ।

श्री जसवन्त सिंह विष्ट--

आप जरा विचार करिये ..

श्री अध्यक्ष--

नेगी जी इस पर बोल तो चुके हैं ।

श्री जसवन्त सिंह विष्ट--

[× × ×]

श्री अध्यक्ष--

ये बिन आज्ञा के बोल रहे हैं, एक भी शब्द लिखा नहीं जायेगा ।

श्री जसवन्त सिंह विष्ट--

[× × ×]

श्री अध्यक्ष --

विष्ट जी आप बैठिये ।

नोट :--[× × ×] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

श्री सरदार सिंह--

पुलिस की साजिश से हथियारों के जो लाइसेंस बनाये जा रहे हैं । जो लाइसेंस के पात्र व्यक्ति हैं, उनको लाइसेन्स नहीं मिलता है और जो अपराधी लोग हैं, उनको लाइसेन्स मिल जाते हैं । माननीय श्यामलाल वाजपेयी जो बैठे हैं उनके लाइसेन्स तो बन गया लेकिन राइफल ब्लैक में खरीदनी पड़ी । अपराधी व्यक्ति जो नम्बर दो का धन्धा करते हैं, उनका लाइसेंस भी बन जाता है और राइफल भी मिल जाती है । यहां पर अपराधी तत्वों का मुख्यालय बना हुआ है । वह जिस हथियार का लाइसेन्स बनवाना चाहते हैं । छोटे से छोटे और बड़े से बड़े हथियार चाहे स्टेनगन ही क्यों न हो का लाइसेंस बन जाता है । जो एस० डी० एम० हैं उन्होंने इस जालसाजी का भन्डाफोड़ किया और यह पाया गया कि पुलिस की साजिश से यह सारा काम होता है । पुलिस का उसमें हाथ रहता है ।

श्री श्याम लाल बाजपेयी--

मैंने ब्लैक से नहीं खरीदी है, इसके लिए मारकेट है, कम्पनी रेट पर खरीदता हूं ।

श्री सरदार सिंह--

मेरा लाइसेंस बने हुए 4 महीने हो गये हैं, लेकिन अभी तक राइफल नहीं मिल पायी है । जिनके लाइसेंस फर्जी हैं, उनको मिल रही है । इसका मान्यवर, कानून व्यवस्था से गहरा सम्बन्ध है । आपने सरकार का ध्यान इस ओर आकृष्ट कराया है, लेकिन मैं चाहता हूं कि उस पर चर्चा भी हो जाय । इससे बड़े-बड़े मामले सामने आ जायेंगे, उनका भन्डा फोड़ हो जायेगा । आपने जो शासन का ध्यान आकृष्ट किया है, उससे काम नहीं चलेगा । आप इस पर चर्चा करा दें ।

श्री नन्द किशोर सिंह--

मान्यवर, इस विधान सभा के बाहर 27-2-84 से अध्यापक अनशन पर

बैठे हुए हैं, आमरण अनशन कर रहे हैं। शिक्षकों ने एलान किया है कि अगर उनकी मांगे पूरी नहीं होती हैं तो तीन तारीख से प्रदेश के सभी अध्यापक आमरण अनशन पर बैठेंगे। सन् 1984-85 के अनुदान की सूची के लिये करीब 38 करोड़ रुपये हैं। स्कूलों की हालत यह है कि जो वहां पर अध्यापक हैं उनको 50-50 रुपया तनख्वाह दी जाती है। यह कहा गया है कि 6ठी पंच बर्षीय योजना में 500 स्कूलों का अनुदान सूची में सम्मिलित किया जायेगा, परन्तु जो वर्तमान शिक्षा निदेशक हैं, उन्होंने केवल 200 स्कूलों को अनुदान सूची म रखने के लिए वित्त बिभाग को लिखा है और प्रति स्कूलों को 1-1 रुपए की टोकेन ग्रान्ट देने के लिए लिखा है। उत्तर प्रदेश के 400 विद्यालयों की सूची इस सचिवालय में पड़ी हुई है। माननीय शिक्षा मन्त्री जो यहां पर बैठे हैं। जो अध्यापक आमरण अनशन पर बैठे हैं, उनकी हालत खराब है।

(व्यवधान)

श्री यमुना प्रसाद—

माान्यवर मेरी भी बात सुन ली जाय। मैंने भी दिया है।

श्री अध्यक्ष —

आप बैठें। मैंने संसदीय कार्य मन्त्री को बुला लिया है। आप बैठे।

श्री यमुना प्रसाद—

चूंकि मुझे सुना नहीं जा रहा है, इसलिए मैं सदन का त्याग करता हूं।

(श्री यमुना प्रसाद सदन त्याग कर चले गये।)

श्री अम्मार रिजवी—

मान्यवर, माननीय कुंवर सिंह नेगी ने मंसूरी में जो कई मंजिले मकान बन रहे हैं, उनको ओर शासन का ध्यान आकष्ट कराया है। मान्यवर, इसकी जांच की जा रही है और जो लिमिट है उसी को इनफोर्स कराने का प्रयास किया जायेगा और यह बात देखी जायेगी कि किस प्रकार ऐसी इजाजत मिली। माननीय रेवती रमण सिंह जी ने जीरो सेशन की बात कही। यह एक ऐसी स्थिति है कि आजकल विद्यार्थियों का वातावरण बजाय पढ़ने की तरफ से हड़ताल की तरफ ज्यादा हो गया है। अध्यापक भी उसमें हैं।

एक सदस्य—

यह शासन की देन है।

श्री अम्मार रिजवी—

यह किसकी देन है। यदि यह स्थिति इसी तरह से रही तो पूरे प्रदेश के अन्दर और जैसा कि माननीय नेता विरोधी दल ने अपने भाषण में एक बात कही थी

(व्यवधान)

मान्यवर, यह बात सबके सोचने की है कि जो यह स्थिति पैदा हो रही है इसको कैसे रोका जाय। इसके लिए हम लोग भी प्रयास कर रहे हैं कि जीरो सेशन न हो और जो उनकी जायज मांगें हैं, वे पूरी की जायें। हमारी वित्तीय स्थिति यह है कि 510 करोड़ रुपया 965 करोड़ रुपये में से ऐसा है जो कि केवल अध्यापकों के वेतन के लिये ही दिया जा रहा है। हम लोग किस तरह से ज्यादा संसाधन जुटाकर उनकी तनख्वाह, बोनस और भत्ते दिये जायं, इस पर सोचें। आप लोग भी इस पर सोचें। हम लोगों का प्रयास यह है कि जीरो सेशन न हो। अगर कोई ऐसी परिस्थिति आती है, मजबूर किया

जाता है और नारा दिया जाता है कि "हमारी मांगें पूरी हों, चाहे जो मजबूरी हो"। जहां तक मांगों को पूरा करने का सवाल है, इसका असर गरीब किसानों पर पड़ता है, मजदूरों पर पड़ता है, गरीब जनता पर पड़ता है। यह चीजें सोचने की हैं। इस पर हमें भी सोचना है और उस दल की तरफ जो बैठे हैं, उनको भी सोचना है। हमें खुशी है कि माननीय नेता विरोधी दल इस विषय में बड़े जागरूक हैं और उन्होंने बड़ी हिम्मत के साथ यह बात अपने भाषण में कही थी। मैं चाहूंगा कि जिन सदस्यों ने उनके भाषण को नहीं सुना, वे उनके भाषण को पढ़ें। उससे काफी मार्गदर्शन होगा।

श्री राजेन्द्र सिंह--

चाहे शिक्षा का विषय हो या कोई भी विषय हो, आप हम लोगों से परामर्श करें जो जायज बात होगी, प्रदेश के हित की बात होगी, उसमें हो आपका साथ देंगे, पूरा समर्थन करेंगे जिससे यह प्रदेश तरक्की कर सके।

श्री अम्मार रिजवी---

जहां तक शिक्षा का मामला है, हम अवश्य आपसे परामर्श करेंगे। इसके बाद माननीय ओझा जी ने रिकाग्निशन के बारे में कहा। माननीय नन्द किशोर जी ने भी इस बात को कहा कि इसको अनुदान सूची में लाया जाय। यह चीज भी हमारे वित्तीय साधनों से जुड़ी हुई चीज है। हम वित्तीय क्षमता के आधार पर रिकाग्निशन देंगे और अनुदान सूची में लायेंगे।

श्री राजेन्द्र सिंह---

आप एक पालिसी बना दें कि हम इस तरह से देंगे।

श्री मोहन सिंह--

मान्यवर, 1977 में जो मान्यता-प्राप्त विद्यालय हैं, उनमें आधे अध्यापक वेतन समुदाय में हैं और आधे नहीं हैं। यह विसंगति है।

श्री अम्मार रिजवी--

जितने लिये जा सकेंगे, उनकी घोषणा कर दी जायेगी। मान्यवर, माननीय राना जी ने पानी की जगह जहर की बात कही और कहा कि वाटर पोल्यूशन हो रहा है। मान्यवर, जनसंख्या के बढ़ने से और दरख्तों के कटने से यह समस्या पैदा हुई है। यह केवल आगरा की ही समस्या नहीं है। इसके बारे में काफी प्रयास किया जा रहा है। वर्ल्ड से भी परामर्श किया गया है। इसके लिये कानपुर और आगरा में योजना बनायी जा रही है और इसे कंट्रोल करने का प्रयास किया जा रहा है। जैसे-जैसे आबादी बढ़ी है उसका प्रेशर बढ़ा है उसको देखते हुये उतनी आसानी से यह समस्या सुलझने वाली नहीं है। परीक्षा के सेन्टर्स बदलने के बारे में माननीय रुद्र प्रताप सिंह जी ने कहा कि लड़कियों के लिये सेन्टर्स बदल दिये गये। मान्यवर, अगर कहीं कोई ऐसी बात होगी तो वे शासन के ध्यान में इस बात को ले आयें, उसे बदल दिया जायेगा।

श्री राजेन्द्र सिंह--

मान्यवर, उन्होंने कहा कि देहात की लड़कियों को शहर में भेज दिया जाता तो उन्हें परेशानी हो जाती है। यह तो एक जनरल बात है। शहर के सेन्टर्स बदलने में तो कोई दिक्कत नहीं होती लेकिन देहात की लड़कियां को शहर में भेज दिया जाय तो यह ठीक नहीं है। इस पर आप विचार कर लें।

श्री मोहन सिंह--

आप इतना कर दें कि वहां पर लड़कियों का सेन्टर चेन्ज न हो।

[समय 2 बजे अपराह्न]

श्री अम्मार रिजवी--

मान्यवर, मैं सारे मामले को देख लूंगा और माननीय नेता विरोधी दल से

भी परामर्श कर लूंगा अगर कोई कठिनाई है तो उसे दूर कर दिया जायेगा । माननीय खैरुल बशर साहब ने जो समस्या जे0 के0 रेयन के मजदूरों के बारे में कही । यह समस्या बहुत दिनों से चल रही है । उत्तर प्रदेश शासन बराबर इस बात की कोशिश करता रहा है कि मजदूरों की समस्या का समाधान हो । वहां के जो इम्पलायर हैं, उनसे बातचीत हुई । जब बातचीत से कोई नतीजा नहीं निकला तो उत्तर प्रदेश सरकार ने केन्द्र सरकार को लिखा कि इस मिल को सरकार ले ले उसके बाद एक टास्क फोर्स एप्वाइन्ट हुई उसकी 21-6-83 तक की रिपोर्ट आई : टास्कफोर्स की रिपोर्ट के बाद इंडस्ट्रियल (डेवलपमेंट एन्ड रेगुलेशन) ऐक्ट, 1951 ऐक्ट संख्या 65 की उपधारा 15 के अंतर्गत श्री सुनेन्द्र कुमार, एडीशनल टेक्सटाइल कमिश्नर, वाणिज्य मंत्रालय की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया कि किस तरह इसे वायबल बनाया जाय और किस तरह चलाया जाय । इसी बीच इम्पलायर्स ने कोर्ट से स्टे ले लिया जब अदालत में मामला चला गया और स्टे हो गया तो कार्यवाही स्थगित कर दी गयी लेकिन जहां तक उत्तर प्रदेश के शासन की बात है उसकी नीति हमेशा मजदूरों की मदद करना है लेकिन जहां मामला न्यायालय में चला जाय और स्टे हो जाये तो मजबूरी है । लेकिन मैं माननीय सदस्य को माननीय सदन और आश्वासन देना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश सरकार बराबर इस बात का प्रयास करती रहेगी कि मजदूरों को उनका हक मिले जिनको हटाया गया है, वह वहां वापस आ जायं और कारखाना सही तरीके से चले । (व्यवधान) मामला अदालत में है इसलिए हम कुछ नहीं कर सकते हैं ।

माननीय सरदार सिंह जी ने जो बात कही कि अवैध असलहे बन रहे हैं और फर्जी लाइसेन्स की बात कही, मैं उनसे आग्रह करूंगा उनको जरूर ऐसे ठिकानों का पता है जहां फर्जी लाइसेंस और असलहे बन रहे हैं, उनकी कृपा होगी वह सरकार को सूचना दें मुखबरी कर दें ताकि ऐसे लोगों को पकड़ा जा सके और असलहे भी पकड़े जा सकें ।

श्री अध्यक्ष--

मैंने माननीय मोहन सिंह, माननीय रूद्र प्रताप सिंह, माननीय विजय सिंह राना की सूचनाओं को वक्तव्य के लिए स्वीकार किया है । शेष सूचनायें जो हैं, उनको मैंने शासन को उचित कार्यवाही हेतु उनका ध्यान आकर्षित करने के लिए भेज दिया है । (व्यवधान) शेष सब की सब भेज दी हैं ।

वित्तीय वर्ष 1984-85 के आय-व्ययक पर सामान्य चर्चा (क्रमागत:)†

(डा0 बृज किशोर मिश्र का नाम पुकारे जाने तथा उनके अनुपस्थित होने पर श्री ऊदल को बोलने के लिये पुकारा) ।

श्री ऊदल--

मान्यवर, इस बजट को सामान्य चर्चा पर भाग लेते हुए मैं इसे निराशाजनक ही कहूंगा । आज देश और प्रदेश के अंदर मंहगाई चरम सीमा पर है । माननीय अधिष्ठाता महोदय कोई मंत्री यहां पर नहीं है मैं क्या बोलूं ।

(इस समय 2 बजकर 3 मिनट पर अधिष्ठाता, श्री दयाल कृष्ण पीठासीन हुए)

श्री श्याम लाल बाजपेयी--

माननीय नेगी जी, पर्वतीय विकास मंत्री बैठे हैं :

†दिनांक 1 मार्च, 1984 की कार्यवाही से ।

श्री ऊदल--

मेरा आपसे अनुरोध है ।

श्री अधिष्ठाता--

माननीय नेता जो बैठे हैं । क्या वे मंत्री नहीं हैं ?

श्री ऊदल--

मान्यवर, आप चाहते हैं कि इस सदन का उपहास हो तो मैं भाषण नहीं करूंगा, मैं वाकआउट कर सकता हूं । इसलिए किसी न किसी केबिनेट स्तर के मंत्री को होना अति आवश्यक है । इसलिए मैं बैठता हूं ।

श्री अधिष्ठाता--

आप अपना भाषण जारी रखें ।

मेरी सूचना है कि संसदीय कार्य मंत्री जी एक मिनट में आ रहे हैं ।

श्री ऊदल--

श्रीमन्, उत्तर प्रदेश के अंदर मूल्य वृद्धि चरम सीमा पर है । इससे आज आम आदमी काफी परेशान है । पिछले वर्ष से प्रत्येक वस्तुओं के मूल्यों में काफी वृद्धि हुई है जिसको रोकने में यह सरकार अक्षम साबित हुई और रोकने में असमर्थ है । इसके लिये दूसरी चीजों के अतिरिक्त सरकारी नीतियां मुख्य रूप से जिम्मेदार हैं । इसमें प्राथमिकता ठीक से निश्चित न करने के कारण आज मूल्यों में वृद्धि हो रही है और प्रशासनिक खर्चा में बेताहाशा वृद्धि हो रही है । जो योजनायें चल रही हैं उसके अमल में दोष है जिसके कारण भी मूल्य वृद्धि हो रही है । सरकार आज घाटे का बजट पेश करती है, जिसका मुख्य कारण है कि महंगाई बढ़ती है । इसके ऊपर आज तक सरकार ने विचार नहीं किया और जिस तरह से एक रुटीन वर्क होता है उसी तरह से बजट को पेश किया जाता है ।

(श्री श्यामलाल बाजपेयी के खड़े होने पर)

श्री अधिष्ठाता--

श्री श्यामलाल बाजपेयी जी भाषण को आप सुनें ।

श्री श्यामलाल बाजपेयी--

मान्यवर, मा0 ऊदल जी इस सदन के प्रसिद्ध पार्लियामेन्टरियन हैं, इसलिये नजरें कहीं रहें लेकिन उनकी वाणी हृदय में रहती है ।

श्री ऊदल--

धन्यवाद । श्रीमन्, आज जो घाटे की अर्थ-व्यवस्था है उसके कारण आज हम इस हालत में पहुंचे हैं । आज आप देखें तो महंगाई बढ़ने का कारण देश के अंदर काले धन का होना है जिस पर विचार करने की आवश्यकता है, हालांकि यह प्रदेश सरकार के अन्तर्गत नहीं आता है, यह तो भारत सरकार के विचार करने की बात है । लेकिन मेरा अनुमान है कि अर्थशास्त्रियों का कहना है कि इस समय 80 अरब रुपया कालेधन के रूप में देश के अंदर फैला हुआ है और देश की अर्थव्यवस्था को बुरी तरह प्रभावित कर रहा है । इसके कारण भी महंगाई और भयंकर तरीके से बढ़ रही है । इसके अलावा एक कारण यह भी है कि हमारे देश में मुद्रास्फीति जिसको कुछ माने में रोका गया है लेकिन अब भी 10 फीसदी से ज्यादा मुद्रास्फीति है देश में और उसको यदि नहीं रोका गया तो इस वृद्धि के कारण भी देश और प्रदेश महंगाई से तबाह हो रहा है ।

श्रीमन्, दूसरा सबसे बड़ा कारण है कि आवश्यक वस्तुओं का अभाव और वह ज्यादा तो नहीं है लेकिन

इसका कृत्रिम अभाव पैदा किया जाता है। देश और प्रदेश के पूंजीपति और सटोरिये जो कि सामानों का भण्डारण कर लेते हैं और कृत्रिम अभाव पैदा करके धीरे-धीरे सामान निकालते हैं, उसका भी बहुत बड़ा अंतर इस महंगाई को बढ़ाने में पड़ रहा है। इसलिये मेरा ख्याल है कि सरकार को इसके ऊपर गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता है क्यों कि इस बजट से प्रदेश की जनता को महंगाई से राहत नहीं दिया जा सकता और उपभोक्ता सामग्री को उसे उचित दामों पर उपलब्ध न करा सके तो मैं समझता हूं कि महंगाई रोकना असम्भव हो जाएगा। आजकल कुछ लोगों का कहना यह है और शासक दल के लोगों का भी कि महंगाई प्रगति की निशानी है। मैं इस तर्क को मानता नहीं हूं कि वह महंगाई प्रगति की निशानी है। यह तर्क यदि किसी का है तो गलत है, चाहे प्रधानमन्त्री श्रीमती इन्दिरा गांधी का हो या किसी का हो। इसलिए मैं बजट की सामान्य चर्चा में भाग लेते हुए इस बात का निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार महंगाई पर, चाहे जैसे हो, रोक लगाये और आम जनता को महंगाई से जो पीड़ा हो रही, वह उसे उससे छुटकारा दिलाए।

मैं अब शान्ति व्यवस्था के बारे में दूसरी बात कहना चाहता हूं। हमारा देश और प्रदेश, संविधान और विधि के अनुसार चलेगा या नहीं चलेगा, यह प्रश्न आज देश के सामने पैदा हो गया है। बड़े-बड़े विधिवेत्ता इस प्रश्न पर आज विचार कर रहे हैं। अभी सत्यपाल जी ने और राम गोविन्द चौधरी जी ने एक प्रश्न उठाया था कि गाजीपुर के एक थानेदार एन0पी0सी0 त्रिपाठी हैं जिन्होंने काफी फर्जी एनकाउन्टर किये हैं। नेता विरोधी दल ने भी, यद्यपि मैं उनके भाषण के समय नहीं था, फिर भी सूचना है, इस ओर सदन का ध्यान आकर्षित किया है और मेरे पास भी इस संबंध में कुछ तथ्य हैं।

श्री जसवन्त सिंह विष्ट--

माननीय, कोरम भी नहीं है, कम से कम कोरम तो होना चाहिए।

श्री मोहन सिंह--

श्रीमन्, सदन की प्रथा है कि एक से तीन के बीच में कोरम का प्रश्न नहीं उपस्थित कराया जाता है। अब तक यह परम्परा रही है। अतः इस समय आप इस पर कोरम का अभाव न मानकर चर्चा करावें।

श्री अम्मार रिजवी--

यह सही कह रहे हैं, मैं मोहन सिंह जी की बात से सहमत हूं।

श्री अधिष्ठाता--

मैं आशा करता हूं कि श्री जसवन्त सिंह जी इसको वापस ले लेंगे।

श्री जसवन्त सिंह विष्ट--

मैं वापस लेता हूं।

श्री ऊदल--

मैं सरकार के सामने इस बात को उठाना चाहता हूं कि हमारे प्रदेश की पुलिस विधि सम्मत और संविधान सम्मत कार्य करेगी या नहीं। उनकी मनमानी पर रोक लगेगी या नहीं। मेरे सामने कुछ उदाहरण हैं, मैं उनको आपकी आज्ञा से सदन के सामने रखना चाहता हूं। आगरा में 3/4 फरवरी, 84 के आसपास फतेहाबाद के बीहड़ों में 7 व्यक्तियों को पुलिस-डाकू मुठभेड़ दिखाकर मार डाला गया, उनकी हत्या कर दी गई। 4 फरवरी, 84 में फैजाबाद में, जिसके बारे में आपने भी सुना होगा, जब एक थानेदार साहब घूस लेते हुए पकड़े गये, जिनका नाम पुष्कर है, तो उसके विरोध में पुलिस

के लोगों ने प्रतर्कता विभाग के अधिकारियों को घेर लिया और उनके साथ मारपीट करने पर उतारू हो गए। आज पुलिस कहां को कहां पहुंच गई है, इसका अन्दाजा नहीं लगाया जा सकता है।

इसी तरह से 29 जनवरी, 84 को हसनपुर थाना के अन्तर्गत मुरादाबाद जिले में, 5 व्यक्तियों की हत्या पुलिस ने फर्जी मुठभेड़ दिखाकर कर दी। इसके विरोध में कांग्रेस (आई०) के एक विधायक ने 12 घंटे का अनशन भी किया।

28/29 जनवरी, 84 को थाना आजम, जिला आजमगढ़ के थानाध्यक्ष ने रात के समय जहानाबाद में एक व्यक्ति को गोली से उड़ा दिया फर्जी डाकू पुलिस मुठभेड़ दिखाकर।

थाना असमुद्दीनपुर, जिला गाजीपुर के थानाध्यक्ष, श्री एन० पी० त्रिपाठी ने 10 दिसम्बर, 83 को एक ही यादव परिवार के 4 व्यक्तियों को घर से बुलवाकर, फर्जी एनकाउन्टर दिखाकर, गोली से मार दिया।

सितम्बर, 83 के अन्त में थाना मंसूरी, जिला गाजियाबाद में पुलिस ने फर्जी एनकाउन्टर दिखाकर करनसिंह नाम के व्यक्ति को मार दिया तथा दो और व्यक्तियों को मार दिया।

नवम्बर/दिसम्बर, 83 में गाजीपुर में 9 व्यक्तियों को एनकाउन्टर दिखाकर मार दिया।

गांव खजुरी, थाना दिलदारनगर, जिला गाजीपुर में पुलिस डाकू एनकाउन्टर दिखाकर फरवरी, 84 में एक शंकर यादव को मार दिया।

मुहम्मदाबाद, थाना आजमगढ़ में इसी तरह से पुलिस ने 4 आदमियों को मार डाला फर्जी डाकू-पुलिस एनकाउन्टर दिखाकर।

माननीय, ऐसा लगता है कि अब पुलिस का यही काम हो गया है कि फर्जी एनकाउन्टर दिखाओ और इनाम पाओ। अभी अलीगढ़ में एक डाकू भूरा को मारने का दावा दो थानेदार ने किया। एक थानेदार ने एक आदमी को मार कर कहा कि मैंने भूरे को मारा, दूसरे थानेदार ने दूसरे व्यक्ति को मार कर कहा कि मैंने भूरे को मारा है। अब एक ही भूरा है मारने वाले दो हो गए। पुलिस निरंकुश होती जा रही है।

श्री हरदेव--

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। माननीय ऊदल जी ने कहा कि पुलिस इनाम पाने के लिए फर्जी एनकाउन्टर दिखाती है, उनकी इनाम की परिभाषा क्या है?

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता--

कृपया बैठें, यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं है।

श्री ऊदल--

माननीय, भूरा डाकू को मारने पर 5 हजार का इनाम था। एक थानेदार ने एक आदमी को मार कर कहा कि वह भूरा है, दूसरे ने दूसरे को मार कर कहा कि वह भूरा है। मेरा तो अब निवेदन यह है कि इस राज्य को पुलिस के ही हवाले कर दिया जाये और माननीय हरदेव को इनाम बांटने की जिम्मेदारी दे दी जाये।

(हंसी)

माननीय, पुलिस जुल्म को रोकना बहुत जरूरी है।

अब मैं शिक्षा के बारे में माननीय, कुछ निवेदन करना चाहता हूं।

एक निवेदन मैं प्राइमरी शिक्षा के बारे में करना चाहता हूं। इसकी हालत बड़ी खराब है। एक तो वैसे खराब

हो सकती है कि सरकार के पास साधन न हो, सरकार के पास धन न हो, उसकी वजह से खराब हो तो यह बात समझ में आती है । श्रीमन्, आज हमारे प्रदेश में बालकों की शिक्षा 30 फीसदी भी नहीं है । लड़कियों की शिक्षा तो 15 फीसदी के आगे नहीं बढ़ सकी है । श्रीमन्, 27 हजार प्राइमरी अध्यापकों की कमी है, यह योजना आयोग का कहना है । हमारे यहां 40 हजार ट्रेंड अध्यापक बेकार हैं । मान्यवर, इसके अलावा, भवन विहीन विद्यालय बहुत से हैं । इन स्कूलों में टाट पट्टी, फर्नीचर आदि की कोई व्यवस्था नहीं है । श्रीमन्, दोहरी शिक्षा प्रणाली चल रही है । जिसके पास जितना अधिक धन है, वह उतनी ही अच्छी शिक्षा अपने बच्चों को दे सकता है । जो गरीब हैं, जो मध्यम वर्ग के लोग हैं, वह बेचारे अपने बच्चों को ठीक से शिक्षा नहीं दे सकते हैं । तो इस पर सरकार को ध्यान देना जरूरी है ।

श्रीमन्, मैं अब निगमों के बारे में कहना चाहता हूं । जितने भी हमारे निगम हैं, वह सब घाटे पर चल रहे हैं । माननीय मुख्य मंत्री जी एक दिन बड़े दावे के साथ कह रहे थे कि सरकार ने हिम्मत की है और फैसला लिया है कि जो निगम घाटे में चलेंगे उनको बंद कर दिया जायगा । मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि जितने निगम हैं, वह घाटे पर चल रहे हैं । मुझे एक दिन हंसी आई एक अखबार में देखकर । उत्तर प्रदेश चलचित्र निगम का एक विज्ञापन छपा है । अधिष्ठाता जी, मैं इसको आपके पास भेज रहा हूं । (माननीय सदस्य ने एक कागज सदन में दिखाया) श्रीमन्, इस विज्ञापन में है कि "चलचित्र निगम प्रगति के पथ पर ।" मैं चुनौती देना चाहता हूं इस सरकार को कि अगर चलचित्र निगम या और जितने निगम इनके हैं, प्रगति के पथ पर हों तो मैं माननीय सदन से, 23 साल के बाद, सदन से इस्तीफा देने के लिए तैयार हूं । सरकार को मेरी चुनौती है ।

श्री राजेन्द्र सिंह—

38 सिनेमाघरों में से 36 लास पर हैं ।

श्री ऊदल—

यह जो चलचित्र निगम की तरफ से जो विज्ञापन दिया है, इसके लिए मैं सरकार को चुनौती देना चाहता हूं । इनके जिस अधिकारी ने इन विज्ञापन को दिया है, चलचित्र निगम के जिस निदेशक या उप निदेशक ने यह विज्ञापन दिया है, उसके खिलाफ सख्त कार्यवाही होनी चाहिए और उससे पूरा लेखाजोखा लेना चाहिए । मैं श्रीमन्, अब विद्युत् परिषद् के सम्बन्ध में कहना चाहता हूं । ओबरा में आग लगी, पनकी में आग लगी, हरदुआगंज में आग लगी । श्रीमन्, यह जो हमारा विद्युत् बोर्ड है यह सफेद हाथी हो गया है । मैं आपसे कहना चाहता हूं कि यह काबू में नहीं है । श्रीमन्, आप भी काबू में नहीं रख सकते ।

श्री अधिष्ठाता—

आप विद्युत् की बात कर रहे हैं, यह विद्युत जल रही है ।

श्री ऊदल—

श्रीमन्, इसीलिए मैं कहना चाहता हूं कि कोई भी पावर हाउस अगर आप ले लें, किसी भी पावर हाउस का लेखा जोखा लेंगे तो यह पता चलेगा कि कोई भी पावर हाउस अपनी क्षमता के मुताबिक आज काम नहीं कर रहा है । इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि यह सरकार श्रीमन्, अक्षम हो गई है । सक्षम नहीं है, श्रीमन्, इसका कहीं पर अंकुश नहीं है, अंकुश होता, तो श्रीमन्, आप देख नहीं रहे हैं, देखिये, सत्ता पक्ष की तरफ सारी बेंचें खाली

हैं, कोई है नहीं । मैं श्रीमन्, आपसे कुछ कहने के पहले आखिरी बात निवेदन करना चाहता हूं...

श्री अधिष्ठाता---

मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप एक मिनट में समाप्त करें ।

श्री ऊदल---

मैं आपकी बात का उल्लंघन नहीं कर सकता, श्रीमन्, आप कहेंगे, तो बिना एक मिनट लिये ही श्रीमन्, मैं बैठ जाऊंगा । श्रीमन्, सिंचाई को ले लीजिए सिंचाई में यह सीपेज की बहुत बड़ी समस्या है । माननीय मंत्री का कहना है कि 45 हजार एकड़ जमीन सीपेज में है, विरोध पक्ष का और मेरा कहना है कि लाखों एकड़ है । अगर एक लाख एकड़ से अधिक जमीन इस प्रदेश की सीपेज की समस्या से ग्रस्त हो, तो श्रीमन्, किसानों का क्या कसूर है, उससे लगान वसूल किया जा रहा है, वे भुखमरी के शिकार हैं, लेकिन इस सरकार के कान पर जूं नहीं रेंगती, योजना बनायी जा रही है, किसी भी नहर का पानी टेल तक नहीं पहुंचता, न तो माइनर है, न तो सिंचाई होती है । श्रीमन्, इस सरकार को क्या सुनाऊं, ज्यों-ज्यों दवा की, श्रीमन्, त्यों-त्यों मर्ज बढ़ता ही गया । तो सुनाऊं किसको ? नेता विरोधी दल से एक दिन मैं कह रहा था कि आप सुना रहे हैं.... किसके आगे ? श्रीमन्, हमारे यहां पूरब में एक ठेठ कहावत है, भैंस के आगे बीन बजावे, भैंस खड़ी पगुराय। बस मैं खत्म कर रहा हूं ।

श्रीमन्, ऐसा दिन मुझे देखने को नहीं मिला, जो आज मिल रहा है, इधर 4-5 वर्षों से, श्रीमन्, गोविन्द वल्लभ पंत जी, बाबू सम्पूर्णानन्द जी, चौधरी चरण सिंह जी, श्रीमती सुचेता कृपालानी जी और माननीय चन्द्रभानु गुप्त जी ये लोग जब थे, श्रीमन्, तो जब सामान्य बजट और महामहिम राज्यपाल का भाषण होता था, तो जो मंत्री लखनऊ से बाहर रहते थे, श्रीमन्, उन्हीं को छोड़कर बाकी श्रीमन्, जितने कैबिनेट के मंत्री थे, यहां रहते थे । श्रीमन्, वह यहां बैठते थे और माननीय मुख्य मंत्री दिन भर बैठते थे, बहुत आवश्यक काम से जाते थे और आफीसर्स गैलेरी में जगह नहीं मिलती थी, नीचे जाते, लेकिन अब मैं समझता हूं कि संसदीय इतिहास में यह सबसे बुरा दिन संसदीय कार्य के लिए पैदा हो गया है और इस सरकार की नकारात्मक दृष्टि की वजह से आज इस सदन का उपहास हो रहा है । मैं इसको सदन का अपमान समझता हूं । संसदीय जीवन के 23 साल के बाद माननीय सदन की ऐसी हालत हो गयी है । सदस्यता गौरव की बात होती थी, लेकिन इस माननीय सदन में आना श्रीमन्, मैं समझता हूं कि अब ठीक नहीं है पुराने लोगों के लिए तो बिलकुल ठीक नहीं है, माननीय मोतीलाल जी के लिए भी ठीक नहीं है । इस माननीय सदन के गौरव एवं गरिमा को ऊपर उठाने के बजाय इस अपमान को श्रीमन्, मुझमें तो अब इसकी आहुति करने के लिए शक्ति नहीं रही, इसलिए मैं अपनी बात को खत्म कर रहा हूं और आशा करता हूं कि आप ही के निर्देशन में अगर इस सरकार को कुछ सद्बुद्धि आ जाय, जो आपके सामने रखा है, उसका सरकार निराकरण करेगी और मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे कुछ समय बढ़ाकर दिया ।

श्री लोकमणि शर्मा---

माननीय अधिष्ठाता महोदय, 1984-85 के अनुमानित बजट पर आपने मुझे अपने विचार व्यक्त करने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका बहुत-बहुत आभारी हूं ।

माननीय वित्त मंत्री महोदय ने जो अनुमानित बजट प्रस्तुत किया है उसका मैं हृदय से समर्थन करता हूं । मैं समर्थन इसलिए कर रहा हूं कि माननीय वित्त मंत्री महोदय ने इस बजट में प्रत्येक स्तर पर प्रदेश के सर्वमुखी विकास के लिये कार्यक्रम, योजनायें रक्खी हैं । हमारी समाजवाद नीतियों के अनुरूप

गरीबी की रेखा से गरीबों को ऊंचा उठाने के साधनों का भी वर्णन किया है। शासन के आंकड़ों से यह भी निर्विवाद सिद्ध हो रहा है कि प्रत्येक स्तर पर जनता पार्टी के शासन में उत्पादन घटा था। इसके बाद विगत 4 वर्षों में प्रत्येक स्तर पर उत्पादन की सन्तोषजनक वृद्धि करके, प्रदेश की अर्थव्यवस्था को नियंत्रित करके प्रदेश का विकास किया है।

मान्यवर, दुर्भाग्यवश दैवीय आपदाओं का जो क्रम 1979-80 से प्रारम्भ हुआ था, वह इस वर्ष भी जारी रहा। इस वर्ष भी सूखा से 14 जनपद और बाढ़ की चपेट में 56 जनपद आये। भारत सरकार की सहायता से 67 करोड़ 36 लाख की व्यवस्था से तत्परता से राहत कार्य किये गये। मान्यवर, प्रदेश स्तर पर छठी योजना के विगत 3 वर्षों में प्रदेश ने उल्लेखनीय प्रगति की है। किसी देश प्रदेश की आर्थिक प्रगति मुख्यतः उसकी विकास दर से परिलक्षित होती है। 1978-79 को आधार वर्ष माना जाय जबकि भयंकर सूखा पड़ा था विगत तीन वर्षों में प्रदेश की वार्षिक विकास दर 10.5 प्रतिशत आती है 1979-80 में राज्य की वार्षिक आय जनता पार्टी के शासन में 4.617 करोड़ थी। 1980-81 में राज्य की आय में वृद्धि होकर 5.687 करोड़ हो गया। 1981-82 में यह आय बढ़ कर 5·838 करोड़ हो गई। 1982 83 में आय में 4.2 प्रतिशत वृद्धि होकर 6.085 करोड़ पहुंच गई। प्रति व्यक्ति आय का औसत-स्थायी भावों पर ही प्रति व्यक्ति की आय 1978-79 में प्रति व्यक्ति आय 514 रुपये थी (जनता पार्टी के शासन में)।

1979-80 में प्रति व्यक्ति की आय 438 रुपये रही (जनता पार्टी के शासन में) 1980-81 में प्रति व्यक्ति की आय 518 हुई (हमारे शासन में) 1981-82 में प्रति व्यक्ति की आय 520 रुपये हुई और 1982-83 में यह 529 रुपये हो गई। प्रचलित मूल्यों पर राज्य की आय 1978-79 में राज्य की आय 9·756 करोड़ रुपये थी जनता पार्टी के शासन में, 1981-82 में राज्य की आय 14.755 करोड़ हो गयी हमारे शासन में, और 1982-83 में यह आय बढ़कर 16.538 करोड़ रुपये हो गई। प्रचलित मूल्यों पर प्रति व्यक्ति की वार्षिक आय 1978-79 में जनता पार्टी के शासन में 935 रुपये थी, 1982-83 में आय बढ़कर 1 हजार 439 रुपये हो गई। इसी तरह खाद्यान उत्पादन में 1978-79 की तुलना में जनता पार्टी के शासन में जो था अब 1982-83 में बढ़कर खाद्यान्न उत्पादन 14.4 प्रतिशत बढ़ा है और 31.89 प्रतिशत अधिक उत्पादन गन्ने का हुआ है। औद्योगिक उत्पादन जनता पार्टी के शासन से 14.6 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। चीनी का उत्पादन 12.24 लाख टन रहा, यह 1982-83 में 20.35 लाख टन हो गया। सीमेंट उत्पादन जनता पार्टी के शासन में 5.25 लाख टन था, 1982-83 में 9.32 लाख टन हो गया यह सब बजट के आंकड़े हैं। मान्यवर, 20 सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत इस वर्ष 32 करोड़ पौधे लगाना एक कीर्तिमान है। इसके अतिरिक्त मान्यवर, गरीबी से गरीबों को ऊंचा उठाने के लिए जो योजना चली है उससे लोगों को रोजगार मिला है। वृद्धावस्था की जो पेंशन थी, उसमें वृद्धि हुई और विधवाओं की पेंशन में करीब 10 हजार की वृद्धि का लक्ष्य रखा गया है। लेकिन मान्यवर, हमारे माननीय नेता विरोधी दल ने बजट भाषण में जो आरोप सत्ता दल पर लगाये हैं वह आरोप नये नहीं हैं। मेरे विचार से मुझे यह कहने में कोई अतिशयोक्ति न होगी कि वह तो सदैव का एक प्रलाप है जैसे हमें हरिजन विरोधी बताया जा रहा है हरिजन विरोधी बजट को भी बताया है। हमारी सरकार हरिजन विरोधी है....

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री—

इसमें भी क्या कोई शक है ?

श्री लोकपति त्रिपाठी—

मुझे लगता है यह अनर्गल है हमारे आपके कहने से कुछ नहीं होता है।

निज हित, अनहित पशु पक्षिऊ जाना ।
मानुष तन गुण ज्ञान निधाना ॥

आपकी भाषा हरिजनों के प्रति सदन में ऐसी है, क्षेत्र में दूसरी है यह प्रमाण है कि 90–95 प्रतिशत लोग श्रीमती इंदिरा गांधी को वोट देते हैं, हम लोगों को वोट देते हैं । मान्यवर, हमारी किसान विरोधी नीतियां भी बतायी है यह किसानों के रक्षक बनते हैं, उन्होंने अपने शासन में किसानों के गन्ने को 6 रु0 क्विंटल बिकवाया इसके अलावा मान्यवर, और कितने ही आरोप हम पर लगाये । मान्यवर, यहां तक कहा गया है कि बाढ़–पीड़ितों को यह सरकार कफन तक नहीं दे पायी मान्यवर, कफन देना तो इनका काम है वह करते हैं। मैं तो पहले कह चुका हूं कि बाढ़ पीड़ितों की सहायता के लिये हमने करीब 67 करोड़ रु0 खर्च किया ।

मान्यवर, मेरा निवेदन है कि 36 वर्षों में जो परम्परा माननीय विरोधी दलों ने अपनाई और उसमें आज तक परिवर्तन नहीं आया । जब तक उसमें परिवर्तन नहीं आयेगा देश प्रदेश की प्रगति संभव नहीं है । मान्यवर, विपक्षी बल और सत्ता पक्ष दोनों ही रथ के दो पहियों के समान हैं, जब यह दोनों अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हैं तब सफलता प्राप्त होती है अन्यथा नहीं । मान्यवर, महामहिम राज्यपाल महोदय जब 13 तारीख को अपना अभिभाषण पढ़ने आये दो पंक्तियां सुनाईं । माननीय विरोधी सदस्यों ने यह उत्पात मचाया कि कुछ न पढ़ने दिया न सुनने ही दिया । इस पर भी मेरा विरोधी दल ने यह आरोप लगाया है कि महामहिम राज्यपाल ने भाषण न पढ़कर माननीय सदन की मान-हानि की है और माननीय अध्यक्ष महोदय से मांग की कि हमारे अधिकारों की रक्षा करें । बहुत ही लज्जा की बात है हम गांधी जी के चरणों में बैठकर इस तरह की असंसदीय क्रियायें करें अमानुषिक क्रियायें करें यह बहुत अशोभनीय बात है । मान्यवर, ज्यों ही महामहिम ने प्रवेश किया, उन्होंने योजना-बद्ध कार्यक्रम के आधार पर जब वह अपने आसन पर बैठे तो ऐसी कार्यवाही, जो हिंसात्मक थी, की वहां चढ़कर उनके हाथ से प्रतियां छीनी गईं और फाड़ी गईं मुख्य मन्त्री जी के टेबिल से उठाई गयीं । प्रतियां फाड़ी गयीं । मान्यवर, मैं आपके माध्यम से यह बताना चाहूंगा कि माननीय नेता विरोधी दल पहले कर्तव्य, अनुशासन पालक बनें । कर्तव्य पालकों के अधिकारों की रक्षा स्वयं होती है । मान्यवर, मेरा केवल एक ही निवेदन है और भगवान से प्रार्थना है कि हमारे विरोधी दल के सदस्य सद्बुद्धि का प्रयोग करें और सुबुद्धि से कर्तव्यों का निर्वहन करें । इन शब्दों के साथ में वित्त मन्त्री जी द्वारा रखे गये बजट का समर्थन करता हूं ।

जय हिन्द ।

*श्री जनार्दन प्रसाद ओझा---

माननीय अधिष्ठाता जी, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे 1984–85 के सामान्य बजट पर चर्चा पर अपने विचार प्रकट करने का अवसर दिया । मान्यवर, बजट का एक सिद्धांत हुआ करता है । वह सिद्धांत होता है, इस सरकार का तो कोई स्वरूप ही नहीं है । न तो यह समाजवादी सरकार है, न यह पूंजीवादी सरकार है, न ही अर्थ व्यवस्था में विश्वास करती है । यह सरकार कहां जायेगी, क्या करेगी, जब यह पता ही नहीं है तो यह बजट किस दिशा में जायेगा, बजट बनाने का पैमाना क्या होगा ? इसलिए

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

इस बजट को मैं लक्ष्य विहीन, दिशा विहीन, सिद्धांत विहीन मानता हूं ।

मान्यवर, इस प्रदेश के करोड़ों किसानों ने अपनी मेहनत की कमाई का पैसा सरकार को टैक्स के रूप में दिया है । यहां हम इसलिये बैठे हैं कि उस पैसे का सदुपयोग सही दिशा में और सही तरीके से हो । इस प्रदेश के जो 11 करोड़ लोग हैं, उनकी जान माल की सुरक्षा हो । सुरक्षा के सम्बन्ध में, नेता, विरोधी दल ने जो आंकड़े प्रस्तुत किये, वह किसी भी समय समाज के लिये चुनौती है और मुझे शक है कि उस चुनौती को यहां बैठे हुए लोग स्वीकार करेंगे ? किसी चीज को गम्भीरता से न लेना इनका स्वभाव है और इसी कारण से मात्र एक बहरे मन्त्री को छोड़कर मन्त्रिपरिषद् का और कोई सदस्य यहां नहीं बैठा है । यह सुन नहीं सकते, इसलिए यहां बैठे हैं । सत्ता पक्ष के लोग यहां नहीं हैं । जो लोग इस प्रदेश को चलाने का जिम्मा लेते हैं, जो लोग सत्ता पक्ष के कहे जाते हैं, उनके एक दर्जन मन्त्री भी यहां नहीं हैं । इससे ज्यादा शर्म की बात और क्या हो सकती है ।

मान्यवर, मैं जो पुलिस प्रशासन के सम्बन्ध में बात कह रहा था, मैं उसका एक छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूं । लालकुआं, लखनऊ का एक मुहल्ला है । माननीय मन्त्री जो उस क्षेत्र से आती हैं । पिछली बार वहां संग्राम हुआ । पुलिस ने लोगों को बुरी तरह पीटा । बाजार बन्द हुआ । माननीय मन्त्री जी विधायिका थीं, वहां गयीं । उन्होंने आश्वासन दिया कि यहां से लोगों को हटा देंगे । आन्दोलन समाप्त हुआ लेकिन वह हट गये ? जो अमल हुआ उसमें पाकिस्तान में जो व्यक्ति पड़ा हुआ है, वह भी अभियुक्त बनाया गया । यहां थाने में राम सेवक यादव के लड़के को मार कर तोड़ दिया गया । एक हजार रुपये की शर्त लगी कि उसको मार कर तोड़ दें । माननीय संसदीय कार्य मन्त्री जी ने कहा कि सी० आई० डी० की जांच करायेंगे ।

एक दूसरी बात के सिलसिले में मैं उनसे मिला तो उनका कहना था कि सी०आई०डी० जांच का कोई ठीक है ? कब तक होगी । हम जानते हैं । रामवृक्ष यादव को मारा गया । वह एक राजनीतिक दल के नेता हैं । किन परिस्थितियों में मारा गया, इसके बारे में सी० आई० डी० जांच हो सकती है ? वह अस्पताल में पड़ा है । उसमें दरोगा को हटाये न जाने का क्या कारण है ? यह सरकार जान बूझ कर उपेक्षा करती है खास तौर से विरोधी दलों को नेस्तनाबूद करने के लिए प्रतिबद्ध है ।

इस बारे में एक और उदाहरण देना चाहता हूं । श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी, भूतपूर्व विधायक, इस सदन के सदस्य रह चुके हैं । उनका चिट्ठी आयी है । ऐसे गम्भीर आरोप लिखे हैं, सुनिश्चित आरोप लिखे हैं । उन्होंने माननीय प्रधान मन्त्री को आरोप लिखे हैं । उन्होंने लिखा है कि प्रदेश सरकार को त्वरित कार्यवाही के लिये भेज दिया गया है । कोई कार्यवाही नहीं की गई । हुआ यह कि जब जिले में एक जगह मीटिंग हो रही थी, जिला मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में तो तमाम दलों के सार्वजनिक कार्यकर्ता अपना एक मेमोरेन्डम देने के लिए गए, परन्तु वे लोग मेमोरेन्डम नहीं दे पाये और वापस चले आये । दूसरे दिन होता क्या है--- मान्यवर, दूसरे दिन उनके खिलाफ 353 की रिपोर्ट दर्ज कर दी जाती है । यदि श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी ने, लोकदल तथा सी० पी० आई० के कार्यकर्ताओं ने यदि सरकारी कर्मचारियों के कार्य में हस्तक्षेप किया था, तो उन्हें तत्काल गिरफ्तार किया जाना चाहिए था, परन्तु एस० नहीं किया गया । क्योंकि यह सब मैनुपुलेशन था । कोई घटना उस दिन इस प्रकार की घटी ही नहीं । मैं तो यह सब इसलिए कह रहा था कि यदि कोई सार्वजनिक कार्यकर्ता किसी सवाल को लेकर अधिकारियों के पास जाता है, तो वह किस प्रकार की कार्यवाही करते हैं ।

श्रीमन्, वहां पुलिस का आलम यह है कि पुलिस इन्सपेक्टर्स को ट्रेनिंग के लिए जाना था, क्योंकि उनको रि-ओरिएंटेशन का कोर्स होता है, किन्तु उन्होंने मेडिकल सार्टिफिकेट लगा दिया कि उनकी तबीयत खराब है कोई भी ट्रेनिंग पर नहीं गया, जबकि सभी आदमी अपनी ड्यूटी कर रहे थे। जब इसकी जांच की गई तो सारे आदमियों को तो आपने सस्पेन्ड्स कर दिया और जांच लोग वैसे ही पड़े हुए हैं और अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। मैं सरकार से यह पूछना चाहता हूं कि इस प्रकार का पक्षपात क्यों ? जांच लोगों को तो आप सिर्फ्स्पेन्ड्स कर दें और जांचे लोगों को कुछ न करें।

श्रीमन्, अभी सेल्फ इम्पलायमेन्ट प्रोग्राम की बात चली अर्थात् स्वः रोजगार योजना की बात चली। मैंने अपने जिले, गोरखपुर में इस जिला योजना की मीटिंग में कहा था कि इस योजना के तहत 25 लाख रुपये का फर्जी भुगतान किया गया है। मैं यह तथ्य सिर्फ कह रहा हूं कि इस आधार पर सम्बन्ध पर्चा होने के बाद ही जांच नहीं करना है। उसका किस प्रकार दुरुपयोग हो रहा है। 25 लाख रु० का फर्जी भुगतान किया हुआ है हमारे माननीय मन्त्री जी, श्री वीर बहादुर सिंह जी के भतीजे इन्जीनियर, जिनका काम सिर्फ माननीय मन्त्री जी के नाम पर धन वसूल करना है और उसे बिल्डी तक पहुंचाना है। गोरखपुर के एक डी० डी० ए० के आफिसर्स सदन में पोस्ट-आफिस आफिसर के बाद उनका स्थानान्तरण बस्ती किया गया। परन्तु उसके 7 दिन के बाद मालूम चला कि वह पूरा का पूरा डिवीजन ही बस्ती में स्थानान्तरित कर दिया गया है। श्रीमन्, आज तक तो हमने एक व्यक्ति की ट्रान्सफर की बात सुनी थी, परन्तु यह नहीं सुना था कि व्यक्ति के ट्रान्सफर के साथ ही डिवीजन का ट्रान्सफर भी हो जाता है। जो यहां गोरखपुर में हुआ।

श्रीमन्, मैंने डिस्ट्रक्ट मजिस्ट्रेट से इन फर्जी बाउचर्स के बारे में कहा कि इसे आफ साज कर दें और अपने कब्जे में ले लें और इसकी जांच कर लें। उन्होंने कहा कि यह कैसे सम्भव हो पायेगा। इस पर हमने उनसे कहा कि आप सिर्फ लेखपाल को वहां भेज दें। वह सिर्फ इस बात का पता लगाये कि जिस व्यक्ति का यह निशान है, वह उस गांव में रहता है कि नहीं, या उस नाम का कोई व्यक्ति उस गांव में रहता है कि नहीं। यह सब गलत है। 25 लाख रुपये पर फर्जी दस्तखत कर किसी बड़े आदमी को दे दिया गया है। आज मजदूरों को इस योजना के तहत काम नहीं मिल रहा है। इन्जीनियर्स और अधिकारी स्वयं ठेकेदार बनकर काम करा रहे हैं। बेरोजगारों को कोई भी कार्य नहीं मिल पा रहा है। यह एक धोखा है।

श्रीमन्, स्वास्थ्य विभाग की बात कही जाय। आज प्रदेश में कोई भी अस्पताल जाकर आप चेक कर लें, वहां पर कोई भी सस्ता पेनिसिलिन इंजेक्शन नहीं मिलता है। जो भी रेकुलेटेड फर्म्स हैं, जिन पर कोई भी सन्देह नहीं है, उनसे दवाइयां नहीं खरीदी जाती हैं। दवाई उन फर्मों से खरीदी जाती है, जिनका नाम न तो मैंने सुना है और न आपने ही। इन फर्जी फर्मों से पाउडर भर कर, पानी भर कर तथा रंगा मिलाकर, इन्जेक्शन तथा टेबलेट बना कर प्रदेश की जनता के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। मेरा कहना यह है कि जब सरकार ने यह तय कर रखा है कि हम अमुक-अमुक फर्म से दवाइयां खरीदेंगे तो फिर क्यों जिला स्वास्थ्य अधिकारियों को सरकार ने यह मनमानी करने को दिया है।

श्रीमन्, मेरा सुझाव यह है कि हर जिले में एक सेन्ट्रल स्टोर खोल दिया जाय और हर ब्लाक में एक सेन्ट्रल स्टोर खोल दिया जाय। इससे भ्रष्टा-

चार पर अंकुश लग सकता है। आप ऐसा क्यों नहीं कर रहे हैं? आप जानबूझकर सरकारी पैसे का दुरुपयोग करना चाहते हैं निहित स्वार्थ के लिए आप ऐसा करना चाहते हैं। मैं इसी के सन्दर्भ में सरकार के अन्य कार्यकलापों की कुछ और झलकियां देना चाहता हूं। मान्यवर, कितना व्यापक भ्रष्टाचार व्याप्त है, उसका उदाहरण देना चाहता हूं। इस आदरणीय सदन में एक आरोप लगाया था कि शासकीय नियंत्रण में चलने वाली पंजाब शुगर मिल, घुघली के शासकीय अधिकारी ने 90 लोगों की नियुक्ति की, जिसमें कि 50 लोग उसने अपने बिरादरी के रिश्ते नाते के लोगों को रखा। मेरा सुस्पष्ट आरोप था। इस पर मन्त्री जी ने कहा था कि इसकी जांच होगी। मान्यवर, एक साल बीत गया है, अभी तक कोई जांच नहीं हुई है। मान्यवर, मेरा आरोप है कि 3 हजार रुपया कमाने वाले उस व्यक्ति का 10 हजार रुपया महीने का खर्च है, अब आप सोच सकते हैं कि वह किस तरह से भरपाई करता है। मैं इस एक जगह की ही बात नहीं कह रहा हूं, मान्यवर, आज पूरे प्रदेश के जो निगम हैं, चाहे वह कारपोरेशन के रूप में शुगर इन्डस्ट्रीज से सम्बन्धित हों या रिसीवरशिप के नियंत्रण में चलने वाली फैक्ट्रियां हों सभी जगह स्थिति यही है। मान्यवर, एक सुबह यहां प्रश्न आया था, उसका उत्तर शासन की तरफ से ठीक तरह से नहीं दिया गया। मान्यवर, जब किसी फैक्ट्री को टेक अप किया तो एक करोड़ रुपए देना था, अब वह 4 करोड़ और 6 करोड़ का हो गया है। भ्रष्टाचार की गंगा बड़े पैमाने पर बहायी जा रही है और यह सारा पैसा प्रकारान्तर में पूल किया जा रहा है आने वाले चुनाव के लिए। मान्यवर, मैं गन्ना विभाग से सम्बन्धित एक और उदाहरण दूंगा कि किस तरह से यह सरकार निकम्मी हुई चली जा रही है और किस तरह से निरंकुशता बढ़ रही है, किसी कर्मचारी पर कोई अंकुश नहीं है। हमारे यहां बजरिया गांव केन यूनियन घुघुली के क्षेत्र में पड़ता है। उस व्यक्ति का नाम नहीं मालूम है, मुसलमान है जिसके पास 2 मन्डा 1/3 एकड़ से भी कम जमीन है उसे 100 पर्ची की पड़ताल हुई है, उसे 60 हजार रुपए का कर्जा दिया गया है, 100 जो पर्चियां पड़ताल हुई उसे 50–50 रुपए के हिसाब से बेचा गया।

(श्री अम्मार रिजवी के आने पर)

मंत्री जी आ गये हैं इसको सुन लें, बड़ी कृपा होगी। मैं आपकी सरकार के कर्मों के उदाहरण दे रहा हूं। बजरिया घुघुली केन विकास क्षेत्र में है, एक व्यक्ति के पास 2 मन्डा 1/3 एकड़ से कम जमीन है, उसे 100 पर्चियां पड़ताल हुई, जबकि नियमतः यह नहीं होनी चाहिए थी और उसे 60 हजार रुपए का कर्जा दिया गया। उन सारी पर्चियों को 50–50 रुपए के हिसाब से बेच दिया गया। जिन लोगों ने पर्ची खरीद लीं, जब वे गन्ना लेकर के पर्ची भुनाने गए तो पता चला कि उसकी डुप्लीकेट पर्ची पहले ही बना ली गयी है। इसके अलावा सिकवई, बगलहा गांव में एक ही परिवार को पौने चार लाख रुपये का कर्जा दिया, गया, जबकि उसकी हैसियत के हिसाब से 18 हजार से अधिक का कर्जा नहीं मिलना चाहिए था। आप सोसाइटीज की बात कहते हैं कि उनके कमीशन बढ़ा दिये जायं। मान्यवर, यह जो दो उदाहरण दिये गन्ना विभाग की बाबत इसके अलावा और भी माननीय सदस्य उदाहरण देंगे।

मान्यवर, चाहे शुगर इन्डस्ट्रीज हो या केन डेवलपमेंट से सम्बन्धित कोई बाडी हो, मान्यवर, सब भ्रष्टाचार से डूबा हुआ है। इसका कारण यह है कि इस पर इनके चुनाव हुए नहीं, पिछले कई वर्षों से समितियों के चुनाव नहीं हुए जन प्रतिनिधियों का कोई नियंत्रण नहीं है। मैंने पिछली बार भी इसकी बाबत कहा था और आज फिर कहता हूं कि चाहे आप अपने ही लोगों को उसमें बिठा दें, जो

असंतुष्ट लोग हैं, जो मंत्रिपरिषद में पद नहीं पाये हैं, चाहे आप उन्हें ही निगमों के अध्यक्ष के रूप में बिठा लीजिए हम उसे स्वीकार कर लेंगे। लेकिन हुजूर उनको हटाइये वहां से। आप खायेंगे भी तो डरेंगे। आप खायेंगे क्योंकि देना होगा कहीं लेकिन उतना नहीं, डरेंगे थोड़ा। लेकिन, उन पर तो कोई नियंत्रण ही नहीं है।

इसके साथ ही में कृषि विभाग की बाबत एक उदाहरण देना चाहता हूं : काम्पोज़ीन कोई नयी दवा इजाद हुई है। करोड़ों रुपये की खरीद हुई इसकी बाबत गन्ना विभाग में खर-पतवार जमे नहीं, इसके लिए इसकी 7 करोड़ रुपये की खरीद हुई है। 14 लाख रुपये का कमीशन भी इसमें मिला है, ऐसी जानकारी है। मान्यवर, किसी भी वरिष्ठ अधिकारी या जिला कृषि अधिकारी ने नहीं कहा कि दवा चाहिए लेकिन उन पर जबरदस्ती थोपी गयी। आप इसकी जांच करवा लीजिए। हर जिले में दवाएं बेकार पड़ी हुई हैं, कोई उनको खरीदने वाला नहीं है। मान्यवर, इसी तरह से यह तराई बीज विकास निगम जो है, इसकी बाबत कहना चाहता हूं। मैं गम्भीरता से इस बात को कहना चाहता हूं और चेतावनी देना चाहता हूं सरकार को कि कम से कम नौजवानों की जिन्दगी के साथ खिलवाड़ न करें। मान्यवर, जब मैंने इस बात को कहा, तो मिश्रा जी घूरने लगे। मान्यवर, देवरिया, गोरखपुर में जो तराई बीज निगम से बीज लिया है, उसमें 10 प्रतिशत भी जर्मीनेशन नहीं हुआ है। इसकी आप जांच करवा लें।

(लाल बत्ती जलने पर)

माननीय अधिष्ठाता जी, पांच मिनट और समय दे दें। मान्यवर, यहां से बीज वहां गया। जिला कृषि अधिकारी ने डिमांड नहीं किया। उनको बीज भेजा गया। हर जगह हर डिस्ट्रिक्ट हेड क्वार्टर पर हजार-हजार क्विंटल के अंदाज में बीज पड़ा हुआ है। अब कृषि निदेशालय से निदेश चला गया है कि उस बीज को नीलाम कर दिया जाय। हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर एक-एक हजार क्विंटल बीज पड़ा हुआ है। समझ में नहीं आता कि नीलामी काहे की होगी, खाने के योग्य वह है नहीं क्योंकि उसमें "मरकरी" मिला हुआ है। अब एक ही काम रह गया है कि उस गेहूं को जला दिया जाय। कृषि निदेशालय से निदेश चले गये हैं जलाने के लिए। खराब बीजों को खरीदकर जबर्दस्ती लादा गया है किसानों पर। मैं चाहता हूं कि इसको विस्तृत पैमाने पर जांच करें और जो भी दोषी पाये जायं उनको दन्ड दें।

प्रदेश की सार्वजनिक वितरण प्रणाली जिस स्थिति में है उसके सम्बन्ध में कुछ न कहना ही बेहतर होगा। मैं चाहता हूं कि इसको वृस्त बनाने के लिए कुछ कारगर कदम उठायें।

(समय 2 बजकर 58 मिनट)

श्री हरदेव—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने जो बजट की सामान्य चर्चा पर बोलने का अवसर दिया है, उसके लिए मैं आपका आभारी हूं।

माननीय वित्त मन्त्री जी द्वारा प्रस्तुत जो सामान्य बजट है, उसके समर्थन में मैं बोल रहा हूं। माननीय वित्त मन्त्री जी ने प्रदेश के सर्वांगीण विकास के बारे में जो भी उल्लेख किया है यह हमारी सरकार की नीति है और मंशा है कि प्रदेश की जनता को खुशहाल बनाया जाय, अपने प्रदेश के गरीबों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाया जाय। इस उद्देश्य से सरकार ने जो भी नीति अख्तियार की है, उसकी मैं सराहना करता हूं। यह केवल सरकार का ही नहीं बल्कि पक्ष और विपक्ष दोनों का दायित्व है कि प्रदेश में जो भी नियम, कानून और व्यवस्था बनाई गई है उसको

सही ढंग से चलने दें और काम करने दें। माननीय नेता विरोधी दल एवं अन्य माननीय सदस्यों ने जो भी आरोप लगाये हैं या चर्चा की है, उसको मैंने भली भांति समझा है। हमारी सरकार की या माननीय सदस्यों की हमेशा यह मंशा रहनी चाहिये कि यह प्रदेश अपना है हम सब को मिलकर इस प्रदेश के विकास के लिये जो सरकारी प्रमुख नीतियां और प्रदेश के बढ़ते हुए उन्नति के कदमों में अपना पूर्ण सहयोग प्रदान करें। परन्तु मुझे इस सम्बन्ध में कहना पड़ता है कि माननीय सदस्यों ने इसे घाटे का बजट बनाया है। घाटा सही तरीके से चलने से कार्य करने से, ईमानदारी से और सच्चाई से पूरा होता है।

मैंने देखा है कि जब किसी अपराधी को या गलत व्यक्ति को अगर शासन सजा देना चाहता है तो माननीय सदस्य उसके पक्ष में वकालत करना शुरू कर देते हैं। वकालत का मतलब यह है कि अगर किसी इन्जीनियर ने ड्रेनेज विभाग के गलत वाउचर बनाकर पैसा निकाल लिया है और काम नहीं किया है तथा यह कहा जाय कि गलत काम किया है तो दो-चार माननीय सदस्य कहेंगे कि सही काम किया है, तो इस तरह घाटा हो जाता है। जैसे उदाहरण के लिये मैंने कहा कि सिंचाई विभाग के एक इंजीनियर, रसड़ा ने 14 लाख रु0 का फर्जी पेमेंट ड्रेनेज विभाग से करा लिया और जब ऐसे जालिम को हमारी सरकार ने पकड़ने की कोशिश की तो उस पर आप जैसे लोग पाबंदी लगाते हैं कि यह काम ठीक नहीं हो रहा है, इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि यदि इस प्रकार के मामलों में आपका सहयोग होता तो अवश्य ही 14 लाख रु0 हमारी सरकार के पास लौट कर आते और जालिम अधिकारी के विरुद्ध पर्याप्त कार्यवाही होती और इससे काफी घाटा पूरा होता।

दूसरी बातें घाटे के बारे में आयीं तो इसकी एक वजह मैं यह भी बताऊंगा कि किसी क्षेत्र में आप गये और वहां के कार्यकर्ताओं या असामाजिक तत्वों को भड़का कर आन्दोलन कराया, जिससे हमारी सरकार को शान्ति के लिये पुलिस आदि की व्यवस्था करनी पड़ी और जो वहां पर नुकसान हुए हैं उसको मुआवजे के रूप में देना पड़ा तो इस प्रकार की व्यवस्था में जो लाखों, करोड़ों रु0 लग जाता है, यही चीजें घाटे के रूप में हमारे सामने आयी हैं। ऐसा हम लोगों को नहीं करना चाहिये बल्कि हम सब को सहयोग देना चाहिये।

स्पेशल कम्पोनेंट प्लान में घपले की बातें आयीं, इसमें भी हमारा और आपका दायित्व है कि हम ऐसे जालिम अधिकारियों को पकड़ायें। जिस तरह से हमारे यहां रसड़ा तहसील में सूअर की खरीद में 10 लाख रु0 का फर्जी पेमेंट श्री छोटेलाल, अतिरिक्त विकास अधिकारी हरिजन व वहां के पशु डाक्टर व अन्य बैंक मैनेजर की सहायता से हुआ। अब इसके लिए हमारी सरकार उसे पकड़ने का प्रयास कर रही है और मैं भी इस ओर प्रयास कर रहा हूं। इसलिये मैं फिर कहूंगा कि ऐसे मामलों में हमारा आपका दायित्व है कि ऐसे गलत लोगों को पकड़वायें, न कि उनकी वकालत करें।

साथ ही मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि दफ्तरों व अन्य स्थानों पर जो 3-3 और 4-4 घंटे के लंच के आवर होते हैं, वह न होने चाहिए, काम के वक्त में काम यदि हम करेंगे, पढ़ाने वाले, अध्यापक व लेक्चरार व दफ्तरों व अन्य संस्थानों में काम करने वाले लोग यदि 8 घंटे सही अपना काम करेंगे तो इस प्रदेश व देश का उत्थान होगा और इसमें भी आपका सहयोग जरूरी है। अगर, ऐसा होगा तो घाटा नहीं होगा।

(शोर)

हमारी बात सुन लीजिए शोर मत करिए। "काम नहीं तो दाम नहीं" और जब काम नहीं करेंगे और अनशन करेंगे, आन्दोलन करेंगे तो क्या सरकार का घाटा नहीं होगा? साथ ही मैं यह भी बताना चाहूंगा कि माननीय वित्त

मंत्री जी ने तो ऐसी कठिनाइयों के बावजूद कर रहित बजट प्रस्तुत किया है, वह बहुत ही सराहनीय और अतुलनीय है, उसमें गरीबों का सर्वांगीण विकास है क्योंकि आपकी जब सरकार थी तो आपने गरीबों के उत्थान के लिए सिर्फ 28 करोड़ रु0 1976-77 में खर्च किया था लेकिन आज हमारी सरकार इस ओर 1 अरब 49 करोड़ रु0 खर्च कर रही है, इस प्रकार स्थान हेतु यह हमारी प्रधान मंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी और प्रदेश के मुख्य मंत्री की नीति है और यही नहीं, वहां पर उद्योग का भी विकास होगा और अस्पताल आदि भी बनेंगे और चलेंगे तो उसमें पैसे की आवश्यकता जरूर होगी। लेकिन उसमें हमें मेहनत और ईमानदारी से काम करना होगा और यदि ऐसा करेंगे तो इस पैसे का सदुपयोग होगा और फिर इससे देश का विकास होगा। इसलिये हमारे यहां के अधिकारियों/कर्मचारियों को राष्ट्रीय दायित्व को सामने रखकर काम करना चाहिये न कि सिर्फ वेतन के लिए काम करना चाहिये और देश और प्रदेश की आम जनता के उत्थान के दृष्टिकोण से काम करना चाहिए और कहीं पर भी गड़बड़घोटाला नहीं होना चाहिए और जो लोग अपने इस दायित्व का निर्वहन न करना चाहें तो हम सब का दायित्व है कि ऐसे लोगों के प्रति अपना विरोध प्रकट करें और रोकें।

तो मान्यवर, मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि जो चीजों के दाम बढ़े हैं उस सम्बन्ध में, माननीय सदस्यों को मालूम है कि समय-समय पर अब तक वर्षों से लगातार प्रदेश में सूखा पड़ रहा है और बाढ़ आ रही है। पूर्वांचल में इस दैवी आपदा से घोर परेशानी है जैसे रसड़ा, बलिया व बहराइच में बराबर 3 वर्ष से बाढ़ व सूखा पड़ रहा है और इस कारण खेतों में कोई प्रोडक्शन हो नहीं पा रहा है। इसलिये मान्यवर, मेरी विशेष रूप से प्रार्थना है कि इन परिस्थितियों में सरकार ने आप के लिये जगह-जगह दूकानें खुलवायी जिसके जरिये से गरीबों को कपड़ा, चीनी, आटा रोजमर्रा के इस्तेमाल की चीजें उपलब्ध हो सकें। मैंने भी ऐसी दूकानों के खुलवाने के लिये बहुत कोशिश की है। मैं चाहता हूं कि जो काम करे उसको ज्यादा पैसा मिले, यदि कोई काम नहीं करेगा तो पैसा कहां से उसे अधिक मिलेगा। आप लोगों से मेरी प्रार्थना है कि कानून की व्यवस्था में व विद्युत के क्षेत्र में, नागरिकों की सुरक्षा के लिये, कृषि के क्षेत्र में, गरीबी की रेखा से नीचे के लोगों को ऊपर उठाने के लिये हमारी वर्तमान सरकार के वित्त मंत्री जी ने जो बजट प्रस्तुत किया है, वह बहुत ही महत्व का है और मैं इस पर माननीय सदस्यों से सहयोग की अपेक्षा करूंगा और चाहूंगा कि वे केवल आलोचना ही न करें क्योंकि आलोचना से कोई काम चलने वाला नहीं है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं वित्त मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं।

श्री सरदार सिंह—

माननीय अधिष्ठाता जी, आपने इस चुनावी बजट पर मुझे बोलने का अवसर दिया है इसके लिए मैं आपका बहुत ही आभारी हूं। मान्यवर, प्रदेश में जो आज स्थिति है वह बहुत ही शोचनीय है। आप कानून-व्यवस्था को देख लें, आर्थिक व्यवस्था को देख लें, भ्रष्टाचार को देख लें चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा है। अंबरा में आग लग गयी, उससे अंधेरा हो गया। आप चाहे कैसा भी बजट बना लें परन्तु यदि खर्च करने वाला जो है उसकी नीयत साफ नहीं है तो कुछ नहीं हो सकता है। यह बजट मंत्रियों और अधिकारियों के काम आ सकता लेकिन गरीबों के नहीं। मान्यवर, आप स्वयं देख लें कि 17 तारीख को यहां सदन में बजट प्रस्तुत किया गया और उसी दिन बाजार में नमक, तेल और लकड़ी के दाम बढ़ गये। जो रोजमर्रा के आम आदमी के इस्तेमाल की चीजें हैं, उनकी उसी दिन से कीमतें बढ़ गयीं। टेलीविजन की कीमत कम हो सकती है, ट्रांजिस्टर

की कीमत कम हो सकती है, ऐश्याशो की चीजों के दाम कम हो गये होंगे परन्तु इस बजट से गरीब आदमी को राहत नहीं मिली है ।

मान्यवर, यहां सदन में सिंचन क्षमता के बारे में बहुत चर्चा की जाती है परन्तु मेरे जिले में पूरी फसल सिंचाई के अभाव में बरबाद हो गयी जब कि वहां पर नहर है । आगरा कैनाल तथा गंगा कैनाल के नाम से नहर है लेकिन उसमें पानी नहीं है । आपने बजट भाषण में लिखा है कि प्रदेश में सिंचन क्षमता बढ़ी है । मथुरा में रबी की फसल बिना पानी के सूख रही है । खरीफ की फसल पूरी तरह से नष्ट हो गयी है । सदन में यह मामला आया था, माननीय मंत्री जी ने वसूली स्थगित करा दी थी । गन्ना की फसल है नहीं, तो मैं कह रहा था कि जो वसूली मंत्री जी ने स्थगित करायी थी उसकी आज वसूली इतनी निर्दयता के साथ हो रही है । माननीय मंत्री जी सो रहे हैं, जरा उन्हें जगा दीजिये कि वे मेरी बात को सुन लें । एक गरीब आदमी के यहां बारात आयी, उसकी लड़की की शादी थी, बारात आ रही थी । बस आपके कोआपरेटिव का स्टाफ वहां पहुंच गया और फेरे बन्द करवा दिये और वहां से सारा सामान उठा ले गये । जितना सामान था, जबरदस्ती उठा ले गये ।

सादाबाद तहसील की बात मैं बताता हूं, वहां पर एक फाइटर आफ फ्रीडम हैं, उनको तहसील के स्टाफ ने पकड़ लिया और सादाबाद तहसील में बन्द कर दिया, और उसको बुरी तरह से पीटा गया । मान्यवर, इस तरह से वसूली की जा रही है, गरीबों का उत्पीड़न किया जा रहा है । आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि वसूली को स्थगित कर दिया जाये, जिससे जनता को राहत मिल सके ।

मान्यवर, बिजली का हाल बहुत ही ज्यादा बुरा है । ओबरा जल गया है, बिजली नहीं है, कोयला नहीं है, उसकी चोरी हो रही है । खेतों में जो नलकूप बने हैं, उनको बिजली नहीं मिल पा रही है, इस कारण वे चल नहीं पाते हैं । रात-रात भर किसान खेतों में बैठा रहता है, बिजली की ताक में, लेकिन जब बिजली आती है और पानी खेत तक ही पहुंच पाता है, वह चली जाती है ।

मान्यवर, आप जानते हैं कि हमारा देश कृषि प्रधान देश है, लेकिन यहां पर सिंचाई की दशा बहुत ही शोचनीय है, चिन्तनीय है । माननीय मुख्य मंत्री जी देवरहा बाबा के पास वृन्दावन जाते हैं, बाबा ने एक ही बात कही कि वहीं वृन्दावन जमुना पर पुल बनवा दिया जाये । बाबा जी भी प्रयास कर रहे हैं कि पुल बन जाये । बहुत से मंत्री देवरहा बाबा के यहां जाते हैं और आश्वासन देकर चले आते हैं । माननीय मुख्य मंत्री जी अभी गये थे और पुल को बनवाने का आश्वासन दे आये, परन्तु इस बजट में उस पुल का कहीं पर जिक्र नहीं किया गया है ।

हमारे यहां पर रसखान ने साधना की और हिन्दू मुस्लिम एकता को बनाये रखने का प्रयास किया, लेकिन उनकी समाधि, उनकी बहन की समाधि और उनके भाई की समाधि जो बनी है, उसकी हालत बहुत ही शोचनीय है, यह इस सरकार के लिए शर्म की बात है । मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि उन समाधियों का पूर्ण रूप से जीर्णोद्धार किया जाये और जिस प्रकार से झांसी की रानी का फक्शन मनाया गया था, उसी प्रकार से रसखान की समाधि पर कोई आयोजन किया जाये ।

मान्यवर, इस सरकार ने एक चीज में प्रगति की है । एन० आर० पी० और आई० आर० डी० की योजनायें चलायी हैं । आई० आर० डी० पी० का मतलब है इन्टीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम परन्तु इसका नाम इन्दिरा राजीव

डेवलपमेंट प्रोग्राम है। पूरा मंत्रिमंडल उनके स्वागत के लिए सुलतानपुर चला गया है। पूरे बजट में आई0 आर0 डी0 पी0 पर खर्च किया जा रहा है। बैंक के जो अधिकारी हैं, उनको यह धारणा हो गयी है कि जिस तरह से निगमों में घाटा चल रहा है, उसी प्रकार से इस आई0 आर0 डी0 पी0 को इमेज को बढ़ाने के लिये बैंकों से इतना अधिक ऋण दिलाया गया तो बैंक भी घाटे में चला जायेगा। माननीय मुख्य मंत्री जी ने टेलेस्कोप लगा रखा है, अच्छे-अच्छे पदों पर अपनी जाति के लोग और रिश्तेदारों को रखा जा रहा है। इस प्रकार के अधिकारियों को मुख्य मंत्री जी का संरक्षण प्राप्त है। हर स्कीम में भ्रष्टाचार है। आप मथुरा को ले लीजिए, जिलाधिकारी, एस0 पी0, सिटी मजिस्ट्रेट, सी0 ओ0 सिटी, कोतवाल, नगर पालिका के अधिकारी यह सब सजातीय हैं। आदमी परेशान हैं। और मान्यवर, आप भी परेशान हैं। जिलाधिकारी मीटिंग करता है, वहां पर विधायकों को केवल फारमल तरीके से बुला लिया जाता है। लेकिन कार्य वे ही किये जाते हैं जिन्हें जिलाधिकारी करना चाहते हैं। अपनी मनमानी करते हैं।

उस कार्यालय में खुला भ्रष्टाचार हो रहा है। इन्जीनियर चाहे पी0 डब्लयु0 डी0 के हो, जिला परिषद् के हों या आर0 ई0 एस0 के हों, सबको 4 प्रतिशत सबसे पहले जिलाधिकारी के कार्यालय में देना पड़ता है तब उनको योजना के लिये पैसा मिलता है, उसमें ठेकेदारों और नेताओं का कमीशन भी होता है। इस तरह से केवल बजट के 20 प्रतिशत का ही विकास कार्य ही हो पाता है।

जहां तक जनता पार्टी, लोकदल सरकारों के कार्यकाल का सवाल है, माननीय शर्मा जी बैठे हुए हैं, जो सड़कें उस समय बना दी गयी थीं, यह सरकार उनका रख-रखाव भी नहीं कर पा रही है। इन शब्दों के साथ में आपको पुनः धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे मौका दिया। साथ ही मैं आपके द्वारा यह सलाह भी देना चाहता हूं कि यदि इस मंत्रि-मंडल और सरकार में इसी तरह से भ्रष्टाचार बढ़ता गया और ब्यूरोक्रेसी इसी तरह से निरंकुश रही तो प्रदेश चौपट हो जायेगा। खादी ग्रामोद्योग बोर्ड का अभी तक कई वर्षों से आडिट नहीं हुआ है। जो भी आपत्तियां पहले इस बोर्ड के खिलाफ उठायी गयी थीं, वे अभी तक रिमूव नहीं की गयी। इस सरकार की कोई हिम्मत नहीं है। हिम्मत तो उसकी होती है जिसका हुक्म चले। आज माननीय मंत्रियों का कोई हुक्म नहीं चल पा रहा है। पूरे प्रदेश में अराजकता और भ्रष्टाचार फैला हुआ है।

श्री राम स्वरूप वर्मा--

मान्यवर, सदन में कोरम नहीं है।

श्री अधिष्ठाता--

अभी यह प्रश्न उठाया गया था और कहा गया कि सामान्य चर्चा के दौरान कोरम का प्रश्न नहीं उठाया जायेगा।

श्री मोहन सिंह--

मान्यवर, लंच आवर में कोरम की बात कही गई थी। 1 और 3 बजे के के बीच में कोरम का प्रश्न नहीं उठाया जायेगा। लेकिन अब तो 3 से ज्यादा का समय हो गया है।

(इस समय 3 बजकर 16 मिनट पर गणपूर्ति हेतु घण्टी बजायी गयी तथा 3 बजकर 20 मिनट पर गणपूर्ति होने पर सदन की कार्यवाही श्री अधिष्ठाता के सभापतित्व में पुनः प्रारम्भ हुई।)

डाक्टर बृज किशोर मिश्र--

मान्यवर, आपने....

श्री अधिष्ठाता--

आज आय-व्ययक पर सामान्य चर्चा आरम्भ होने के समय भाषण पूरा करने

के लिये आपका जब नाम पुकारा गया था, उस समय आप अनुपस्थित थे। चूंकि कोई और माननीय सदस्य बोलने के लिये खड़ा नहीं हुआ है इसलिए विशेष परिस्थितियों में आपको बोलने की आज्ञा दी जाती है, लेकिन यह परम्परा नहीं मानी जायेगी।

डाक्टर बृज किशोर मिश्र—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे जो माननीय वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत बजट पर बोलने का अवसर दिया उसके लिए मैं आपका आभारी हूं। मान्यवर, हैरान हूं इतना कि हैरानी नहीं जाती, परेशान हूं इतना कि परेशानी नहीं जाती, पलट कर जब देखता हूं जिंदगी तेरे आइने में तो अपनी ही सूरत पहचानी नहीं जाती।

मान्यवर, कल से बजट पर चर्चा बहुत जोर शोर से सुन रहा हूं। जब माननीय नेता विरोधी दल ने लम्बा चौड़ा भाषण दिया तो मुझे ऐसा लग रहा था कि निश्चितरूप से वह सरकार को कोई राय देंगे जिससे उत्तर प्रदेश के भविष्य पर चार चांद लगा देंगे, जिससे गरीबों को राहत मिलेगी। हमारी सरकार 1980 से लेकर 83 तक जिन कठिनाइयों से गुजर रही है, वह चाहे इस पक्ष के लोग हों या उस पक्ष के लोग हों, दोनों मानेंगे कि एक तरफ उत्तर प्रदेश बाढ़ की विभीषिका ने संपूर्ण उत्तर प्रदेश को नष्ट कर दिया। प्रदेश के 56 जिलों के लोग इससे प्रभावित रहे। भारत सरकार ने राहत के लिए सरकार को 63 करोड़ 36 लाख रुपये दिये और इस सरकार ने घर-घर तक राहत कार्य पहुंचाये। दूसरी तरफ सूखे की माहमारी ने लोगों को दाने-दाने के लिए मोहताज कर दिया। मैं उसके लिए भूतपूर्व मुख्य मंत्री, बाबू विश्वनाथ प्रताप सिंह जी को भी बधाई देना चाहता हूं और उसके साथ-साथ वर्तमान मुख्य मंत्री श्री श्रीपति मिश्र को भी इस बात के लिए बाद देना चाहता हूं कि जिस तरह से उन्होंने लोगों को राहत दी और प्रदेश की प्रगति को एक नयी दिशा उत्तर प्रदेश के गरीबों को दी वह सदा याद रहेगा। मान्यवर, कल से घाटे का बजट घाटे का बजट चिल्ला रहे हैं, मुझे भी निश्चित रूप से कहना पड़ रहा है कि घाटे का बजट है। हमारे माननीय नेता विरोधी दल ने कहा कि यह अनप्रोडक्टिव चीजों पर खर्च हो रहा है। मैं नहीं समझता हूं कि उन्होंने किस प्रकार यह बात कही। यह एक साधारण बात है कि हमारी पापुलेशन डे-बाई-डे इतनी बढ़ रही है कि उनकी जरूरतें पूरी नहीं हो रही हैं। मारकेट में जब किसी वस्तु की दुर्लभता होगी सो निश्चितरूप से दाम बढ़ेंगे।

मान्यवर, अभी विकास कार्यों के बारे में बोल कर एक माननीय सदस्य चले गये। उन्होंने आई0 आर0 डी0 का मतलब इंदिरा राजीव गांधी बताया। मैं कहता हूं कि अगर इसका मतलब भाई मोहन सिंह हो और उससे उत्तर प्रदेश और देश के करोड़ों निर्बल और कमजोर लोगों को राहत पहुंचाई जा सकती है तो मैं उनके नाम का भी अभिवादन करूंगा। मान्यवर, स्पेशल कम्पोनेन्ट की बात हुई। मैं उनसे कहना चाहता हूं वे ईमानदारी से सोचें सत्ता और विरोध पक्ष की बात को छोड़ कर आप ही को कह दिया जाय कि इस बात को तय कर दीजिये कि क्या इस योजना के माध्यम से देश के निर्बल वर्ग को सुविधायें प्रदान नहीं की गयीं? जो सुविधायें इससे लोगों को मिली हैं वह इतिहास में पहले कभी नहीं उपलब्ध हुई। जितनी भी स्कीमें माननीय इन्दिरा गांधी के माध्यम से या माननीय श्रीपति मिश्रा के माध्यम से प्रसारित की जा रही हैं उन सब को गरीबों तक पहुचाने की कोशिश की जा रही है। कुछ बिचोलिये बुरी आंखे लगाय हैं गरीबों के छप्परों तक न पहुंचे उसमें वह बाधा उपस्थित कर रहे हैं। तो उसमें श्रीमती इन्दिरा गांधी का दोष नहीं है माननीय श्रीपति मिश्रा का दोष नहीं है। अगर किसी का दोष है तो इस पक्ष और उस पक्ष में बैठे हुए लोगों का है उनकी नैतिक जिम्मेदारी है कि इसका लाभ लोगों तक पहुंचायें।

अभी मोहन सिंह जी ने एक अभियान छेड़ा था अपने क्षेत्र में, यह हुआ कि मैनेजर ने बेइज्जती किया, प्रदर्शन किया और उनके खिलाफ जूलूस निकाला लेकिन उसके बावजूद भी उनको बधाई देना चाहता हूं कि यदि हमारे सभा साथी, यह सत्य है कि हमारी भी जिम्मेदारी है, जिस राहत कार्य को सरकारी अधिकारियों के माध्यम से पहुंचा दिया है उसका वितरण हमको तय करना चाहिये कि उसका वितरण सही तरीके से हो रहा है कि नही ।

मान्यवर, बजट की गहराई में मैं नहीं जाऊंगा चूंकि हर विभाग का बजट आयेगा तो उसमें विस्तार से विचार होगा और वह पास होगा, लेकिन कहना चाहता हूं कि आज इस सरकार ने बहुत कुछ किया है । इसके बावजूद भी मैं कहना चाहूंगा कि हमारे क्षेत्र में दो शुगर फैक्टरी हैं । मैं उस क्षेत्र से आता हूं जहां किसानों का मेन क्राप गन्ना है । हमारे यहां कठकुइयां और पडरौना दो मिलें चल रही हैं जिनमें लगभग ढाई करोड़ क्विंटल गन्ना सप्लाई हो गया है किन्तु गन्ना किसानों को गन्ने का एक भी पैसा आज तक पेमेन्ट नही किया गया है जिस पर गन्ना मंत्री जी और मुख्य मंत्री जी ध्यान दें और व्यवस्था करायें कि पैसे का तत्काल भुगतान किया जाये ।

मान्यवर, जहां तक ला एन्ड आर्डर का सवाल है हमको फख्र है श्री श्रीपति मिश्र की सरकार पर कि उसने ला एन्ड आर्डर को मेन्टेन किया है और उसमें कोई कमी नहीं है । लेकिन कुछ लोग ला एन्ड आर्डर को बर्बाद कर देना चाहते हैं । मान्यवर, ओथ तो लिया है ईमानदारी, सत्यता, नैतिकता और चरित्रता को निभाने का किन्तु यहां से जाकर वही दुश्चरित्रता का काम करते हैं, तो उसकी जिम्मेदारी किस की है, यह उनको स्वयं की जिम्मेदारी है कि वह अपने चरित्र और आचरण पर कंट्रोल रखें । इसलिये जो पूर्व में तमाम घटनायें घटीं तो यह प्रकृति की देन है कि पृथ्वी रहेगी तो कुछ न कुछ घटनायें अवश्य होती रहेंगी, यह रोज की बात है । लेकिन सत्य है कि श्री श्रीपति मिश्र की सरकार ने जो ला एन्ड आर्डर के सम्बन्ध में कदम उठाये हैं, वह बहुत ही सराहनीय कदम है ।

मान्यवर, जब राजस्व मंत्री बोल रहे थे तो उधर से कहा गया कि वसूली के मामले में किसानों को प्रताड़ित किया जाता है । लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि एक तरफ तो वह कहते हैं कि घाटे का बजट पेश किया जाता है और दूसरी तरफ कहते हैं कि बाढ़ आती है तो सारी वसूली पर रोक लगा दी जाये और सूखे में वसूली स्थगित कर दी जाये, यह सरकार से मांग करते हैं और दूसरी तरफ सरकार की निंदा करते हैं, तो मैं कहना चाहता हूं कि यह दो मुंडी बात नहीं करनी चाहिये और स्पष्ट बात होनी चाहिये और वसूली नहीं होगी तो घाटा होगा क्योंकि आय के सारे स्रोत बन्द हो जायेंगे तो नफा क्या यहां विधान सभा में बैठकर थोड़ी होगी ? इसलिये इस पर विचार करना होगा ।

मान्यवर, अभी ईंट भट्ठे की बात थी । मंत्री जी बैठे हैं जिन्होंने बड़े सहृदयता का परिचय उ० प्र० में दिया है । वित्त मंत्री का नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा जायेगा क्योंकि उनके परिश्रम से आज सारे ईंट भट्ठे चल रहे हैं । लेकिन थोड़ा विलम्ब हो गया है जिससे बड़ा नुकसान हुआ इन्हीं कमियों के साथ मैं इस बजट का स्वागत करता हूं और कहना चाहता हूं कि यह बजट अद्वितीय, सुन्दर और स्वच्छ बजट है ।

जै हिन्द, जै भारत ।

*श्री जसवन्त सिंह विष्ट---

मान्यवर, अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने 1984-85

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

के सामान्य बजट पर अपने विचार व्यक्त करने का अवसर दिया ।

मान्यवर, जबसे देश आजाद हुआ तबसे आज तक जनता पार्टी को सरकार को छोड़कर हमेशा घाटे का बजट प्रस्तुत किया गया है और दूसरी तरफ महंगाई बढ़ती गई । गत वर्ष जब हमारे वित्त मत्री जी ने घाटे का बजट प्रस्तुत किया था तो कहा था कि किसी तरह का टैक्स नहीं लगाया जाएगा, न महंगाई होगी—महंगाई नहीं बढ़ेगी । लेकिन उससे पहले ही बाजारों में मूल्य बढ़ गये, बढ़ते गये । इस बार भी अपने घाटे के बजट को उन्होंने प्रस्तुत किया है और कहा है कि टैक्स नहीं लगेंगे, लेकिन चीनी के दाम बढ़ गये और अन्य चीजों के दाम भी बढ़ते जा रहे हैं । यह समझ में नहीं आता है कि इस प्रदेश की और इस प्रदेश की जनता की कैसे यह लोग गुमराह कर रहे हैं ? एक तरफ कहते हो कि टैक्स नहीं लगेंगे, दूसरी तरफ कैसे चीनी के दाम बढ़ रहे हैं ? इस बात का जवाब जनता को या आदरणीय सदन को मिलना चाहिए ।

दूसरी बात यह है, जिसकी तरफ ऊदल जी ने इशारा किया कि जब से हमारे प्रदेश में या देश में निगम बने हैं, एक भी निगम ऐसा नहीं है जो लाभ दिखा रहा है, सब घाटा ही दिखा रहे हैं । हमें एक मित्र मिले, उन्होंने मुझ बताया कि 50 करोड़ से अधिक रुपया वन विभाग का वन निगम पर बाकी है जो निगम को देना है, लेकिन जो नहीं दिया जा रहा है । पूरे आंकड़े तो नहीं बता पाऊंगा, किन्तु यह बात अपनी जगह बिलकुल सही है । इसकी छानबीन अवश्य होनी चाहिए । जब बन निगम नहीं था, शुद्ध पैसा ठेकेदारों से उसके पास आता था, ठेकेदार नीलामी बोलता था और उस तरीके से ज्यादा से ज्यादा विभाग को पैसा आता था, लेकिन जब से निगम बने, यह नीलामी नहीं होती हैं, बल्कि शड्यूल्ड रेट्स पर उनको दिया जा रहा है । इससे विभाग को और प्रदेश को भारी नुकसान हो बराबर नुकसान हो रहा है । जितने भ निगम हैं, उनको देख लिया जाए, सारे के सारे घाटे में चल रहे हैं । जो सत्तारूढ़ दल के विधायक हैं, उनके बारे में एक ही किस्सा लागू होता है । जंगल में गीदड़ "हुआ" "हुआ" बोलता है, तो वहां के सारे के सारे गीदड़ वही बोला बोलने लगते हैं । जो सबसे पहले बोलता है, वह कहता है राजा में हूं और सब बैठे गीदड़ कहते हैं कि तू ही है ,'तू ही है । यही हाल इन सत्तारूढ़ दल के लोगों का है, यह कुछ भी न कहें तो यह समझ लेना चाहिए । आज भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और घूसखोरी बढ़ रही है । जब आप मंत्रियों से और मुख्य मंत्री से इनके अफसरों के भ्रष्टाचार और काले कारनामों के बारे में शिकायत करते हैं और जांच की मांग करते हैं तो आपको वह मंत्री जी झूठे आश्वासन देकर खुश कर देते हैं कि हम जांच करा रहे हैं, लेकिन वास्तविक रूप में किसी की भी जांच नहीं होती है बहुत हुआ तो सब विभाग कर दिया जाता है । इस प्रदेश में अधिकारियों और दूसरे तमाम लोगों द्वारा मकान और कोठियां बनाई गई हैं, कार खरीदी गई हैं, क्या वह उनके वेतन से प्राप्त से खरीदी गई हैं, क्या उनके द्वारा ईमानदारी की कमाई से वह बनी है ? कदापि नहीं । चाहे विधायक को ले लीजिए, चाहे अफसरों को ले लीजिए, चाहे कर्मचारियों को ले लीजिए सबका एक ही हाल है, सब भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं । मैं पूछना चाहता हूं कि आपका गुप्तचर विभाग क्या करता है ?

अब मैं शान्ति व्यवस्था के बारे में यह कहना चाहता हूं कि यदि आपको इसका नमूना देखना हो तो मेरे निवास स्थान ब्लाक नं0 बी0नं 0—72 में आकर देख लीजिए कि शान्ति व्यवस्था की हालत प्रदेश में कितनी खराब ह, कितनी शान्ति व्यवस्था आपने प्रदेश में कायम कर रखी है । आपको इसका जीता जागता उदाहरण वहां मिल जाएगा ।

[श्री जसवन्त सिंह बिष्ट--[

कैसे आप उनको सरंक्षण देते हो जो अपराध करते हैं, यह देखने को मिल जाएगा हां, जो पुलिस के गलत कामो की आलोचना करते हैं और सरकार से जांच की मांग करते हैं, उसको आप जरूर पिटवाते हो, मरवाते हो ।

अब मैं पर्वतीय क्षेत्र की कुछ बात लेता हूं । वहां पर जब पर जब जनता पार्टी की सरकार बनी थी, वैसे सारे देश में ही नशाबन्द कर दी गई थी लेकिन जब यह गरीबों की हिमायती सरकार आयी, इसने नशाबन्दी खत्म कर दी । खूब पीने की छूट दे दी । उसका नतीज यह हो रहा है कि आये दिन यात्री बसें गिर रही हैं, तमाम आदमी मर रहे हैं, यह पता नही चल पाता कि अमुक आदमी नशे के कारण मरा है या कैसे मरा है ।

पी0 डब्ल0 डी0 को देखें, नया-- नया सामान खरीदा जा रहा है खरीदन के एक दो माह बाद ही सड़कों पर पड़ा हुआ खराब हालत में दिखायी देगा सड़क कूटने वाले रोलर आदि पड़े हुये दिखायी देंगे ।

सिंचाई की हालत यह है कि टेल तक पानी ही नहीं पहुंच रहा है ।

पर्वतीय क्षेत्रों मे तो पेय जल भी उपलब्ध नहीं है । विश्व बैंक से सरकार को उसके लिये पैसा भी मिल रहा है, पर उसका सदुपयोग नहीं हो रहा है । मैंने इस ओर कई बार माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित किया पर भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ कुछ हुआ ही नहीं ।

श्री अधिष्ठाता----

अब आप कृपया समाप्त करें ।

श्री जसवन्त सिंह बिष्ट --

कहते हैं कि मंत्रियों को उनसे पैसा मिलता है, इसलिये वे उनके खिलाफ कुछ नहीं करते, अगर मंत्री ठीक हों, ईमानदार हों, तो प्रदेश का भला हो सकता है ।

मान्यवर, सबसे बड़ा सरदर्द बेरोजगारी है । बिहार जो सबसे गया बीता प्रदेश है, वह बेरोजगारी भत्ता दे रहा है, पर हमारी सरकार न तो बेरोजगारों को रोजगार दे पा रही है, न ही बेरोजगारी भत्ता दे पा रही है ।

यह सरकार महिलाओं की और हरिजनों की बड़ी हितैषी है । हमारे यहां बहुत सी महिलायें शादी के तुरन्त बाद विधवा हो जाती हैं । वे दूसरी शादी नहीं करतीं । इस प्रकार परिवार नियोजन में बड़ी सहायता करती हैं । मेरा निवेदन है कि सरकार बेसहारा विधवाओं को पेन्शन या आर्थिक सहायता दे ।

श्री श्यामलाल बाजपेयी--

कांग्रेस तो विधवाओं को मंत्री बना देती है, आप जानते नहीं हैं ।

(हंसी)

श्री जसवन्त सिंह बिष्ट--

मेरा सुझाव है कि यह सरकार उन विधवाओं के लिए भी कुछ करे ।

श्री कुबेर भन्डारी--

माननीय बाजपेयी जी ने अभी कहा कि विधवाओं को कांग्रेस मंत्री बना देती है, तो कितनी विधवाओं को उसने मंत्री बना दिया है ?

(हंसी)

श्री अधिष्ठाता--

मैंने यह सुना नहीं ।

श्री गोरे लाल शाक्य--

अधिष्ठाता महोदय, मैं आपकी आज्ञा से माननीय वित्त मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं । माननीय वित्त मंत्री जी ने जो बजट प्रस्तुत किया है वह प्रदेश के

विकास के लिए और संसाधन जुटाने के लिए एक प्रशंसनीय बजट कहा जायगा । इससे अच्छा बजट वर्तमान परिस्थितियों में दूसरा हो ही नहीं सकता है । माननीय, हमारी सरकार ने, चाहे प्रदेश के संसाधन जुटाने की बात हो या चाहे बाहर से, केन्द्र द्वारा दी गई सहायता की बात हो या विश्व बैंक से ली गई सहायता की बात हो, हमारी सरकार ने उसका पूरा-पूरा उपयोग किया है ।

श्री श्याम लाल बाजपेयी—

माननीय, कोरम देख लीजिए तब सदन चलाइये ।

श्री गोरेलाल शाक्य—

विश्व बैंक ने अपने प्रथम चरण में जो हमको स्वीकृति दी थी उससे संतुष्ट होकर हमको 22 सौ नये नलकूपों के निर्माण के लिए और स्वीकृति दी है । 750 नलकूपों का आधुनिकीकरण भी किया जायग । तो यह हमारी सरकार की जो उपलब्धियां हैं, जो हमारा कार्य करने का ढंग है उससे विश्व बैंक भी प्रभावित हुआ है ।

श्री सन्त बख्श रावत—

माननीय, व्यवस्था का प्रश्न है । कोरम का अभाव है ।

श्री अधिष्ठाता—

घंटी बजाई जाये ।

("चलने दीजिये" की आवाजें)

श्री अधिष्ठाता—

अब प्रश्न उठ गया है तो अब कोरम पूरा होने के बाद ही कार्यवाही चलेगी ।

श्री ऊदल—

श्रीमन्, ऐसा है 4–5 दिन जनरल बहस के लिए रखा है । आज स्थगित कर दीजिये । एक दिन और बढ़ा दीजियेगा ।

श्री अधिष्ठाता—

आप जानते हैं कि कोरम के अभाव में कोई कार्यवाही नहीं हो सकती है ।

श्री ऊदल—

इसीलिए तो मैंने आपसे कहा है, यह हो ही नहीं सकता ।

श्री श्याम लाल बाजपेयी—

माननीय, जब चलाना है तो चलाइये, कोरम तो पूरा नहीं होगा ।

श्री किरन पाल सिंह—

माननीय, जब प्रश्न उठ गया है तो कोरम हो जाने दीजिए ।

श्री सन्त बख्श रावत—

माननीय, स्थगित कर दीजिये । आपका नाम हो जायगा ।

(गणपूर्ति हेतु घंटी बजायी गई, गणपूर्ति होने पर सदन की कार्यवाही पुनः प्रारम्भ हुई ।)

श्री गोरे लाल शाक्य—

मैं विरोधी दल से निवेदन करना चाहता हूं कि हमारी सरकार का इरादा किस तरह से प्रदेश की तरक्की के लिये है, जिसके लिए सरकार ने प्रशासनिक मितव्ययिता के कड़े आदेश दिये हैं और जो भी फजूल खर्ची है, उसको कतई बन्द कर दिया है, इसलिए कि हम प्रदेश के लिए अधिक से अधिक संसाधन जुटा सकें और माननीय, यह सब कोई जानता है कि सारा हिन्दुस्तान पिछड़ा हुआ है, हमारा प्रदेश भी पिछड़ा हुआ है, लेकिन अगर हम कोई डायरेक्ट कर लगाते हैं, कोई भी उसको देने के लिये तैयार नहीं होता है, उसका विरोध करता है, इसलिए जनता के ऊपर हाथ फेर कर हमने घाटे की व्यवस्था की है, वित्त व्यवस्था की है, ताकि हमारे लोग जो हैं, वह इस वित्त व्यवस्था के अन्तर्गत आसानी से कर दे सकेंगे और इस घाटे की वित्त व्यवस्था जो है, वह घाटे की मार्डन विकास की वित्त व्यवस्था है,

ताकि लोगों को तकलीफ न हो सके और समारे आर्थिक विकास में सहयोग दे सकें ।

केन्द्र ने हमको अपने संसाधन जुटाने के लिए छठीं पंचवर्षीय योजना में कुल 1,000 करोड़ रुपये का आदेश दिया था, लेकिन केन्द्र का उस आदेश के बावजूद भी हमने 1,400 करोड़ रुपये का संसाधन जुटाये हैं । यह हमारी उत्तर प्रदेश सरकार की क्षमता है, ताकि इस प्रदेश को तरक्की हो सके । मैं मान्यवर, आपसे कहना चाहता हूं, चाहे खाद्यान्न हो और चाहे औद्योगिक उत्पादन हो, दोनों में ही इस प्रदेश ने इतनी तरक्की की है कि वह अतुलनीय है और हमारा गेहूं और चावल का उत्पादन इतनी तीव्र गति से बढ़ा है कि जो हमारे स्टोर हैं, जो हमारे ग्रामीण गोदाम बनाये गये हैं, उसमें रखने की जगह नहीं है और इसी आधिक्य उत्पादन के कारण हमने चावल की खरीद नहीं की है, क्योंकि वह सड़ जायगा, प्रदेश का नुकसान होगा । मान्यवर, इतने स्तर पर हमने उत्पादन किया है ।

(व्यवधान)

श्री विजय सिंह राना--

कहां किया है ?

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता---

माननीय राना जी, बीच में न टोकें, माननीय शाक्य जी को बोलने दें ।

श्री गोरे लाल शाक्य---

मान्यवर, यह उत्पादन तभी बढ़ा है, जब हमने सिंचाई के लिए नलकूपों का और उन्नत बीज का, खाद का प्रबन्ध किया है और बिजली का प्रबन्ध किया है, तब यह रिकार्ड उत्पादन हो सका है । आज हमारे पास खाद्यान्न को रखने के लिए जगह नहीं है । यह हमारी सरकार का महान कार्य मैं कहना चाहता हूं कि जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जिन्होंने इस देश और प्रदेश को स्वतंत्र कराने में और उसको उन्नति कराने में कुर्बानी की है, उनके लिए जिले में राजकीय बसों में आने-जाने का हमारी सरकार ने प्रबन्ध कर दिया है । अगर उनका कोई सम्मेलन होता है, अगर उनको दिल्ली और कलकत्ता बुलाया जाता है, तब भी उनके लिए आने-जाने के लिए निःशुल्क व्यवस्था कर दी है और मलिन बस्तियों में जो वातावरण खराब हो गया है, वहां जाने पर खराब आती है, उसके पर्यावरण को सुधारने के लिए हमारी सरकार ने भारी कदम उठाये हैं और निर्माण कार्य किये हैं । मान्यवर, अभी तक हमारे लखनऊ में को प्लैनिटोरियम नहीं था, उसकी स्थापना के लिये प्रबन्ध किया जा रहा है ताकि निजी जानकारी के लिए दूर न जाना पड़ेगा और साइंस म्यूजियम की स्थापना के लिए भी लखनऊ में प्रबन्ध कर दिया गया है । ताकि साइंस सम्बन्धी तकनीकी ज्ञान उस म्यूजियम से लोगों को प्राप्त हो सके ।

मैं आपसे कहना चाहूंगा की एकीकृत ग्राम्य विकास योजना के अन्तर्गत हमारी जो पिछड़ी हुई महिलायें हैं, जो काम करने जाती थीं तो उनके छोटे-छोटे बच्चों का कोई पालनपोषण करने वाला नहीं होता था, देखभाल के लिए कोई नहीं होता, अब वह काम करने जायेंगी तो उनके बच्चों की देखभाल के लिए सरकार ने बड़े पैमाने पर प्रबन्ध कर दिया है । ताकि महिलाओं को, जो कमजोर वर्ग है वह अपनी आर्थिक उन्नति के लिये, आर्थिक विकास में भाग ले सकें, अभी तक वह इसमें भाग इसलिए नहीं ले सकती थी कि उसके बच्चों की देखभाल करने का कोई प्रबन्ध नहीं था छोटे-छोटे बच्चे होने के बाद भी आज वह आर्थिक कार्यक्रम में भाग लेकर अपनी आमदनी बढ़ायेंगी और उनके बच्चों की देखभाल करने के लिए सरकार ने प्रबन्ध कर दिया है । मैं विरोधी दल से कहना चाहता हूं कि हमारे प्रदेश की विकास दर क्या है ? विकास दर अगर 79-80

को आधार वर्ष मानते तो सारे हिन्दुस्तान में विकास दर 5 प्रतिशत रही है जबकि उत्तर प्रदेश में विकास दर 10-5 प्रतिशत है । इससे अच्छी प्रगति की दर क्या हो सकती है । इसलिए हमारी सरकार प्रशंसा की पात्र है ।

आप जानते हैं कि सूखा और बाढ़ में हमारी सरकार ने किसी व्यक्ति को मरने का मौका नहीं दिया कि बगैर साधन के वह मर जाय । सूखा और बाढ़ में कई योजनायें चलाई गईं ताकि गरीब आदमी को ग्रामीण रोजगार योजना के अन्तर्गत काम मिल सके और वह जीविका कमा सके । अभी छठीं पंचवर्षीय योजना चल रही है । हमारी सरकार सजग है कि 100 प्रतिशत सक्षमता से उसको चला रही है और क्रियान्वित कर रही है । लेकिन इसी के साथ-साथ 7वीं पंचवर्षीय योजना को अग्रिम तौर पर सफल बनाने के लिए कार्यवाही हमारी सरकार ने शुरू कर दी है । यह सरकार की सजगता है । विकेन्द्रित योजना जो कायम की गई है, उससे जो छोटे कार्य थे, पशुचिकित्सालय, जूनियर हाई स्कूल, प्राइमरी स्कूल आदि उनके निर्माण के लिये लखनऊ से स्वीकृत की जाती थी लेकिन जो विलम्ब का सौदा होता था उसको समाप्त करने के लिये विकेन्द्रीकरण योजना के अन्तर्गत जिलों को धनराशि दी गयी है । जिले की योजनायें वहीं से स्वीकृत होंगी और जो विलम्ब होता था वह दूर होगा । इसके लिये पिछले वर्ष जो संसाधन मिले थे उसमें इस वर्ष 7 प्रतिशत की वृद्धि कर दी गयी है । मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जो हमारी सरकार कार्य कर रही है उसके लिये यह सरकार प्रशंसा की पात्र है । मैं विरोधी दल के नेता और विपक्ष के माननीय सदस्यों से कहूंगा कि वह हकीकत को देखें और जो अनर्गल बाजारू तौर से भाषण करते हैं उसको बन्द करें । अन्त में मैं यह कहना चाहता हूं कि जो सर्वत्र भ्रष्टाचार है उसको खत्म करने के लिये बजट में प्रावधान होना चाहिये, जयहिन्द ।

*श्री हरिवंश सहाय :-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने सामान्य बजट पर बोलने का मौका दिया इसके लिये मैं आपका आभारी हूं । अभी हमारे साथियों ने यह कहा कि 80 के बाद से जबसे यह सरकार आयी है काफी प्रगति का है । मान्यवर, 1977 से 1980 के बीच देश की जनता जो बाजारों में सामान खरीदती थी दो प्रकार के सामान लोगों को मिलते थे एक तो कन्ट्रोल रेट पर दूसरा खुले बाजार में । 1980 में जो खुले बाजार में सामान मिलता था, मिट्टी का तेल, डीजल, सीमेन्ट चीनी । उसका भाव आज कन्ट्रोल रेट में हो गया है और उसका दाम सीधा दुगुना-तिगुना बढ़ गया है । प्रगति तो आपने किया है, यह सही है लेकिन सामानों के दाम जो पहले कन्ट्रोल रेट में थे वह अब नहीं रहे हैं । यह आपने किया है और आम आदमी की माली हालत को दिन पर दिन गिरा दिया है । मान्यवर, हमारे देवरिया जिले के अन्तर्गत सलेमपुर तहसील है । वहां से देवरिया आने पर 50 किलोमीटर दूरी तय करनी पड़ती है । वहां की जनता पिछले कई वर्षों से आन्दोलन करती आ रही है कि मुन्सिफी अदालत की स्थापना की जाए लेकिन वहां मुन्सिफी अदालत की स्थापना नहीं हो पायी है । अभी तक यह कार्य नहीं हुआ है । इसलिए मैं चाहूंगा कि सरकार इस ओर ध्यान दे ।

मान्यवर, यह आई0 आर0 डी0 स्पेशल कन्पोनेन्ट प्लान या जो बेरोजगार को पैसा मिलता है तो शुरू में उन्हें 300 रुपये से 500 रुपये तक देना पड़ता है तब ऋण की स्वीकृति हो रही है और जब छूट का वक्त आता है तो 300 रुपये तब देने पड़ते हैं ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

माननीय, उनकी माली हालत ऊंची नहीं उठ पा रही है। दिन प्रति दिन उनकी स्थिति गिरती जा रही है। जब उनको कर्जे की अदायगी करनी पड़ेगी तब उनको पता लगेगा। कानून व्यवस्था बहुत बेकार हो गई है। पिछली 30 जनवरी को हमारा सन्यापैतोरो गांव है, वहां सात बजे शाम को अर० बी० शाही की जीप थी। शाम के वक्त डकैतों ने उसको छीन लिया और उसकी जीप को छोड़कर भाग गये, पुलिस उसका पता नहीं लगा सकी। हमारे मुख्य मंत्री जी कहते हैं इनकाउन्टर बन्द कर दिया है। माननीय, सुरेश गौड़ नाम का व्यक्ति है उसे इन्काउन्टर में पकड़ लिया गया। लार के दरोगा उसको लार ले गये। पूरी रात उसको बन्द रखा और एस० पी० से परमीशन लेकर के उसे फिर शीशम के पेड़ से बांधकर गोली मारकर हत्या कर दी गई। सलेमपुर तहसील में आन्दोलन चल रहा है। इनकाउन्टर बन्द नहीं किया गया है। माननीय, हमारे जिले में एस० पी० श्री हरभजन सिंह हैं यह सुबह को चलते हैं तो कुछ लोगों के पांव पकड़कर शास्वत दण्डवत् करते हैं।

माननीय, देवरिया में दो भाग हैं एक तो सलेमपुर तहसील है। सलेमपुर तहसील में जो रहते हैं और जो वहां जाना चाहते हैं मतलब वहां पोस्ट होना चाहते हैं, उसकी पोस्टिंग की कीमत माननीय, पांच हजार रुपया है और 500 रुपये महीने वह देता है जो हाटा तहसील में पोस्ट होता है। यदि रुपया नहीं दिया जाता है तो उसे वहां से बिल्कुल हटा दिया जाता है। यही काम वहां के एस० पी० कर रहे हैं। माननीय, मैं आपके माध्यम से कहूंगा कि इसकी जांच करा लेनी चाहिये।

माननीय अधिष्ठाता महोदय, हमारे देवरिया जिले में स्मगलिंग काफी व्यापक पैमाने पर होता है। पडरौना सेवरही, सलेमपुर तहसील के माध्यम से जो स्मगलिंग का माल मिलता है, वह अधिकारियों में आय का स्रोत बन गया है। खुखूंदी थाने के अन्तर्गत 121 क्विंटल गेहूं और एक क्विंटल मक्का बरामद हुआ। उस दिन के बाद एस० डी० एम० ने उसका नीलाम 8 हजार रुपये में किया। उसकी मार्केट वैल्यू 25 हजार की थी। सोधे 17 हजार रुपये अधिकारियों की पाकेट में चला गया।

अधिष्ठाता महोदय, हमारी तहसील में दो शुगर फैक्ट्री हैं, जो सरकार के नियंत्रण में हैं। वहां के जनरल मैनेजर, श्री पी० के० दास हैं, सारा सामान उन्होंने बेच दिया और मिल जर्जर हो गयी है। वहां के किसानों का पेमेंट नहीं हो रहा है। साथी बी० के० मिश्रा जी और हम दोनों वहां प्रचार कर रहे थे। मैं लोक दल का प्रचार कर रहा था। वहां कांग्रेस विधायक मर गये इसलिये वहां के लोगों का गन्ने का पेमेंट हुआ। मिश्रा जी कहते हैं उनके यहां ढाई करोड़ का बकाया है। वहां की जनता कह रही है कि हमारे यहां जब एम० एल० ए० का देहान्त होता है, तब जाकर गन्ने का पेमेंट होता है। यह देवरिया जिले में आम धारणा बन गया है। बाकी गन्ने का भुगतान तभी होगा जब वहां बाई इलेक्शन हो, इस तरह की धारणा वहां है।

माननीय अधिष्ठाता जी, मैं माननीय मिश्रा जी से कहना चाहता हूं कि उनकी सरकार की जो प्रक्रिया चल रही है तो पेमेंट तब होगा, जब इलेक्शन होंगे। ऐसा नहीं होना चाहिये। वहां के लोगों को गन्ने का दाम मिलना चाहिये जिससे वहां के लोग, गरीब लोग अपना पेट पाल सकें। अधिष्ठाता महोदय, हमारे यहां देवरिया जिले में एक बाढ़ खण्ड है, वहां के जी० डी०

दुबे, सहायक अभियन्ता हैं। वहां एक रिंग है पौडेपुर। उस पर तीन विभाग से पेमेंट होता है। एक वर्क आर्डर से, एक एन0 आर0 पी0 से और एग्रीमेंट के द्वारा हुआ है। इस तरह से पेमेंट करने में ठेकेदार से तय है। अगर वह कमीशन नहीं देगा तो पेमेंट नहीं होगा।

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं सत्ता पक्ष के लोगों से कहूंगा कि वे वहां इस प्रकार की जानकारी करेंगे कि वहां क्या होता है? वहां के ठेकेदारों से सम्पर्क स्थापित करके जानकारी कीजिये। जो जिला सेक्टर के अन्दर धन नहीं दिया जाता है तो ठेकेदारों को देना पड़ता था। पहले कमीशन 10 प्रतिशत से 20 प्रतिशत था लेकिन अब 30 प्रतिशत कमीशन देने के बाद उनको पेमेंट मिलता है। ठेकेदारों ने हम लोगों को बताया है। अधिकारी कहते हैं कि काम शुरू करने के पहले यह जरूरी है कि आवंटन करने वाले अधिकारी को पैसा दिया जाय। तो अधिष्ठाता महोदय, मैं चाहूंगा कि सरकार इस पर ध्यान दे कि क्या कारण है कि प्रति ठेकेदार कमीशन देना पड़ता है। यह दोष किस स्थान पर है। क्यों काम रुका हुआ है, जिसके कारण उनको अधिक कमीशन देना पड़ता है। अधिष्ठाता महोदय, हमारे जिले में चकबन्दी हो रही है। वहां के एस0 ओ0 सी0 हैं हाटा में, श्री एस0 पी0 अजोर, उन्होंने अपने रिश्तेदारों और परिवार के नाम से 40 एकड़ जमीन लिखवा ली है। और देवरिया शहर के अन्दर 3 लाख रुपए का एक बंगला बना लिया है। वहां अधिकारियों में तथा जनता में इस बात पर काफी रोष व्याप्त है। तमाम दरख्वास्तें देने के बावजूद भी इस पर जांच नहीं हो रही है। मैं चाहता हूं कि इस पर जांच करायी जानी चाहिए।

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं एक बात और कहूंगा। देवरिया की पुलिस हम लोगों के खिलाफ साजिश कर रही है। मेरे को सरकार की तरफ से एक अंग रक्षक दिया गया था। परन्तु उस अंग रक्षक को मेरे पास से हटाकर मेरे प्रबल विरोधी को दे दिया गया है। ताकि वह मेरे बारे में सब कुछ बता सके। इस तरह की व्यूह रचना देवरिया के पुलिस कप्तान ने मेरे खिलाफ रची है। मैं चाहूंगा कि सरकार इस पर ध्यान दे।

श्री कुबेर भण्डारी—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। संसदीय परम्पराओं का ध्यान रखते हुए मेरा आपसे यह निवेदन है कि काफी लम्बे समय से कोरम नहीं है, लिहाजा आप इस पर एक ऐतिहासिक फैसला ले लें और हमें घर जाने दीजिए।

श्री वृद्धि नारायन सिंह—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, हमारे माननीय वित्त मंत्री जी द्वारा जो वर्ष 1984-85 का बजट प्रस्ताव रखा है, मैं उसके समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं; मान्यवर, प्रदेश में विकास की दर बढ़ी है। . . .

श्री अधिष्ठाता—

कोरम है कि नहीं, इसे आप जरा देखें। माननीय श्री वृद्धि नारायन सिंह जी, आप बैठ जायं।

(गणपूर्ति हेतु घण्टी बजायी गयी, गणपूर्ति होने पर सदन की कार्यवाही पुनः प्रारम्भ हुई।)

कोरम हो गया है। वृद्धि नारायन सिंह जी, अपनी चर्चा जारी रखें।

*श्री वृद्धि नारायण सिंह--

मान्यवर, जैसा कि मैं निवेदन कर रहा था कि हमारी वर्तमान सरकार ने मितव्ययता, अपनी सूझबूझ तथा अपनी कुशल व्यवस्था के मध्यम से इस प्रदेश का चतुर्मुखी विकास किया है। इसमें कोई संदेह नहीं है। मान्यवर, अगर आंकड़ों को देखें, तो प्रदेश के विकास मे उल्लेखनीय प्रगति हुई है, तथा चीनी, गल्ला एवं कपड़ा इन सबका उत्पादन बढ़ा है।

श्री पंचानन राय--

मान्यवर, कोरम अभी है नहीं, 40 ही आदमी हुए हैं।

श्री अधिष्ठाता--

आप बैठें। कोरम है। श्री वृद्धि नारायण सिंह जी अपनी चर्चा जारी रखें।

श्री वृद्धि नारायण सिंह--

मान्यवर, जैसा कि मैंने अनुरोध किया कि इस प्रदेश में चीनी, सीमेंट एवं बस्त्र आदि के उत्पादन में वृद्धि हुई है। साथ ही साथ मान्यवर, हरिजनों को भूमिहीनों को, यहां के बड़े-बड़े काश्तकारों को, सरप्लसदारों को, सीलिंग की भूमि प्राप्त करके, आबंटित की गयी है। ऐसे लोगों को भूमि दी गयी है, जिनके पास आवासीय सुविधा नहीं थी, रहने के लिये मकान नहीं था, कृषि के लिये उनके पास जमीन नहीं थी और कोई साधन नहीं था। इस प्रकार से जैसा कि हमारे विपक्ष के माननीय सदस्यगण कहते हैं कि इस सरकार ने प्रदेश के विकास मे कोई योगदान नहीं दिया है और प्रदेश का उत्थान नहीं किया है, तो मैं समझता हूं कि वह मात्र एक विरोधाभास के अलावा, उसमें कोई सत्यता प्रकट नहीं होती है। मान्यवर, आपको विदित है कि दैवी आपदाएं हमारे प्रदेश में निरंतर पिछले 3--4 वर्षों से किसी न किसी रूप में, कभी सूखे के रूप में, कभी बाढ़ के रूप में और कभी ओलावृष्टि के रूप में आती रहीं और जिसका कि बड़ी दृढ़ता के साथ इस सरकार ने सामना किया और कहीं भी हमारा कोई आदमी न तो बाढ़ से और न भुखमरी से हताहत हुआ। सरकार ने हरसंभव मदद पहुंचायी और राहत प्रदान की।

मान्यवर, आप जानते हैं कि प्रदेश के बहुत से हिस्सों में बड़े-बड़े लोग और कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कि मजदूरों से बंधुवा मजदूरी के रूप में मजदूरी कराते थे, जहां-जहां से इस प्रकार की सूचना मिली, सरकार ने वहां-वहां प्रभावी कदम उठाकर, उन बंधुवा मजदूरों को उनके चंगुलों से छुटकारा दिलवाया और उनके लिये पुनर्वास की आवश्यक व्यवस्था की। मान्यवर, आप देखें प्रदेश में जिस वक्त शासन की बागडोर इनके हाथ में थी, मुझे अच्छी तरह याद है कि बड़ी मुश्किल से लोगों को 3--4 घंटे ही बिजली मिलती थी। अब देखें खासतौर से ग्रामीण इलाके में 8--10 घंटे बिजली किसानों को मिल रही है। उस वक्त मुझे याद है कि डीजल, मिट्टी का तेल तथा ऐसी अन्य आवश्यक वस्तुओं के लिये लोगों को एक-एक माइल तक लम्बी लाइन में लगना पड़ता था, लेकिन इस पर भी उनमें से अधिकांश को बिना सामान लिये वापस घर जाना पड़ता था। मान्यवर, लेकिन आज सरकार के सतत् प्रयासों से कोई कठिनाई नहीं है, हर चीज मुहैय्या है। मान्यवर, उस वक्त की स्थिति आप जानते हैं कि चीनी के आवश्यक मूल्य अवश्य तय थे लेकिन उसकी चौगुनी कीमत देने पर भी चीनी उपलब्ध नहीं हो पाती थी। लेकिन, आज इसके बिल्कुल ठीक विपरीत स्थिति है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

इसके साथ ही साथ भ
कानून व्यवस्था की उस वक्त जो स्थि
थी, वह यह थी कि लोग दिन में
चलने में डरते थे। लेकिन, आज
इसके ठीक विपरीत स्थिति है। उस
वक्त यह भी स्थिति थी कि कृषि
कार्यों के लिये जो हमें बीज या खाद
की जरूरत होती है, उन सब की
उपलब्धता में कठिनाई हो रही थी।
मान्यवर, उन सब स्थितियों को आप
जानते हैं और अब विरोध पक्ष में बैठे
लोग भी जानते हैं। इस प्रकार से
यह कह देना कि कुछ नहीं होता है,
लेकिन अगर आप गौर करें, तो मान्यवर,
इस प्रदेश का हर तरफ से विकास हुआ
है। शिक्षा में, कृषि में विकास हुआ
है, औद्योगिक विकास हुआ है।
विद्युत के उत्पादन में वृद्धि हुई है।
सिंचाई क्षमता में वृद्धि हुई है। वितरण
व्यवस्था में सुधार हुआ है। मुझे
याद है कि राशन की दुकान में
प्राइवेट दुकानदार थे, वे चीनी का एक
कोटा बेंचकर मोटर साइकिल ले लिया
करते थे। लेकिन अब सार्वजनिक
वितरण व्यवस्था के माध्यम से हर
गांव में हर माह राशन पहुंच रहा है।
यह हो सकता है कि कभी न पहुंच
पाता हो, लेकिन यह सही है कि पहले
की वितरण व्यवस्था से अच्छी स्थिति
इस समय है।

पेयजल का अभाव था। इसके
लिये प्रदेश में हैण्डपाइप के द्वारा,
कुंओं के निर्माण में सहायता के द्वारा
एवं अन्य साधनों से दुगने पेयजल की
व्यवस्था की गयी है। इसमें भी
कोई दिक्कत नहीं है। बुन्देलखण्ड के
इलाके में सड़कों का अभाव था, सिंचाई
का अभाव था, वहां पर भी काफी
निर्माण कार्य कराकर सरकार ने वहां
की कठिनाई को भी दूर किया है।

स्वास्थ्य विभाग के अन्तर्गत परिवार
नियोजन की बात थी, जिसको लेकर
किसी जमाने में विरोधी पक्ष ने बहुत
गामा मचाया था, आज उसी कार्यक्रम
को स्वास्थ्य विभाग द्वारा जनता के
समक्ष इतने प्रेरणादायक ढंग से प्रस्तुत
किया गया है कि जनता स्वेच्छापूर्वक
उसमें रुचि लेने लगी है। परिवार
नियोजन का कार्यक्रम हमारे प्रदेश में
जितने अच्छे ढंग से संचालित हो रहा है,
शायद ही किसी अन्य प्रदेश में इससे
अच्छा चल रहा हो।

औद्योगिक विकास कार्यक्रम के
अन्तर्गत हमारे प्रदेश के कई जनपदों
और मण्डलों से हमारे यहां निर्यात का
कार्य हो रहा है। जो सरकार पहले
यहां बैठी थी, उसके मुकाबले में तीन
गुना अधिक निर्यात बढ़ा है। निर्यातकों
को, मजदूरों को, बुनकरों को काफी
राहत मिली है।

वृक्षारोपण के कार्यक्रम में हमने
बत्तीस सौ करोड़ वृक्षों को लगाकर
देश में कीर्तिमान कायम किया है,
जिससे आगे आने वाली पीढ़ी लाभा-
न्वित होगी और जो और लाभ हैं
प्रदेश को और देश को मिल सकेंगे।

जब आपकी सरकार थी तो गन्ना
जलाया जाता था, मिलें ले नहीं रही
थीं, आज हमारे साथी ने कहा कि
किसान को उचित मूल्य नहीं मिल
रहा है। गन्ने का भाव आज किसान
को इतना मिल रहा है कि वह गन्ने
का दुगना तिगुना उत्पादन कर रहा
है।

इसके साथ ही माननीय वित्त मंत्री
जी द्वारा रखे गये बजट का समर्थन
करता हूं और आशा करता हूं कि इससे
प्रदेश में प्रगति आयगी।

श्री विद्या सागर नौटियाल---

मान्यवर, मैं आपका आभार प्रकट
करता हूं कि आपने मुझे बोलने का
अवसर दिया।

सत्ता पक्ष के लोग कहते हैं कि
"विपक्षियों" ने यह कहा, "विपक्षियों"
ने वह कहा, तो मान्यवर, हम तो
"विपक्षी हैं, लेकिन यह तो "पक्षी" हैं
और इसीलिये यह चहचहाते रहते हैं।

(हंसी।)

श्री धरमपाल--

"पक्षी" तो हैं लेकिन परकटे ।

श्री विद्यासागर नौटियाल--

"परकटे" तो हैं लेकिन वह आपके ही द्वारा कटे ह ।

(हंसी)

यह सरकार एक बेसहारा सरकार है, जिसके लिये यह कहा जाता है कि सूझबूझ की सरकार है मैं केवल शब्दों में हेरफर करके कहूंगा कि इनकी "सूझ" जो है वह "बुझ" गयी है । इस साल 26 जनवरी को मुझे लखनऊ में उत्सव देखने का मौका मिला । इससे पहले मैं अपने जिले में रहता था, तो चूंकि विरोधी दल का विधायक हूं, आजतक सरकार की ओर से 26 जनवरी के कार्यक्रम का निमंत्रण मेरे जिले में मुझको नहीं मिला । मुझे कोई आपत्ति नहीं है चूंकि यह मामला सरकार का है, जिस गड्ढे में यह जाना चाहें, जाये ।

दूसरे मान्यवर, 25 जनवरी को विश्वनाथ प्रताप सिंह जी ने एक छोटा सा जल-पान रखा था, अपने लड़के की शादी के उपलक्ष में और उन्होंने यह चाहा था कि हम लोग वहां पर इकट्ठे हों, इसलिए इस निमन्त्रण को पाकर मैं लखनऊ आया और जब मैं यहां पर 25 को रहा तो 26 को भी रहना पड़ा । तो मैं उस रोज यहां पर आया और यहां यह देखा कि विधान भवन के बाहर एक माननीय कांग्रेसी विधायक को कुछ पुलिस वालों ने घेर रखा है कि आपको आगे नहीं जाने देंगे, मालूम हुआ कि वह स्थान मन्त्रिपरिषद् के समीप था, जो अधिकारियों के लिये आरक्षित था वैसे यहां तो हम लोग मन्त्रिपरिषद् के पास हैं लेकिन वहां दूर रखे जाते हैं । तो यह जनतन्त्र की दुहाई देने वाला सरकार आज अपने विधायकों के साथ भी ऐसा दुर्व्यवहार की नीति अपना रही है । फिर मान्यवर, आगे देखा कि विधायकों के लिये सिर्फ 6-7 सोफे पड़े हैं, इसलिये कि वह शायद जानते थे कि माननीय विधायकगण यहां आयेंगे नहीं और न ही उनके साथ, उनके माता-पिता, भाई-बन्धु व अन्य साथी होंगे, इसीलिये सिर्फ 6-7 सोफों की व्यवस्था विधायकों के लिये की गई थी और एक-एक अधिकारी के लिए 4-4 और 5-5 सोफे थे और फलां अधिकारी के लिये फलां-फलां स्थान आरक्षित और फलां अधिकारी के लिये फलां-फलां स्थान आरक्षित । मैंने सोचा कि क्या एक अधिकारी इन 5-5 सोफों पर लेटेगा या क्या करेगा तो मालूम हुआ कि इनके रिश्तेदार आते हैं, उनके लिये यह व्यवस्था की गयी है । लेकिन एक विधायक के लिये जो चाहे कांग्रेसी हो या गैर कांग्रेसी, उनके साथ ऐसा व्यवहार यह देखकर मुझे बड़ा दुख हुआ । तब मैंने माननीय मुख्य मन्त्री जी से इस बारे में कहा कि यहां की क्या व्यवस्था है और पुलिस वालों द्वारा विधायकों को अपमानित किया जा रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिये ।

माननीय मुख्य मन्त्री जी को आप जानते हैं, उनके मुख से कोई शब्द वैसे भी नहीं निकल सकता है तो इसी बीच जिलाधीश चले आये और उन्होंने कहा कि आपकी सीट की व्यवस्था उधर है । तो मैंने उनसे कहा कि क्या आपने मेरे नाम से कोई सीट की व्यवस्था की है, लेकिन हमारा नाम तो यहां पर कहीं दिख नहीं रहा है । अगर कहीं हम लोग दिल्ली में, यू0 पी0 भवन या यू0 पी0 निवास में होते हैं ।

श्री बिहारी लाल--

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है । यह जो चर्चा हो रही है, बजट पर चर्चा हो रही है या यह चर्चा हो रही है कि 26 जनवरी को हम लोग इस तरह बैठाले गये, उठाये गये,

इसलिये मेरा आपसे अनुरोध है कि आप माननीय सदस्य से कहें कि वह बजट पर ही बोलें ।

श्री विद्या सागर नौटियाल—

ये बातें मान्यवर, मेरी उन माननीय सदस्यों के लिए हैं, जिनके पास कुछ दिल-दिमाग या अक्ल हो । मान्यवर, यह पूरे सदन के, विधान मण्डल के माननीय सदस्यों की प्रतिष्ठा का महत्वपूर्ण प्रश्न है । मान्यवर, आज सुबह ही मुझे टिहरी जिले के पुलिस कप्तान का एक पत्र मिला, जिसमें यह लिखा है कि 20 मार्च को आप हमारे कक्ष में आयें ताकि ला एण्ड अर्डर का समस्या पर विचार-विमर्श हो सके । तो मान्यवर, इस सम्बन्ध में मेरा यह निवेदन है कि जब सदन 6 माह तक नहीं चला, तब भी इस तरह की मीटिंग्स हो सकती थीं, लेकिन उस दिन को नहीं । अब यह आदेश है कि जब सदन चले तो उस वक्त इस प्रकार की मीटिंग्स न हों तब भी इस प्रकार की बैठक के पत्र आ जाते हैं, यह श्रीमन्, इस विभाग का दिवाला निकला हुआ है और जो बजट यह लेकर आते हैं, वह घाटे का होता है और आज पैसा इनके पास है नहीं, लेकिन यह तो मितव्ययिता की बहुत बात करते हैं, श्रीमन् ।

(इस समय 4 बजकर 24 मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुये ।)

होली के दिन आने वाले हैं । टेहरी, उत्तरकाशी व चमोली जिले में और पौड़ी में रहने वाले जितने अधिकारी हैं, वे चाहे राजस्व विभाग के हों, पी0 डब्लू0 डी0 विभाग के हों या इरीगेशन के हों सब छुट्टी के एक दिन पेश्तर देहरादून जिले में किसी न किसी मीटिंग के बहाने सरकारी गाड़ियां लेकर चले जाते हैं । मीटिंग कुछ नहीं होती है, बस वहां जाने का बहाना भर है लेकिन उसके बाद दो-तीन दिन जब तक छुट्टियां होती हैं उससे वे मेरठ, मुजफ्फरनगर घूम आते हैं और रात भर वहां बैठ कर फ्लश खेलते हैं और छुट्टी समाप्त होते ही चार दिन के बाद फिर अपने जिलों में वापस चले जाते हैं । यह सरकारी गाड़ियों का खुलेआम दुरुपयोग है ।

मान्यवर, पहाड़ों के अन्दर दूरियां बहुत ज्यादा हैं । मेरा करबद्ध निवेदन है कि छुट्टियों के मौकों पर कोई इस तरह की मीटिंग्स नहीं लगानी चाहिये जिससे कि सरकारी अफसर सरकारी गाड़ियों का दुरुपयोग कर सकें । आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि टेहरी जिले के मुख्यालय नरेन्द्रनगर में कोई पेट्रोल पम्प नहीं है । नरेन्द्रनगर से प्रत्येक सरकारी वाहन को 40 किलो मीटर दूर जा कर तेल भराना पड़ता है । मान्यवर, बीसों गाड़ियां हैं जो कि रोज 40 कि0 मी0 जाकर तेल भराती हैं । मैंने कई बार निवेदन किया है कि आप नरेन्द्रनगर में एक लिपिक बैठा दें और तेल भरवा कर रखवा दें जिससे कि सरकारी गाड़ियों को केवल तेल लेने के लिये 40 कि0 मी0 दूर न आना-जाना पड़े, जब कोई सरकारी कार्य हो, तभी वे बाहर जायं । लेकिन इसके लिये कोई व्यवस्था नहीं की जाती है और गाड़ियां ऋषिकेश दौड़ा करती हैं क्योंकि कोई आफिसर नरेन्द्रनगर में रहता नहीं, रहना भी नहीं चाहता ।

अभी 25 तारीख को माननीय राजस्व मन्त्री श्री आर्य जी वहां गये थे । मैं 26 तारीख को टेहरी चला गया, 27 को जब वापस नरेन्द्रनगर आया तो लगा कि यह शहर वीरान हो गया है । दफ्तर में एक भी राजकीय अधिकारी मुझे नहीं मिला । मन्त्री जी जब तक वहां थे, तब तक तो सब थे, उनके जाने के बाद वहां पर कोई नहीं रह गया सब भाग गये । मैंने बार-बार निवेदन किया है कि नरेन्द्रनगर के बजाय आप टेहरी को ही मुख्यालय बना दीजिये परन्तु आप टेहरी को मुख्यालय पता नहीं क्यों नहीं बनाते हैं ?

यह सरकार कहती है कि हम पर्यावरण के रक्षक हैं और ये ही पेड़ों को बेतहाशा काट रहे हैं बांधों का निर्माण करने के लिये। और निर्माण कार्यों के लिये यदि हमको कहीं पर 100 कदम भी भूमि वन विभाग की जरूरत होती है तो उस पर आप एतराज करते हैं। मान्यवर, मेरे यहां मेरे क्षेत्र में एक आम का पेड़ है। वह इतना बूढ़ा व मोटा पेड़ है कि शायद ही देश में या उत्तर प्रदेश में उसके मुकाबिले में कोई पेड़ होगा। वह 34 फुट और 7 इंच मोटा पेड़ है। मैंने कई बार लिखा-पढ़ी की है कि इस पेड़ को सम्मानित किया जाना चाहिये। क्या यदि राजीव गांधी का दौरा नहीं होगा तो उस पेड़ को सम्मानित नहीं किया जायेगा? तो मैं निवेदन यह कर रहा था कि माननीय ब्रह्म दत्त जी ने अभी आश्वासन दिया है कि उस पेड़ को जो कि सारकेण में कीर्तिनगर विकास क्षेत्र में है, पेंशन बांध देंगे इस पेड़ की सरकार की ओर से रक्षा की जायेगी और इसका सम्मान भी किया जायेगा। इस आश्वासन के लिये माननीय मन्त्री जी को अनेक धन्यवाद। इन्हीं शब्दों के साथ मैं माननीय वित्त मन्त्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का विरोध करता हूं और उम्मीद करता हूं कि वे इसको वापस ले लेंगे।

नियम 51 के अन्तर्गत सूचनायें

श्री अध्यक्ष—

नियम 51 के अन्तर्गत आज 9 सूचनायें प्राप्त हुई हैं, जिनमें से एक श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त की, जो विक्रम काटन मिल (लखनऊ) के मजदूरों की हड़ताल के सम्बन्ध में हैं, सूचना को स्वीकार किया गया है। बाकी सभी को अस्वीकार किया गया है जो मद संख्या 10 है, उसको पहले ले लें और उसके बाद सदन की कार्यवाही चलती रहेगी।

बुन्देलखण्ड के सभी जनपदों में राजकीय नलकूपों एवं लिफ्ट कैनालों के कनेक्शन काट दिये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में वक्तव्य

[समय 4 बजकर 20 मिनट]

वित्त मंत्री (श्री ब्रह्म दत्त)—

विद्युत् परिषद् के राजस्व के बकायों में निरन्तर वृद्धि हो रही है जो कि परिषद् के लिये चिन्ता का विषय है और परिषद् इनकी वसूली के लिये हर सम्भव प्रयास करती है और कर रही है। [सिंचाई विभाग पर माह जनवरी, 1984 के अन्त तक 13.15 करोड़ रुपया बकाया था, जिसकी वसूली के लिये विद्युत् परिषद् सिंचाई विभाग से निरंतर सम्पर्क स्थापित कर रही थी लेकिन इसके उपरान्त भी बकाया के भुगतान की स्थिति असन्तोषजनक ही रही। जहां तक झांसी मंडल का प्रश्न है माह दिसम्बर, 1983 के अन्त में लगभग 1 करोड़ 36 लाख रुपया सरकारी नलकूप और पम्प कैनालों पर बकाया था जो माह जनवरी, 1984 के अन्त में बढ़कर लगभग 2 करोड़ रुपया हो गया। अधीक्षण अभियंता, विद्युत् परिषद्, झांसी ने अपने अर्धशासकीय पत्र दिनांक 18-1-84 एवं 19-1-84 द्वारा अधीक्षण अभियन्ता, नलकूप एवं अधीक्षण अभियंता, सिंचाई विभाग को यह सूचित किया कि वे उपरोक्त बिलों का भुगतान 31-1-84 तक कर दें साथ ही यह भी सूचित किया गया कि यदि बिलों को भुगतान उपरोक्त तिथि तक नहीं किया गया तो राज्य विद्युत् परिषद् को विवश होकर राजकीय नलकूपों एवं पम्प कैनालों का विद्युत् विच्छेदन करना पड़ेगा। 13-1-84 को लिखे गये पत्र की प्रतिलिपि आयुक्त, झांसी मंडल एवं प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग को भी दी गई थी। इससे पूर्व भी अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत् परिषद्, झांसी एवं अधिशासी अभियन्ताओं ने भी नलकू

विभाग के अधिशासी अभियन्ता को कई पत्र लिखे थे। किन्तु विद्युत् परिषद् का भुगतान प्राप्त नहीं हुये और परिषद् ने अन्ततः बाध्य होकर कुछ ही राजकीय नलकूपों (789 में से केवल 53) एवं पम्प कैनालों (34 में से केवल 19) के विद्युत् कनेक्शन दिनांक 3-2-84 से 9-2-84 के मध्य झांसी मडल के विभिन्न जनपदों में काटे।

2--सिचाई विभाग के प्रमुख अभियन्ता के इस आश्वासन पर कि वह बिजली के बिलों की बकाया धनराशि का भुगतान शीघ्र करा देंगे, राज्य विद्युत् परिषद् ने दिनांक 17-2-84 को टेलेक्स एवं कैरियर मैसेज द्वारा समस्त मुख्य क्षेत्रीय अभियन्ताओं को यह आदेश प्रसारित कर दिये थे कि वह सभी विच्छेदित राजकीय नलकूपों और पम्प कैनालों के कनेक्शन तुरन्त जोड़ दें और भविष्य में किसी भी राजकीय नलकूप एवं पम्प कैनाल का विद्युत् विच्छेदन प्रमुख अभियन्ता, सिचाई विभाग को पूर्व सूचना दिये बगैर न करें। अतः कटे हुए सभी राजकीय नलकूप व पम्प कैनाल के कनेक्शन 20-2-84 तक जोड़ दिये गये।

3--जहां तक अन्य श्रेणी के उपभोक्ताओं के कनेक्शन विच्छेदन न किये जाने का प्रश्न है सूचित करना है कि राज्य विद्युत् परिषद् सभी श्रेणी के उपभोक्ताओं से बिजली के बकाया की वसूली योजनाबद्ध रूप में कर रही है और उन सभी उपभोक्ताओं का जिनके ऊपर बिजली के बिलों की धनराशि बकाया है विच्छेदन कर रही है। झांसी मंडल में अन्य श्रेणी के जैसे छोटे उद्योग तथा निजी नलकूपों तथा अन्य उपभोक्ताओं के भी 695 कनेक्शन माह जनवरी में काटे गये।

4--जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है कि राज्य विद्युत् परिषद् बिजली के बकाया की वसूली करने के हर सम्भव प्रयास कर रही है। इसी संदर्भ में ऊरई रेलवे स्टेशन जिस पर राज्य विद्युत् परिषद् के 19156 रुपये के बिजली के बिलों की धनराशि बकाया थी और जिसका भुगतान वह नोटिस के उपरान्त भी नहीं कर रहे थे, दिनांक 18-2-84 को कनेक्शन काट दिया गया। रेलवे स्टेशन की बिजली रेलवे विभाग के स्थानीय अधिकारियों के भुगतान के आश्वासन के उपरान्त दिनांक 19-2-84 को पुनः जोड़ दी गई। परिषद् ने इस सन्दर्भ में भी आदेश निर्गत कर दिये हैं कि भविष्य में रेलवे स्टेशन का विद्युत् विच्छेदन बिना परिषद् की पूर्व आज्ञा के न किये जायें।

श्री शंकर सिंह--

माननीय, जो वक्तव्य आया है वह एक तरफा है। यह केवल विद्युत् विभाग की ओर से आया है, दो विभागों से सम्बन्धित है एक तो विद्युत् विभाग से और दूसरा सिंचाई विभाग से विद्युत् विभाग का वर्जन है, जब तक सिंचाई विभाग का भी वर्जन नहीं आ जाता है, तब तक यह वक्तव्य अधूरा है। सत्यता क्या है, उसकी जानकारी नहीं हो सकती है, जब तक कि सिंचाई विभाग का वर्जन न आ जाये। मैं चाहता हूं कि सिंचाई विभाग का भी वर्जन आ जाये तब इस पर विचार किया जाये।

श्री अध्यक्ष--

अगर मंत्री आपके प्रश्नों का उत्तर न दे पावें और कहें कि सिंचाई विभाग से जानकारी की आवश्यकता है, तब मैं देख लूंगा।

श्री शंकर सिंह--

सिंचाई विभाग का क्या कहना है, यह तो पहले आ जाये। जो तथ्य लिखे हैं वही नहीं आये हैं।

श्री अध्यक्ष--

50 फीसदी तो काम हो जाने दें। आप प्रश्न कीजिए।

श्री शंकर सिंह---

मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं कि जो बिलिंग है उसका क्या सिस्टम है ? बिलिंग आप अलग-अलग करते हैं या इक्ट्ठा होकर आती है ?

श्री ब्रह्म दत्त--

हर नलकूप की रीडिंग लेकर जोन वाइज बिलिंग करते हैं।

श्री शंकर सिंह--

आपने अपने वक्तव्य में कहा है कि 789 नलकूपों में से 53 के कनेक्शन काटे गये और 34 पम्प कैनालों में से 9 के कनेक्शन काटे गये। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या इन पर सबसे अधिक एरियर था या एक ओर से जो आता गया उसको काटते गये ? दूसरी बात मैं यह जानना चाहता हूं कि प्रदेश में कुल कितने नलकूपों के कनेक्शन काटे गये हैं ?

श्री ब्रह्म दत्त--

जहां तक नलकूपों के कनेक्शन का सम्बन्ध है, वक्तव्य में इसका उल्लेख किया गया है। स्टेट में कितने कनेक्शन कटे इसकी सूचना नहीं है।

श्री शंकर सिंह---

माननीय मंत्री जी ने वक्तव्य को पहले पढ़ा नहीं है, फिर पढ़ लें। पहले पैराग्राफ में कहा गया है कि 789 में से 53 और 34 में से 9 कनेक्शन काटे गये हैं; जैसा आपने बताया कि हर कुयें की अलग-अलग बिलिंग होती है, तो निश्चित रूप से इन 53 और 9 का एरियर सबसे अधिक रहा होगा, क्या आपने इसको सुनिश्चित कर लिया है कि इनका एरियर सबसे अधिक है ?

श्री ब्रह्म दत्त--

हर एक डिवीजन में हर सर्किल का बकाया निकाला गया, उनको थोड़ी सी चेतावनी देने के लिए काटा गया। कोई खास नहीं है, कुछ के काटे गये हैं। इसीलिये 789 नलकूपों में केवल 53 और 34 पम्प कैनाल्स में से केवल 19 के विद्युत कनेक्शन काटे गये और इसलिये काटे गये ताकि पेमेंट हो जाय। बाद में उन्हें जोड़ दिया गया।

श्री शंकर सिंह--

जैसा कि माननीय मंत्री जी ने कहा, उससे स्पष्ट है कि एरियर्स किसी नलकूप पर हैं और काट किसी दूसरे को दिया। यही हुआ कि जुर्म मैंने किया और सजा राजेन्द्र अग्निहोत्री जी को मिल जाय। जिस लिफ्ट कैनाल पर एरियर्स थे, उसके कनेक्शन काटे जाने चाहिए थे ? यह नहीं हुआ। इसलिये मैंने जो आरोप लगाया था, उससे स्पष्ट हो जाता है कि आंख बन्द करके कनेक्शन काटे गये थे। यह माननीय मंत्री जी के वक्तव्य से भी स्पष्ट है, इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया। पम्प कनाल्स पर एरियर्स नहीं थे और आंख बन्द करके उसका कनेक्शन काटा गया। इसीलिये मान्यवर, मैं कह रहा था कि सिंचाई विभाग का वक्तव्य भी दिलवा दीजिये, तब स्थिति स्पष्ट हो जायेगी।

दूसरी बात यह है कि आपने कहा कि प्रमुख अभियन्ता (सिंचाई) के आश्वासन पर पेमेन्ट कर दिया। जब प्रमुख अभियन्ता का आश्वासन लेना चाहिए था तो फिर कनेक्शन भी उसी के आश्वासन पर जोड़ना चाहिए था। पहले क्यों नहीं उससे सम्पर्क स्थापित किया गया ?

श्री अध्यक्ष--

आप प्रश्न करें।

श्री शंकर सिंह--

मैं पूछना चाहता हूं कि आपने अपने वक्तव्य के दूसरे पैरे में लिखा है कि

प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग के आश्वासन-पर ये कनेक्शन पुनः जोड़ दिये गये। जब उसके आश्वासन पर ही जोड़ना था तो काटने से पहले ही क्यों उससे सम्पर्क स्थापित नहीं किया गया ? उससे आश्वासन क्यों नहीं लिया ? इसका खामियाजा न आपको भुगतना है, न प्रमुख अभियन्ता को भुगतना है, इसे किसानों को भुगतना पड़ता है। आपने प्रमुख अभियन्ता से इस सम्बन्ध में क्या बात की ?

श्री ब्रह्म दत्त--

मान्यवर, 13 तारीख जनवरी को और 19 तारीख जनवरी को ही एक पत्र लिखा गया कि वे 31 तारीख तक बिलों का भुगतान कर दें अन्यथा कनेक्शन काट दिया जायेगा। भविष्य में ऐसा कर दिया गया है कि ऐसे मामलों पर उनको नोटिस देना पड़ेगा और यह बताना पड़ेगा कि उसमें हमारी अनुमति लेनी पड़ेगी। हमने वह व्यवस्था भी की है कि जैसे सिंचाई विभाग है, रेलवे है, जल निगम है, उनके बारे में लखनऊ से ही व्यवस्था की जाय और यहां से उनके बिलों का एडजस्टमेंट किया जाय ताकि यह परेशानी आइन्दा पैदा न हो।

*श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री--

मान्यवर, इसमें किसान की कोई गलती नहीं है। सिंचाई विभाग भी मंत्रिमंडल में आने के नाते आपके उत्तरदायित्व में आता है। विद्युत विभाग आपके पास है। जिस समय रबी की फसल की बुआई हो रही थी या रबी की फसल के लिए दूसरे पानी की आवश्यकता थी तो उस समय पम्प कैनाल के विद्युत कनेक्शन काटने से जो क्षति हुई है चूंकि वह लगान देता है, क्या यह सरकार दोनों विभागों की कर्तव्यहीनता के कारण उसकी पूर्ति करने के लिए तैयार है ? दूसरी बात यह है कि बुन्देलखण्ड क्षेत्र एक पिछड़ा हुआ क्षेत्र है इसलिए उद्योगों में और किसानों के प्राइवेट ट्यूबवेलों के लिए जो खेतों को सिंचाई के काम में आते हैं उनको बिजली का भुगतान न होने के कारण जो विद्युत विभाग उनके कनेक्शन काट रहा है तो मैं यह पूछना चाहता हूं कि बुन्देलखण्ड के पिछड़े क्षेत्र को ध्यान में रखते हुए क्या किश्तों में उसके बकाये को लेने के लिए तैयार हैं और जो उसके कनेक्शन काटे जा रहे हैं उसको पुनः जोड़ने के लिए तैयार हैं ?

श्री ब्रह्म दत्त--

मान्यवर, कनेक्शन एक सप्ताह तक कटे रहे। मेरा ऐसा अनुमान है कि कोई विशेष क्षति नहीं हुई क्योंकि वर्षा भी हो गई थी। दूसरे माननीय विधायक खुद जानते हैं कि जिस आदमी की परिस्थिति पैसा देने की नहीं है, उसको हमने किश्तों में किया। हम आमतौर पर यह आदेश दे रहे हैं उस वक्त कनेक्शन न काटकर उसका पैसा किश्तों में काट लिया जाय और इस तरह से पूरा पैसा जमा कर लिया जाय। मैं यह भी निवेदन करूंगा कि हमें यह प्रवृत्ति पैदा करनी चाहिये कि लोग पेमेन्ट करें। अगर यह कह दिया जाय कि कनेक्शन किसी दशा में नहीं काटा जायेगा तो पैसा वसूल होने वाला नहीं है। लेकिन कठिनाइयों को देखना हमारा काम है।

*श्री किरनपाल सिंह--

मान्यवर, माननीय मंत्री जी किसान हैं नहीं। इसलिए उनको नहीं मालूम कि किसान को नुकसान हुआ और कनेक्शन कटवा दिये और कह दिया कि रबी की फसल को नुकसान नहीं हुआ।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री ब्रह्म दत्त--

बुलन्दशहर को तो खूब बिजली दी गयी ।

(व्यवधान)

सारी गेहूं की फसल खुद अपनी निगरानी में बुआ आया हूं ।

श्री किरनपाल सिंह---

जैसा मैंने कल भी सवाल उठाया था कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ट्यूबवेल के कनेक्शन जबरदस्ती काटे जा रहे हैं । डिस-कनेक्शन ड्राइव के नाम से कनेक्शन काटे जा रहे हैं, चीफ इंजीनियर, हाइडिल के आदेश से काटे जा रहे हैं । तो क्या माननीय मंत्री जी आश्वासन देंगे क्योंकि हमारी रबी की फसल में मुख्य फसल गेहूं है तो वहां जो डिसकनेक्शन ड्राइव में कनेक्शन काटे जा रहे हैं, उसको तुरन्त बन्द कराने के आदेश देंगे ? अगर नहीं, तो इतना कर दें कि जो तमाम कांग्रेसी बड़े-बड़े नेता हैं या कार्यकर्ता हैं, उन पर 50 हजार, 60 हजार या एक लाख रुपये का बिल बकाया है, उनके कनेक्शन नहीं कट रहे हैं और विरोध पक्ष से जो गरीब किसान हैं, जिन पर एक हजार, दो हजार का मान-पेमेन्ट का बिल है, उनका कनेक्शन काटा जा रहा है । तो क्या वह आश्वासन देंगे कि कनेक्शन काटते वक्त जिसके ऊपर सबसे ज्यादा बिल होगा उससे काटना शुरू किया जायगा ?

श्री अध्यक्ष--

मैं दूसरे प्रश्न की आज्ञा नहीं दे रहा हूं । पहले प्रश्न का उत्तर दें ।

श्री ब्रह्म दत्त--

डिस-कनेक्शन ड्राइव नाम का कोई ड्राइव नहीं है लेकिन कनेक्शन ड्राइव जरूर है । मैं अपनी बात को फिर दोहराना चाहता हूं कि हम पूरी सहूलियत देंगे लेकिन काश्तकारों को वह थोड़ा पैसा जरा कराने के लिए प्रेरित करें । ऐसा न हो कि लोग बिलों का पेमेंट कराना छोड़ दें । हम पूरी सहूलियत देकर गेहूं पैदा करना चाहते हैं ।

*श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, प्रशासनिक विभागों के तालमेल के अभाव से जो जनता का शोषण हो रहा है उसके सम्बन्ध में इससे दूसरा घिनौना उदाहरण नहीं हो सकता है जिसका उदाहरण माननीय शंकर सिंह जी ने दिया । यह व्यवस्था है कि जिलों में सिंचाई विभाग और दूसरे विभागों की मासिक बैठकें होंगी और मासिक बैठकों में इस बात की चर्चा हुई होगी कि कहां क्या कठिनाई है । उसके बाद भी कनेक्शन काट दिये गये । तो यह शरारत उन अधिकारियों की है जिनका जिक्र माननीय मोहन सिंह जी ने किया, बोर्ड के अध्यक्ष, सान्याल साहब की चर्चा उन्होंने की । तो मैं जानना चाहता हूं कि जो बैठक होती है उनमें इस विषय पर चर्चा हुई की नहीं हुई ? तो क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि कौन सी बात हो गई वहां चर्चा नहीं की गई और चिट्ठी-पत्री के द्वारा इतना जनहित विरोधी कार्य किया गया ?

श्री ब्रह्म दत्त--

चर्चा बैठक में भी हुई, कई बैठकों में भाग लेने का मौका मुझे मिला लेकिन समस्या का निराकरण नहीं हुआ ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मैं बुन्देलखंड की बैठक की बात कर रहा हूं ।

श्री ब्रह्म दत्त--

जो मैं कह रहा हूं उसको सुन लें ।

(व्यवधान)

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री मोहन सिंह—

तभी मान्यवर, यह हटा दिये गये इस विभाग से ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

उत्तर नहीं आया ।

श्री अध्यक्ष—

आप उनसे कह दें कि टोका-टोकी न करें । आप लोग कहने नहीं देते ।

श्री शंकर सिंह—

जो माननीय मंत्री जी ने उत्तर दिया, उसमें यह उपदेश दिया कि बिजली के बिल अदा करने की प्रवृत्ति जानना चाहते हैं । तो यह उपदेश किसको दे रहे हैं यह कोई प्राइवेट ट्यूबवेल का तो मामला है नहीं ? इसलिए मैं कह रहा हूं कि सिंचाई विभाग से भी आ जाय तो बात स्पष्ट हो जाती । जहां तक ज्वाइंट रिस्पांसिबिलिटी का प्रश्न है तो यह बात न आती । यह उपदेश किसको दे रहे हैं । अपने आपको दे रहे हैं । इससे निश्चित है कि सिंचाई विभाग और बिजली विभाग में कोई तालमेल नहीं है ।

श्री अध्यक्ष—

आप प्रश्न करें ।

श्री शंकर सिंह—

मान्यवर, मैं प्रश्न पूछना चाहता हूं कि जिस दिन प्रश्न उठाया था उस दिन भी कहा था कि कनेक्शन काटने के एक सप्ताह पहले दिनांक 4 फरवरी को 20 सूत्री कार्यक्रम की मीटिंग उरई में श्री रणजीत सिंह जुदेव की अध्यक्षता में हुई और उस दिन आपने उनसे पूछा भी था कि क्या इस तरह की कोई बात आई थी कि सिंचाई विभाग के अभियन्ता और विद्युत विभाग के अभियन्ता जो मीटिंग में मौजूद थे, तो कनेक्शन काटने की क्या कोई बात हुई थी, तो उन्होंने कहा था कि नहीं हुई थी, तो फिर क्या कारण है कि एक सप्ताह बाद कनेक्शन काट दिये गये ?

श्री ब्रह्म दत्त—

मान्यवर, 20 सूत्री कार्यक्रम की मीटिंग में प्रगति की समीक्षा की जाती है। पत्र बकाया के संबंध में लिखा गया था और जैसे ही हमारा ध्यान आकर्षण किया गया तो उसके सम्बन्ध में सुनिश्चित व्यवस्था कर दी गई और सदन को मैं आश्वासन देना चाहता हूं कि इस प्रकार के कनेक्शन काटने की बात नहीं है ।

श्री विजय सिंह राना—

मान्यवर, मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि जो नलकूप विद्युत आपूर्ति न होने के कारण बन्द रहे और जिनसे किसानों को क्षति हुई है तो क्या सरकार उस क्षति की पूर्ति किसानों को करेगी ?

श्री ब्रह्म दत्त—

मान्यवर, मैं समझने में असमर्थ हूं कि जो नलकूप चले ही नहीं तो क्षति क्या होगी । लेकिन एक पहलू जरूर है कि जो नलकूप तैयार हैं उनको प्राथमिकता के आधार पर बिजली देना है, देनी चाहिये और उसकी हम व्यवस्था कर रहे हैं । मान्यवर, यह भी सुनिश्चित कर रहे हैं कि जो पैसा नलकूप के लिए रखें उसका 2/3 पैसा जो पुराने नलकूप हैं, उनको ठीक और इनरजाइज करने के लिए रखा जाय ताकि उनका प्रयोग हो सके ।

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री—

अध्यक्ष महोदय, मैं स्पष्ट उत्तर चाहता हूं कि मंत्री जी ने कहा है कि जब नलकूप चले ही नहीं तो किसानों को क्षति का प्रश्न नहीं उठता है । मैं उनको जानकारी देना चाहता हूं कि रबी की बोआई के बाद फसल को पानी की आवश्यकता होती है । जिला सलाह-

कार समिति जो बनी है, उसमें विधायक भी उपस्थित रहते हैं तो उस समिति में बिजली विभाग और सिंचाई विभाग के अधिकारियों ने यह आश्वासन दिया था कि किसानों का दूसरा पानी मिलेगा लेकिन इस बीच में सिंचाई विभाग द्वारा बिलों का भुगतान न करने से कनेक्शन काट दिए गए जिससे बुन्देलखंड के क्षेत्रों के किसानों की रबी की फसल को नुकसान हुआ है। इसलिए क्या मंत्री जी विधायकों की एक समिति बनाकर वहां सर्वेक्षण करायेंगे और उनकी रिपोर्ट के आधार पर किसानों के नुकसान को देंगे ?

श्री ब्रह्म दत्त --

मैंने जो प्रश्न था, पहले उसका उत्तर दिया था लेकिन दूसरे माननीय सदस्य का कहना जो है तो उसके संबंध में मुझे कहना है कि मैंने पहले साधारण तौर पर नलकूपों के बारे में उत्तर दिया कि जिन नलकूपों का उर्जीकरण नहीं हुआ उनसे क्षति का प्रश्न नहीं उठता। जो श्री अग्निहोत्री जी ने पूछा कि बिजली बन्द रही और कनेक्शन काट दिये गए तो इस सम्बन्ध में मैं पहले भी कह चुका हूं कि उस समय बिजली बन्द रहने से नुकसान नहीं हुआ चूंकि उस समय बरसात होती रही और फिर 10 दिनों में पानी मिला।

श्री राजेन्द्र कुमार अग्निहोत्री --

मंत्री जी सदन में कह रहे हैं, वहां बरसात नहीं हुई है। मैं इसके लिए सरकार को चुनौती देता हूं, वहां एक बूंद भी पानी नहीं गिरा है। बुवाई हेतु दूसरी फसल पर इनके अधिकारियों ने यह घोषणा की थी कि पानी मिलेगा और उन तिथियों की घोषणा भी कर दी गई थी, पर उन तिथियों में कनेक्शन कटने के कारण उन किसानों को पानी नहीं मिला है। श्रीमन्, मुझे आपका संरक्षण चाहिए, हमारा किसान चौपट हो गया है, जिनकी क्षति हुई है उनके लिए क्षतिपूर्ति की हम मांग करते हैं, यह हमारी सीधी-साधी मांग है।

श्री मोहन सिंह--

बहुत सीधा सा और संक्षेप में प्रश्न यह है कि सरकार की अकर्मण्यता के कारण, दो विभागों के विवाद के कारण, विद्युत बकाया न देने के कारण उन किसानों का विद्युत विच्छेदन हुआ, जिससे किसानों का अहित हुआ और उनको आर्थिक क्षति हुई, तो क्या वह आश्वासन देंगे कि सरकार की लापरवाही से जिन किसानों को क्षति हुई है उनको कम्पेन्सेशन दिया जाएगा ?

श्री ब्रह्म दत्त--

माननीय सदस्य अगर किसी क्षेत्र विशेष को इसके लिए इंगित कर दें जहां इसकी वजह से फसल बर्बाद हो गयी है तो मैं उसकी पूरी जांच करवाऊंगा और देखूंगा। जो सम्भव होगा हम करेंगे।

(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

आपने मुझे सवाल पूछने की अनुमति दी, लेकिन अभी अग्निहोत्री जी और मोहन सिंह जी ने बड़ा मौलिक और महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा था। मोहन सिंह जी ने आश्वासन चाहा था क्षतिपूर्ति के लिए और उन्होंने पूछा कि विवाद हुआ या नहीं और उन्होंने कहा कि इस माननीय सदन के सदस्यों की एक कमेटी बना दी जाए जो मौके पर चलकर वस्तुस्थिति को देख ले। किन्तु उनका कोई जवाब, कोई स्पष्ट उत्तर मंत्री जी की तरफ से नहीं आया। क्योंकि इस सरकार का रवैय्या बिल्कुल किसान विरोधी है और सरकार के दो विभागों के विवाद के कारण किसानों को प्रताड़ित किया गया, इसलिए मैं अपने दल के सहित इस सदन से वहिर्गमन करता हूं। इनके विभागों में आपस में तालमेल न रहने के कारण बुन्देलखंड ही नहीं पूरे प्रदेश का किसान प्रताड़ित हो

रहा है । इसके विरोध में मैं अपने दल सहित सदन से बहिर्गमन करता हूं ।

(श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त राष्ट्रीय लोकतान्त्रिक मोर्चा के सदस्यों सहित सदन त्याग कर चले गये ।)

वित्तीय वर्ष 1984–85 के आय-व्ययक पर सामान्य चर्चा (क्रमागत)

श्री राम समुझावन--

मान्यवर, मुझे आम बजट की चर्चा के सिलसिले में बोलने का आपने अवसर दिया है, उसके लिए मैं आपके प्रति आभार प्रकट करता हूं । यह प्रति वर्ष देखा जाता है कि जब बजट पेश होता है तो विरोधी दल के लोग हमेशा इस बात की शिकायत करते हैं कि सरकार ने काम किया या नहीं किया । लेकिन समझ में नहीं आता है कि जो आरोप-प्रत्यारोप एक दूसरी तरफ से होते हैं क्या उनमें यह नहीं देखा जाता है कि क्या काम हुआ है या नहीं हुआ है । प्रति वर्ष जो बजट पेश होता है, उससे अनुमान होता है कि वह पैसा प्रदेश के विकास के लिए खर्च किया जाता है, चाहे वह अस्पतालों के सम्बन्ध में हो या सड़कों के सम्बन्ध में हो, फिर विद्यालयों या नहरों के सम्बन्ध में हो । सब जगह यह पैसा खर्च किया जाता है । मैं यह मानता हूं कि उस वर्ष वह कार्य पूरा नहीं होता है, जिसकी आम शिकायत होती है कि कार्य पूरा कराने में अधिकारियों ने ढिलाई बरती या फिर पैसे की कमी के कारण काम नहीं हो पाया । मैं अपने जिले की ओर इस सम्बन्ध में ध्यान आकर्षित करते हुए सरकार से अनुरोध करता हूं कि पिछले वर्ष 1983–84 में 100 किलोमीटर सड़क हमारे जनपद में जिला योजना समिति द्वारा पास की गयी थी, जिसके बारे में यह कहा गया था कि जिले में विधायकों की राय से या उनके लिखने से सड़क दी जायेगी । हमारे जिले में 10 विधायकों ने 100 किलोमीटर सड़क पास की, उसके लिए हम लोगों ने क्षेत्र में जाकर यह कहा कि फलां-फलां सड़क बन जायेगी, उसका कार्य शुरू हो जायेगा लेकिन दुख के साथ कहना पड़ता है कि वह सड़क नहीं बनी । 1984–85 की मीटिंग में यह बताया गया कि वह धनाभाव के कारण नहीं बन पायेगी । कहा गया कि ऊपर से आदेश आ गये हैं कि उसके लिये धन नहीं है । आखिर जो कार्य जिला योजना से पास होता है और जिसका आश्वासन दिया जाता है उसे पूरा क्यों नहीं कराया जाता । मैं सरकार का ध्यान कुछ अपने जिले की अन्य समस्याओं की ओर भी ले जाना चाहता हूं । हमारे यहां गोमती नदी बहती है । प्रति वर्ष उसमें बाढ़ आती है और उससे भारी नुकसान होता है । केराकत में भूमि के कटाव से बहुत भारी नुकसान हो रहा है । इस ओर कत्तई ध्यान नहीं दिया जा रहा है । मैं चाहूंगा वहां कटाव को रोकने के लिये सरकार को आवश्यक कार्यवाही करनी चाहिये । वहां पर उसके लिये तटबन्ध बनाना होगा। केराकत में एक पुल भी गोमती नदी पर बनाने की आवश्यकता है ।

मान्यवर, शारदा नहर की शाखायें भी क्षेत्र से जाती हैं । जब आवश्यकता नहीं होती है पानी की, तब भी उनमें पता नहीं कहां से इतना अधिक पानी आ जाता है कि उसके कारण आस-पास के खेतों में पानी भर जाता है और किसान की फसल चौपट हो जाती है । इस ओर भी सरकार को ध्यान देना चाहिये । मड़ियाहूं से केराकत तक नहर के पानी का काफी दबाव पड़ता है और उसके कारण आस-पास के इलाके में काफी नुकसान होता है ।

हमारे यहां सम्पर्क मार्गों की बहुत कमी है । इसके न होने से किसान की अपनी पैदा की हुई चीजें शहर तक ले जाने में बड़ी दिक्कत होती है । उनको शहर तक जाने के लिये मार्ग नहीं हैं । इस ओर भी ध्यान दिया जाना चाहिये और सम्पर्क मार्ग बनाये जाने चाहिये ।

आज विद्यालयों की हालत यह है कि उनके लिये भवन नहीं हैं। बहुत से विद्यालय पेड़ों के नीचे लगते हैं। अध्यापक आते हैं और पेड़ के नीचे कुछ देर बैठ कर चले जाते हैं। पढ़ाई-लिखाई बच्चों की कुछ नहीं होती है। इसलिए मेरी मांग है कि स्कूलों के लिये भवन दिये जाने चाहिये।

हमारे क्षेत्र में एक बजरंग नगर कोआपरेटिव शुगर मिल थी। वह मिल विद्युत अभाव से बैठ गयी। सरकार उसको नहीं चला पायी। मेरी मांग है कि उस मिल को वहां पर अविलम्ब चलाया जाये। पिछले साल कुछ पैसा उसकी मरम्मत के लिये दिया गया था पर वह अभी चली नहीं है।

हमारे क्षेत्र में कोई बड़ी मिल नहीं है। वहां पर एक चीनी मिल लगायी जाये। जो एक पुरानी मिल शाहगंज है वह बहुत पुरानी है और उस पर किसानों का काफी पैसा बकाया है। वह पैसा भी दिलवाया जाये।

जौनपुर जनपद में एक चीनी मिल के अलावा एक सूती मिल भी लगवायी जाये। इसके लिये पिछले वर्ष आश्वासन भी दिया गया था। इन शब्दों के साथ मैं इस बजट का समर्थन करता हूं।

श्री अध्यक्ष--

अब हम उठते हैं, सोमवार को 11 बजे फिर बैठेंगे।

(इसके बाद सदन 4 बजकर 59 मिनट पर सोमवार, 5 मार्च, 1984 के दिन के 11 बजे तक के लिये स्थगित हो गया)।

भाल चन्द्र शुक्ल,

लखनऊ : सचिव, विधान सभा,

2 मार्च, 1984 उत्तर प्रदेश।

नत्थी "क"

(देखिए अतारांकित प्रश्न संख्या 8 व 9 का उत्तर पीछे पृष्ठ 28 पर)

विवरण

क्रमांक	अतिक्रमणकर्ताओं का नाम मय वल्दियत व सकूनत	गाटा सं0	क्षेत्रफल	कब्जे की प्रकृति	प्रस्तावित हर्जाना
1	2	3	4	5	6
					रु0
1	श्री राम केदार पुत्र राम दुलार, नि0 ग्राम अकबेलपुर	352 मि0	0-1-5	बांस खुटी बेर व बैल बांधने हेतु	248.00
2	श्री कौलेशर पुत्र राम बरन, नि0 ग्राम अकबेलपुर	352 मि0	0-1-5	बांस खुटी बेर व बैल बांधने हेतु	248.00
3	श्री राम अचल पुत्र राम बरन, नि0 ग्रा0 अकबेलपुर	352 मि0	0-1-5	सेहन, दरवाजा	124.00
4	श्री मंशा राम, नि0 ग्राम अकबेलपुर	352 मि0	0-1-5	नीम बैल बांधने हेतु	124.00
5	श्री राम स्वारथ पुत्र दर्शन, न0 ग्राम अकबेलपुर	352 मि0 386 मि0	0-1-5 0-0-12	मडहा, बैल बांधने कृषि कार्य हेतु	124.00 60.00
6	श्री राम सागर पुत्र राम दुलार, नि0 ग्राम अकबेलपुर	352 मि0	0-1-5	उपली कन्डा पाथने तथा इकट्ठा करने हेतु	124.00

उत्तर प्रदेश विधान सभा

1	2	3	4	5	6
					रु0
7	श्री उदय राज पुत्र गुरुदीन, नि0 ग्राम अकबेलपुर	386 मि0	0–2–0	कृषि कार्य हेतु	200.00
8	श्री लालधर पुत्र रामदीन, नि0 ग्राम अकबेलपुर	352 मि0	0–0–18	उपली कन्डा रखने हेतु	92.00
9	श्री अगरदी पुत्र दत्तू, नि0 ग्राम अकबेलपुर	396 मि0	0–1–0	कृषि कार्य हेतु	100.00
10	श्रीमती पानदेई बेवा राम सुमेर, नि0 अकबेलपुर	353 मि0 352 मि0	0–0–9 0–0–16	कृषि कार्य हेतु	124–00
11	श्री बाबू राम नि0 अकबेलपुर	352 मि0	0–0–18	नलकूप सेहन	92.00
12	श्री हरद्वार पुत्र धनई, नि0 ग्राम अकबेलपुर	367 मि0	0–1–0	कृषि कार्य हेतु	100.00

उत्तर प्रदेश राजपत्र असाधारण

नत्थी "ख"

(देखिए अतारांकित प्रश्न संख्या 62 का उत्तर पीछे पृष्ठ 44 पर)

ग्राम सभा का नाम	जुर्माने की वसूल रकमराशि
	रु0
1—आदमपुर	202.50
2—बघराई	256.50
3—मन्सूर नगर	205.00
4—आलापुर	502.00
5—मांझगांव देवनपुर	79.20
6—रुकनापुर	1105.00
7—करी कटरी छोछपुर	270.00
8—बेहटारम्पुरा	520 00
9—चचरापुर	28.00
10—भवानीपुर	520.00
11—नसीरपुर	17.00
12—रत्तेना हबीवनगर	48.00
13—सढ़ियापुर	514.80
योग ..	4268.00

नत्थी "ग"

(देखिए अतारांकित प्रश्न संख्या--78 का उत्तर पीछे पृष्ठ 49 पर)

वर्ष	मद	ग्रामों की संख्या	व्यक्तियों की संख्या	गेहूं (कु0 में)	चावल (कु0 में)
1	2	3	4	5	6
1981-82	अहेतुक सहायता	1122	6,34,396	24980-03-700	3330-07-00
1982-83	अहेतुक सहायता	1306	4,64,719	17410-40-900	67-52-500
1983-84	अहेतुक सहायता	886	3,60,540	5579-39-00	..

नमक (कु0 में)	दियासलाई (अदद)	मिट्टी का तेल (लीटर)	कम्बल (अदद)	चना (कु0 में)	धोती साड़ी अदद
648-59-500	81,320	90,066	83	126-36-00	585
447-76-00	1,27,736	60,878	213	..	..
189-92-500	27,279	18,311	..	..	..

मृतकों के आश्रितों को रु0 में	अग्नि पीड़ित को (रु0 में)	आटा (कु0 में)	गुड़ (कु0 में)	तकावी	अलाव जलाने हेतु 13 ग्राम 87 व्यक्तियों को	खेस चद्दर	कुल वितरित की गई धनराशि (रु0 में)
5,000,.00	11,850.00	43,475.00	16-11-00	15,000.00	2,000.00	..	53,95,298.90
10,000.00	..	..	..	..	..	789	20,398.42
..	..	..	..	..	..	..	..

वर्ष	मद	ग्रामों की संख्या	व्यक्तियों की संख्या	कुल वितरित धनराशि
1981-82	गृह अनुदान	1881	26,546	39,15,204.00
1982-83	गृह अनुदान	698	3,985	10,86,525.00
1983-84	वितरण कार्य तो गति से हो रहा है किन्तु अभी तहसीलों से सूचना नहीं प्राप्त हुई है।			

नत्थी "घ"

(देखिए अतारांकित प्रश्न संख्या—155 का उत्तर पीछे पृष्ठ 68 पर)

सूची

1 अप्रैल, 80 से 31 अक्टूबर, 83 की अवधि में दि किसान सहकारी चीनी मिल, सठियांव, आजमगढ़ क्षेत्र के अन्तर्गत निर्मित सड़कों का नाम, लम्बाई तथा उस पर व्यय की सूची ।

क्रमांक	सड़क का नाम	लम्बाई कि0 मी0		व्यय की गई धनराशि
1	2	3		4
				रु0
1	सरदारपुर–मोहब्बतपुर	1.00	मिट्टी/सोलिंग	67703.52
2	खुझिया–भगवानपुर	1.2	,,	82034.82
3	काशीपुर–अवाड़ी	2.5	,,	171202.91
4	हरैया–असोना	2.15	,,	137286.10
5	रामपुर–बजहा	2.00	,,	143644.32
6	सठियांव- अवांव	2.00	,,	105299.16
7	सुरहुरपुर–नगरीपार	2.5	,,	174209.50
8	गूजरपार–सिकन्दरपुर	1.00	मिट्टी	2665.00
9	अमिलो–पाही	0.55	,,	2145.00
10	ज्वोलो–सकरामऊ	1.5	,,	9607.00
11	करनपुर–ऊंचा गांव	2.00	,,	11680.50
12	सुरहुरपुर–बन्दीकला	1·45	,,	7917.00
13	रामपुर–बजहा	1.0	,,	7787.00
14	जोयनपुर–भुब्बा	2.5	,,	16113.50
15	सुरहुरपुर–देवदिया बुजुर्ग	3.0	,,	10543.00
16	मुबारकपुर–रसूलपुर	1.5	मिट्टी/सोलिंग	144733.06
17	मुबारकपुर–अदमपुर	1.0	मिट्टी	6656.00
18	अमिलाई–मेहमानी	1.135	,,	10491.00
19	जहानागंज–पुनर्जी	1.00	,,	7722.00

1	2	3		4
				रु0
20	बरहतिल–तिलसवा	1.694	,,	11940.50
21	भगवानपुर–बढ़या	3.5	,,	14911.00
22	बरौधा–बम्हउर	1.7	,,	10335.00
23	धनहवा–लक्ष्मीपुर	3.5	,,	25441.00
24	विन्द्राबाजार–पहलेपुर	1.00	,,	6500.00
25	गुलरपार–सिकन्दरपुर	0.5	मिट्टी/सोलिंग	45437.94
26	गन्धुवई–जुबेया	0.675	मिट्टी	7566.00
27	चन्डेश्वर–समेदा	1.5	,,	11011.00
28	अगाड़ी–पिचरी	2.5	,,	28808 00
29	महुआ–नाजिरपुर	1.5	,,	12799.50
30	मदुरी–हरिरामपुर	1.5	,,	10322.00
31	भगवानपुर–बढ़या	1.49	,,	11526.00
32	धनवारा–सम्पर्क मार्ग	1.0	,,	6682.00
33	मुजही–लप्सीपुर	0.32	,,	2593.50
34	सठियांव–गजहडा	1.00	,,	4610.50
35	काशीपुर–पिचरी	0.81	,,	4725.50
36	महुआ–नाजिरपुर	0.5	,,	6388.50
37	टडवा–कमरुद्दीनपुर	2.84	,,	27209.00
38	बरौधा–बम्हउर	1.0	मिट्टी/सोलिंग	64688.25
39	महावारा–लखनी	2.00	,,	127400.80
40	रघौली–जामडीह	2.828	मिट्टी	28197.00
41	सोगाह–मुरारपुर	0.26	,,	1833.00
42	समेदा–बसगित	2.2	,,	29510.00
43	लाखीपुर–वलाफतपुर	4.671	,,	33148.50

पी0 एस0 यू0 पी0—3 एल0 ए0—14—6—84—813 (पी0 डी0)